बिहार सरकार

नगरीय आपदा प्रबन्धन योजना, गया

सुरक्षित नगर हेतु........एक कार्ययोजना

नगर निगम, गया, बिहार

(बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के सौजन्य से सीड्स टेक्निकल सर्विसेस प्रा0लि0, नई दिल्ली द्वारा विकसित

संदेश

डॉ त्यागराजन एस.एम.

भा0प्र0से0,
जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया

गया जिला हिन्दू एवं बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक केन्द्र है। जिला में धार्मिक पर्यटन के मद्देनजर देश–विदेश से श्रृद्धालु आते हैं। गया जिला बहु–आपदा प्रवण जिला है तथा वर्तमान में गया के शहरी क्षेत्र में आपदाओं के प्रभावों में वृद्धि हुई है, गया वज्रपात, सड़क दुर्घटनाओं, अगलगी, भगदड़, जलजमाव, आंधी–तूफान, शीतलहर, लू (हीटवेव), सुखाड़, हवाई दुर्घटना, महामारियों जैसी प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील है। गया में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के बढ़ने से औद्योगिक व व्यावसायिक रूप से ये शहर एक ओर जहां समृद्ध हो रहा है, वहीं इससे संबंधित दुर्घटनाओं की संवेदनशीलताओं में वृद्धि होती जा रही है। गया के शहरी क्षेत्र में आपदाओं से निपटने व इसके प्रभावों में कमी लाने के लिए वृहद व सूक्ष्म स्तर पर प्रभावी योजना की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था। इसके दृष्टिगत, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना एवं सीड्स टेक्निकल सर्विसेस प्रा0लि0, नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से नगर निगम, गया के द्वारा ''नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, गया'' का निर्माण किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन आपात सहाय्य विभागों, रिस्पांस एजेंसियों एवं अन्य संबंधित हितभागियों के सहयोग से किया जाएगा। योजना के निर्माण में स्थानीय चिन्हित जोखिमों के न्यूनीकरण, प्रबंधन, रिस्पांस, विभागों/हितभागियों के कार्य/दायित्व एवं पुनर्स्थापन जैसे पहलुओं को प्रमुखता प्रदान की गई है जिससे योजना को समावेशी रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

आशा है कि इस योजना का क्रियान्वयन, गया के शहरी क्षेत्र को एक सुरक्षित शहर के रूप में विकसित करने में सहायक होगा।

(डॉ त्यागराजन एस.एम.)

संदेश

अभिलाषा शर्मा
भा0प्र0से0,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, गया

वैश्विक तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक परिस्थितियों, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण इत्यादि कारणों से गया के नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं की संवेदनशीलता विद्यमान है। इसके नगरीय क्षेत्र में व्याप्त व संभावित जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए **''नगर आपदा प्रबंधन योजना, गया''** का निर्माण किया गया है। इस योजना में जलवायु परिवर्तन के शहर में पड़ रहे प्रभावों को कम करने संबधी उपायों को भी सम्मिलित किया गया है। इस योजना में शहरी क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलुओं का समावेश किया गया है ताकि गया के शहरी विकास को एक सुरक्षित शहर बनाया जा सके। इस योजना के निर्माण हेतु सीड्स टेक्निकल सर्विसेस् प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा वार्ड स्तरीय सर्वेक्षण, संबंधित विभागों के साथ बैठक, जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय व अन्य महत्वपूर्ण हितभागियों से संवाद स्थापित किया गया है। मैं, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना की अत्यंत ही आभारी हूँ, जिसके तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन से योजना का सूत्रपात किया गया है। योजना के निर्माण से विभागों, रिस्पांस एजेंसियों व अन्य संबंधित हितभागियों के द्वारा शहरी क्षेत्र में आपदा न्यूनीकरण के परिप्रेक्ष्य में किए जाने वाले कार्यों व भूमिकाओं के बारे में स्पष्टता आई है, इससे कार्यो व दायित्वों के निर्वहन में सुविधा होगी। योजना में क्षमतावर्द्धन, प्रशिक्षण, मॉकड्रिल, वित्त प्रबंधन, आपातकालीन प्रबंधन के संबंध में भी कार्ययोजना का प्रावधान किया गया है।

आशा है कि **नगर आपदा प्रबंधन योजना, गया** का क्रियान्वयन गया के शहरी क्षेत्र में आपदाओं के प्रभावों को न्यूनीकृत करने में सहायक होगा।

(अभिलाषा शर्मा)

विषय सूची

प्रमुख शब्दावलियां व परिभाषाएं		1
तालिका सूची		3
चित्र सूची		5
प्राक्कथन एवं आभार		7
अध्याय–1 (परिचय)		
1.1	योजना की रूपरेखा	9
1.2	नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य	10
1.3	नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, गया का कार्यक्षेत्र (परिक्षेत्र)	11
1.4	योजना तैयार करने की कार्यप्रणाली	12
1.5	नगरीय आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन	14
1.6	नगर निगम, गया का प्रशासनिक तंत्र	15
अध्याय–2 (गया–नगर निगम का विवरण)		
2.1	पृष्ठभूमि, जलवायु एवं तापमान	17
2.2	गया नगर निगम की भौगोलिक स्थिति	18
2.3	सांस्कृतिक इतिहास	20
2.4	गया की स्थलाकृति	21
2.5	जल संसाधन	21
2.6	शहरी विकास	22
2.7	जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व	23
2.8	साक्षरता	24
2.9	सामाजिक संरचना	25
2.10	सड़क एवं पहुँच मार्ग	25
2.11	भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण	26
2.12	स्लम क्षेत्र	27
2.13	प्रमुख आर्थिक संकेतक एवं विवरण	28
2.14	नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं का विवरण	29
2.15	प्रमुख स्थल एवं महत्वपूर्ण संरचनाए	31
अध्याय–3 (नगर निगम, गया में आपदाओं के अनुकूलन हेतु पर्यावरण एवं कचरा संबंधी प्रावधान		
3.1	नगरीय क्षेत्रों में आपदाओं के अनुकूलन में पर्यावरण एवं कचरा प्रबंधन का महत्व	33
3.2	ठोस कचरा प्रबंधन	34
3.3	चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन	35
3.4	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	36
3.5	ई–कचरा प्रबंधन	37
3.6	निर्माण सामग्री अपशिष्ट प्रबंधन	38
3.7	जलवायु उत्प्रेरित जोखिम	38
3.8	पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव के आलोक में पारिस्थिकी संरक्षण कार्य	38
3.9	जल जीवन हरियाली	39
3.10	आपदाओं के उपरान्त पहले से बेहतर निर्माण	39
3.11	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियां	41

अध्याय–4

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विवरण (Hazard Profile)

4.1	खतरा विवरण	45
4.2	खतरा, नाजुकता, क्षमता एवं जोखिम आंकलन (HVCRA) की कार्यप्रणाली	54
4.3	विकास प्रक्रिया से उत्पन्न नए जोखिम	63

अध्याय–5

(संस्थागत व्यवस्था)

5.1	आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना	64
5.2	नगर निगम में आपदा प्रबंधन की संरचना	64
5.3	बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार गठित समितियां	65
5.4	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	66
5.5	सप्रति नगर निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों के स्वीकृत पद	66
5.6	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया	67
5.7	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	67
5.8	आपदा प्रबंधन विभाग	67
5.9	राज्य कार्यकारिणी समिति	68
5.10	बिहार राज्य डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क	68
5.11	जिला सड़क सुरक्षा समिति	68
5.12	मोटरवाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण (यथा संशोधित नियमावली 2021)	68
5.13	जिला परिषद	68
5.14	नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस)	69
5.15	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल	69
5.16	राज्य आपदा मोचन बल	69
5.17	शिक्षा विभाग (मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम)	69
5.18	जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र, गया	70
5.19	बहु–एजेंसी समन्वय प्रक्रिया एवं जिम्मेदारी	70
5.20	जिला आपदा प्रबंधन योजना, गया से इस योजना का संयोजन	70
5.21	नगर राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति	71
5.22	वार्ड राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति	71

अध्याय–6

आपदाओं के विभिन्न चरणों में विभागों एवं रिस्पांस एजेंसियों की भूमिका

6.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर व राहत कार्यों हेतु किए गए प्रावधान	72
6.2	पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर एवं राहत कार्य के चरण में विभागों व एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं उनकी भूमिकाएं	73

अध्याय–7

क्षमता निर्माण आधारित गतिविधियों के संचालन संबंधी कार्ययोजना

7.1	संस्थागत क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण	82
7.2	समुदाय तथा सामुदायिक संस्थाओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम	85
7.3	आपदा जोखिम न्यूनीकरण सामुदायिक जन–जागरूकता	86
7.4	मॉकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन	87
7.5	गया में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु उर्पयुक्त स्थल	87

अध्याय 8

वित्तीय व्यवस्था

8.1	नगरीय आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय व्यवस्थाः गया	89

8.2	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि	91
8.3	राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष	91
8.5	अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग	91
8.6	क्षमता निर्माण कोष	91
8.7	प्रधानमंत्री राहत कोष	92
8.8	मुख्यमंत्री राहत कोष	92
8.9	सांसद राहत कोष	92
8.10	केन्द्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं से जुड़ाव	92
8.11	अन्य वित्तीय स्त्रोत	93
8.12	कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0)	93
अध्याय–9		
योजना का अनुश्रवण, आंकलन तथा अद्यतनीकरण		
9.1	अनुश्रवण तथा मूल्यांकन का महत्व	94
9.2	अनुश्रवण तथा मूल्यांकन	94
9.3	योजना के अद्यतन की कार्रवाई	95
अध्याय–10		
(आपदा प्रत्युत्तर योजना)		
10.1	आपात्कालीन प्रबंधन हेतु किए गए संस्थागत प्रावधान	96
10.2	जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समूह	96
10.3	नगर निगम, गया में आपात प्रबंधन समूह	97
10.4	नगर निगम, गया के स्तर पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना	97
10.5	पूर्व सूचना तंत्र	97
10.6	सहायक यंत्र एवं संयंत्र	98
10.7	जिला प्रशासन एवं अन्य एजेंसियों से संयोजन	98
10.8	नगर आपदा प्रबंधन समिति	99
10.9	आपातकालीन समर्थन कार्य	99
10.10	घटना प्रक्रिया तंत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया	10
10.11	इंसीडेन्ट रिस्पांस सिस्टम	102
अध्याय–11 (पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन)		
11.1	संभागवार आपदा क्षति आंकलन की पद्धति एवं उत्तरदायी एजेंसी	106
11.2	पीड़ितों कों राहत	107
11.3	आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन	108
11.4	जीवन प्रदायी भवनों की मरम्मती	108
11.5	अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण	108
11.6	जीविका का पुनर्स्थापन	108
11.7	चिकित्सीय सुविधा का पुनर्स्थापन	108
11.8	दीर्घकालिक पुर्नवापसी	108
अध्याय–12		
रिस्पांस कार्ययोजना		
12.1	बाढ़ एवं जलजमाव	109
12.2	अगलगी	125
12.3	भूकम्प	137
12.4	सूखा, पेयजल संकट एवं भीषण गर्मी	146
12.5	शीतलहर	158
12.6	सड़क दुर्घटना	163

12.7 भीड़ प्रबंधन एवं धार्मिक आयोजनों संबंधी व्यवस्थाए	**166**
12.8 महामारी प्रबंधन	**173**
12.9 वज्रपात	**178**
अध्याय–13 **जीवनप्रदायी संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण**	193
अध्याय–14 **संचार योजना**	
14.1 प्रशासनिक पदाधिकारियों, कर्मियों का सम्पर्क विवरण	193
14.2 गया के जनप्रतिनिधियों की सूची	201
14.3 हेल्पलाइन नम्बर	202
14.4 मीडिया प्रतिनिधियों (प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक) की सूची	203
14.5 जिला गया के गोताखोरों/तैराकों की सूची	204
परिशिष्ट–1 गया शहर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बाढ़ जोखिम मूल्यांकन	205
परिशिष्ट–2 संसाधनों एवं सेवाप्रदाताओं की सूची	संलग्न

प्रमुख शब्दावलियां (Abbreviation)

GMC	Gaya Municipal Corporation	गया नगर निगम
BSDMA	Bihar State Disaster Management Authority	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited	भारत संचार निगम लिमिटेड
Bihar DRR Roadmap	Bihar Disaster Risk Reduction Roadmap	बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप
ºC	Centigrade	सेंटीग्रेड
CBO	Community Based Organization	समुदाय आधारित संगठन
CHC	Community Health Centre	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
CMG	Crisis Management Group	आपात (संकट) प्रबंधन समूह
CMRF	Chief Minister Relief Fund	मुख्यमंत्री राहत कोष
CSO	Community Society Organization	सामुदायिक समिति संगठन
DDMA	District Disaster Management Authority	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDMP	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
DEOC	District Emergency Operation Centre	जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र
DH	District Hospital	सदर अस्पताल
DM	District Magistrate	जिलाधिकारी
DMD	Disaster Management Department	आपदा प्रबंधन विभाग
DMT	Disaster Management Team	आपदा प्रबंधन दल/टास्कफोर्स
DRR	Disaster Risk Reduction	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
ESF	Emergency Support Functionaries	आपात सहाय्य हितभागी
EWS	Early Warning System	पूर्व चेतावनी प्रणाली
GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
GPS	Global Position System	वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली
HRVCA	Hazard Risk Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, जोखिम, नाजुकता, क्षमता आकलन
IMD	Indian Meteorological Department	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
IAG	Inter Agency Group	अन्तर एजेंसी समन्वय समूह
ICCC	Incident Command and Control Centre	आपात कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र
IPCC	International Panel on Climate Change	जलवायु परिवर्तन हेतु अर्न्तराष्ट्रीय पैनल
CC	Climate Change	जलवायु परिवर्तन
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवाएं
IRS	Incident Response System	आपात प्रत्युत्तर प्रणाली
MLA	Member of Legislative Assembly	विधायक
MP	Member of Parliament	संसद सदस्य/सांसद

MPLADS	Member of Parliament Local Area Development Schemes	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
NDMA	National Disaster Management Authority	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDRF	National Disaster Response Fund	राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष
NDRF	National Disaster Response Force	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
NGO	Non-Governmental Organization	गैर सरकारी संगठन
NCC	National Cadet Core	नेशनल कैडेट कोर
NSS	National Social Scheme	राष्ट्रीय सेवा योजना
NYKS	Nehru Yuva Kendra Sangathan	नेहरू युवा संगठन
PDS	Public Distribution System	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PHC	Primary Health Centre	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PHED	Public Health Engineering Department	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
PMAY	Prime Minister Awas Yojna	प्रधानमंत्री आवास योजना
PMNRF	Prime Minister National Relief Fund	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष
QRT	Quick Response Team	त्वरित प्रत्युत्तर दल
SDMF	State Disaster Mitigation Fund	राज्य आपदा मोचन कोष
SDRF	State Disaster Response Fund	राज्य आपदा मोचन कोष
SDRF	State Disaster Response Force	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
SHG	Self Help Group	स्वयं सहायता समूह
SOP	Standard Operation Procedure	मानक संचालन प्रक्रिया
SP	Superintendent of Police	पुलिस अधीक्षक
UN	United Nations	संयुक्त राष्ट्र संघ
UNDRR	United Nations Disaster Risk Reduction	संयुक्त राष्ट्र संघ–आपदा जोखिम न्यूनीकरण
WASH	Water Sanitation and Hygiene	जल, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता

तालिका सूची

तालिका क्रमांक	तालिका विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	नगरीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने में प्रमुख 03 हितभागियों की भूमिका	10
2.	नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के प्रमुख चरण एवं मुख्य गतिविधियों का विवरण	12
3.	नगर निगम, गया का प्रशासनिक तन्त्र	15
4.	गया में मासिक तापमान	18
5.	गया में पिछले 10 वर्षों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान	18
6.	मासिक वर्षा एवं वर्षा प्रवणता	19
7.	गया में मासिक वायुगति	20
8.	गया नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या	23
9.	गया में जनसंख्या घनत्व विवरण	24
10.	गया में साक्षरता दर	25
11.	गया में जनसंख्या की सामाजिक संरचना	25
12.	गया शहर में भू–उपयोग संरचना	25
13.	गया शहर में कार्यशील जनसंख्या	29
14.	नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं का विवरण	29
15.	प्रमुख स्थल एवं महत्वपूर्ण संरचनाएं	31
16.	ई–कचरा प्रबंधन संस्थानों की सूची	37
17.	जल जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत नगर निगम, गया के द्वारा कराये गए कार्य	39
18.	नगर निगम, गया में कूड़ा प्रबंधन एवं कचरा निस्तारण हेतु उपलब्ध संसाधन	41
19.	गया में वायु प्रदूषण के 10 प्रमुख हॉट स्पॉट की सूची	42
20.	नगर निगम, गया की वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्ययोजना	43
21.	चिन्हित ब्लैक स्पॉट व सड़क दुर्घटनाओं का विवरण	53
22.	गया में भीड़ बाहुल्य स्थल	54
23.	सामाजिक, आर्थिक, नाजुकता आकलन के संकेतक	55
24.	सामाजिक, आर्थिक, नाजुकता आकलन हेतु विश्लेषण पदानुक्रम प्रक्रिया	56
25.	नगरीय क्षेत्रों में प्रकोपों का मौसमी कैलेण्डर	58
26.	प्रकोपों का आकलन	58
27.	गया शहर की बहु–प्रकोप आधारित जोखिम वरीयता (स्कोर)	59
28.	पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर एवं राहत कार्य के चरण में विभागों व एजंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्य	73
29.	गया नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मियों का संस्थागत प्रशिक्षण	83

30.	समुदाय तथा सामाजिक संस्थाओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम	86
31.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम की कार्ययोजना	86
32.	मॉकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन	87
33.	गया में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु उपर्युक्त स्थल	88
34.	जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समूह	96
35.	संभागवार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी	106
36.	नदी एवं बड़े नालों की सूची	110
37.	वार्डवार छोटे नालों एवं नालियों की सूची	110
38.	बाढ़/जल–जमाव में पूर्व, दौरान व पश्चात किए जाने वाले कार्य	118
39.	बाढ़–आमजन हेतु महत्वपूर्ण सलाह	122
40.	वर्ष 2022 में अगलगी का विवरण	125
41.	अगलगी की घटना की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित स्थल	126
42.	चिन्हित स्लम क्षेत्र	126
43.	नगर निगम, गया अन्तर्गत अवस्थित पेट्रोल पम्प	127
44.	नगर निगम, गया अन्तर्गत गैस एजेंसी	128
45.	अगलगी से निपटने हेतु गया में उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों की संख्या	128
46.	नगरीय क्षेत्र में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, कर्मियों एवं हेल्पलाइन का विवरण	129
47.	संबंधित विभागों द्वारा अगलगी की रोकथाम, प्रत्युत्तर एवं न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाई	134
48.	गया नगरीय क्षेत्र व आसपास के फायर हाईड्रेन्ट की सूची	134
49.	गया नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख तालाबों एवं घाटों की सूची	134
50.	गया के आसपास भूकम्प का इतिहास	137
51.	जर्जर भवन बाहुल्य क्षेत्र	138
52.	विभिन्न चरणों में भूकम्प न्यूनीकरण व प्रबंधन हेतु किए जाने वाले कार्य	140
53.	प्रमुख अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों, ट्रामा सेन्टर, आर्थोपेडिक सेन्टर व ब्लड बैंक का विवरण	143
54.	आपातकालीन निकास हेतु सड़क की सूची	144
55.	भूकम्प के दौरान शरण हेतु वार्ड में उपलब्ध खुले मैदान, एवं पार्क का विवरण	145
56.	नगर निगम, गया के पेयजल संकट प्रभावित क्षेत्र की सूची	147

57.	गया शहर में संचालित जल प्याऊ/पनशाला का विवरण	148
58.	वार्ड स्तर पर नलकूपों का विवरण	149
59.	जल मिनारों की सूची	152
60.	गया नगरीय क्षेत्र में भू–गर्भ जल स्तर	157
61.	नगर निगम, गया के अन्तर्गत कुँआ की सूची	158
62.	अलाव स्थल का विवरण	158
63.	गया के नगरीय क्षेत्रों में शीतलहर राहत हेतु संचालित किए जाने वाले रैनबसेरों का विवरण	159
64.	गया के नगरीय क्षेत्रों में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभागों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	160
65.	सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से नगर निगम, गया के अन्तर्गत चिन्हित ब्लैक स्पॉट की सूची	163
66.	सड़क सुरक्षा हेतु संबंधित विभागों के कार्य एवं दायित्व	164
67.	गया अन्तर्गत पितृपक्ष संबंधी पिण्डवेदी की सूची	168
68.	पितृपक्ष में श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान हेतु सरोवरों तथा घाटों की सूची	169
69.	पितृपक्ष के आयोजन से संबंधित विभागों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	170
70.	नगर निगम, गया के परिक्षेत्र में महामारियों के प्रसार के प्रमुख कारण एवं निवारण के उपाय	174
71.	महामारी प्रबंधन हेतु संबंधित विभागों के कार्य एवं दायित्व	176
72.	पार्थिव शरीर के प्रबंधन हेतु गया में शवदाह गृह एवं कब्रिस्तान की सूची	178
73.	वज्रपात से बचाव एवं प्रबंधन हेतु संबंधित विभागों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	178
74.	जीवनप्रदायी संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण	180–192
75.	संचार योजना	193–204

चित्र सूची

चित्र क्रमांक	चित्र विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	गया जिले का स्थलीय मानचित्र	12
2.	गया जिला का मानचित्र	17
3.	गया नगर निगम का भौगोलिक क्षेत्र	18
4.	गया में मासिक वर्षा	19
5.	गया में वायु विक्षोभ की गति	20
6.	गया की ऊँचाई विवरण	21
7.	गया में प्राकृतिक जलाशय व जल स्त्रोत	22
8.	गया शहर का विस्तारित क्षेत्र (गया नगर आयोजना क्षेत्र)	2030
9.	वार्डवार जनसंख्या घनत्व	24

10.	सड़क मानचित्र (गया शहर)	26
11.	गया में भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण	27
12.	गया में स्लम बस्तियां	28
13.	गया शहर में उद्योग क्षेत्र	29
14.	चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री, एवं उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में	40
15.	गया में वायु प्रदूषण के 10 प्रमुख हॉटस्पॉट की सूची	42
16.	गया में बबल चार्ट वार्षिक गर्मी के औसत प्रति घंटा तापमान	47
17.	गया में भू–सतह तापमान (एल0एस0टी0), 2019	48
18.	बेसलाइन और आर0सी0पी0 4.5 के लिए गया गया शहर के नदियों के बाढ़ के खतरे का नक्शा	51
19.	गया शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र	52
20.	सामाजिक, आर्थिक, नाजुकता सूचकांक	57
21.	गया में वार्डवार जोखिम विश्लेषण	59
22.	नगर निगम की समितियां	65
23.	नगर निगम के पदाधिकारियों की भूमिका	65
24.	गया नगर निगम का संगठनात्मक ढ़ांचा	66
25.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया	67
26.	नगर निगम के कार्यों का वर्गीकरण	70
27.	नगर राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति	71
28.	वार्ड राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति	71
29.	इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम	104
30.	बाढ़ मानचित्र गया	109
31.	जलस्त्रोतों का मानचित्र	136
32.	बिहार का सुखा मानचित्र	146
33.	भू–सतह तापमान, गया, 2019	148

प्राक्कथन एवं आभार

नगर निगम, गया बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित जिला गया का मुख्यालय है। नगर निगम, गया का क्षेत्र फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है तथा नगरीय क्षेत्र में ही हिन्दू धर्म के कई प्रमुख धार्मिक केन्द्र एवं तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिंर में अवस्थित हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में मंगला गौरी मंदिर, अक्षय बाटा, फाल्गु नदी, प्रेतशिला पहाड़ियों, ब्रह्मयोनी पहाड़ियों, रामशिला पहाड़ियों आदि प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। गया के नगरीय क्षेत्र से 15 किमी की दूरी पर बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल बोधगया अवस्थित है तथा इस स्थल पर देश के विभिन्न भागों के अतिरिक्त विश्व के लगभग सभी देशों से बौद्ध धर्मावलम्बी आते हैं। बौद्ध धर्मावलम्बियों एवं हिंदू अनुयायियों का प्रमुख शहर होने के कारण प्रमुख त्योहारों के दौरान अत्यधिक भीड़–भाड़ रहती है तथा सामान्य समय में भी यह क्षेत्र पर्यटन का प्रमुख केन्द्र है। गया एव ंबोधगया का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होने के कारण इस क्षेत्र का विकास अत्यंत ही तीव्र गति से हुआ है तथा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, होटल उद्योग, राजमार्गों, प्रशासनिक केन्द्रों आदि का भी विकास हुआ है। इसके फलस्वरूप नगरीय क्षेत्र में सघन आबादी, अतिक्रमण, स्लम क्षेत्रों, जल जमाव, पेयजल संकट, दुर्घटनाओं में वृद्धि, सड़क जाम जैसी अन्य समस्याओं का भी पार्दुभाव हुआ है। गया जिले की भौगोलिक पृष्ठभूमि अर्द्ध–पठारी होने के कारण औसत भूगर्भ जल स्तर 40 फीट से भी नीचे है तथा गर्मी के दिनों में औसत भूगर्भ जल स्तर 65 फीट के नीचे भी चला जाता है। भूगर्भ जल के अत्यधिक दोहन से भीषण गर्मी के दिनों में जलस्तर अत्यंत ही नीचे चले जाने के कारण गया के नगरीय क्षेत्रों में जल संकट की अभूतपूर्व समस्या उत्पन्न हो जाती है। जल जीवन हरियाली अभियान तथा गयाजी रबर डैम के निर्माण से भूगर्भ जलस्तर में आपेक्षित सुधार हुआ है परन्तु जलवायु परिवर्तन के पड़ रहे प्रभावों से कभी भी शहर में भूगर्भ जलस्तर की स्थिति चिंताजनक हो सकती है। गया एक बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्र है तथा नगरीय क्षेत्र व इसके आसपास सड़क दुर्घटना, वज्रपात, आंधी–तूफान, सुखा, अगलगी, भीषण गर्मी (लू), पेयजल संकट, भगदड़, महामारियों जैसी प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं से उत्पन्न संवेदनशीलताए विद्यमान है। गया एव ंबोधगया के धार्मिक महत्व के मद्देनजर तथा इसके विभिन्न क्षेत्रों के नक्सल प्रभावित होने से नगरीय क्षेत्र आतंकवादी विस्फोट, साम्प्रदायिक तनाव, आपराधिक घटनाओं के प्रति भी संवेदनशील है। इस क्रम में अनुभव किया जा रहा था कि गया जिले के नगरीय क्षेत्रों विशेषकर नगर निगम, गया के क्षेत्रों में विद्यमान आपदा आधारित जोखिमों को कम करने हेतु नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, गया (City Disaster Management Plan, Gaya) का निर्माण किया जाय व साथ ही योजना का संबंधित आपात सहाय्य हितभागियों के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन करना तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष योजना का संशोघन सुनिश्चित किया जाय।

इसके दृष्टिगत, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के द्वारा वर्ष 2021 के द्वारा सीड्स टेक्निकल सर्विसेस प्रा0लि0, नई दिल्ली को नगर निगम, गया एवं अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से नगर आपदा प्रबंधन योजना, गया के निर्माण एवं विकास का दायित्व सौंपा गया। इस परिपेक्ष्य में, एक त्रिपक्षीय एकरारनामा दिनांक **03.03.2021** को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, नगर निगम तथा सीड्स टेक्निकल सर्विसेस प्रा0लि0, नई दिल्ली के मध्य किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में, सीड्स टेक्निकल सर्विसेस टीम के द्वारा संबंधित विभागों, जनप्रतिनिधियों, कर्मियों एवं अन्य महत्वपूर्ण हितभागियों से समन्वय तथा संवाद स्थापित करते हुए आपदाओं के न्यूनीकरण संबंधी पहलुओं को लागू करने हेतु एक सर्वेक्षण प्रारूप तैयार कर सूचनाओं का संकलन किया गया। इसके

अतिरिक्त, महत्वपूर्ण विभागों व हितभागियों के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं को संकलित किया गया है।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, गया में स्थानीय जोखिमों, आपदाओं, संवेदनषीलता, संवेदनशीलता, क्षमता निर्माण, संसाधनों, न्यूनीकरण योजना, प्रत्युत्तर योजना, वित्तीय प्रावधानों व संबंधित हितभागियों द्वारा नगरीय क्षेत्र में आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन संबंधी कार्य, दायित्व एवं भूमिकाओं का प्रावधान किया गया है। योजना में महत्वपूर्ण संरचनाओं तथा संसाधनों को चिन्हित करते हुए आपदाओं के न्यूनीकरण संबंधी रणनीति में इसका समावेश किया गया है। योजना में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का क्षमतावर्द्धन विभिन्न आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में करने हेतु प्रशिक्षण, मॉकड्रिल कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं/संगोष्ठी का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण हितभागियों एवं आमजन को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार (आई0ई0सी0)
गतिविधियों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है।

इस योजना में किए गए प्रावधानों को चरणबद्ध एवं योजनाबद्ध रूप से लागू कर नगरीय क्षेत्र के जोखिमों का न्यूनीकरण किया जा सकता है। जिला प्रशासन,गया व नगर निगम, गया हेतु आवश्यक है कि इस योजना की प्रति संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए ताकि योजना के क्रियान्वयन में स्पष्टता बनी रहे।

इस योजना का निर्माण करने में जिलाधिकारी, गया, नगर आयुक्त, नगर निगम, गया, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, गया, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गया, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, गया, कंसल्टेंट/डी0एम0 प्रोफेशनल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया, नगर प्रबंधक, नगर निगम, गया सहित जिला प्रशासन व नगर निगम, गया से संबंधित अन्य पदाधिकारियों, प्रोग्रामर तथा कर्मियों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, इस हेतु सीड्स टीम सदैव आभारी रहेगी।

आशा है कि इस कार्ययोजना का क्रियान्वयन नगर निगम, गया के क्षेत्र को एक सुरक्षित नगर के रूप में विकसित करने में सहायक होगा।

(सीड्स टीम)

अध्याय–1
परिचय

1.1 योजना की रूपरेखा

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, गया का निर्माण शहरी क्षेत्र में घटित होने वाली आपदाओं के प्रभावों की रोकथाम, प्रबंधन, रिस्पांस एवं न्यूनीकरण प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए एक व्यापक, समेकित तथा प्रभावी कार्ययोजना है, जिसका संचालन नगर निगम, गया के द्वारा संबंधित विभागों के सहयोग एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया के मार्गदर्शन में किया जाना है। इस योजना में गया शहर की विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों तथा मानवजनित कारणों से बढ़ी संवेदनशीलताओं में कमी लाने के लिए एक प्रासगिंक रणनीति बनाई गई है। इसके लिए, नगरीय क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट प्रकार के जोखिमों की पहचान करने के साथ–साथ संवेदनशीलताओं व क्षमताओं का विवरण सम्मिलित करते हुए आपदाओं से निपटने की कार्ययोजना बनाई गई है। सामान्यतः अनुभव किया गया है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए विभागों व संबंधित हितभागियों की संस्थानिक समझ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिप्रेक्ष्य में विकसित करने हेतु निरन्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके मद्देनजर, योजना को बहु–आयामी बनाने का प्रयास किया गया है। इस योजना में गया के शहरी क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व–तैयारी, प्रभावी प्रत्युत्तर तथा पुनर्स्थापन (पुनर्वास) की योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए आपदावार कार्ययोजना का भी निर्माण किया गया है ताकि आपात सहाय्य विभागों द्वारा सरलता से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा सके।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव शहरों पर अधिक दृष्टिगोचर हो रहा है तथा इससे आपदाओं के प्रभावों व आवृत्ति सहित अन्य विभिन्न प्रकार की जटिलताओं व समस्याओं में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन व अनियोजित विकास के फलस्वरूप शहरों में हरित आवरण घटता जा रहा है। इसके दृष्टिगत, इस योजना में जलवायु प्रदत्त आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन, क्षमता निर्माण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यों के संचालन के लिए वित्त तथा अनुश्रवण व मूल्यांकन जैसे पहलुओं पर विशेष प्रावधान किए गए ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावी एवं टिकाऊ हो। नगर आपदा प्रबंधन योजना, गया का निर्माण केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रिया व दिशानिर्देशों को आत्मसात् करते हुए किया गया है। इस योजना में नगर निकायों, समुदायों और विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिससे पूर्व–चेतावनियों का प्रसार प्रभावी रूप से हो, वार्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र का विकास हो तथा राहत–बचाव कार्यों हेतु स्थानीय मानवबल का सदुपयोग किया जा सके। यह योजना निश्चित रूप से, आपदाओं से निपटने हेतु एकीकृत तथा समन्वित प्रयासों को बढावा देती है।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आपदा प्रबंधन व न्यूनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने तथा शहर में व्याप्त व भविष्य की आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को समाहित किया गया है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) राज्य में जोखिम न्यूनीकरण के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों–सुरक्षित गाँव, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित आधारभूत सेवाएँ, सुरक्षित क्रिटिकल अवसंरचना तथा सुरक्षित शहर को चिन्हित किया गया है। 5 चिन्हित क्षेत्रों में से 4 क्षेत्र आपदाओं से निपटने के लिए नगरीय निकायों की क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अत्यंत आवश्यक हैं।

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 के अनुरूप ''सुरक्षित शहर'' का निर्माण ही ''नगर आपदा प्रबंधन योजना'' की मूल अवधारणा है, यह अवधारणा स्वतः सुरक्षित आजीविका, आधारभूत संरचनाओं तथा आधारभूत सेवाओं के सशक्तिकरण पर जोर देती है। नगरीय आपदा प्रबंधन योजना के प्रभावी संचालन से शहर में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं का सशक्तिकरण और टिकाऊ विकास संभव होगा। चूंकि स्थानीय प्रकृति के अनुसार भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक व पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण आपदाओं की नाजुकता व जोखिम अलग–अलग होते हैं। नगरीय आपदा प्रबंधन योजना शहर के विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में आवश्यकता के अनुरूप शहरी क्षेत्र में घटित होने वाली आपदाओं से संबंधित मुद्दों को मुख्य धारा में लाकर तथा आपदा प्रबंधन की एक प्रासंगिक एवं प्रभावी रणनीति का निर्धारण करने में सहायक है।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने में प्रमुख 03 हितभागियों की भूमिका–

1– बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–	**2– टेक्निकल संस्थान के रूप में सीडस टेक्निकल सर्विसेज**	**3– गया नगर निगम, बिहार**
▪ योजना बनाने हेतु प्रारूप का निर्माण व स्वीकृति ▪ क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों तक आंकड़ा एकत्रीकरण हेतु पहुँच सुगम बनाना। ▪ नगर निगम से समन्वय स्थापित कराना। ▪ प्रगति की समीक्षा एवं योजना की स्वीकृति। ▪ योजना बनाने की प्रक्रिया की निगरानी व प्रगति की समीक्षा करना	▪ सी.डी.एम.पी. की तैयारी करने व आंकड़ा संकलन हेतु प्रपत्र बनाना तथा आकड़ों का सत्यापन करना। ▪ वार्डों से आंकड़ों व सूचनाओं का संग्रहण करना तथा विश्लेषण करना। ▪ नगर निगम से चर्चा कर व समन्वय करना। ▪ प्राधिकरण को विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। ▪ योजनाबद्ध व समयबद्ध कार्य सम्पादित करना। ▪ सी.डी.एम.पी. पर जिला प्रशासन/नगर निगम से अनुशंसा प्राप्त कर प्राधिकरण को प्रेषित करना।	▪ अन्य विभागों व कार्यालयों से समन्वय स्थापित कराना। ▪ वरीय पदाधिकारी को प्रभारी नामित करना। ▪ सभी संबंधित आंकडा उपलब्ध कराना तथा जिला/नगर स्थित विभागों से समन्वय स्थापित कराना। ▪ प्रभारी द्वारा समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन कर विचार–विमर्श करना। ▪ हितधारकों के साथ बैठक समूह चर्चा में सूत्रधार का कार्य कराना। ▪ जिलाधिकारी, गया को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।

तालिका–1

1.2 नगर निगम आपदा प्रबंधन योजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, गया ''आपदा जोखिम प्रबंधन'' से सम्बंधित किए जाने वाले आवश्यक प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना है, इस योजना को प्रभावी व कार्यशील बनाए रखने के लिए गया में उत्पन्न हो रही आपदाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष लक्ष्यों व उद्देश्यों को चिन्हित किया गया है जिससे आपदाओं के स्वरूप में होने वाले बदलावों के अनुरूप संबंधित विभाग, हितभागी व स्थानीय समुदाय बचाव, न्यूनीकरण व प्रत्युत्तर संबंधी कार्रवाई करने में सक्षम हो सकें। योजना में आवश्यक रणनीतियों को अपनाने, न्यूनीकरण प्रावधानों को प्रभावी कार्रवाई कर लागू करना व हितभागियों/समुदायों में सुरक्षा की संस्कृति का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 व राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार के विभिन्न नीतिगत सिद्धान्तों व उद्देश्यों को अपनाया गया है, जिसका मूलमन्त्र है–

"सरकारी, रिस्पांस एजंसियों एवं गैर सरकारी हितभागियों द्वारा मिलजुलकर बेहतर रोकथाम, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी उपायों को पूर्वाभ्यास तथा प्रभावी रूप से संचालित कर जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना"

आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) के परिप्रेक्ष्य में इस योजना का प्रारंभिक उद्देश्य गया शहर में आपदा जोखिम अनुकूलन (Disaster Risk Resilience) को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित करना। गया नगर निगम क्षेत्र में भू–जलवायु परिरिस्थितिकी, जनसांख्यिकी, पूर्व के आपदा इतिहास के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के आधार पर नगर की बहु–आपदा जोखिम के अनुसार संवेदनशील स्थलों, आबादी, जनसंख्या, सरकारी तथा निजी संपत्तियां, आधारभूत संरचनाओं तथा मूलभूत सुविधा प्रदान करने वाली सेवाओं के जोखिमों की पहचान कर निम्नांकित लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना आवश्यक है–

(क) वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव क्षति को आधार आंकडों (Base Line) की तुलना में 75 प्रतिशत कम करना।

(ख) वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (सड़क, रेल, नाव दुर्घटना) में आधार आकड़ों की तुलना में पर्याप्त कमी करना ।

(ग) वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में आधार आंकड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी करना।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना (2015–30) में उल्लेखित उपर्युक्त लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न क्रियाकलापों का निम्न प्राथमिकतानुसार निर्धारण किया गया है–

- आपदाओं के प्रभावों व इतिहास के संबंध में जानकारी एकत्र व समझ विकसित करना।
- आपदा जोखिमों व संवेदनषीलता की पहचान कर उसके संबंध में पूरी जानकारी तथा इसका विस्तृत विश्लेषण करना।
- सहभागी विस्तृत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोखिमों का विश्लेषण करते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वार्ड स्तरीय विकास योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन।
- जोखिमों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर तदनुसार सभी हितधारकों का पर्याप्त क्षमता–वर्द्नन करना व आपदा न्यूनीकरण की रणनीति तय करना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाबद्ध रणनीतियों के संबंध में विभागों, हितभागियों, मीडिया व स्थानीय समुदायों को जागरूक करना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रशिक्षण/मॉकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन व आपदाओं से निपटने में सहायक संसाधनों व उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु आवश्यक प्रावधान करना।
- पूर्व चेतावनी प्रणाली व आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को सशक्त बनाना।
- संबंधित हितभागियों से संवाद स्थापित करना।

इस योजना मे कार्यान्वयन योग्य (Actionable and Doable) लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न अध्यायों में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

1.3 नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, गया का कार्यक्षेत्र (परिक्षेत्र)

नगर निगम गया का क्षेत्र 50.17 वर्ग किमी है, जिसमें कुल वार्डो की संख्या 53 हैं। गया की जनसंख्या 468,614 (2011 की जनगणना) और 5,017 हेक्टेयर क्षेत्र का सकल जनसंख्या घनत्व 93.40 पीपीए है। गया शहर के वार्डवार जनसंख्या घनत्व से पता चलता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वार्ड नंबर 38 यानी 1020 पीपीए में है और सबसे कम घनत्व वार्ड नंबर 29 यानी 10.28 पीपीए में दर्ज किया गया है। वार्ड संख्या 27 की अधिकतम जनसंख्या अर्थात 15,984 है।

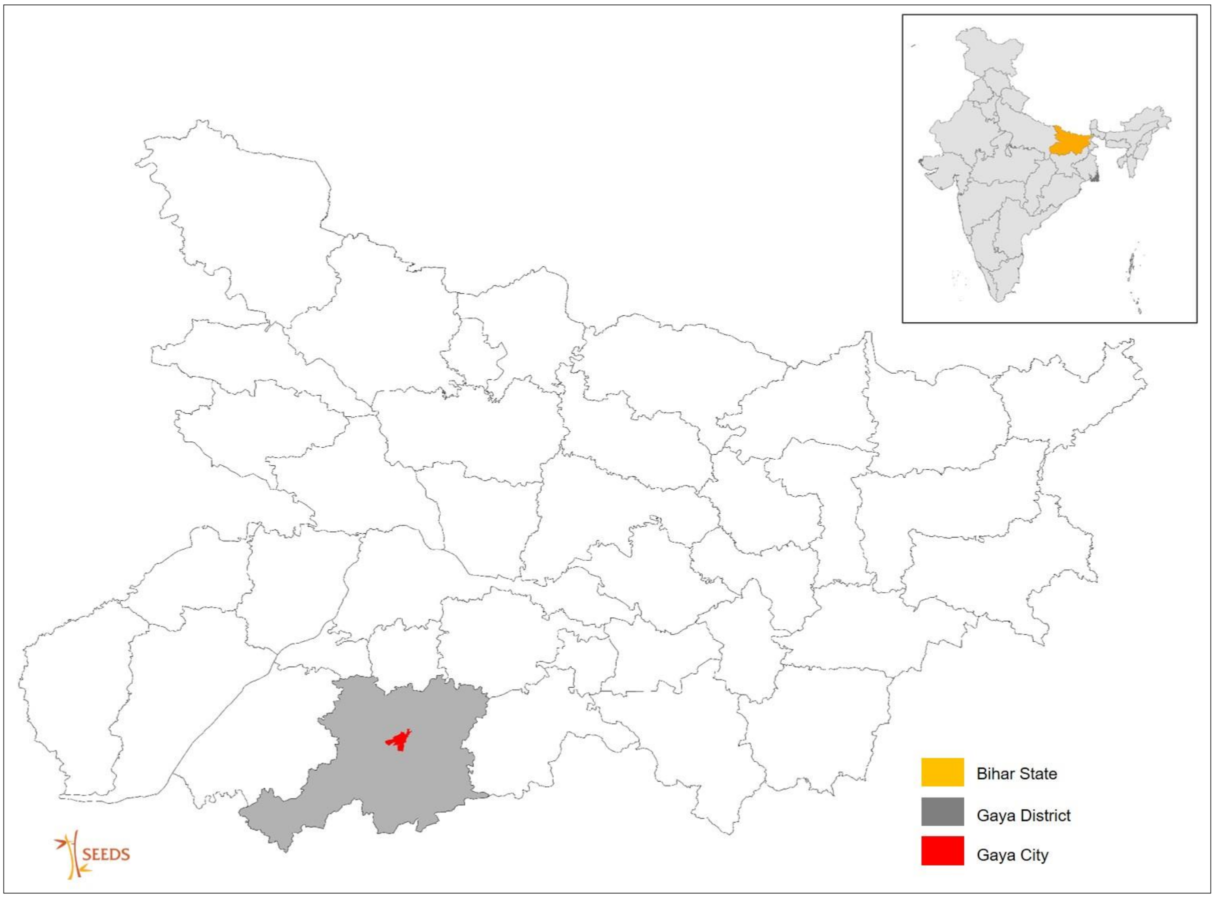

चित्र 1: गया जिले का स्थलीय मानचित्र

1.4 योजना तैयार करने की कार्यप्रणाली

इस योजना का निर्माण एक त्रिपक्षीय एकरारनामा के आलोक में किया गया है। तदनुसार तीनों पक्षों की महत्वपूर्ण सहभागिता रही है। नगर निगम, गया द्वारा विभिन्न विभागों से नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए जरूरी आंकड़े तथा सूचनायें एकत्रित करने का हर संभव प्रयास किया गया है। इस योजना की तैयारी में तकनीकी सहयोग के लिये नियुक्त संस्था, सीडस टेक्निकल सर्विसेज ने नगर निगम के संबंधित पदाधिकारियों नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के स्थानीय कार्यालय जन–प्रतिनिधियों, वार्ड पार्षदों, एन0जी0ओ0 तथा सामाजिक कार्यकताओं से व्यापक विमर्श, चर्चा एवं क्षेत्र भ्रमण कर के जानकारियां एकत्रित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, अन्य आवश्यक आंकड़े विभिन्न वेब साईट, जिला गजेटियर, जिला जनगणना हस्त–पुस्तिका, साख्यिकी प्रतिवेदनों तथा अन्य श्रोतों से एकत्रित किया गया है। साथ ही बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से नगरीय आपदा प्रबंधन योजन प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी आदेश, अनुदेश, परिपत्र मानक संचालन प्रक्रिया जन जागरण हेतु पत्रक, पोस्टर इत्यादि प्राप्त किये गये है।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के प्रमुख चरण एवं मुख्य गतिविधियों का विवरण
(तालिका–2)

क्रमांक	चरण	गतिविधि
1	**चरण 1–** प्राधिकरण से प्रपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार संस्था स्तर पर व	परियोजना टीम द्वारा कार्य का बंटवारा कर नगर निगम, गया के विभिन्न वार्डो में कार्य प्रारम्भ किया गया।

	स्थानीय स्तर पर टीम का गठन	
2	क्षेत्र भ्रमण व प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेतु	परियोजना टीम का नगर निगम व वार्ड पार्षदों तथा प्रतिनिधियों के साथ परिचय, वार्ड का भ्रमण, आवश्यक आंकडा, मानचित्र का एकत्रीकरण
3	प्रारम्भिक प्रतिवेदन का नगर निगम व प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतिकरण	नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त व बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पटना के समक्ष योजना का प्रारम्भिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण करना व अग्रिम कार्ययोजना का निर्माण करना।
4	**चरण 2–** योजना की ड्राफ्ट रिपोर्ट	आंकड़ों का दस्तावेजीकरण करना। क्षेत्र की प्रकोप, नाजुकता व जोखिम का विश्लेषण करना। वार्ड स्तर की मैपिगं व आपदाओं के प्रभाव की मैपिंग योजना की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करना तथा प्राधिकरण के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर आवश्यक संशोधन करना।
5	**चरण 3–** योजना का अन्तिम रूप	नगर निगम के साथ योजना की चर्चा करना। वार्ड स्तर तक की संसाधनो का मानचित्रण करना। उनके सुझावों का योजना में समावेश करना योजना का अन्तिम प्रारूप का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतिकरण करना तथा दस्तावेज प्राधिकरण में भेजना।

अन्य श्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए संबंधित विभागों व सक्षम प्राधिकार से समन्वय स्थापित किया गया। सहभागी सूचना संकलन पद्धति को आत्मसात कर वार्ड सर्वेक्षण में पूर्व में घटित आपदाओं के इतिहास, प्रभावित क्षेत्रों, सुरक्षित स्थलों व भवनों से संबंधित जानकारी को एकत्र करने हेतु वार्ड के संभ्रान्त लोगों, जनप्रतिनिधियों व बुर्जुगों से सम्पर्क स्थापित किया गया। सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर की सूचनाएँ एवं लोगों के आपदाओं से संबंधित अनुभवों व उपलब्ध संसाधनों व सुविधाओं के उपयोग से संबंधित विवरण का संकलन किया गया। स्थानीय स्तर पर आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय समुदाय द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों व की जाने वाली कार्रवाई के साथ प्रत्युत्तर क्षमताओं में कमियों (**Gaps in Disaster Response**) व संसाधनों के आभावों (**Lack of Resources**) के बारे में भी आवश्यक सूचनाओं को संकलित किया गया।

सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों का दस्तावेजीकरण कर विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार किया गया। विभिन्न टेबुल, चार्ट, ग्राफ तथा डॉयग्राम तैयार किये गये। वज्रपात निरूपित करते हुए बहु–आपदा खतरा जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता का विस्तृत विश्लेषण तैयार किया गया। पुनः इस विश्लेषण के साथ सभी हितधारकों के साथ बैठक कर उनको इसके फलाफल की जानकारी दी गई तथा उनसे आपदा प्रबंधन के सभी मुख्य अवयवों के संबंध में उनके दायित्व एवं कर्तव्यो तथा अपेक्षाओं की चर्चा की गई। इस चर्चा के आधार पर आपदा पूर्व तैयारी व विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलुओं का समावेश करने की स्पष्ट रूपरेखा तय की गई जो आपदा के प्रभावों को कम करने, आपातकालीन प्रबंधन को सशक्त करने तथा आपदा प्रत्युत्तर क्षमता को बढ़ाने में सहायक तथा प्रभावी हो।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना को ससमय त्वरित तथा प्रभावी रूप से लागू करने की लिए एक सुगठित आपातकालीन संचालन केन्द्र की रूपरेखा प्रभावी प्रक्रिया कार्यबलों के संस्थागत ढांचा का स्वरूप का निर्धारण किया गया। इसके अतिरिक्त संसाधन सूची तैयार की गई। भौतिक संसाधन तथा मानव संसाधन की वर्तमान उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर इसकी प्रभावकारिता में सम्यक

सुधार करने का कार्यक्रम बनाया गया है। क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण सामग्रियां भी चिह्नित किये गये तथा इसके संचालन की कार्ययोजना भी बनाई गई। आपदा प्रभावित लोगों के बीच खतरों तथा जोखिम की पहचान तथा स्थानीय स्तर पर बाहरी सहायता पहुँचने से पहले बचाव कैसे किया जाय अथवा कौन सी गलतियां नहीं की जाए, इस बारे में उन्हें जागरूक करने के सभी उपायों की विस्तृत चर्चा की गई है।

कई प्रकार की आपदा के दौरान प्रत्युत्तर योजना, सहयोगी संस्थाओं की भूमिका तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व एवं निर्देशन में आपसी सहयोग एवं समन्वय की मानक संचालन प्रक्रिया व प्रभावी समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism) का निर्धारण किया गया है, जिससे संबंधित हितभागियों के मध्य भ्रम की स्थिति नही रहे व त्वरित कार्यों का संचालन निर्धारित भूमिका के अनुसार समन्वित ढ़ंग से किया जा सके। पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास जिला नियंत्रण कक्ष, गया, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, गया व इन्टेग्रेटेड कमांड कन्ट्रोल सेन्टर, गया के माध्यम से किए जाने की कार्य प्रणाली का सूत्रपात किया गया है। साथ ही, आपदा प्रभावितों या संवेदनशील आबादी को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण तथा राहत शिविरों के संचालन की मानक प्रक्रिया का विशेष उल्लेख किया गया है।

इस योजना के निर्माण में क्षति आकलन, पीड़ितों को राहत, पुनर्वास, आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन जीवनदायी सेवा प्रदान की जाने वाली संस्थाओं के भवनो की त्वरित मरम्मति या क्षतिग्रस्त संरचना का पुनर्निर्माण के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निर्देश, परिपत्र, दिशानिर्देशों का उल्लेख विभिन्न अध्यायों में किया गया है।

योजना में प्रस्तावित कार्यों के लिए नगर निगम के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विश्लेषण किया गया है और विकास कार्यों के लिए किये जा रहे निवेश से भविष्य में आपदारोधी संरचनाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

योजना का निरूपण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण को सरल सुलभ तथा सुग्राह्यी बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

1.5 नगरीय आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन

बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पटना द्वारा स्वीकृत नगर आपदा प्रबन्धन योजना, गया के क्रियान्वयन की जवाबदेही बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 21 एवं 22 के आलोक में ”नगर निगम की सभी कार्यकारी शक्तियो का उपयोग करते हुवे सशक्त स्थाई समिति की होगी” इसी अधिनियम के अनुच्छेद 28(2) के आलोक में सशक्त स्थाई समिति, लिखित आदेश द्वारा, इस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन, अपने किन्ही शक्तियों या कार्यो को महापौर या नगर आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007 के अध्याय 39 में उद्धृत धारा 361

प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा का प्रबंधन (1) जहाँ तक संभव हो सकेगा, नगरपालिका मौसम–विज्ञान संबंधी कार्यालय सहित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के संबद्ध पदाधिकारियों के सहयोग से मौसम आधारित नक्शा तथा प्रभावी क्षेत्र–आरेख तैयार कराएगा तथा अन्य सुसंगत आकड़ें एकत्र करेगा और प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अधिष्ठापन तथा अन्य अपेक्षित सहायक उपकरण को स्थापित करने के लिए आवश्यक पहल करेगा।

(2) नगरपालिका आपदा प्रबंधन के संबंध में आपातकालीन क्रियाकलाप आयोजित करेगी तथा जन चेतना को बढ़ावा देगी।

(3) नगरपालिका योजना तथा नगर विकास प्राधिकारों के द्वारा उच्च भूकम्पीय क्षेत्रों में भूकम्प की यथा भयावहता को कम करने तथा इस संबंध में नागरिक चेतना जगाने के लिए बनाए गये विनियमों को यदि कोई हो, कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार की नीतियाँ, बिहार नगर पालिका अधिनियम , 2007 में विभिन्न आपदाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं, नये सहाय्य मानदर एवं भूकम्प, चक्रवाती तूफान, भीड़ प्रबंधन, आपदाओं से बच्चा की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धो एवं असहाय जनो की सुरक्षा, पालतू जानवरों एवं मवेशियों की सुरक्षा, मलबों का निपटान से संबंधित मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। हितधारकों एव सहयोगी संस्थानों का क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जायेगा। नगर निगम, गया द्वारा आन्तरिक संसाधनों व अन्य श्रोतों से भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों का संचालन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

नगरीय आपदा प्रबंधन समिति– इस समिति के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यों के लिए अलग–अलग कार्यदल गठित किये जायेंगे और उन्हें जागरूकता एवं पूर्व तैयारी, त्वरित सूचना संचार मोचन कार्य यथा निकासी तथा बचाव, शिविर संचालन संसाधन प्रबंधन के कार्यों में प्रवृत्त करने हेतु समुचित नेतृत्व निर्देशन, समन्वय इत्यादि कार्य किये जायेंगे। यह समिति जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन विभिन्न सहभागी एवं हितधारक सस्थाओं से सम्पर्क तथा समन्वय कर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में अपनी भूमिका अदा करेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार की नीतियाँ बिहार नगर पालिका अधिनियम, विभिन्न आपदाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं नये सहाय्य मानदर एवं भूकम्प चक्रवाती/आंधी–तूफान, भीड़ प्रबंधन, आपदाओं से बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धों एवं असहाय जनो की सुरक्षा, पालतू जानवरों एवं मवेशियों की सुरक्षा, मलबों का निपटान से संबंधित मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी हितधारकों एवं सहयोगी संस्थानों का क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जायगा।

1.6 नगर निगम, गया का प्रशासनिक तंत्र (तालिका–3)

पदनाम	प्रशासनिक कार्य
महापौर	नगर के परिक्षेत्र, आधारभूत संरचनाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं आदि का प्रतिनिधित्व करना। नगर निगम, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा नगर निगम से संबंधित निर्णय लेना।
उप महापौर	महापौर की अनुपस्थिति में नगर के परिक्षेत्र, आधारभूत संरचनाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं आदि का प्रतिनिधित्व करना। महापौर को सहयोग प्रदान करना।
नगर आयुक्त	नगर निगम के सीईओ (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी) एवं मुख्य प्रशासक–नगर निगम के निर्णय को क्रियान्वित करना, नगर निगम के समस्त दायित्वों का निर्वहन करना, अनुश्रवण करना व वार्षिक बजट का निर्माण करना।
उप नगर आयुक्त	समय पर समस्त प्रस्तावित कार्य बजट के आधार पर कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। नगर निगम के सभी कार्यों के ससमय निष्पादन व परियोजनाओं के संचालन में सहयोग करना।
नगर प्रबंधक	स्वच्छता, पेयजल, जन सुविधाओं, संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन, नगरीय प्रबंधन व अन्य सौपे गये दायित्वों का निर्वहन करना।
लेखा अनुभाग	लेखा अनुभाग नगर निकायों से सम्बंधित सभी प्रकार के बिल और भुगतान, कर्मचारियों के वेतन, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रेजरी लेखा के रख–रखाव आदि कार्य सम्मिलित है।
नोडल–स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	जल जनित तथा वेक्टर जनित महामारियों के रोकथाम हेतु वार्डों में साफ–सफाई व छिड़काव करना।

राजस्व अनुभाग	संपत्ति कर का मूल्यांकन, कर निर्धारण एवं संग्रहण, सभी प्रकार के म्यूटेशन के संबंध में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करना। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना। सभी प्रकार के शवदाह गृहों व कब्रिस्तानों का रखरखाव का प्रबंधन करना।
रजिस्टार आफिसर	पंजीकरण करना तथा आवश्यक परिपत्रों को निर्गत करना।
इंजीनियरिंग अनुभाग	यह अनुभाग नगरीय क्षेत्रान्तर्गत सड़कों, नालियों, पुलियों, भवनों का निर्माण आदि के विकास में सम्मिलित है।
जल प्रशाखा	यह प्रशाखा नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति कनेक्शन व जलापूर्ति सम्बन्धी कार्यों का संपादन करती है।
विकास प्रशाखा	यह प्रशाखा नगर निगम के सभी विकास सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन व संचालन करती है।
सामान्य प्रशाखा	सामान्य पत्राचार, सभागार का आरक्षण, पार्क प्रबंधन, खाली भूमि,की देखरेख, जलकल टैंक की बुकिंग , सेप्टिक टैंक की साफ़ सफाई सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करना।
कंप्यूटर अनुभाग	ये अनुभाग नगर निगम की सभी प्रशाखा को आईटी सुविधा प्रदान करता है।
सूचना का अधिकार	आमजन से सुचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करना और आवेदन का निष्पादन करना।
स्थापना अनुभाग	यह अनुभाग नगर निकायों के मानव संसाधन सम्बन्धी समस्त कार्यों यथा नियुक्ति, योगदान, सेवानिवृत्ति, प्रशिक्षण, उपस्थिति व वेतन संबंधी कार्यों का संपादन किया जाता है।
नकद अनुभाग	दैनिक आधार पर विभिन्न विभागों से नकद संग्रहण का कार्य करता है।
विधि प्रशाखा	विवादित मामलों, कानूनी मामलों का पत्राचार, विधि सम्बन्धी मामलों का संपादन, माननीय न्यायालय से सम्बंधित विभिन्न कार्यों का संपादन करना।
स्टेशनरी प्रशाखा	यह प्रशाखा नगर निकाय की सभी संभागों/प्रशाखाओं/अनुभागों को दैनिक स्टेशनरी सामग्री, दस्तावेज आदि उपलब्ध कराती है।
परिवहन अनुभाग	यह प्रशाखा नगरीय क्षेत्र में परिवहन प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करती है।
बाजार प्रशाखा	यह प्रशाखा विभिन्न व्यवसायों के लिए व्यापार लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करती है।

अध्याय–2
गया–नगर निगम का विवरण

2.1 पृष्ठभूमि, जलवायु एवं तापमान

गया शहर, बिहार के गया जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह ऐतिहासिक शहर गंगा नदी की एक सहायक नदी फाल्गु नदी से विभाजित होता है। इस शहर में मंदिर तथा धार्मिक महत्व के कई स्थल अवस्थित हैं, जिनमें विष्णुपद मंदिर, मंगला गौरी मंदिर, अक्षय वट, फल्गु नदी, प्रेतशिला पहाड़ियों, ब्रह्मयोनी पहाड़ियों, रामशिला पहाड़ियों आदि प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्मावलम्बियों एवं हिंदू अनुयायियों का प्रमुख शहर होने के कारण प्रमुख त्योहारों के दौरान अत्यधिक भीड़–भाड़ रहती है।

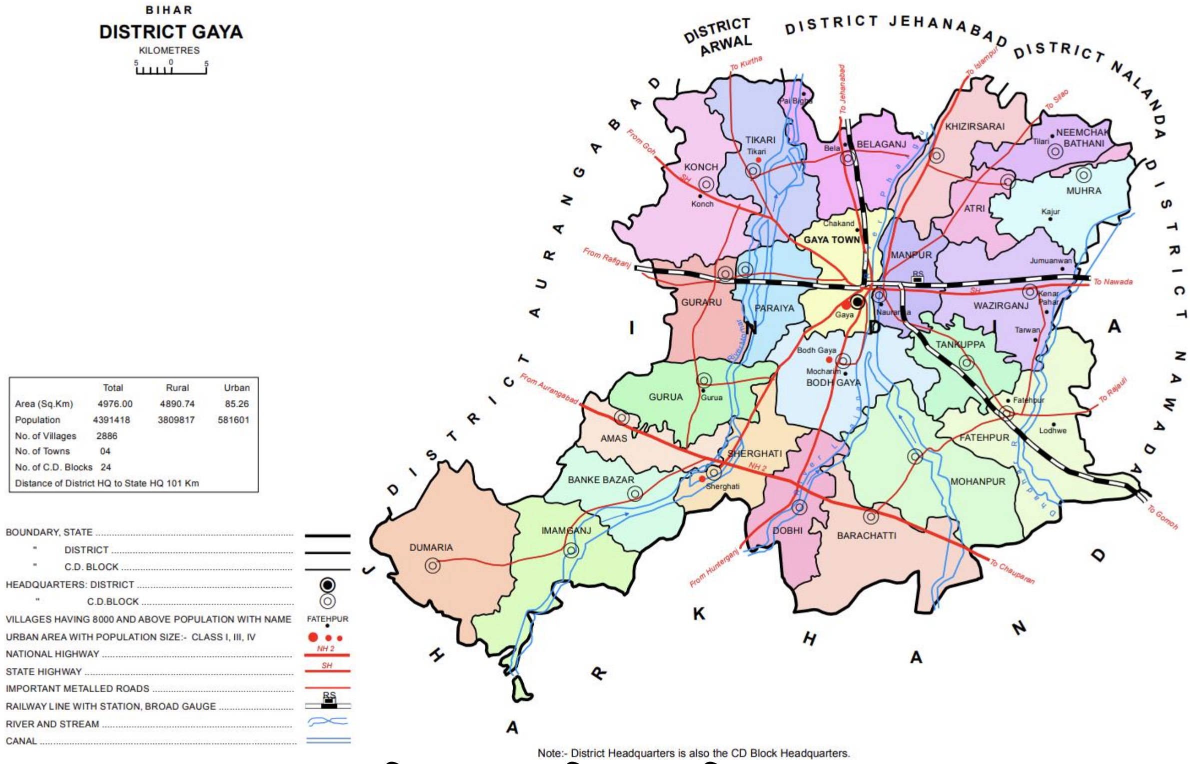

चित्र 2: गया जिला मानचित्र

गया अंतर–राज्यीय व अन्य जिलों के प्रवासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थल है, क्योंकि यह शहर वाणिज्यिक गतिविधियों व आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। शहर में विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक बाज़ार व वाणिज्यिक महत्व के केंद्र हैं जोकि पूरे वर्ष मेलों और त्योहारों की अवधि में अधिक रूप से सक्रिय रहते हैं। केदार नाथ मार्केट, खठोतार तालाब, हाटू गोडम, जीबी रोड, केपी रोड, कचहरी रोड, टिकरी रोड, चौक मार्केट, न्यू गया कॉलेज रोड, एएनएनएमएचसी मार्केट व स्टेशन रोड अन्य मुख्य व्यापारिक क्षेत्र हैं।

शहर में कुछ छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिनमें बिजली–करघा और हथकरघा उद्योग यहां बसे लोगों के के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत हैं। अन्य घरेलू उद्योगों में अगरबत्ती गैर सुगंधित , व्यापारिक इत्र, तिलकुट–लाई, निर्माण सामग्री (पत्थर और खिड़की की ग्रिल), लकड़ी के फर्नीचर सामग्री, मिट्टी के टुकड़े आदि में शामिल हैं। यह शहर ऐतिहासिक रूप से पर्यटकों हेतु प्रमुख स्थल है, इसलिए संबंधित उद्योगों को व्यावसायिक लाभ मिलता है।

2.2 गया नगरीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति (चित्र–3)

गया शहर गया जिले के केंद्र में स्थित है जो बिहार राज्य के दक्षिणी भाग में है। गया शहर 24.7914 के उत्तरी अक्षांश और 85.0002 के पूर्वी देशांतर से घिरा है। गया नगर निगम को 18 नवम्बर 1983 को बनाया गया था। गया नगर निगम का कुल क्षेत्र 53 वार्डों विभाजित है। यह शहर फल्गु नदी से विभाजित होता है।

तापमान

गया की जलवायु गर्म और शीतोष्ण है। सर्दियों में, गर्मियों की तुलना में बहुत कम वर्षा होती है। गया का औसत तापमान 25.6 डिग्री

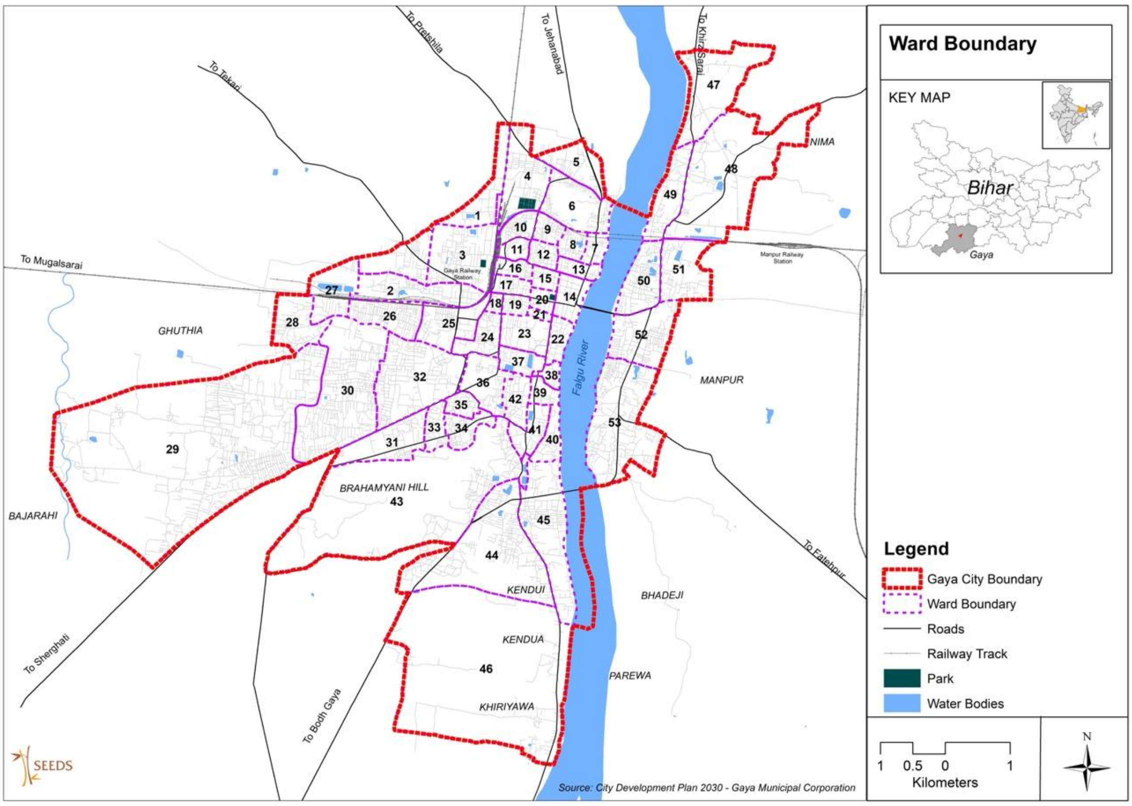

सेल्सियस है। 2022 में गया का तापमान मई माह में अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसी वर्ष जनवरी माह में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
न्यूनतम तापमान ºC	4.2 °C	6.4 °C	12.7 °C	18.2 °C	23.5 °C	24.7 °C	24.9 °C	23.4 °C	22.8 °C	14.9 °C	5.9 °C	5.2 °C
अधिकतम तापमान ºC	26.2°C	28.7 °C	36.8 °C	44.8 °C	45.8 °C	44.8 °C	39.1 °C	35.1 °C	34.9 °C	35.4 °C	31.7 °C	29.4 °C

तालिका–4 गया में मासिक तापमान

गया में पिछले 10 वर्षो का अधिकतम व न्यूनतम तापमान का आंकड़ा–तालिका–05

वर्ष	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान
2013	44.07 ºC	1.2 ºC
2014	44.00 ºC	2.6 ºC
2015	45.56 ºC	4.2 ºC
2016	45.70 ºC	5.6 ºC
2017	44.30 ºC	4.0 ºC

2018	45.80 ºC	2.6 ºC
2019	44.50 ºC	3.8 ºC
2020	46.00 ºC	4.2 ºC
2021	42.00 ºC	2.6 ºC
2022	45.60 ºC	4.1 ºC

वर्षापात

गया में अधिकतम वर्षा अधिकतर दक्षिण–पश्चिम मानसून के मौसम में जून से अक्टूबर माह के दौरान होती है। अधिकांश वर्षा जुलाई में औसतन 322 मिमी होती है, वहीं न्यूनतम वर्षा दिसंबर माह में होती है, इस माह में औसतन 08 मिमी0 वर्षा ही होती है।

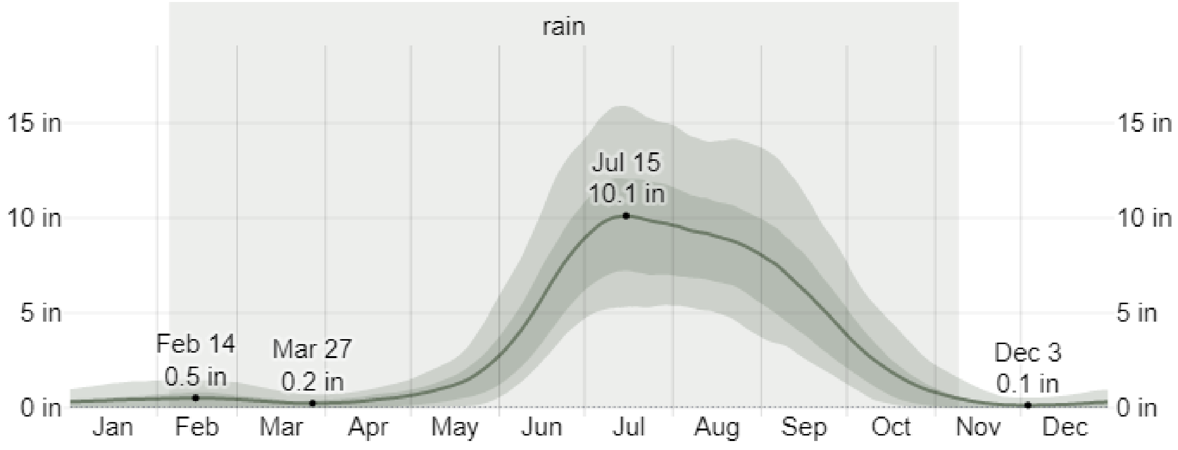

स्रोत– वेदरस्पार्क

चित्र–4 गया में मासिक वर्षा (2014–2022)

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
वर्षापात	0.4″	0.5″	0.3″	0.4″	1.2″	5.6″	10.1″	9.0″	6.3″	1.9″	0.3″	0.2″

तालिका–06 मासिक वर्षा और वर्षा प्रणवता

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
वर्षा प्रणवता / वर्षा मिमी	16	17	10	9	27	168	294	251	192	56	7	8
आद्रता (%)	64%	55%	38%	29%	41%	58%	79%	82%	82%	75%	64%	64%
वर्षापात के दिनों की संख्या	2	2	2	2	4	11	18	18	15	5	1	1

स्रोत–जलवायु डेटा

वायु

वर्षभर गया में औसत प्रति घंटा हवा की गति महत्वपूर्ण मौसमी बदलाव का अनुभव किया जा सकता है। फरवरी से सितंबर तक, वर्ष का वायु विक्षोभ 7–8 महीने तक विशेषकर रहता है। गया में वर्ष सबसे अधिक वायु गति जून माह में होती है, जिसकी औसत प्रति घंटा हवा की गति 8.0 मील प्रति

घंटा है। वायु गति के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष का शांत समय सितंबर से फरवरी तक 4–5 महीने तक रहता है।

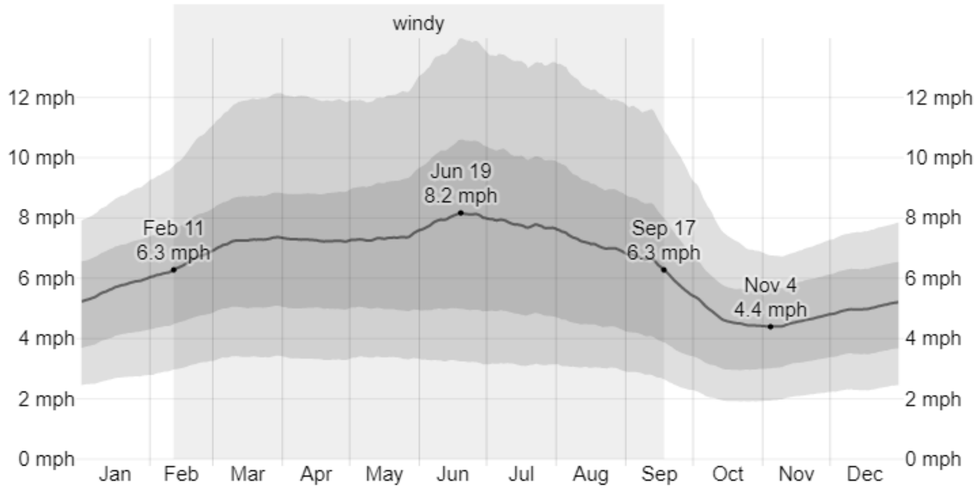

स्रोत– वेदरस्पार्क

चित्र–05 गया में वायु विक्षोभ की गति

वायु गति (मील प्रति घंटा)	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
	5.7	6.5	7.2	7.3	7.3	8.0	7.8	7.2	6.2	4.7	4.6	5.0

तालिका–07 गया में मासिक वायु गति

2.3 सांस्कृतिक इतिहास

गया शहर का देश के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यह शहर बिहार राज्य में स्थित है तथा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्तर और दक्षिण–पश्चिम भागों में छोटी–छोटी पहाड़ियाँ हैं। गया जैनियों, हिंदुओं और बौद्धों का महत्वपूण धार्मिक स्थल है। गया शहर का महत्वता अधिक होने का एक मुख्य कारण यहां होने वाला हिंदुओं का पिंड–दान अनुष्ठान है जो उनके पूर्वजों के लिए किया जाता है। रामायण और महाभारत के भारतीय महाकाव्यों में इस शहर का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। गया नाम गयासुर नाम के राक्षस की पौराणिक कथाओं से लिया गया है जो भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद पवित्र हो गया था। इसका एक और महत्व भगवान बुद्ध के लिए है जिन्होंने इस शहर में अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। गया शहर में कई धार्मिक महत्व वाले स्थल हैं, जहां देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन होता है।

2.4 गया की स्थलाकृति

पूर्वी हिस्से में फल्गु नदी के साथ शहर का भूभाग बहुत कम छोटी और चट्टानी पहाड़ियों (मंगला–गौरी, श्रृंग–स्थान, राम–शिला और ब्रह्मयोनी) के साथ समतल है।

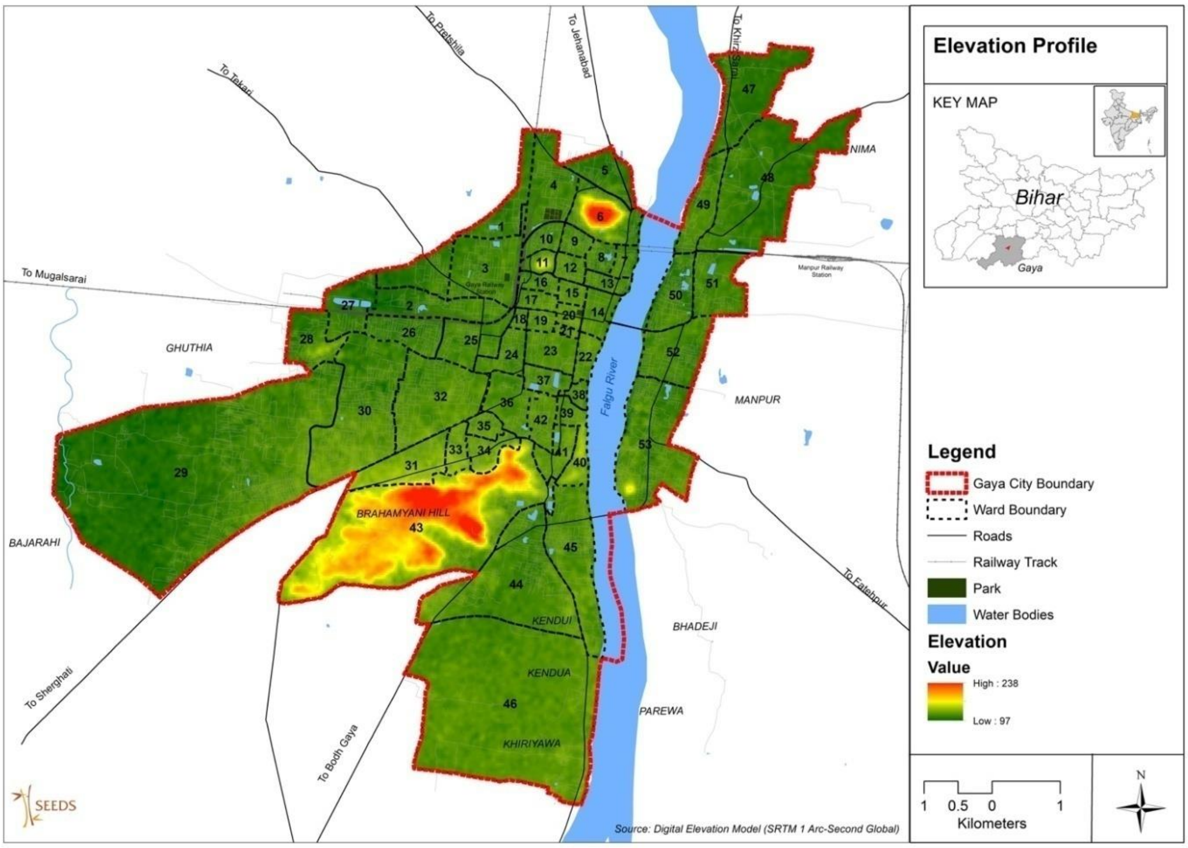

चित्र–6 : गया की ऊँचाई विवरण (Elevation Profile)

2.5 जल संसाधन

गया जिले तथा शहर में विभिन्न सरोवर (झीलें और तालाब) हैं और एक नदी शहर से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जो इस शहर को दो भागों में विभाजित करती है। फल्गु नदी का विवरण कई स्थानीय मिथकों और किंवदंतियों में मिलता है। यह नदी अधिकतर साल भर सूख जाती है और केवल मानसून के महीनों के दौरान बहती है जो जून से सितंबर तक होती है। फल्गु नदी में निरन्तर जल बहाव सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी का पानी इस नदी में लाई गयी है।

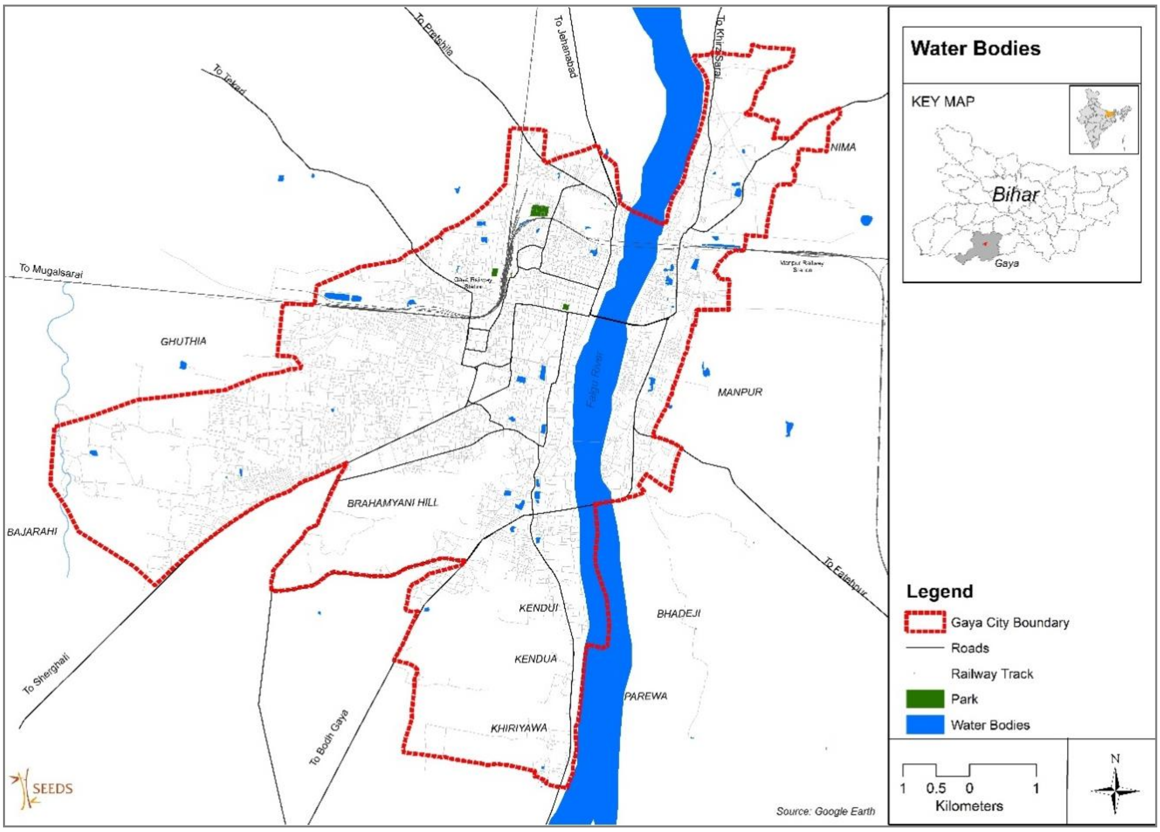

चित्र– 7: गया में प्राकृतिक जलाशय व जल स्त्रोत

2.6 शहरी विकास

गया शहर जनसंख्या के मामले में बढ़ रहा है और साथ ही इसके परिक्षेत्र का अत्यधिक तेजी से विस्तार हो रहा है। इस शहर का उत्तरी भाग घनी आबादी वाला है। इसके अलावा, हम मानचित्र से अनुमान लगाते हैं कि शहर 2011 के बाद से दक्षिणी और दक्षिण–पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण शहर की सीमा के भीतर अनियोजित बस्तियों व स्लम क्षेत्रों में अप्रत्याषित रूप से वृद्धि हुई है व इससे शहर में आधारभूत ढांचे की अपर्याप्त उपलब्धता, अनुचित जल निकासी, अपर्याप्त ठोस–कचरा प्रबंधन तथा घटिया निर्माण जैसी समस्याओं का प्रार्दुभाव हुआ है।

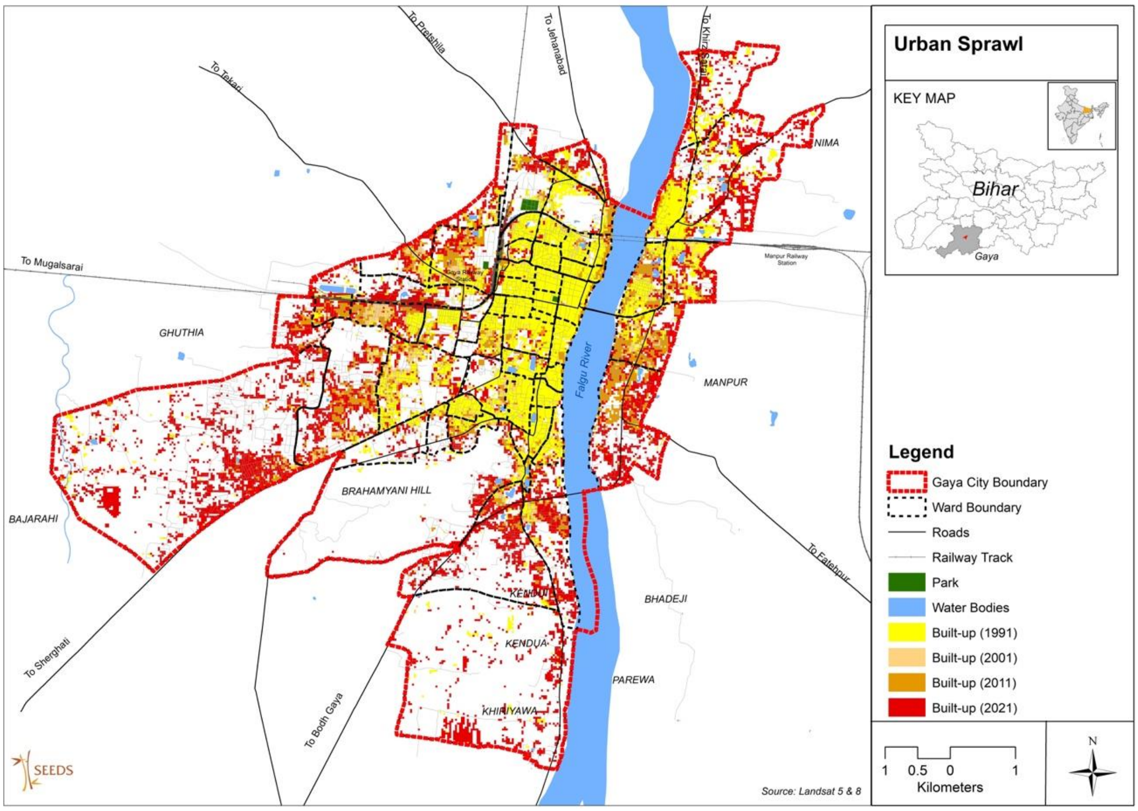

चित्र–8 गया शहर का विस्तारित क्षेत्र (गया नगर आयोजना–2030)

2.7 जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व

2011 की जनगणना के अनुसार शहर की कुल जनसंख्या 468,614 है, जिसमें से 247,131 पुरुष और 221,483 महिलाएं हैं। गया नगर निगम वर्तमान में 50.17 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में फैला हुआ है।।

तालिका–8: गया नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या

	कुल परिवार	कुल जनसंख्या	कुल पुरुष	कुल महिला
गया नगर निगम	72118	468614	247131	221483

स्रोत– जनगणना 2011

जनसंख्या घनत्व

गया नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 468,614 (2011 की जनगणना) और 5,017 हेक्टेयर क्षेत्र का सकल जनसंख्या घनत्व 93.40 पीपीए है। गया शहर के वार्डवार जनसंख्या घनत्व से पता चलता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वार्ड नंबर 38 यानी 1020 पीपीए में है और सबसे कम घनत्व वार्ड नंबर 29 यानी 10.28 पीपीए में दर्ज किया गया है। वार्ड संख्या 27 की अधिकतम जनसंख्या अर्थात 15,984 है।

गया में जनसंख्या घनत्व वितरण (तालिका–09)

क्रम संख्या	जनसख्या घनत्व (126.49 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)	वार्ड संख्या
1	कम या 100 के बराबर	29, 46, 43, 44, 32, 48, 47, 53, 30, 5, 1
2	100–200	45, 2, 51, 3, 31, 26, 52, 37, 4, 23, 25, 6, 28
3	200–300	24, 41, 33, 13, 36, 42, 50, 49, 35, 27
4	300–400	9, 20, 14, 39, 40, 34, 17, 10
5	400– 500	19, 22, 16, 11
6	500 से अधिक	15, 7, 21, 12, 8, 18, 38

स्त्रोत– 2011 की जनगणना से विश्लेषण

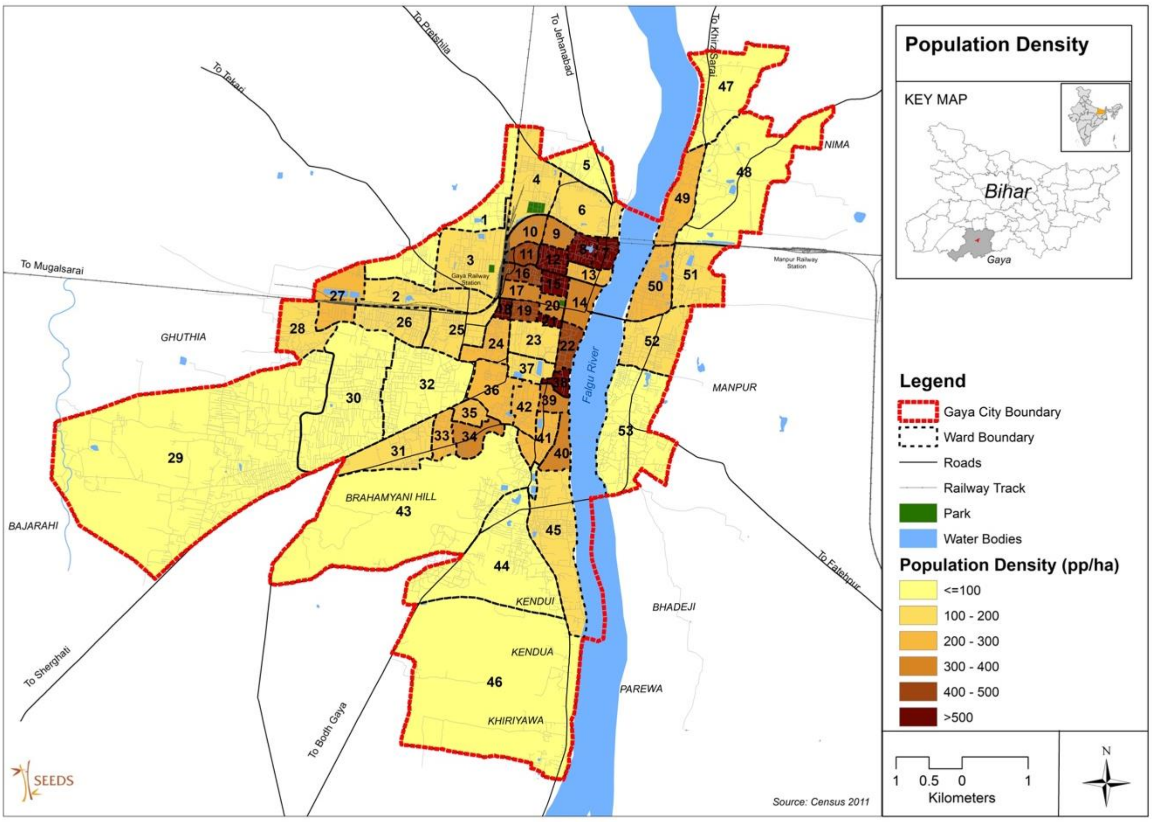

चित्र–9 वार्डवार जनसंख्या घनत्व

2.8 साक्षरता

साक्षरता किसी भी नगर की सामाजिक–आर्थिक प्रगति की कुंजी होती है। साथ ही, यह आपदाओं व आसन्न खतरों से निपटने की क्षमता का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण संकेतक है। शिक्षा आमजन को आपदाओं के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गया के नगरीय क्षेत्र की साक्षरता दर 70.7 प्रतिशत है।

गया में साक्षरता दर (तालिका–10)

गया नगर निगम	साक्षर पुरुषों की संख्या	साक्षर महिलाओं की संख्या	कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या
	185665	145931	331595
	साक्षरता दर		70.7 प्रतिशत

स्रोत– जनगणना 2011

2.9 सामाजिक संरचना

नगरीय क्षेत्र की सामाजिक संरचना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य जातियों की कुल जनसख्या में हिस्सेदारी को प्रदर्शित करता है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल आबादी का क्रमशः 09.87 प्रतिशत एवं 0.12 प्रतिशत है।

गया में जनसंख्या की सामाजिक संरचना (तालिका–11)

समाजिक संयोजन	जनसंख्या	जनसंख्या का प्रतिशत
अनुसूचित जाति	46264	09.87 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	581	0.12 प्रतिशत
अन्य	421769	90 प्रतिशत
नगर की कुल जनसंख्या	468614	

स्रोत–जनगणना 2011

2.10 संपर्क एवं पहुँच मार्ग

शहर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 83 और राज्य मार्ग 69 से बिहार राज्य की राजधानी पटना से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, गया हवाई अड्डा (जिसे बोधगया हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है) शहर के केंद्र से लगभग 10 किमी दूर है। यह शहर न केवल भारत के प्रमुख शहरों बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्थलों के साथ भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गया रेलवे स्टेशन सभी प्रमुख भारतीय शहरों के साथ गया शहर को जोड़ने वाला मुख्य रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन एक व्यापक रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली, पटना और रांची जैसे गंतव्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हैं।

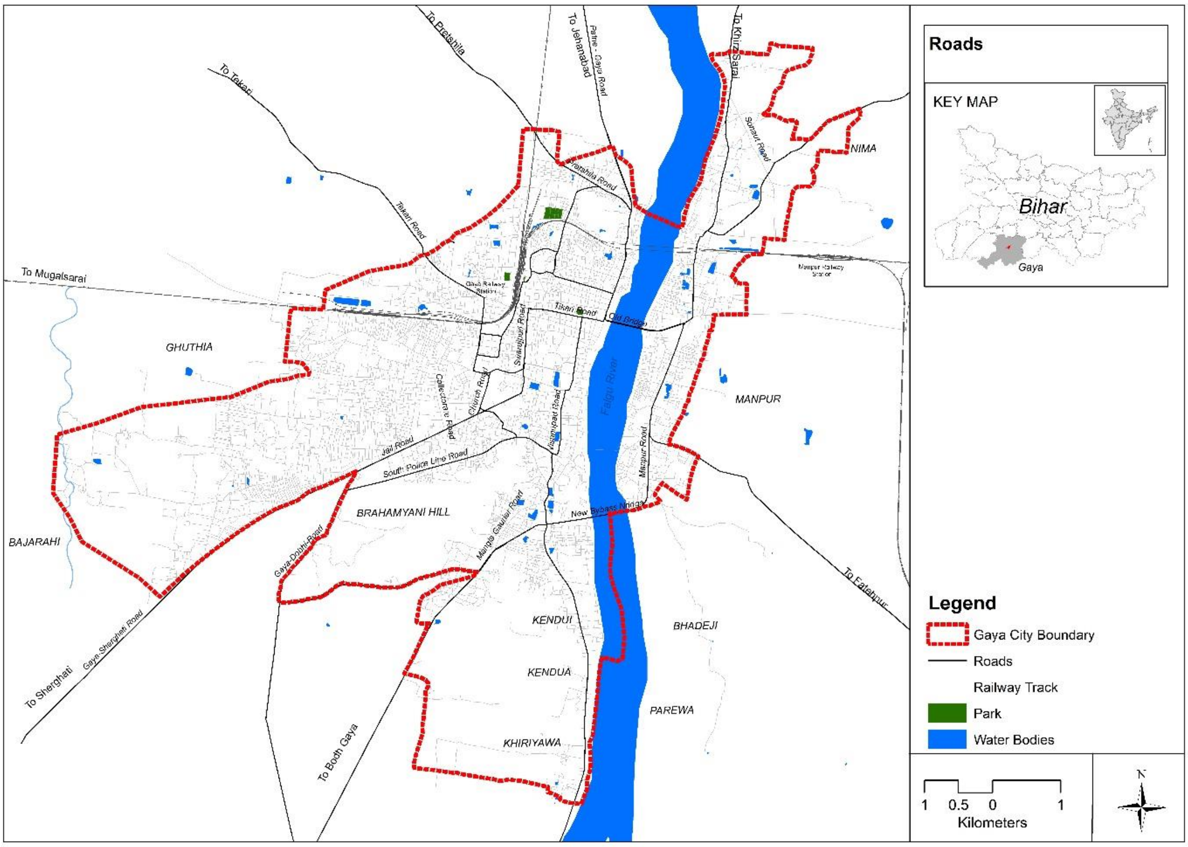

चित्र–10 सड़क मानचित्र (गया शहर)

2.11 भूमि उपयोग और भूमि आवरण

गया शहर में अत्यंत ही तीव्र व अनियोजित रूप से विकास होने से प्राकृतिक संसाधनों, भूमि और पर्यावरण का प्रभावी प्रबंधन नहीं हो पाया है। इससे भूमि उपयोग तथा भूमि आवरण के स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ है। गया धार्मिक पर्यटन का मुख्य केन्द्र है तथा शहर के व्यावसायिक महत्व के कारण शहरीकरण की गति अत्यंत ही तीव्र है। तीव्र शहरीकरण होने से कृषि भूमि, वनस्पति भूमि और जल संसाधनों को गंभीर नुकसान पहुँचा है। कुछ वर्षो पूर्व, शहर की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए गया नगर निगम क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है। इस प्रक्रिया से शहर के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को गया नगर निगम में सम्मिलित किया गया है। गया शहर की भू–उपयोग संरचना से संबंधित विवरण तथा मानचित्र निम्नवत् है–

गया शहर में भू–उपयोग संरचना (तालिका–12)

क्रमाकं	**भूमि आवरण** (लैण्ड यूज)	क्षेत्र (वर्ग किमी में)
1	बसावट वाली कुल भूमि	19.19 वर्ग किमी
2	वनस्पति भूमि	7.76 वर्ग किमी
3	जल	0.68 वर्ग किमी
4	बंजर भूमि	8.97 वर्ग किमी
5	कृषि भूमि	12.75 वर्ग किमी

भूमि

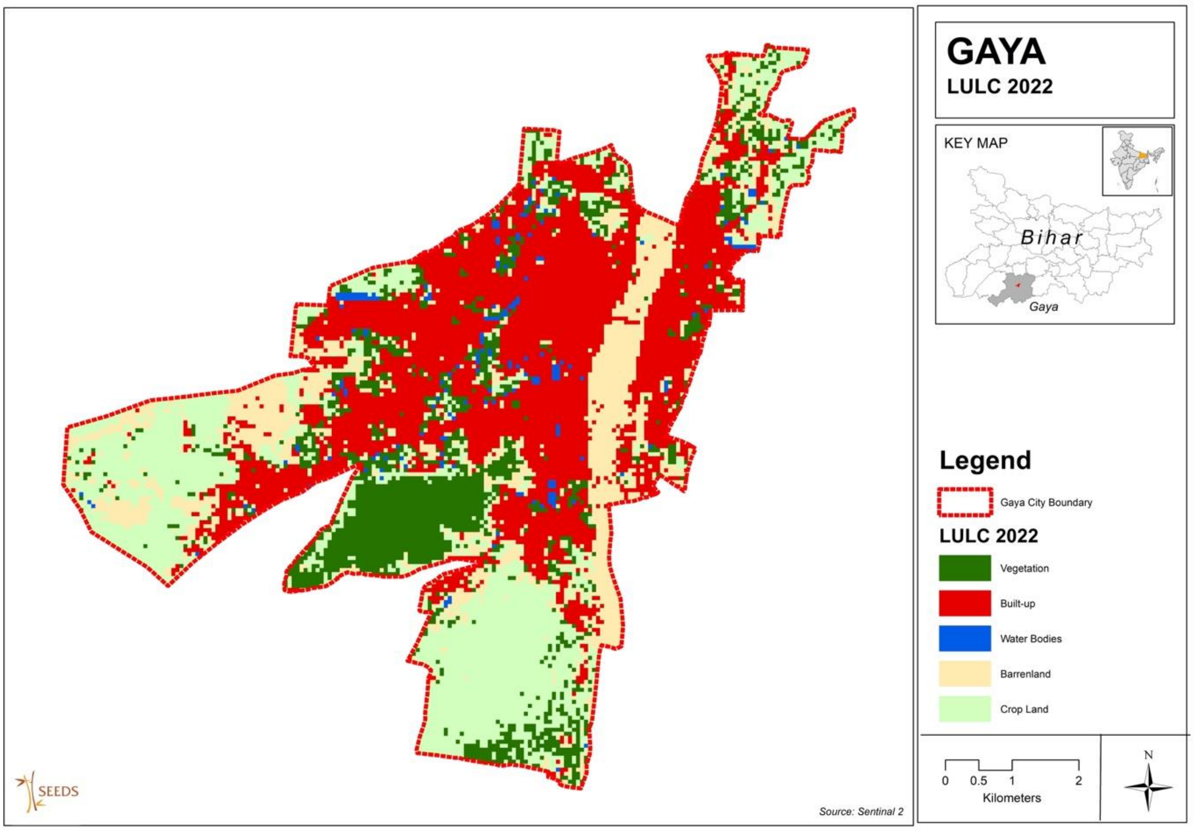

चित्र–11 गया में भूमि उपयोग– भूमि आवरण

2.12 स्लम आवासीय आबादी

स्लम क्षेत्र तथा सघन आवासीय आबादी नगरीय क्षेत्रों की प्रमुख पहचान बन गयी है। सामान्यतः नगरीय क्षेत्र में स्लम आवासीय आबादी वहां के जीवन की गुणवत्ता, पोषण व स्वास्थ्य का संकेतक होती हैं। गया नगर निगम कुल 42 स्लम क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। ये स्लम क्षेत्र शहर के अलग–अलग क्षेत्रों में झुग्गी–झोपड़ी के रूप में अवस्थित हैं। स्लम क्षेत्र विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति अत्यंत ही संवेदनशील व नाजुक हैं। स्लम क्षेत्रों में अगलगी, महामारी, भूकम्प, आंधी–तूफान, बाढ़/जल–जमाव का खतरा अधिक होता है। हालांकि, स्लम बस्तियों में पानी की आपूर्ति, सफाई, सड़क, जल निकासी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के मद्देनजर नगर निगम, गया के द्वारा आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं।

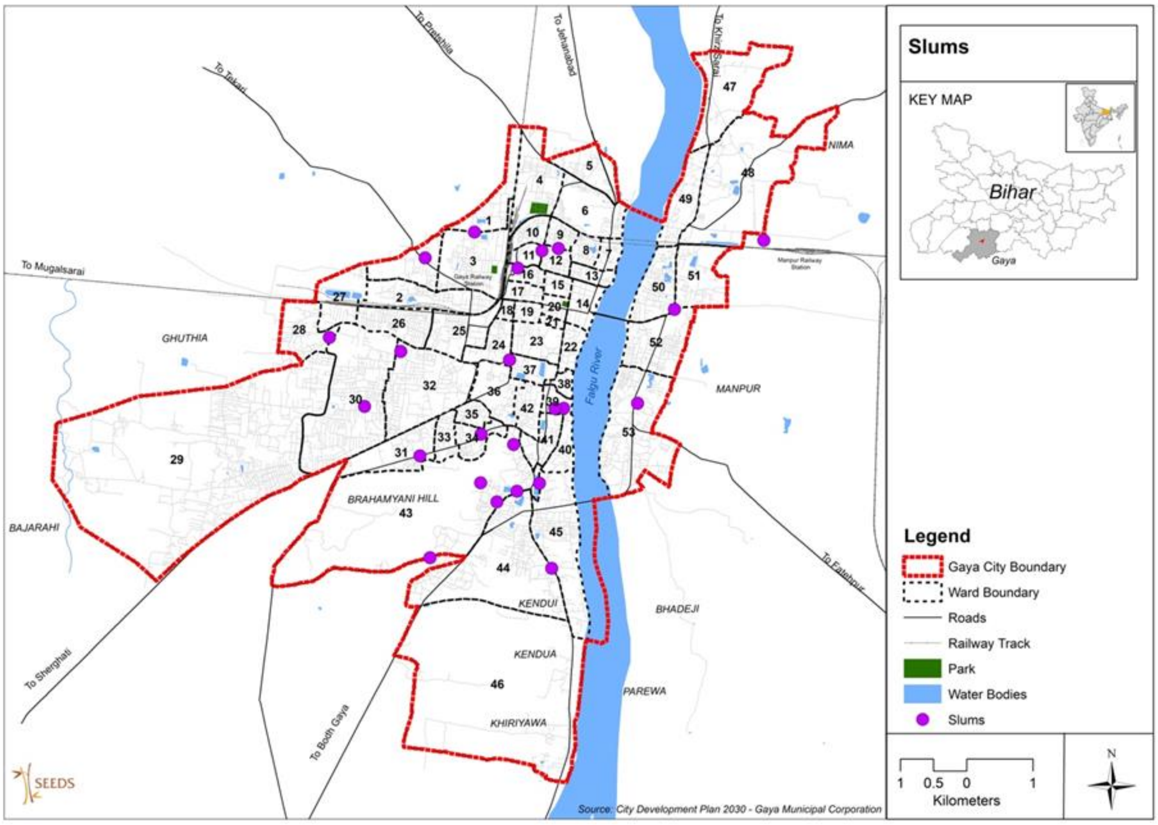

चित्र–12 गया शहर में स्लम बस्तियां

2.13 प्रमुख आर्थिक संकेतक एवं विवरण

गया शहर व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा यहा धार्मिक आयोजनों से संबंधित सामग्रियों का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है। शहर में होटल, धर्मशाला, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग काम्पलेक्स, सिनेमाघर, निजी विद्यालयों, निजी चिकित्सालयों, रेस्टोरेन्ट आदि की संख्या में हाल के वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। शहर में मानपुर पंखा टोली में छोटे–छोटे उद्योगों का औद्योगिक क्षेत्र है। यहां विशेषकर बिजली–करघा, हथकरघा, इत्र, फर्नीचर, अगरबत्ती उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, घरेलू सामग्रियों का निर्माण आदि से संबंधित औद्योगिक एवं व्यावसायिक ईकाइयां हैं। इसके आसपास के क्षेत्रों में निर्माण सामग्रियों से संबंधित थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की अच्छी संख्या है। गया शहर तिलकुट एवं अन्य मिठाईयों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है तथा शहर में अवस्थित धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं के द्वारा व्यापक स्तर पर तिलकुट का क्रय करने से यह उद्योग निरन्तर फल–फूल रहा है। शहर में कई पेट्रोल पम्प तथा 04 सी0एन0जी स्टेशन भी हैं। शहर में उपरोक्त व्यवसायों एवं उद्योगों में रोजगार का सजृन व्यापक स्तर पर होता है तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी गया शहर आजीविका का प्रमुख स्त्रोत है।

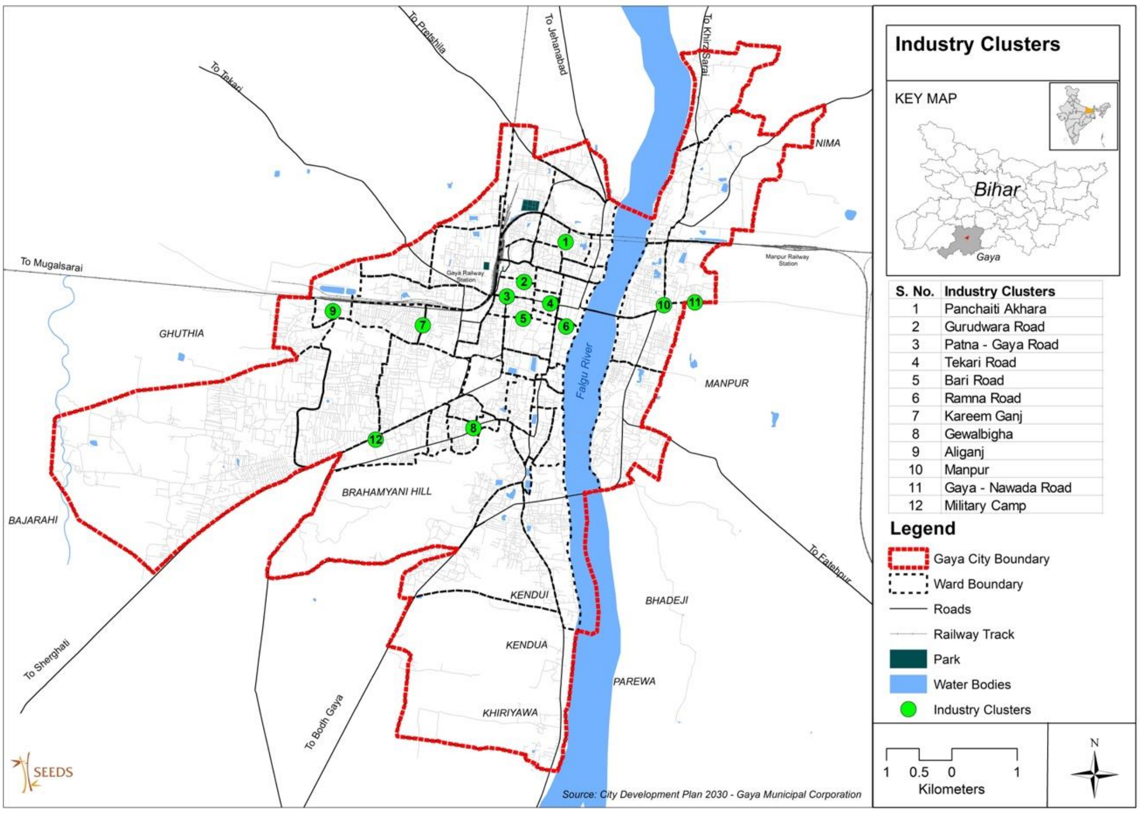

चित्र–13 गया शहर में उद्योग क्षेत्र

जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना अर्थव्यवस्था की प्रकृति का प्राथमिक संकेतक है और शहर का आर्थिक आधार। गया में कामकाजी आबादी 31% है। कुल कार्यशील जनसंख्या में से 73.1% कर्मी हैं मुख्य श्रमिक और 26.9% सीमांत श्रमिक हैं। और मुख्य श्रमिकों में से 3% किसान हैं, 5% खेतिहर मजदूर हैं, 8% घरेलू उद्योग में लगे व्यक्ति हैं और बाकी सरकारी, निजी नौकरियों आदि सहित अन्य कामों में लगे हुए हैं।

गया शहर में कार्यशील जनसंख्या (तालिका–13)

गया नगर निगम	कार्यशील पुरुष	कार्यशील महिला	कुल कार्यशील जनसंख्या
	112844	34165	147009
	कार्यशील जनसँख्या (प्रतिशत में)		31 प्रतिशत

स्रोत– जनगणना 2011

2.14 नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं का विवरण (तालिका–14)

क्रमाकं	केन्द्र/राज्य योजना	योजना का विवरण
1	राज्य	मुख्यमंत्री शहरी निश्चय योजना
2	केन्द्र	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (**AMRUT**)
3	केन्द्र एवं राज्य	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (सबके लिए आवास)

4	केन्द्र एवं राज्य	आजीविका मिशन (शहरी)
5	राज्य	जल जीवन हरियाली मिशन एवं वार्ड जलापूर्ति योजना
6	राज्य वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग एवं राजस्व से प्राप्त आय	नाला निर्माण, सड़क निर्माण, शौचालय निर्माण, सेप्टिक टैंक निर्माण, सीवरेज निर्माण, कचरा प्रबंधन (ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन), जैविक खाद निर्माण, पार्कों का रखरखाव, तालाबों/सैरातों/नदी घाटों का रखरखाव, हाईमास्ट/स्ट्रीट लाइट
7	केन्द्र एवं राज्य	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सहयोग से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण की रोकथाम संबधी योजनाएं
8	केन्द्र एवं राज्य	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
9	राज्य	मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना
10	राज्य	किफायती आवास और मलिन बस्ती स्लम पुनर्वास एवं पुनर्विकास नीति, 2017 के अन्तर्गत आच्छादित योजनाएं
11	राज्य	मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना
12	राज्य	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक संरचनाओं व सुविधाओं का निर्माण
13	नगर निगम की प्राप्तियां	बोर्ड के द्वारा विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन
14	केन्द्र सरकार	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

नगर निगम, गया को केन्द्र एवं बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना–स्मार्ट सिटी मिशन में भी सम्मिलित किया गया है। गया शहर में इस योजना को द्वितीय चरण में संचालित किया जायेगा।

नगर निगम, गया की आय के स्त्रोत

- राजस्व
- अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क
- निबंधन शुल्क
- पेयजल उपयोग शुल्क
- दण्ड एवं लाइसेंस
- होर्डिंग शुल्क
- भवन कर/सम्पत्ति कर/होल्डिंग टैक्स/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से संबंधित शुल्क
- टेम्पू स्टैण्ड/बस स्टैण्ड
- टावर/केबल/इंटरनेट/ओ0एफ0सी0 शुल्क
- प्लास्टिक के प्रयोग पर दण्ड वसूली
- नगर निगम के 03 बाजार/शॉपिंग काम्पलेक्स से होने वाली आय
- अन्य

2.15 प्रमुख स्थल एवं महत्वपूर्ण संरचनाएं (तालिका–15)

क्रमाकं	शहर की पहचान	विवरण
1	मुख्य बाजार	केदार नाथ मार्केट, खठोतार तालाब, हाटू गोडम, जीबी रोड, केपी रोड, कचहरी रोड, टिकरी रोड, चौक मार्केट, न्यू गया कॉलेज रोड, एएनएनएमएचसी मार्केट व स्टेशन रोड
2	रेलवें एवं बस स्टैण्ड	गया रेलवे स्टेशन (01),रसलपुर बस स्टैण्ड, डेल्हा, गेबलबिगहा, मानपुर, सिकरिया मोड़
3	टेम्पो स्टैण्ड	गया रेलवे स्टेशन, पंचायती अखाड़ा, सिकरिया मोड़, मेडिकल कॉलेज मोड़, टावर चौक,, किरानी घाट, जिला स्कूल, मोफ्फसिल थाना मोड़
4	स्कूल व कालेज	मिर्जा गालिब कॉलेज,
5	धार्मिक स्थल	विष्णुपद मंदिर, मंगला गौरी मंदिर, अक्षय वट, फल्गु नदी, प्रेतशिला पहाड़ियों, ब्रह्मयोनी पहाड़ियों, रामशिला पहाड़ियों
6	खेल मैदान	गांधी मैदान, हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम, इण्डोर स्टेडियम, भुसुन्दा मेला खेल मैदान
7	पार्क	अनुग्रहपुरी पार्क, बगीचा पार्क, बैकुण्ड शुक्ला पार्क, चाणक्यपुरी पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क, कचरा पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, मिनी पार्क, कैलाश पार्क, चित्रगुप्त पार्क, अक्षर विद्या गृह पार्क, एस0बी0एस0 कालोनी पार्क, जय प्रकाश झरना, डिज्नीलैण्ड, पंजाब कॉलोनी पार्क, रेलवे चिल्ड्रेस पार्क, गांधी मैदान, वा
8	अस्पताल	प्रभावती अस्पताल, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया
		प्रकाश व्यवस्था
क्रमाकं	**व्यवस्था**	**परिवार जिनके पास उपलब्ध हैं (प्रतिशत में)**
1	बिजली	87.3
2	किरोसिन	11.2
3	सौर ऊर्जा	0.2
4	अन्य कोई	0.4
5	बिना प्रकाश के	0.8
		नाली प्रवाह
क्रमाक	**नाली प्रवाह**	**परिवार जिनके पास उपलब्ध हैं (प्रतिशत में)**
1	बन्द नाली	54.4
2	खुली नाली	35.8
3	कोई नाली नही	9.8
क्रमाक	**पेयजल के श्रोत**	**परिवार जिनके पास उपलब्ध हैं (प्रतिशत में)**
1	पाईप सल्लाई	18.3
2	नल का पानी	6.8
3	ढ़का हुआ कुआॅ का पानी	0.7

4	बिना ढ़का हुआ कुऑ का पानी	0.7
5	चापाकल / हैण्डपम्प	52.3
6	बोरीगं / ट्यूबेल का पानी	18.9
7	नदी का पानी	0.1
8	तलाब या झील का पानी	0.4
9	अन्य	1.9
क्रमाक	**शौचालय**	**परिवार जिनके पास उपलब्ध हैं (प्रतिशत में)**
1	घरो में शौचालयों का प्रयोग	82.9
2	खुले में शौच / सार्वजनिक शौचालय	17.1

अध्याय–3

नगर निगम, गया में आपदाओं के अनुकूलन हेतु पर्यावरण एवं कचरा प्रबंधन संबंधी प्रावधान

3.1 नगरीय क्षेत्रों में आपदाओं के अनुकूलन में पर्यावरण एवं कचरा प्रबंधन का महत्व

नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण व कचरा का समुचित प्रबंधन नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने तथा आपदाओं के प्रभावों में कमी लाने में बेहद सहायक है। नगरीय क्षेत्रों में घटित होने वाली विभिन्न आपदाओं व समस्याओं यथा जल–जमाव, वायु प्रदूषण, महामारियों, स्वास्थ्य विकारों आदि के प्रमुख कारण पर्यावरणीय पहलुओं की अनदेखी, ठोस कचरा का प्रबंधन नहीं होना तथा अनियोजित विकास हैं। गया को स्मार्ट सिटी योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र में सुनियोजित विकास को बढ़ावा दिया जाए तथा शहर में पर्यावरणीय स्वच्छता को बेहतर करने हेतु कचरा का निपटान व हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाए। इस निहित उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि नगर निगम, गया के सभी वार्डों को हरित व स्वच्छ बनाने हेतु प्रभावी रणनीति व माईक्रो योजना बनाई जाए तथा इस संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार के निर्गत आदेशों व दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

नगर निगम, गया को एक आपदा अनुकूलित नगर (Disaster Resilient City) के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी वार्डों में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे स्थानीय समुदाय स्वतः स्फूर्त तथा गतिशील सामाजिक इकाई के रूप में नगर निगम प्रशासन के साथ मिलजुलकर कार्य करते हुये ऐसी क्षमता हासिल कर लें जिससे कि पर्यावरण संरक्षण व कचरा का निस्तारण हो सके। इसी के अनुरूप समुदायों को आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बहु–आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन उत्प्रेरित जोखिमों के पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि इस पूर्वानुमान आधारित चेतावनी या सलाह को आपदा के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवारों तक पहुँचाने के लिए प्रभावी तंत्र क्रियाशील किये जा सकें। आपदा जोखिम की सटीक जानकारी के परिप्रेक्ष्य में ही बचाव, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर की प्रभावी कार्रवाई की जा सके तथा नयी विकास योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन किया जा सके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करते हुये पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के संरक्षण पर पर्याप्त बल दिया जा सके। ये गतिविधियां आपदाओं से उबरने में भी बेहद सहायक व प्रभावी हैं। इसके दृष्टिगत, समुदाय द्वारा एक सुरिक्षत जीवन शैली अपनाई जायेगी तदनुसार समुचित आचार–विचार– व्यवहार अपनाये जायेंगे जैसे किः–

- नगर क्षेत्रों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लागू विनियमों व प्रावधानों का अनुपालन करना।
- हरित जीवन शैली अपनाना व वन आच्छादन क्षेत्र में वृद्धि करना।
- स्थानीय आपदाओं की दृष्टि से सुरक्षित मकान का निर्माण करना। भवन निर्माण संहिताओं के अनुसार निर्माण की कार्रवाई करना।
- आपदा काल में सुरक्षित जगहों पर शरण लेना ।
- पूर्व सूचना प्रणाली की स्थापना व बेहतर ढ़गं से चेतावनी का प्रसारण
- आपदा के बारे में कल्पित पूर्व धारणाओं से दूरी बनाना ।
- महामारी अनुकुलन हेतु सुरक्षित एवं स्वच्छ व्यवहार अपनाना ।
- स्वच्छ पेयजल का उपयोग एवं सुरक्षित भंडारण करना। शौचालय के प्रयोग को बढ़वा देना।
- जिजीविषा (जीवन जीने के कौशल) से युक्त होना ।
- नगर निगम, प्रशासन द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करना।

नगरीय भावना को आत्मसात करने, सामुदायिक सहयोग, टिकाउ जीविका विकल्प तथा जीवन व्यवहार को अपनाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

I. नगर निगम द्वारा न्यून तीव्रता (L1) की आपदाओं को अपने स्तर पर ही निपटान करने की क्षमता प्राप्त की जायेगी।

II. शहरी समुदाय तक पूर्व चेतावनी सूचना ससमय पहुँचाना तथा निकासी खोज एवं बचाव और सुरक्षित जगह पर स्थानान्तरण के साथ आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता तथा अन्य सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 में किये गये प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

III. सक्रिय सामुदायिक संस्थाओं द्वारा जोखिम विश्लेषण, जोखिम सूचना प्रवाह, पूर्व तैयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अभियान को गति प्रदान की जायेगी। इसके लिए–

- वार्ड स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीरकरण हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 30 के आलोक में 'वार्डो की समिति गठित की जायेगी जो जोखिम विश्लेषण आधारित जोखिम न्यूनीकरण की योजना का क्रियान्वयन करेगी।
- वार्ड स्तर पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 31 के आलोक में गठित 'वार्ड समिति और क्षेत्र सभा आपात्कालीन प्रत्युत्तर दल (ERT) का काम करेगी। इसमें वार्ड पार्षद, नागरिक सुरक्षा से जुड़े सदस्य सेवा प्रदाता संस्थायें तथा समुदाय से चुने गये गणमान्य जो पूर्व तैयारियों एवं प्रत्युत्तर का पूरा–पूरा ख्याल रखगे।

IV. जोखिम विश्लेषण, योजना का निरूपण, सूचना प्रसारण, पूर्व तैयारी तथा न्यूनीकरण समावेशी एवं सहभागी तरीके से की जायेगी जो बच्चों, किशोरों, बुजुर्गों, महिलाओं, विकलांगों तथा पारंपरिक रूप से अभावग्रस्त, अल्पसंख्यक समूह के आवश्यकताओं तथा इन सभी की क्षमताओं के मद्देनजर समुचित तकनीकी प्रथा (GIS Mapping) या अन्य विधाओं का उपयोग किया जायेगा। यह कार्य बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 32 के आलोक में गठित विषय समितियों के सहयोग से किया जायेगा।

V. पहले से जमा किये गये जरूरी सामानों तथा जीवन बचाने वाले उपकरणों तक समुदाय की पहुँच सुलभ और आसान बनाई जायेगी।

VI. हर हाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सेवा, आवास, ऊर्जा आपूर्ति, पुल–पुलिया, सड़क संपर्क तथा दूर संचार सेवाओं को शहर में सतत् बहाल रखने का प्रयास किया जायेगा या इसमें व्यवधान आने पर इसे यथाशीघ्र बहाल करने की कार्रवाई की जायेगी।

3.2 ठोस कचरा प्रबंधन

गया में ठोस कचरा प्रबन्धन एवं कूड़ा निपटान हेतु कार्यदायी एजेंसी द्वारा कार्य किया जा रहा है, एजेंसी द्वारा कचरा प्रबन्धन (ठोस एवं तरल) संबंधी समस्त दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 की मार्गदर्शिका का प्रभावी अनुपालन हेतु एवं Landfill हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक 610 दि. 26.02.2019 द्वारा स्थानीय निकाय के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति एवं रणनीति के तहत् केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण दोनो का विकल्प दिया गया है। कचरा के उत्पन्नकर्ता को अपशिष्ट को पृथककृत Segregation) का अलग–अलग डिब्बो में भंडारित करने का दायित्व है तथा नगर निकायों को पृथककृत कचरा को एकत्रित कर प्रसंस्करण स्थल तक परिवहन कर प्रसंस्करण करने का दायित्व है। इन कार्यों को एजेंसी द्वारा सम्पादित किया जाता है।

• साथ ही, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा Sanitary landfill विकसित करने का निदेश निर्गत किया गया है। नगर विकास विभाग के पत्रांक 936 दि. 02.04.19 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत Sanitary landfill विकसित करने के लिए रैयती भूमि के अधिग्रहण किये जाने का निदेश निर्गत

है। प्रावधानों के अनुसार, शहर से आबादी विहीन इलाके में 10 कि.मी. की दूरी के अंतर्गत 10 एकड़ (नगर निगम के लिए) भूमि भरण स्थल नदी से 100 मीटर तालाब से 200 मीटर, राजमार्गो, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुँओं से 200 मीटर पर होनी चाहिये। नमभूमि व संवदेनशील क्षेत्रो और 100 वर्षो से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।

• कम्पोस्टिंग के साथ सूखे कचरे का भी पुनः इस्तेमाल करने योग्य करने की व्यवस्था कबाड़ी/वेण्डरों के माध्यम से की जानी है। विकेन्द्रित कचरा प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया गया है। बिहार सरकार नगर एवं आवास विभाग के पत्रांक 1353 दि. 28.05.19 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत घर–घर जाकर संग्रहन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका निर्गत किया है।

ठोस कचरा का प्रसंस्करण एवं निपटान

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा सभी नगर निगमों को उपलब्ध करायी गयी मार्गदर्शिका–ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान में इस बात का उल्लेख है कि अन्य नगर निगमों में किये जा रहे विशिष्ट कार्यों को अपने निकाय में अपनाया जा सकता है। इस क्रम में–

पिट कम्पोस्टिंग– मुजफ्फरपुर मॉडल का जिक्र है जिसमे कचरे से खाद बनाने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख है साथ ही मुजफ्फरपुर जैविक खाद के नाम से पैकेजिंग बिक्री एवं राजस्व रिकार्ड संधारण के तरीके बताये गये है। इसी प्रकार से ठोस कचरा प्रबंधन के मुंगेर एवं सुपौल मॉडल का भी उल्लेख है जिसे सुविधानुसार अपनाया जा सकता है। मार्गदर्शिका में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कचरों में से कुछ चुनिन्दा वस्तुओं को एकत्रित कर कबाड़ी वालों के हाथ बेचने तथा इस कार्य में लगी महिलाओं को 200 रूपये तक भुगतान का जिक्र है।

उक्त मार्गदर्शिका के अनुपालन में नगर निगम, गया के द्वारा नौली वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का संचालन किया जा रहा है। इस प्लांट को 23 एकड़ में संचालित किया जा रहा है। प्लांट में 100 प्रतिशत कूड़े कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है। नगर निगम, गया के द्वारा प्रतिदिन 400 टन कूड़ा–कचरा का निस्तारण किया जाता है।

ठोस कचरा प्रबन्धन के अन्तर्गत सम्मिलित कार्य–

- सूखा एवं गीला कचरा का पृथक्कीकरण तथा प्रसंस्करण कर जैविक उत्पाद बनाना।
- कूड़ा–कचरा व निष्प्रायोज्य सामग्री का समुचित निपटान
- समुदाय का जागरूकता हेतु प्रशिक्षण व जागरूकता
- कचरे वाली गाड़ी का जीपीएस आधारित निगरानी
- ओ0एफ0आई0डी0 टैगयुक्त कूड़ेदान
- शहर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय करना।
- शहरी क्षेत्र में हरित आवरण में वृद्धि करना।

3.3 चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन

नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जाँच घर, दवा दुकान तथा नर्सिंग होम से कई प्रकार का चिकित्सीय अपशिष्ट निकलता है। दवा दुकानों से एक्सपायर की हुई दवा, जाँच घर से संक्रमित खून, पेशाब, मानव मल इत्यादि का नमूना अथवा हाईपो (रसायन) नर्सिंग होम से संक्रमित मरहम–पट्टी इत्यादि उत्सर्जित होते है अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज से उपरोक्त सभी प्रकार के चिकित्सीय अपशिष्ट बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। इन सबों को अन्य ठोस अथवा कार्बनिक अपशिष्ट के लिए निर्धारित वेस्ट डिस्पोजल स्थानों पर डम्प करने से पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है। साथ ही ये अपशिष्ट संक्रामक प्रकृति के होते है। इस प्रदूषण से शहर को बचाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन

नियमावली 2016 (2018 तथा 2019 में संशोधित) तथा विभिन्न मार्गदर्शिकाओं के अनुसार ही उत्सर्जित अपशिष्ट का शत प्रतिशत निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। यह अपशिष्ट चिकित्सा, जाँच अथवा कोविड–19 के क्वारंटीन किए गए मरीजो के कारण उत्पन्न होते है। इनके हैंडलिंग, उपचार तथा निस्तारण के दौरान इन मार्गनिर्देशिकाओं तथा नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा। प्रमुख दिशा निर्देश निम्नांकित है–

1. कचरे को उचित कूड़ेदान (कलर कोडेड) में ही डालें ।
2. बायोमेडिकल कचरे को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र पर ही भेजी जाये।
3. कचरे को उचित रंग के थैले में ही डालें।
4. कचरे की उत्पत्ति स्थान पर ही उसे अलग करें।
5. कचरे को सही रूप से उपचार करने हेतु उसे उचित लाइनर में रखे ।
6. कचरे को इकट्ठा करने व लाने लेजाने के समय इसे मिश्रीत न करें।
7. बिखरे हुये तरल पदार्थ का तुरंत प्रबंधन किया जाय ।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के सभी जिलों के वैसे स्वास्थ्य उपचार सुविधा संस्थानो को सूचीबद्ध किया है जिन्होने जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का सुरक्षित निष्पादन से संबंधित पर्षद से सहमति अथवा प्राधिकार प्राप्त नहीं किया है। यह सूची वेब साईट bspcb.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। समय–समय पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे संस्थानों का अनुश्रवण किया जाता है।

22 फरवरी 2022 को राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार सभी सिविल सर्जन एवं जिला पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं (**HCF**) जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से बिना प्राधिकार प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित है को बंद करने की कार्रवाई की जाय।

3.4 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीथाइलीन टेरेफेथेलेट, उच्च घनत्व पोलीथाइलीन, विनाईल. कम घनत्व पोलीथाइलीन पोलीप्रोपलिन, पोलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रोलोनी ट्रीइलीन, बूटाडीन स्टाइरिन जैसी बहु सामग्री.पॉलीफेनिलीन ऑक्साइड, पॉली कार्बोनेट, पॉलीब्यूटिलीन अंतर्विष्ट है। उपरोक्त रासायनिक मिश्रण से बने ठोस तत्व अपने मूल स्वरूप में तब तक बने रहते हैं जब तक इन्हें जलाया न जाय या दूसरे रसायनो से गलाया न जाय मिट्टी या पानी के बीच जमा होकर ये माइक्रो आर्गेनिज्म के या जलीय जीव जंतुओं के जीवन चक्र में अनेक प्रकार से व्यवधान उत्पन करते है तथा पारिस्थितिकी तंत्र का स्वरूप बदलने की क्षमता रखते है। अतः सतर्कतापूर्वक इसका प्रबंधन आवश्यक है। प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रीकरण, भंडारण, परिवहन, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्ति, पुनः उपयोग, कम्पोस्टिंग इत्यादि किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त अधिनियम की कंडिका 6 में ''स्थानीय निकाय का दायित्व का विस्तार से उल्लेख किया गया है एवं उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना अधिरोपित करने कंडिका 5 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में किये जाने वाले प्रक्रिया तथा मानदंडों का उल्लेख है अन्य कंडिकाओं में विभिन्न हितधारकों के विहित दायित्वों एवं कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह अधिनियम प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के पूर्व स्त्रोत पर ही कचरे का अलग भंडारण सुनिश्चित करने पर जोर देता है साथ ही स्थानीय निकायों, अपशिष्ट उत्पादकों खुदरा विक्रेताओं, खासकर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए भी जिम्मेदारियां तय करता है।

2016 के बाद 2019, 2021 एवं 2022 में इस अधिनियम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनेको संशोधन किये है। इसमें प्लास्टिक का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण, पैकेजिंग विधि का निर्धारण, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र के प्रावधान प्रदूषण भुगतान सिद्धांत पर्यावरण

मुआवजा, मोनेटरिंग तथा नियंत्रण के लिए CPCB द्वारा केन्द्रीकृत ऑनलाईन पोर्टल की स्थापना का आह्वान किया गया है।

उपरोक्त अधिनियमों के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पोर्टल bspcb.bihar.gov.in के Notice board पर क्रमांक 12 पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने की सूचना सदस्य सचिव बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी की गई है। इसमें पोलीस्टाइरीन एवं एक्सपेंडेड पोलीस्टाइरीन अथवा थर्मोकोल से बने इयर बड की प्लास्टिक की डंडी, बैलून का प्लास्टिक डंडी, कैंडी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईसक्रीम की डंडी, थर्मोकोल का सजावट में उपयोग इसका प्लेट, कप, गिलास जैसे कांटा चम्मच, छूरी, स्ट्रा मिठाई के डब्बो को लपटने हेतु पतले प्लास्टिक के सीट आमंत्रण पत्र, सिगरेट की पैकेट की पैकेजिंग 100 माईक्रोन से कम के पी.वी.सी. बैनर इत्यादि जो कंपोस्टिंग योग्य नहीं है तथा सभी प्रकार के कैरी बैग के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण एवं बिक्री पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

इस नियम का उल्लंघन किये जाने पर नियम संगत कार्रवाई की चेतावनी के साथ 30.06. 2022 तक स्टाक शून्य करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व में इस अधिनियम के लागू करने की समय सीमा हितधारकों के अनुरोध पर कई बार बढ़ाये जा चूकें है।

3.5 ई–कचरा प्रबंधन (तालिका –16)

नगर निगम क्षेत्र गया में अवस्थित रिहाईशी मकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानो सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इनमें से प्रतिवर्ष अनेको उपकरण या तो अपनी ‘‘कार्य जीवन‘‘ पूरा कर लेने के कारण, किसी कम्पोनेट के जल जाने के कारण अथवा द्रुतगति से तकनीकी उन्नयन के कारण प्रचलन से बाहर कर दिये जा रहे है। किसी इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान का नया प्रतिरूप आते ही पुराना बेकार होकर अपशिष्ट में बदल जाता है जो ई–कचरा के नाम से जाना जाता है। इनमे से मुख्य है पुराने मोबाईल हैण्ड सेट तथा इसके ‘एसेसीरिज’, बैट्री, ईयर/हेड फोन इत्यादि। पुराना कम्प्यूटर, प्रिंटर की बोर्ड, माउस, सी.डी. सी.पी.यू. मोनिटर स्पीकर एवं इससे संबंधित ‘एसेसीरिज’ तथा टी.वी., एयर कंडीशनर रेफ्रीजेरेटर, एल.ई.डी./सी.एफ.एल. –बल्ब/ट्यूब लाईट, मिक्सी, माईक्रोवेव रहे है। इन संयंत्रो के निर्माण में पारा, रांगा, आरसेनिक, कैडमियम, सेलेनियम, हेक्साभेलेन्ट क्रोमियम इत्यादि हजारो जहरीले पदार्थों का उपयोग होता है, जिसे खुले वातावरण में अन्य ठोस कचरों को तरह निपटारा नहीं किया जा सकता। अन्यथा कालान्तर में यह पर्यावरण को प्रदूषित कर मानवता के लिए घोर संकट पैदा कर सकते है। इसका खुले में निस्तारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को खतरा पैदा कर सकता है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के सभी जिलो के लिए ई–वेस्ट कलेक्शन के लिए कुछ विशिष्ट निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानो को चिह्नित किया है, जो इसका सुरक्षित निपटारा करने की तकनीकी प्रक्रिया से वाकिफ है। इसकी सूची वेब साईट bspcb.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है। गया के लिए नामित संस्थानो की सूची निम्नवत है –

1	सैमसंग इन्ना इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. रीशु राज इण्टरप्राईजेज, राय शीतल प्रसाद रोड गया 823001	9204796458
2	सैमसंग इन्ना इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. बाबा सर्विस गांधी मैदान गया 823001	9955266236
3	विवो कलेक्शन प्वाईण्ट एपीआर सीटी सेण्टर चर्च रोड गया	उपलब्ध नही हैं
4	एच0 पी0 इण्डिया सेल्स मुक्ता काम्पलेक्स गया	7280054642

सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के ई–अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इससे जुड़े निर्माता, उत्पादक, मुख्य डीलर, पुनः चक्रणकर्ता एवं खुदरा व्यापारियो के लिए निर्देशों का

पालन करने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों व मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया है जो उनके लिए बाध्यकारी हैं, अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

3.6 निर्माण सामग्री अपशिष्ट प्रबंधन

तीव्र विकास की प्रक्रिया में पुराने भवन रोड, पुल–पुलिया, कारखाना परिसर इत्यादि को ध्वस्त कर उसकी जगह नई इमारतें तथा संरचनाओं का निर्माण के क्रम में बहुत बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित होता हैं। नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन स्वच्छता एवं सफाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट के साथ इन निर्माण सामग्री अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन तथा पूर्व निर्धारित लैंडफिल साईट पर डिस्पोजल किये जाने से अनेक समस्यायें उत्पन्न हो सकती है। अतः इन निर्माण अपशिष्टों तथा साईट क्लीयरेंस से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट के कम से कम मात्रा को चिहित लैंड फिल साईट तक ले जाया जाय इसके लिए इसका सुविचारित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसमें से पुनः उपयोग योग्य सामग्रियों को अलग कर उन्हें लैंड फिल साईट तक पहुँचने से रोका जा सकता है।

निर्माण अपशिष्टों में मुख्यतः कंक्रीट के बड़े छोटे टुकड़े, लकड़ी के तख्ते तथा चौखट, धातु, ईंट, पत्थर, ग्लास और प्लास्टर के टुकड़े मिलते हैं। धातु, लकड़ी व ग्लास का पुनर्चक्रण आसान है परंतु कंक्रीट तथा प्लास्टर के टुकड़ो का भी पुनचक्रण के नवाचारी प्रयोग किये जा सकते है। देखा गया है कि जहाँ तहाँ बिखरे सामग्री वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनता है तथा वायुमंडल में कई दिनों तक बना रहता है ।

3.7 जलवायु उत्प्रेरित जोखिम

जलवायु परिवर्तन उत्प्रेरित जोखिम सहित अन्य आपदाओं के कारण होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए चरणबद्ध रूप से यथा पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण, आपदा प्रत्युत्तर, पुनर्निर्माण हेतु नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं रिस्पांस एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल व समन्वय को बेहतर किया जाना आवश्यक है। नगर निगम, गया के स्तर से शहर में जलवायु संबंधी जोखिमों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, पृथ्वी विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,गया इकाई के द्वारा जारी किए जाने वाले मौसम संबंधी सूचनाओं, पूर्वानुमान व पूर्व–चेतावनी का प्रसार समसय कर तथा इसके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करते हुए गया शहर में जलवायु उत्प्रेरित जोखिमों को कम किया जा सकता है। जलवायु उत्प्रेरित जोखिमों को कम करने हेतु जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्रदुषण पर रोकथाम, पॉलीथिन का निषेध, कूड़ा–कचरा का समुचित निपटान आदि किया जाना महत्वपूर्ण है। ऐसे जोखिमों से निपटने में गया शहर के निवासियों को संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है तथा हरित जीवनशैली को अपनाने के संबंध में समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम का संचालन नगर निगम, गया के द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों व हितभागियों के सहयोग से संचालित किया जा सकता है।

3.8 पर्यावरण पर पड़ रहे असर के आलोक में पारिस्थितिकी संरक्षण कार्य

शहर के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem), प्राकृतिक जल बहाव मार्गों तथा बसावटों की आकृति के आधार पर बिहार भवन उपविधि 2014 के अध्याय 3 में उल्लेखित कंडिका 27 के आलोक में भूमि का क्षेत्रीकरण (Zoning) करने के बाद ही शहरीकरण योजना का स्वरूप निर्धारित किया जायेगा। नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में City Development Plan तैयार कराई गई है। इसमें पारिस्थितिकी संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया हैं। वन प्रमंडल द्वारा शहर के विभिन्न सरकारी एवं निजी परिसरों में वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पूरे शहर में पार्कों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी आवासीय/कार्यालय परिसरों में वृक्षारोपण का दायित्व वन प्रमंडल गया को दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर इस संबंध में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है।

शहरी विकास एवं नये निर्माण कार्यों के लिए कभी–कभी कोई वृक्ष बाधा प्रतीत होते हैं। जबकि ऐसे वृक्षों से शहरी Heat Island effect को कम करने, छाया मुहैया कराने प्रदूषण नियंत्रित

करने, भू–क्षरण रोकने, कार्बन संचयन इत्यादि के दृष्टिकोण से अमूल्य है। साथ ही ये असंख्य पशु–पक्षियों एवं कीटों की आश्रय स्थली भी है। ये वृक्ष समूह स्वयं में एक पारिस्थितिकी तंत्र है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण तथा वैश्विक तापमान वृद्धि (Global warming) एवं इस कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन का मनुष्य एवं पशुओं पर कुप्रभाव पड़ता है।

3.9 जल जीवन हरियाली

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षापात में कमी एवं भू–गर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू–जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उक्त के आलोक में राज्य में बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पारिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुआयामी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 'जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की अनूठी पहल की जिसे इस शहर के नगर निगम क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत–

- जल को प्रदूषण मुक्त रखने
- इसके स्तर का संतुलित बनाये रखने
- पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने
- हरित (वृक्ष/वन) आच्छादन को बढ़ावा देने
- नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग
- ऊर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिको परिवेश के अनुरूप कृषि एवं
- संबद्ध गतिविधियों को नये आयाम देने के लिए काम किया जाना है।

इस मद में प्राप्त राशि का उपयोग नगर निगमों द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए किया जाएगा–

(क) नगर निकायों के स्वामित्व के भवनों में Rain Water Harvesting निर्माण
(ख) अतिक्रमण मुक्त कुँओं के पास सोख्ता निर्माण
(ग) खुले मैदानों में सोख्ता निर्माण
(घ) प्याऊ/स्टैंड पोस्ट/चापाकल के पास सोख्ता निर्माण
(ड) अतिक्रमण मुक्त तालाबों/पोखरों का उड़ाहीकरण/जीर्णोद्धार
(च) अतिक्रमण मुक्त कुओं का उड़ाही/जीर्णोद्धार

जल जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत नगर निगम, गया के द्वारा कराए गए कार्य (तालिका–17)

1	नवनिर्मित जल प्याऊ की संख्या (रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट सुविधायुक्त)	48
2	स्टैण्ड पोस्ट की संख्या (रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट सुविधायुक्त)	530
3	हैण्डपम्प की संख्या (रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट सुविधायुक्त)	106
4	जीर्णोद्धार की संख्या (रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट सुविधायुक्त)	49
5	नगर निगम के स्वामित्व वाले भवनों में लगाए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट	08
6	चिन्हित खुले मैदानों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग	07

नोट :– इसके अतिरिक्त हरित वृक्षारोपण का कार्य वन प्रमंडल द्वारा कराया गया है।

3.10 आपदा के उपरांत पूर्व से बेहतर निर्माण

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 33 के आलोक में गठित तदर्थ समिति द्वारा अपने स्तर पर पूर्व से बेहतर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थाई समिति द्वारा दी जायेगी। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु नगर निगम एवं नगर में स्थित विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का सुदृढीकरण

तथा भौतिक एवं मानव संसाधन के संदर्भ में पर्याप्त क्षमतावर्द्धन करना है। नगर में जो भी निवेश होने जा रहे है, वे सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से भी जांच परख कर किये जाएगे। मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर जोखिम को नजर अंदाज नहीं किया जायेगा।

भविष्य में आनेवाली सभी प्रकार के उच्च, मध्यम एवं न्यून तीव्रता की आपदाओं के दौरान प्रभावी प्रत्युतर के लिए हर प्रकार की पूर्व तैयारी समय से पूर्व कर ली जायगी तथा आपदा के बाद पुनर्वासन पुनर्स्थापन तथा पूर्व से बेहतर पुनर्निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

बहु संस्था सामंजस्य तथा आपातकालीन आदेश श्रृंखला को स्पष्ट किया जायेगा। सभी हितधारकों के दायित्व एवं कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण किया जायेगा ताकि किसी प्रकार का असमंजस अथवा अवराध की स्थिति न बन पाये। इस योजना के ठोस क्रियान्वयन अनुश्रवण तथा सतत् सुधार की दिशा पहले से तय रहेगी ताकि मानवता को इसका अधिकतम लाभ मिले।

चित्र–14

चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में

आवश्यक सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वार निर्गत प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबंधन (संषोधन) नियम, 2021 की अधिसूचना संख्या– G.S.R 571 (E) दिनांक 12 अगस्त, 2021 द्वारा चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर संपूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना है।

प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबंधन (संषोधन) नियम, 2021 के नियम 4(2) के तहत निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक (पॉलीस्टाइरीन एवं एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन अथवा थर्मोकोल सहित) के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगा'

(क) ईयर–बड की प्लास्टिक डंडी, बैलून का प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक झंडे, कैन्डी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईसक्रीम की डंडी, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) का सजावट में उपयोग;

(ख) प्लास्टिक (थर्मोकोल सहित) के प्लेट, कप, गिलास, कटलरी के समान जैसे– कॉटा, चम्मच, छूरी, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डब्बों को लपेटने हेतु पतले प्लास्टिक के सीट, आमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट की पैकेजिंग, 100 माइक्रोन से कम के पी.वी.सी. बैनर, स्टरर इत्यादि।

उपरोक्त प्रतिबंध कंपोस्टयोग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं (कैरी बैग को छोडकर) पर लागू नहीं होंगे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 525 दिनांक 18.06.2021 एवं 1012 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा भी उपरोक्त चिन्हित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–943 दिनांक 24.10.2018 एवं 1043 दिनांक 11.12.2018 द्वारा सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (नन–उवेन प्लास्टिक कैरी बैग सहित) के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को राज्य की परिसीमा में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

इस आम सूचना के द्वारा उल्लेखित उत्पादों के उत्पादनकर्ता, संग्रहणकर्ता, थोक एवं खुदरा बिक्रेता, दुकानदार, ई–कॉमर्स कम्पनियाँ, शॉपिंग सेन्टर, मॉल, सिनेमाघरों, पर्यटन स्थल, विद्यालय, कॉलेज परिसर, अस्पताल परिसर के स्वामी / अधिभोगी, संस्था एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त चिन्हित समानों का उपयोग क्रमवार कम करते हुए दिनांक 30.06.2022 तक पूर्णतः रोक दें। दिनांक 01.07.2022 से चिन्हित प्लास्टिक के समानों का उत्पादन, आयात, संग्रहण, परिवहन, वितरण, बिक्री एवं उपयोगकर्ताओं के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

उक्त सूचना के माध्यम से सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने–अपने क्षेत्राधिकार में उक्त उत्पादों की उपलब्धता दिनांक 30.06.2022 तक शून्य कर लें।

उपरोक्त नियमों के उल्लंघनकताओं के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत समानों की जब्ती, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, संस्थानों, व्यवसायिक परिक्षेत्रों, औद्योगिक इकाईयों को बंद करना शामिल हो सकता है।

सदस्य–सचिव

BIHAR

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई मेल–msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in

नगर निगम, गया मे कूड़ा प्रबंधन एवं कचरा निस्तारण हेतु उपलब्ध संसाधन (तालिका–18)

क्र0स0	वाहन का प्रकार	कुल	कार्यशील	अप्रयुक्त
1.	टेम्पू ट्रिपर	78	54	23
2.	हॉफर खुला एवं बंद डाला	105	103	02
3.	ट्रैक्टर	39	34	05
4.	मिनी लोडर	6	3	3
5.	जे0सी0बी0 लोडर	5	3	2
6.	डम्फर	6	6	0
7.	कम्पैक्टर	10	7	3
8.	फॉगर	2	1	1
9.	पोकलेन	2	1	1
10.	डिसिलटिंग मशीन	1	1	0
11.	डम्फर टैंक	4	2	2
12.	सेक्शन मशीन	3	2	1
13.	कम्पैक	6	4	2
14.	नाला मैन	3	3	0
15.	शव वाहन	1	1	0
16.	क्रेन	1	1	0
17.	फॉगिंग मशीन (बड़ा टेम्पू सहित)	07	5	2

अप्रयुक्त वाहनों एवं सामग्रियों की मरम्मति की कार्रवाई की जा रही है।

3.11 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियां

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग संचालित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत गया शहर को भी सम्मिलित किया गया है। इस योजना के तहत शहर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कई पहल की जा रही है। कार्यक्रम के अन्तगत स्वच्छता अभियान, विद्यालयों में जागरूकता गतिविधियां, वृक्षारोपण कार्य, ट्रैफिक प्रबंधन, वाहन जांच, वायु प्रदुषकों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु जांच, दण्ड–जुर्माना वसूली व अन्य निषेधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस योजना के तहत गया शहर के लिए एक कार्ययोजना बनाई गई है, इस योजना के तहत शहर में 10 हॉटस्पॉट स्थलों एवं वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों को चिन्हित किया गया है।

गया शहर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक

- सड़कों पर उड़ने वाली धूल
- खुले में कचरे को जलाना।
- खुले में निर्माण सामग्रियों का भण्डारण
- वाहनों के उत्सर्जन
- रेस्टोरेंट तथा होटलों में भट्ठियों व चिमनियों से उत्सर्जित होने वाले प्रदुषक
- क्षतिग्रस्त नालियां एवं मेनहोल
- ध्वस्त इमारतों का मलबा

- निर्माण सामग्रियों का खुले में आवागमन।

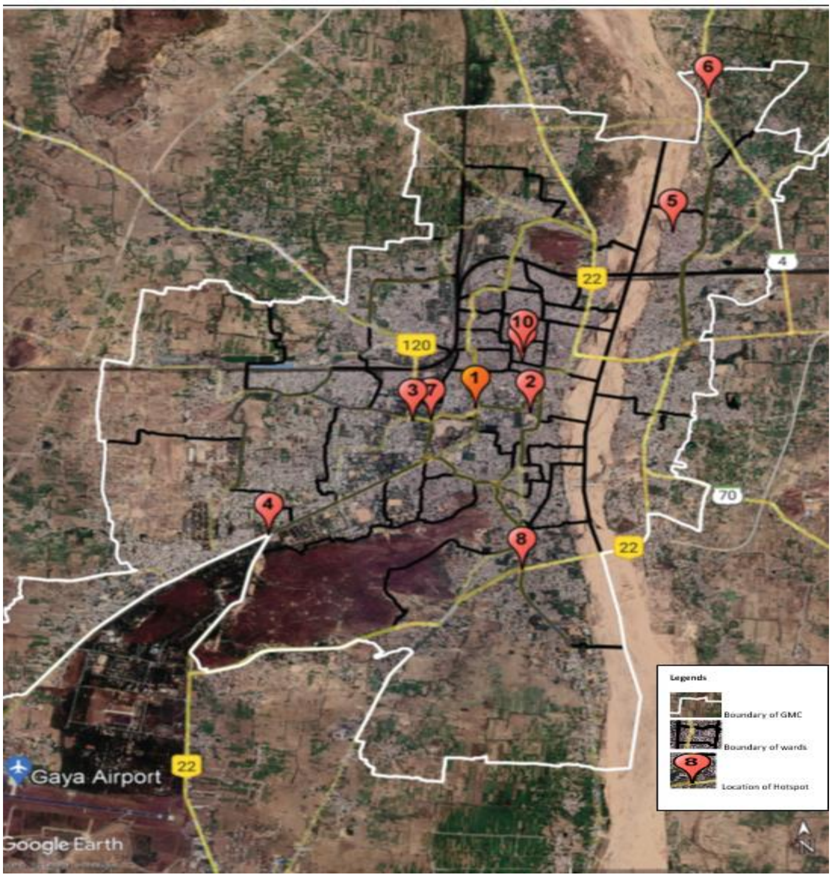

गया में वायु प्रदूषण के 10 प्रमुख हॉटस्पॉट की सूची (चित्र–15 एवं तालिका–19)

हॉटस्पॉट क्रमांक	हॉटस्पॉट का क्षेत्र (किमी)	स्थान	अक्षांश N	देशान्तर E	वार्ड	प्रमुख कारण
1	0.25	राय काशीनाथ मोरे	24.7920	85.0004	23,24,37	खुले में कूड़ा डालना, गड्ढे, खुले निर्माण कार्य, सड़क की धूल
2	0.20	गया समाहरणालय	24.7910	85.0065	37	कच्ची सड़कें, गड्ढे, सड़क की धूल, खुले में कूड़ा डालना
3	0.30	मिर्जा गालिब चौक	24.7908	84.9932	24,25, 32	खुले में कूड़ा डालना, कच्ची सड़क, सड़क की धूल, खुली जगह, गड्ढे
4	0.75	सिकारिया मोड़	24.7773	84.9758	29,31	सड़क की धूल, टूटा फुटपाथ, कचरे का खुले में डंपिंग,खुली जगह, गड्ढे
5	0.50	मानपूर पटवा टोली	24.8132	85.0245	49	सड़क की धूल, गड्ढे, खुले में कूड़ा डालना
6	0.25	बुनियादगंज	24. 830259	85. 029949	47	टूटे फुटपाथ, सड़क की धूल, गड्ढे, खुले में कूड़ा डालना
7	0.20	जेपी झरना	24. 790774	84. 9952296	24,32,36	गड्ढे, खुले में कचरा फेंकना
8	0.50	दांडीबाग बाईपास	24. 77095	85. 00392	44,45,46	सी एंड डी कचरा, सड़क की धूल, गड्ढे, कचरे का खुले में डंपिंग

9	0.50	केपी रोड	24.79741	85.00611	20,21	खुले में कचरा, सड़क की धूल, गड्ढे
10	0.50	टेकरी रोड	24.79884	85.00637	20	गड्ढे, सड़क की धूल

नगर निगम, गया की वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्ययोजना (तालिका–20)

क्र0स0	हॉटस्पॉट स्त्रोत	कार्ययोजना	वार्ड स्तर की कार्ययोजना
1.	सड़क की धूल	–मैकेनिकल स्वीपर, वाटर स्प्रिंकलर तथा मैनुअल स्पीपिंग के माध्यम से सड़कों एवं वार्डों की साफ–सफाई कराना। –सड़क की साफ–सफाई का अनुश्रवण करना तथा दस्तावेजीकरण करना। –जी0पी0एस0 तकनीक के माध्यम से मैकेनिकल स्वीपर तथा वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से की जा रही वायु प्रदूषण रोकथाम संबंधी कार्यों की निगरानी की जाएगी। –मैनुअल साफ–सफाई के तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा तथा प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा।	–25 फीट से अधिक चौड़ाई वाली प्रमुख सड़कों की साफ–सफाई मैकेनिकल स्वीपर से की जाएगी। –25 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया जाएगा। –व्यावसायिक क्षेत्रों की दिन में 2 बार साफ–सफाई की जाएगी। –आवासीय क्षेत्रों की दिन में 1 बार साफ–सफाई की जाएगी।
2.	सड़कों के क्षतिग्रस्त भाग, गड्ढों, क्षतिग्रस्त फुटपाथ की मरम्मति	–सड़क पर विभिन्न कारणों से हुई क्षति का त्वरित आकलन कर मरम्मति की कार्रवाई की जाएगी। –सड़कों की निगरानी करना। –सड़कों के निर्माण में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ग्रीनकवर अथवा हरित डिवाइडर की सुविधा प्रदान करना।	–पथ निर्माण, बुडको के माध्यम से सड़कों के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति करना। –सड़कों की मरम्मति निर्धारित अवधि में पूर्ण करना। –सड़क के क्षतिग्रस्त भाग पर सूचना पट्ट लगाना।
3.	निर्माण सामग्रियों संबंधी गतिविधियों का अनुश्रवण	–संवेदकों को निर्माण सामग्री के समुचित प्रबंधन एवं भण्डारण के प्रति जागरूक करना। –निगरानी हेतु टास्क फोर्स का गठन करना तथा निर्माण सामग्रियों के रखरखाव मानकों का उल्लघन करने वाले वाले संवेदकों एवं भवन निर्माताओं पर निर्धारि दण्डात्मक कार्रवाई करना।	–हॉटस्पॉट स्थलों की नियमित निगरानी करना तथा संबंधित पदाधिकारियों को सूचना प्रदान करना।
4.	खुले में कचरा फेंकना तथा कचरे	खुले में कूड़ा फेंकना एवं खुले में कुड़ा जलाने की नियमित निगरानी करना।	–निगरानी समिति का गठन करना तथा नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति की जानकारी लेना।

	को जलाना		–निर्धारित कूडेदान एवं स्थलों पर कूड़ा–कचरे का सुरक्षित तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना। –खुले में कूड़ा या कचरा जलाने वाले व्यक्तियों पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करना। –आवासीय एवं व्यावसायिक स्थलों से कूड़ा–कचरा का 100 प्रतिशत संग्रहण सुनिश्चित करना। –प्रमुख स्थलों पर कूड़ेदान अधिष्ठापित करना। –निर्धारित स्थल पर कूड़े–कचरों का प्रसंस्करण करना।
5.	कच्ची सड़कों से उड़ने वाली धूल की रोकथाम करना	–कच्ची सड़कों की सूची तैयार करना। –कच्ची सड़कों को हरित आवरण प्रदान करना। सड़कों के किनारे उपर्युक्त स्थलों पर वृक्षारोपण करना। –सड़कों का पक्कीकरण करने की कार्रवाई करना अथवा सीमेंट ब्रिक का प्रयोग कर परवियस पेवमेंट या फुटपाथ बनाना।	–सड़कों के पक्कीकरण या परवियस पेवमेंट की योजना बनाना। –पर्यावरण आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देना। हरित आवरण को बढ़ाना।
6.	मृदा संरक्षण	–पर्यावरण, जैवविविधता एवं मृदा संरक्षण संबंधी जागरूकता गतिविधियों को बढ़वा देना। –शहरों में प्रमुख स्थलों पर पार्कों का प्रबंधन करना।	–शहर के उपर्युक्त स्थलों एवं खुले मैदानों/भूमि पर हरित आवरण को बढ़ाना।

अन्य गतिविधियां

1. निर्माण सामग्री और अपशिष्ट को केवल निर्धारित क्षेत्र में ही संग्रहित किया जाएगा। कोई भी कचरा सड़क के किनारे फेंका निषेध होगा।
2. सड़क के किनारे और निर्माण स्थलों पर पहले से ही फेंके गए कचरे को उठाकर एक निर्धारित स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।
3. धूल के प्रभाव को कम करने के लिए जल छिड़काव प्रणाली अपनाई जाएगी।
4. उपयुक्त ऊंचाई अर्थात निर्माण ऊंचाई का 13 और अधिकतम 10 मीटर तक का विंड ब्रेकर प्रदान किया जाएगा ।
5. निर्माण सामग्री की ग्राइंडिंग और कटिंग पर्दे/बैरियर आदि को बंद क्षेत्र के भीतर करना अनिवार्य होगा।
6. निर्माण स्थल पर धूल उड़ने को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना अनिवार्य होगा।

अध्याय–4

नगर निगम, गया में खतरा, जोखिम, नाजुकता तथा क्षमता विवरण

4.1 खतरा (प्रकोप) विवरण

आपदा का इतिहास

जैसा कि बिहार राज्य विभिन्न आपदाओं से ग्रस्त है, अपनी भौगोलिक और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के कारण, गया शहर को विभिन्न खतरों का भी सामना करना पड़ता है। गया भूकंप क्षेत्र III के अंतर्गत आता है, और भूकंप के मध्यम जोखिम में है।

अनुचित जल निकासी संरचनाओं के कारण राज्य में अत्यधिक वर्षा होने से शहरी क्षेत्रों में जल–जमाव समस्या उत्पन्न करती है। हालिया वर्षों–सितंबर 2016 और 2019 में शहरी बाढ़ घटनाएं हुईं, जिसमें मूसलाधार बारिश ने आम जनमानस के जीवन को अस्त–व्यस्त कर दिया और शहर में गंभीर जल–जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्र जो जल निकासी तथा जलजमाव संबंधी समस्याओं से अधिकतर त्रस्त होते हैं, इनमें प्रमुखतः दुर्गा बारी, बारी रोड, अशोक विहार, पंत नगर तथा मानसरवा नाला के पास के क्षेत्र (फल्गु नदी में शहर के जल निकासी के मुख्य जल आउटलेट)।

गया नगरीय क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए बढ़ती आबादी और इसके साथ–साथ भूजल के कुप्रबंधन, अपर्याप्त भूमि–उपयोग की योजना के कारण शहर के भीतर भीषण गर्मी के मौसम में जल–संकट की स्थिति बढ़ गई है । पिछले कुछ वर्षों लू/हिटवेव की बढ़ती घटनाओं को अनुभव किया जा रहा है। सन् 2019 में गर्मी से जिले में 40 मौते भी हुई थी जिसमें से 19 शहरी क्षेत्र में थी।

जलवायु परिवर्तन तथा उससे जुड़े प्रभाव आपदाओं की बढ़ती तीव्रता के साथ अनुभव किए जा सकते हैं, जिसमें हीटवेव के मुकाबलों तथा अप्रत्याशित वर्षा सम्मिलित हैं। इस शहर में आपदा तथा विकास की निरंतरता में आपदा प्रबंधन पहलुओं पर विचार करना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इससे शहर की विकास योजनाओं को एकीकृत करते हुए आपदा प्रबंधन योजना व स्वच्छता योजना को स्थायी रूप से स्थानीय आपदाओं से निपटने हेतु बढ़ावा दिया जा सकता है।

बिहार राज्य में उपरोक्त प्रकोपों के अतिरिक्त, शीतलहर, चक्रवाती तूफानों (आंधी–तूफान), अगलगी, महामारियों, सड़क/नाव दुर्घटनाओं, भगदड़ आदि जैसे अन्य मानव जनित आपदाओं से भी प्रभावित है। अगलगी की घटनाएं मुख्य रूप से स्थानीय प्रकृति की हैं परन्तु जनसंख्या वाले क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जानमाल की क्षति पहुँचाती है, क्योंकि शहर के स्लम वाले क्षेत्रों में घरों की छतें छप्पर की और संरचनाएं लकड़ियों की होती हैं। ग्रीष्मकाल में जब गर्म हवाएं तेज होती हैं, तो पारंपरिक चूल्हों से या बचाकर रखी राख से जनसंख्या के क्षेत्रों में फैल जाती है।

गया नगर का जोखिम विवरण

चूँकि बिहार राज्य अपनी भौगोलिक और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के कारण विभिन्न आपदाओं से ग्रस्त है, गया शहर भी विभिन्न खतरों के जोखिम से अछूता नहीं है। गया शहर भूकम्प जोन–3 के अंतर्गत आता है, तथा भूकम्प के मध्यम जोखिम में है। सितम्बर 2016 तथा सितम्बर 2019 में मूसलाधार बारिश ने शहर में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी, समुदाय के जीवन को अस्त–व्यस्त कर दिया। साथ ही शहर में जल जमाव एवं लोगों की मौत का कारण भी बना। सितम्बर 2019 में विभिन्न अखबारों में यह घटना प्रकाशित हुआ था कि गया शहर में लगातार 3 दिनों में वर्षा होने के कारण वार्षिक वर्षा दर में 20% से अधिक वर्षापात हुआ है।

शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्र जो जल निकासी और जल–जमाव की समस्या के कारण प्रभावित है– दुर्गा बाड़ी, बाड़ी रोड, अशोक विहार, पन्त नगर, तथा मनसरवा नाला के पास वाला क्षेत्र (शहर के पानी को फल्गु नदी में प्रवाहित करने वाला मुख्य जल निकास)।

गया जिला सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसिलिए बढ़ती आबादी एवं भू–जल के कुप्रबंधन से, अपर्याप्त भूमि के उपयोग से चर्म गर्मी के मौसम के समय शहर में जल की समस्या बढ़ती जा रही है।

जलवायु परिवर्तन और सम्बन्धित प्रभाव के कारण आपदाओं के प्रभावों का अनुभव अधिक किया जा रहा है, इसमे हीटवेव तथा अप्रत्याशित वर्षापात शामिल है। आपदा और विकास की निरंतरता से शहर में आपदा प्रबंधन का सबसे महत्पूर्ण पहलू है, तथा शहर की विकास योजनाओं का एकीकरण, आपदा प्रबंधन योजना के साथ स्वच्छता योजना डिजॉस्टर रेजिलिएन्ट, गया को एक प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करेंगे ।

गया नगर निगम क्षेत्र के समस्त वार्डों के वार्ड पार्षद, संभ्रान्त लोगो और समुदाय के साथ सर्वेक्षणों कर खतरे की व्यापकता को औसत करने के लिए डेटा विश्लेषण किया गया है, इस विश्लेषण के आधार पर गया शहर में पहचाने गए प्रमुख प्रकोप निम्न हैं–

लू/हीट वेव

गर्मी की लहर (लू) शहर के लिए एक बड़ा खतरा है। जून 2019 में, गया शहर में लू से बचाव के लिए धारा 144 लागू करनी पड़ी क्योंकि बढ़ते तापमान और गर्मी के तनाव के कारण गया जिला में 40 लोगो की मौत हो गई थी। गर्मी की लहरें आमतौर पर मुख्य रूप से मार्च से जून के दौरान और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई में भी होती है। निम्नलिखित बबल चार्ट गया शहर में 12 महीनों में गर्मी की औसत प्रतिघंटा तापमान को दर्शाते है। जैसा कि छवि में देखा जा सकता है, अप्रैल, मई और जून अब तक के सबसे गर्म महीने है, जिनमें अधिकतम तापमान मुख्य रूप से लगभग सुबह 10:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक गर्मी और महत्वपूर्ण संकट पैदा करता है। मई और जून महिनों में रातें भी काफी गर्म और उष्ण होती है। इसलिए अप्रैल और जून के महीनों के दौरान लू से बचने की तैयारी करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

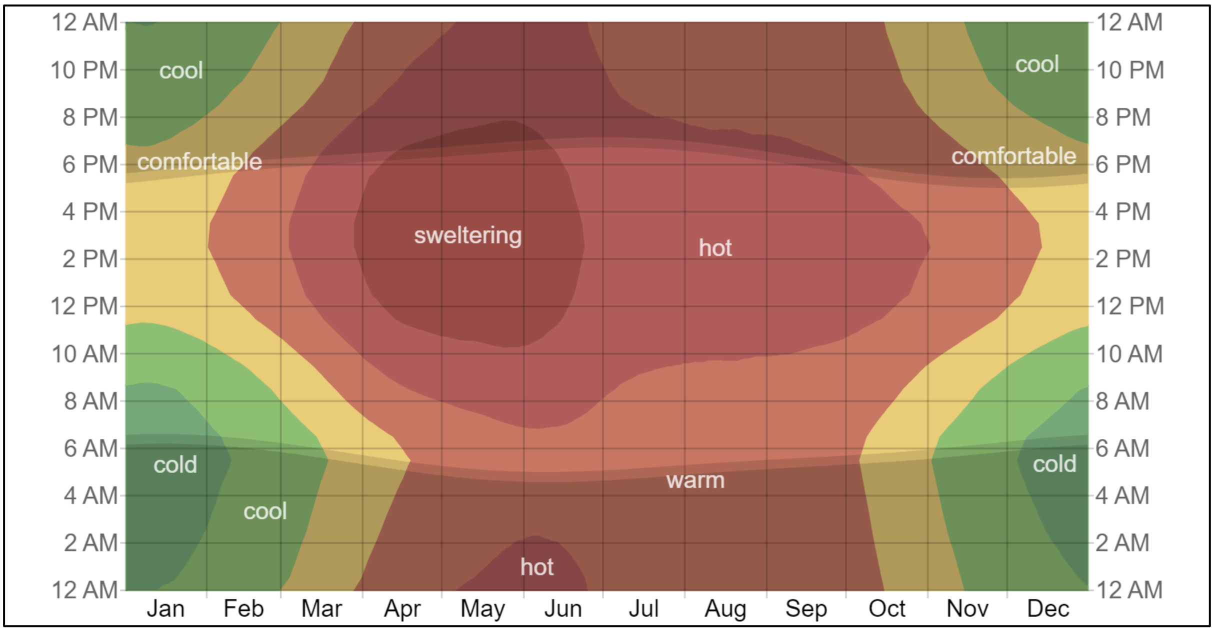

Source: Weatherspark

गया में बबल चार्ट वार्षिक गर्मी के औसत प्रति घंटा तापमान (चित्र–16)

एल.एस.टी कार्य–प्रणाली से उन वार्डों का विश्लेषण किया गया जो 2019 की हीटवेव (लू) की घटना के दौरान मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे। इसके लिए 11 मई 2019 से 21 मई 2019 के बीच लैंडसेट 8 इमेजरी प्रोक्यूर की गई। इमेजरी से विशेषरूप से एन.डी.वी.आई. के लिए थर्मल बैंड 10 और बैंड 4 तथा 5 का उपयोग करके समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान की गणना करने के लिए किया गया था।

नीचे दी गई छवि विश्लेषण के परिणामों का दर्शाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य वार्डों की तुलना में निम्न वार्डो में तापमान अधिक रहा–

वार्ड जो अधिक प्रभावित हुए है–	
वार्ड संख्या	2, 4, 6, 28, 30, 36, 43, 44, 46, 48, 53

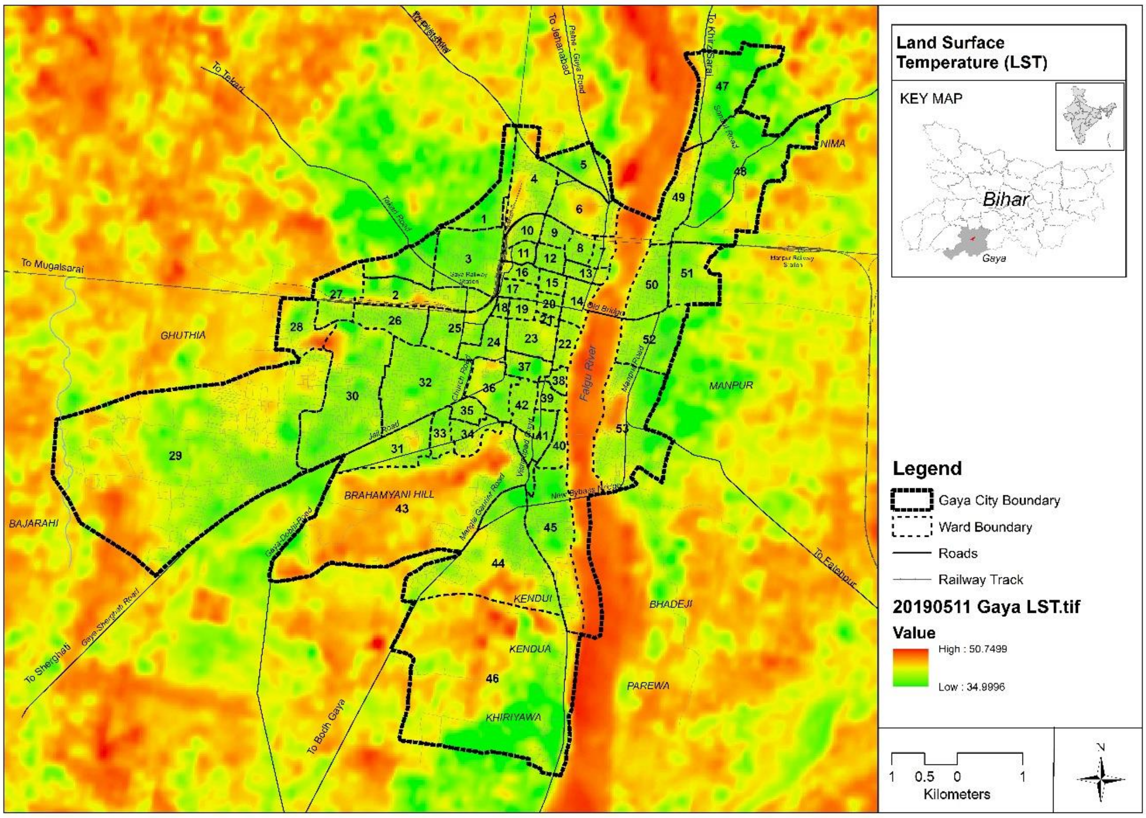

गया में भू–सतह तापमान (एल.एस.टी.) 2019 (चित्र–17)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लू/हीट वेव की घोषणा तब की जाती है जब मौसम विज्ञान द्वारा अधिष्ठापित किये गये कम से कम 2 स्टेशनों में लगातार 2 दिनों तक निम्नलिखित में से कोई भी निर्धारित मानदंड पूर्ण होता है, तत्पश्चात इसके अगले दिन लू/हीट वेव घोषित किया जाता है–

सामान्य तापमान से परिवर्तन के आधार पर

क) लू/हीट वेव –जब सामान्य तापमान से परिवर्तन 4.5 से 6.4 ºC होता है

ख) गंभीर लू/हीट वेव –जब सामान्य तापमान से परिवर्तन 6.4 ºC अधिक हो

वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर

क) हीट वेव – जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 ºC से अधिक या उसके बराबर हो

ख) गंभीर लू/हीट वेव – जब वास्तविक अधिकतम तापमान 47 ºC से अधिक या उसके बराबर हो

भारत तथा इसके विभिन्न भू–भागों लू/हीट वेव सामान्यत ग्रीष्मकाल यथा मार्च से जून के दौरान, हालाँकि जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से कभी–कभी जुलाई में भी इसका प्रभाव रहता है।

हीटस्ट्रोक, मानव शरीर पर लू/ हीट वेव के प्रमुख प्रभावों में से एक है, सामान्यतः यह तब होता है जब शरीर अपने तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है, इसके कारण शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है, शरीर से अत्यधिक पसीना आने लगता है तथा शरीर ठंडा नहीं हो पाता

है। हालाँकि, लू/हीटवेव के परिणामस्वरूप कई अन्य बीमारियाँ भी होती हैं, जिनसे बचाव के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह जीवन के लिए घातक हो सकती है।

जल जमाव की समस्या

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व पूर्व से अवस्थित नालों–नालियों का रखरखाव पर्याप्त रूप से नहीं करने के परिणामस्वरूप नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं व जलनिकासी अवरुद्ध हो जाती है। इसके फलस्वरूप पर निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, विशेषकर मानसून अवधि में। जल निकासी सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण नहीं होने से दैनिक जीवन में जोखिम रहते हैं जो स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में भी विषम प्रभाव डालते हैं। जल–जमाव की दृष्टि से मानसून के दौरान गया नगरीय क्षेत्र के कई वार्ड प्रभावित होते हैं। गया में 2016 व 2019 में शहरी क्षेत्र में जल जमाव होने के कारण बाढ़ जैसी घटना को झेल चुका हैं जिसमें नाले पर अतिक्रमण को हटाकर समस्या का समाधान प्रशासन द्वारा किया गया था।

अगलगी

गया में अगलगी एक बड़े प्रकोप के रूप में चिन्हित की गई है। इससे ना केवल संपत्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है बल्कि जीवन की संभावित क्षति का कारण बनता है। अगलगी का प्रभाव एवं इसकी प्रणवता गया में अत्यधिक वर्तमान में, गया के नगरीय क्षेत्र में अगलगी की घटनाओं की रोकथाम एवं प्रत्युत्तर के लिए केवल एक अग्निशमन केन्द्र (Fire Station) है ।

शीत लहर

शीत लहर एक सामान्य मौसमी घटना है जो साधारणतया सतह पर वायु के तापमान में तीव्र गिरावट के कारण होती है, जिससे तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, वायु दबाव में तीव्र वृद्धि, वायु गति तेज़ होना तथा ओलापात या बर्फबारी से मौसम ख़राब होना जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10ºC या उससे कम होने को शीत लहर की स्थिति मानी जाती हैं, निम्न स्थितियों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा शीत लहर घोषित की जाती है –

सामान्य तापमान से विचलन के आधार पर

क) सामान्य शीत लहर– जब सामान्य से विचलन 4.5 ºC से 6.4 ºC होता है।

ख)गंभीर शीत लहर – जब सामान्य से विचलन 6.4 ºC से अधिक हो

वास्तविक न्यूनतम तापमान के आधार पर (मैदानी के क्षेत्रों के लिए)

ग) सामान्य शीत लहर – जब न्यूनतम तापमान 4 ºC से कम हो

घ) गंभीर शीत लहर – जब न्यूनतम तापमान 2 ºC से कम हो

वज्रपात / ठनका :

बिहार के दक्षिणी भाग वज्रपात के प्रति अति–संवेदनशील जिले हैं तथा गया जिला भी वज्रपात का प्रभाव अधिक है। विगत वर्ष 2016 में बिहार में 57 लोगों की मृत्यु एक हीं दिन वज्रपात से हो गयी। वज्रपात एक ऐसी आपदा है जिसका प्रभाव मानसून के दौरान व चक्रवातीय दबाव पड़ने पर होने वाली मेघ गर्जन से अधिक होता है। वज्रपात एक ऐसी आपदा है जिसका पूर्वानुमान पूर्व से उपलब्ध नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग व अन्य अर्न्तराष्ट्रीय मौसम सेवा प्रदाताओं के द्वारा वज्रपात में तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) ही उपलब्ध है, जिसे परिस्थिति के अनुसार 30 मिनट से 03 घंटें पूर्व जारी किया जा सकता है। वज्रपात से निपटने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि सामुदायिक स्तर पर मौसम एजंसियों की चेतावनी का तीव्र व प्रभावी प्रसार करना तथा आमजन के दौरान चेतावनी प्राप्त होने पर तुरंत बचाव कार्रवाई करना। जब पृथ्वी की ओर वज्रपात चलता है काफी मात्रा में विद्युत निरावेश बादलों से पृथ्वी की ओर चल देती है। विद्युत निरावेश का भय तब अधिक हो जाता है जब बादलों के भीतर विद्युत आवेश की मात्रा बढ़ती है। 'फिल्ड मिल' यंत्र के द्वारा बादलों के भीतर के आवेश का मापन हो जाता है। जैसे हीं यह एक निर्धारित सीमा में पहुँचता है इसके पृथ्वी पर गिरने की सम्भावना बनने लगती है। वज्रवात के आघात से बचने हेतु जागरूक होना व इन्द्रव्रज एप से वज्रपात गिरने से पहले की जानकारी हम ले सकते हैं। नगर निगम, गया के क्षेत्र में विद्युत संरचनाओं व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ताड़ित चालक या **Lightning Arrester** अधिष्ठापित होने के कारण वज्रपात का प्रभाव कम रहा है। नगर निगम, गया के ग्रामीण क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में वज्रपात का प्रभाव व्याप्त है। ऐसे क्षेत्रों में कार्ययोजना बनाकर ताड़ित चालक या **Lightning Arrester** को अधिष्ठापित किए जाने की आवश्यकता है। वज्रपात में मानव व पशुओं की तुरंत मृत्यु हो जाती है अथवा घायल हो जाते हैं। इसके प्रभाव ऊँचे वृक्षों व भवनों पर अधिकतर होती है। सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक घरों में भी वज्रपात का प्रभाव देखा गया है।

बाढ़

शहर में बाढ़ प्रभावित वार्डों की पहचान करने के लिए एक्वाडक्ट फ्लड हैजॅर्ड मॉडल का उपयोग किया है। निम्नलिखित चित्रण उन क्षेत्रों को दर्शाते है जो बेसलाइन (1980 से 2010) तथा भविष्य के जलवायु परिवर्तन आर.सी.पी. 4.5 परिदृश्यों 5 वर्ष और 100 वर्ष की बाढ़ वापसी की अवधि मॉडल के अनुसार प्रभावित हो सकते हैं।

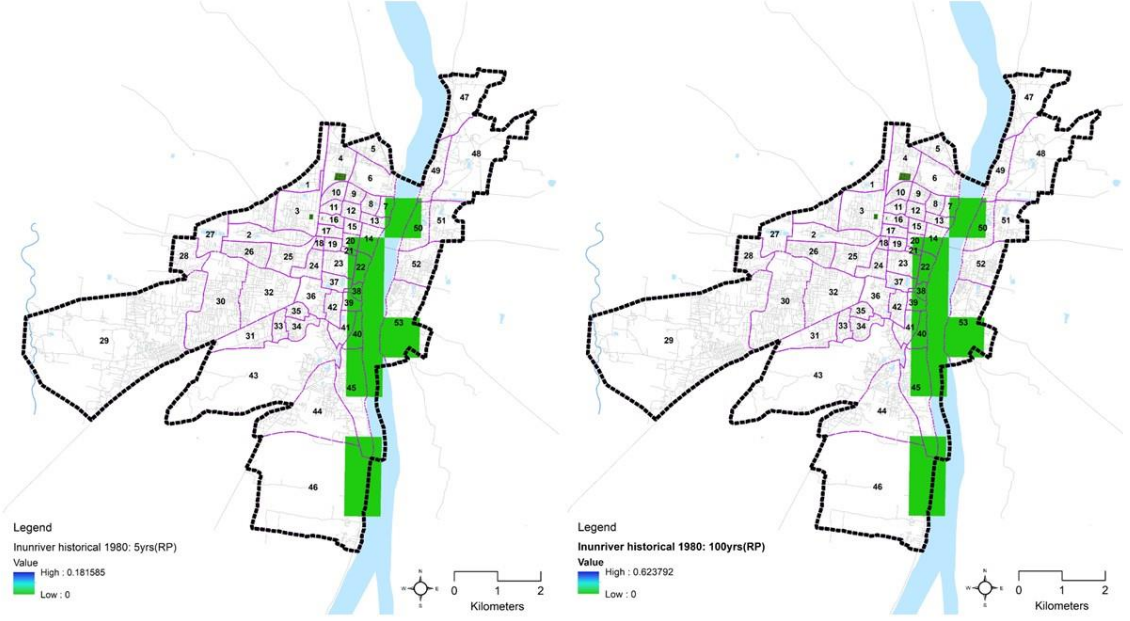

Historical Riverine Flood for 5 yrs and 100 yrs Return Periods

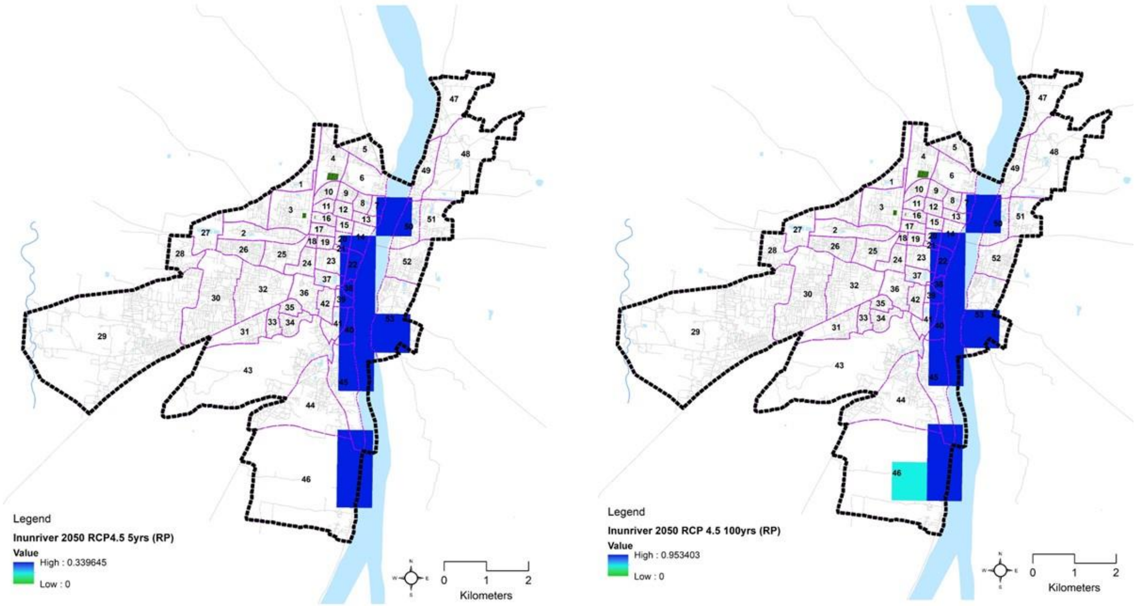

Riverine Flood in RCP 4.5 scenario for 5 yrs and 100 yrs Return Periods

बेसलाइन और आर.सी.पी 4.5 के लिए गया शहर के नदियों के बाढ़ के खतरे का नक्शा

चित्र–18

बेसलाइन और आर.सी.पी 4.5 परिदृश्य में बाढ़ के तहत संभावित क्षेत्र की पहचान करने के लिए मॉडल परिणामों को वार्ड स्तर पर संकलित और विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण का परिणाम नीचे दी गई छवि में दर्शाए गए हैं जैसा कि आंकड़ों से देखा जा सकता है, वार्ड 22 तथा 38 सबसे महत्वपूर्ण खतरे वाला क्षेत्र में है। इसके बाद वार्ड 40, 39, 20, 21, 14, 7, 50, 45, 53, 41, तथा 46 हैं।

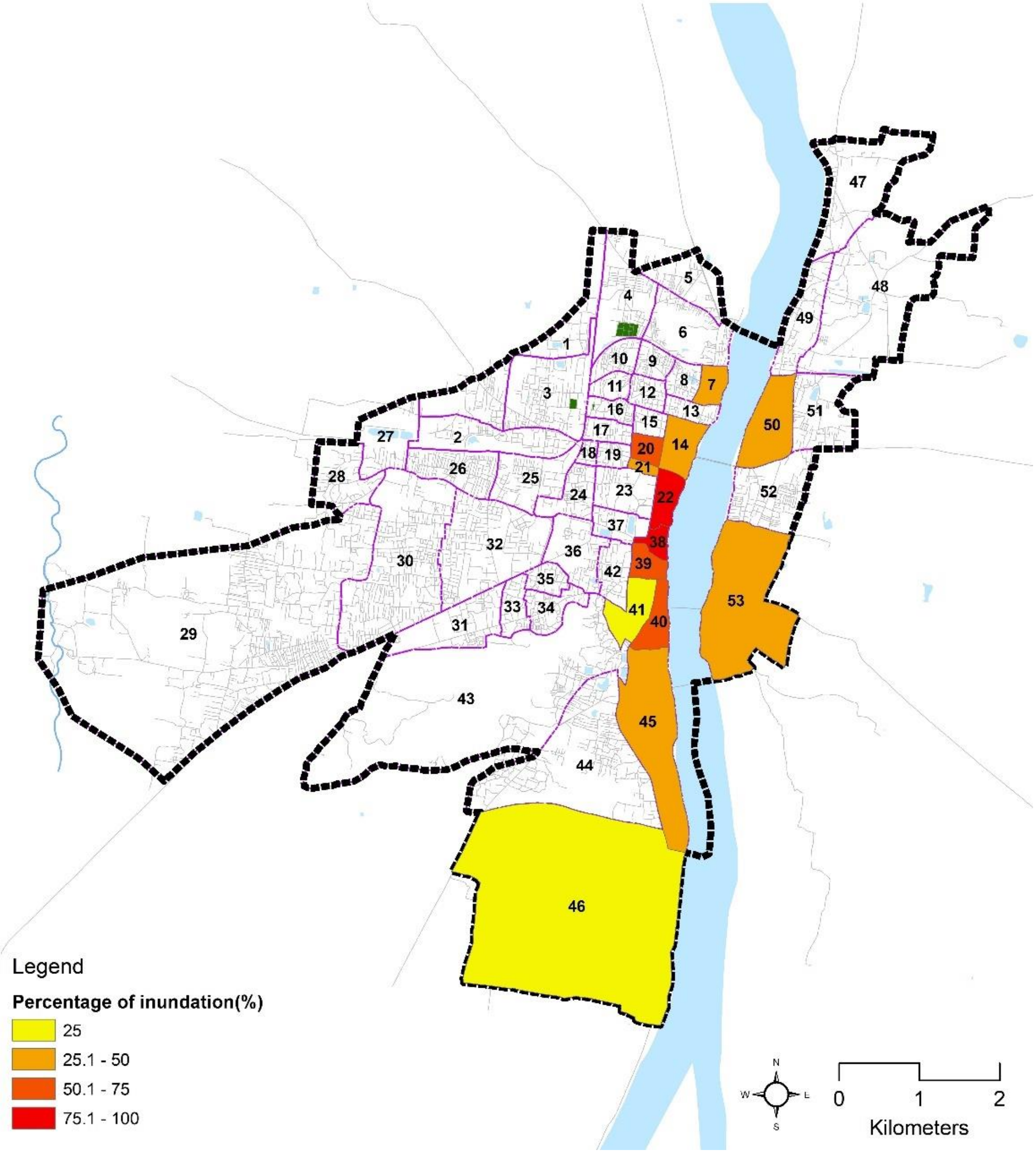

गया शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र (चित्र–19)

जैविक आपदा/महामारी

कोविड–19 महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, महामारी के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शहरों और जिलों के प्रशासनिक पदाधिकारियों का ध्यान इस दिशा में आकृष्ट किया है। कोविड जैसी चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सृदढ़ किया जा रहा है।

कोरोना महामारी का नगरीय क्षेत्र में प्रभाव अन्य क्षेत्रों व शहरों जैसा ही था जिसमें नगर निगम द्वारा आवश्यक व जिम्मेदारीपूर्वक कार्यों का निर्वहन किया गया था।

वायु प्रदूषण

आंतरिक या बाहरी वातावरण में रासायनिक, भौतिक या जैविक प्रदूषकों के कारण वायु प्रदूषण की स्थिति होती है, इससे वातावरण की प्राकृतिक विशेषताओं में व्यापक बदलाव हो जाता है। वायु प्रदूषण के सामान्य स्रोतों में प्रमुखतः घरों में जलने वाले उपकरण, वाहन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों व

जंगली आग आदि हैं। प्रमुख प्रदूषकों में अति–सूक्ष्म कण (Particulate Matter), कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड सम्मिलित हैं, जो आमजन के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। बाहरी व आंतरिक वायु प्रदूषण श्वसन तथा अन्य बीमारियों का कारण बनता है, वर्तमान में वायु प्रदूषण रोगों की संख्या तथा मृत्यु दर में वृद्धि का प्रमुख कारण बनता जा रहा है।

गया में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत सड़कों पर उड़ने वाली धूल, वाहनों का उत्सर्जन, घरेलू ईंधन से निकलने वाले प्रदूषकों, खुले में कूड़ा जलाना, निर्माण गतिविधियाँ, औद्योगिक उत्सर्जन आदि हैं।

गया शहर में कलेक्ट्रेट, करीमगंज, महुरार व पुराना करीमगंज में वायु प्रदूषण निगरानी हेतु संयंत्र लगा हुआ है।

जल संकट एवं जल प्रदूषण

जल संकट एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो साधारणतया वर्ष के ग्रीष्मकाल में, दूसरे शब्दों में कहें तो सुखा प्रभावित महीनों के दौरान होती है जब भू–जलस्तर में सतही जल की उपलब्धता की कमी व भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण कमी हो जाती है। गया सुखा आपदा के प्रति अति संवेदनशील है तथा यहाँ ग्रीष्मकाल में भूजल स्तर में भारी गिरावट होने से जल संकट एवं जल प्रदूषण की समस्या व्याप्त हो जाती है, इसके विषमकारी प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ते हैं।

सड़क दुर्घटनाएँ

सड़क दुर्घटनाएं व इसके प्रभाव (वाहनों व संरचनात्मक क्षति, मानव जीवन/अंगों की क्षति तथा घायल) अर्थवयवस्था में सामाजिक लागत में वृद्धि का प्रमुख कारण हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यों तथा अन्य क्षति मानवजनित आपदाओं की श्रेणी में आती हैं, इनकी रोकथाम बेहतर यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा संकेतकों में वृद्धि, बेहतर आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली (ट्रामा सेण्टरों के संचालन) एवं आपातकालीन प्रबंधन (एम्बुलेंस सेवा) से की जा सकती है। व्यक्तिगत सुरक्षा की कमी जैसे हेलमेट तथा ओवर स्पीडिंग सहित सड़क यातायात नियमों के पालन नहीं करने के कारण भी सड़क दुर्घटनाओं की प्रवणता में वृद्धि हो जाती है।

चिन्हित स्पाट व सड़क दुर्घटना का विवरण (तालिका–21)–

वार्ड संख्या	चिन्हित ब्लैक स्पाट (संवेदनशील क्षेत्र)
29	सिकरिया मोड़
45	घुघरीटांड बाइपास
24	गांधी मैदान रोड, उत्तर भाग
34	गेबल बिगहा मोड़

गया शहर में भीड़ बाहुल्य स्थल (तालिका–22)

गया नगर में पितृपक्ष मेला में विष्णुपद मन्दिर व कई क्षेत्र भीड़ की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं, इन स्थलों पर भगदड़ होने की आशंका बनी रहती है।

क्रम संख्या	वार्ड नं0	संवेदनशील स्थल एवं बाजार का नाम
1	40, 39	विष्णुपद मंदिर एवं मेला क्षेत्र
2	16	रेलवे स्टेशन
3	14, 20, 21	के0पी0 रोड
4	34, 37	गेवल बिगहा
5	29	सिकारिया मोड़
6	34, 41	शहमीर तकिया
7	45	गुघरीटाड़ बाइपास
8	2,3	बड़की डेल्टा बस स्टैण्ड
9	21, 22	टावर चौक
10	16	स्टेशन रोड
11	15,16	टेकारी मोड़ (बाटा मोड़)
12	18	रेलवे 1 नम्बर गुमटी
13	50	मानपुर मुफ्फसिल मोड़

4.2. प्रकोप, नाजुकता, क्षमता एवं जोखिम आकलन (HVCRA) की कार्यप्रणाली

गया नगरीय क्षेत्र के लिए नगरीय आपदा प्रबंधन योजना (**CDMP**) के निर्माण हेतु प्रकोप, नाजुकता, क्षमता एवं जोखिम आकलन (**HVCRA**) करने के लिए प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

HVCRA में प्रयुक्त द्वितीयक आंकड़े जिला आपदा प्रबंधन योजना व राज्य आपदा प्रबंधन योजना से संदर्भित एवं संग्रहित हैं। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण हेतु 2 चरणों में सर्वेक्षण किए गए हैं। ***प्रथम चरण*** के सर्वेक्षण में गया के नगरीय क्षेत्र के 16 प्राथमिकता वाले वार्डों में गृहभ्रमण सर्वेक्षण (Household Survey) एवं विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श करते हुए किया गया है। सर्वेक्षण प्रारूप में प्रकोप विवरण, महत्वपूर्ण सेवाओं तक परिवारों की पहुंच, प्रकोपों के प्रभाव, प्रमुख सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धी सूचनाएं व आमजनों की आपदाओं से निपटने की क्षमता/नाजुकता का आकलन, जागरूकता का स्तर आदि मुद्दे शामिल किये गये।

द्वितीय चरण का सर्वेक्षण समस्त वार्डो के वार्ड पार्षद (नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों) के साथ एवं सम्बंधित हितभागियों के साथ किया गया। इस सर्वेक्षण में गया नगरीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्रकोपों की आवृत्ति, प्रभावों और गंभीरता पर केंद्रित किया गया। उक्त दोनों चरणों के सर्वेक्षण एक प्रशिक्षित समूह (टीम) द्वारा सम्पादित किया गया है।

नाजुकता आकलन के भाग के रूप में एक सामाजिक, आर्थिक, नाजुकता सूचकांक (SeVI) को 2011 की जनगणना से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके वार्ड स्तर पर विकसित किया गया था। जनगणना (आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रासंगिकता) से आवश्यक मापदंडों की पहचान की गई और उनका सामान्य रूप से अध्ययन किया गया। निरर्थक संकेतकों को हटाने के लिए एक कारक विश्लेषण किया गया और संकेतकों की अंतिम सूची के लिए वेटेज प्राप्त करने के लिए एक

विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया (ए.एच.पी.) आधारित दृष्टिकोण का अनुपालन किया गया। वेटेज के आधार पर, एक सामाजिक, आर्थिक, नाजुकता वरीयता (स्कोर) प्राप्त किया गया था जिसे तब पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था– बहुत कम, निम्न, मध्यम, उच्च और बहुत उच्च।

इस प्रकोप आकलन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का सम्मिश्रण कर आपदाओं की आवृत्ति तथा इनके प्रभावों की गंभीरता मैट्रिक्स का निगमन किया गया है।

नाजुकता आकलन

सामाजिक आर्थिक नाजुकता आकलन (SeVI)

नाजुक समूहों पर प्रकोपों के संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए सामाजिक, आर्थिक नाजुकता आकलन (SeVI) किया गया था। इस आकलन में, वर्ष 2011 की जनगणना के विभिन्न मापदंडों के आधार पर वार्ड स्तर के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसे मापदंड जो जनसँख्या की नाजुकता और प्रकोपों से उत्पन्न संभावित प्रभावों को बढ़ाने वाले कारकों का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है। नीचे दी गई तालिका, विभिन्न संकेतकों का विवरण प्रदान करती है–

सामाजिक आर्थिक नाजुकता आकलन (SeVI) के संकेतक (तालिका–23)

क्रमांक	स्केतक	सामाजिक आर्थिक नाजुकता आकलन में सम्मिलित करने का औचित्य
1	आयु	6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक वृद्धजनो को सहायता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। इसलिए, इस समूह को प्राथमिकता से सहायता और सहयोग की आवश्यकता है।
2	वंचित वर्ग (एससी व एसटी)	समाज में व्याप्त सांस्कृतिक बाधाओं के कारण पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं होने के दृष्टिगत वंचित वर्ग को सामाजिक आर्थिक नाजुकता आकलन में सम्मिलित किया गया है। सामान्यत: वंचित वर्गों की नाजुकता अधिक होती है जो आपदाओं के प्रभाव को बढ़ाती है।
3	अशिक्षा एवं असाक्षरता	शिक्षा आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि अशिक्षा एवं असाक्षरता प्रमुख रूप से जागरूकता, विकास एवं अधिकारों में बाधक है यह आपदा के प्रभाव में वृद्धि का भी प्रमुख कारण है।
4	सीमांत श्रमिक	सीमांत श्रमिकों के पास अपनी आय, बचत व रोजगार लाभों की कोई सुरक्षा नहीं है, विशेष रूप से व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मुद्दों के मामले में। इसलिए यह उनकी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भरता को बढ़ाता है जो अंततः सीमांत श्रमिकों की नाजुकता को बढ़ाता है।
5	आवासीय मकानों की स्थिति	मकानों की निर्माण गुणवत्ता प्रत्यक्ष रूप से जोखिम तथा क्षमता से जुड़ी होती है। मकानों की कमजोर संरचना विभिन्न आर्थिक और अन्य कारकों के कारण सुरक्षा को प्राथमिकता देने की क्षमता की कमी को प्रदर्शित करती है।
6	पेयजल का स्रोत	पेयजल के लिए उपलब्ध पानी के स्रोत तथा इसकी गुणवत्ता के अध्ययन से पता चलता है कि स्थानीय निवासियों के पास जीवनयापन करने तथा स्वास्थ्य के लिए आधारभूत सुविधाएं हैं।

7	विद्युत कनेक्शन	विद्युत की अनुपस्थिति क्षमता की कमी को प्रदर्शित करती है क्योंकि विद्युत अन्य आधारभूतसुविधाओं एवं संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है।
8	शौचालय की उपलब्धता	स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए शौचालय एक आवश्यक आवश्यकता है। शौचालयों की कमी का अर्थ है कि संक्रामक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप आपदाओं से निपटने की क्षमता कम हो जाती है।
9	जल निकासी की उपलब्धता	जल निकासी व्यवस्था एक आधारभूत स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुविधा है। कई स्थलों पर जल निकासी के आउटलेट पर पहुंच नहीं है, इससे जल निकासी क्षमताओं में कमी आती है।
10	भोजन बनाने में प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	आधारभूत सुविधाओं तक पहुंच की कमी भोजन बनाने के प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग में परिलक्षित होती है। यह आपदा के दौरान व बाद में सहायता पर अधिक निर्भरता को दर्शाता है।
11	बैंकिंग सेवाओं का लाभ	बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का अभाव व नकद लेनदेन पर अधिक निर्भरता का संकेत देता है।
12	रेडियो की उपलब्धता	स्थिति के बारे में पूर्व चेतावनी के लिए रेडियो आदि जैसी संचार सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। सूचना और संचार माध्यमों तक पहुंच की कमी प्रत्युत्तर क्षमता को कम करती है।
13	मोबाइल फोन की उपलब्धता	आपदाओं सम्बन्धी चेतावनियों के प्रसार तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल एवं इंटरनेट पर निर्भरता बहुत जरूरी है। सूचनाओं तक पहुंच की कमी प्रत्युत्तर देने की क्षमता को कम कर देती है।
14	घरों का स्वामित्व	किराए के घरों में रहने वाले लोगों की योजनाओं के लाभों तक पहुंच कम होती है। फलस्वरूप, आपदाओं के दौरान ऐसे लोगों को सहायता कम मिल पाती है। साथ ही, पुनर्स्थापन योजनाओं का भी समुचित लाभ ऐसे वर्गों को नहीं मिल पाता है।

संकेतकों के चयन के बाद, इन संकेतकों के आधार पर विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया (ए.एच.पी.) का उपयोग किया गया है, इस हेतु **निम्न तालिका–24** को देखें।

सामाजिक, आर्थिक नाजुकता आकलन (SeVI) हेतु विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया (एएचपी)

संकेतक	वरीयता (स्कोर)	रैंक
निरक्षरता	13 प्रतिशत	1
रेडियो की उपलब्धता	12 प्रतिशत	2
मोबाइल की उपलब्धता	10 प्रतिशत	3
अनुसूचित जाति जनसंख्या	8.5 प्रतिशत	4
अनुसूचित जन जाति जनसंख्या	8.5 प्रतिशत	5
शौचालय की उपलब्धता	8.10 प्रतिशत	6
जल निकासी की उपलब्धता	7.8 प्रतिशत	7
सीमांत श्रमिक	7.3 प्रतिशत	8

आयु	6.5 प्रतिशत	9
घर का स्वामित्व (किरायेदार)	4.6 प्रतिशत	10
विद्युत् कनेक्शन	4.4 प्रतिशत	11
पेयजल का स्रोत	3.5 प्रतिशत	12
आवासीय मकानों की स्थिति	2.7 प्रतिशत	13
भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	2.5 प्रतिशत	14
बैंकिंग सेवाओं का लाभ	0.6 प्रतिशत	15

प्रत्येक संकेतक के लिए विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया (ए.एच.पी.) के महत्त्व का उपयोग करते हुए गया के प्रत्येक वार्ड के लिए सामाजिक, आर्थिक, नाजुकता आकलन **(SeVI)** की वरीयता (स्कोर) की गणना की गई है। इसका अनुमान चित्र संख्या– 15 में दिखाए गए मानचित्र से लगाया जा सकता है और वरीयता (स्कोर) का विश्लेषण कि सबसे नाजुक वार्ड नगरीय की सीमा की परिधि के साथ हैं जैसे– वार्ड संख्या 5 एवं 28।

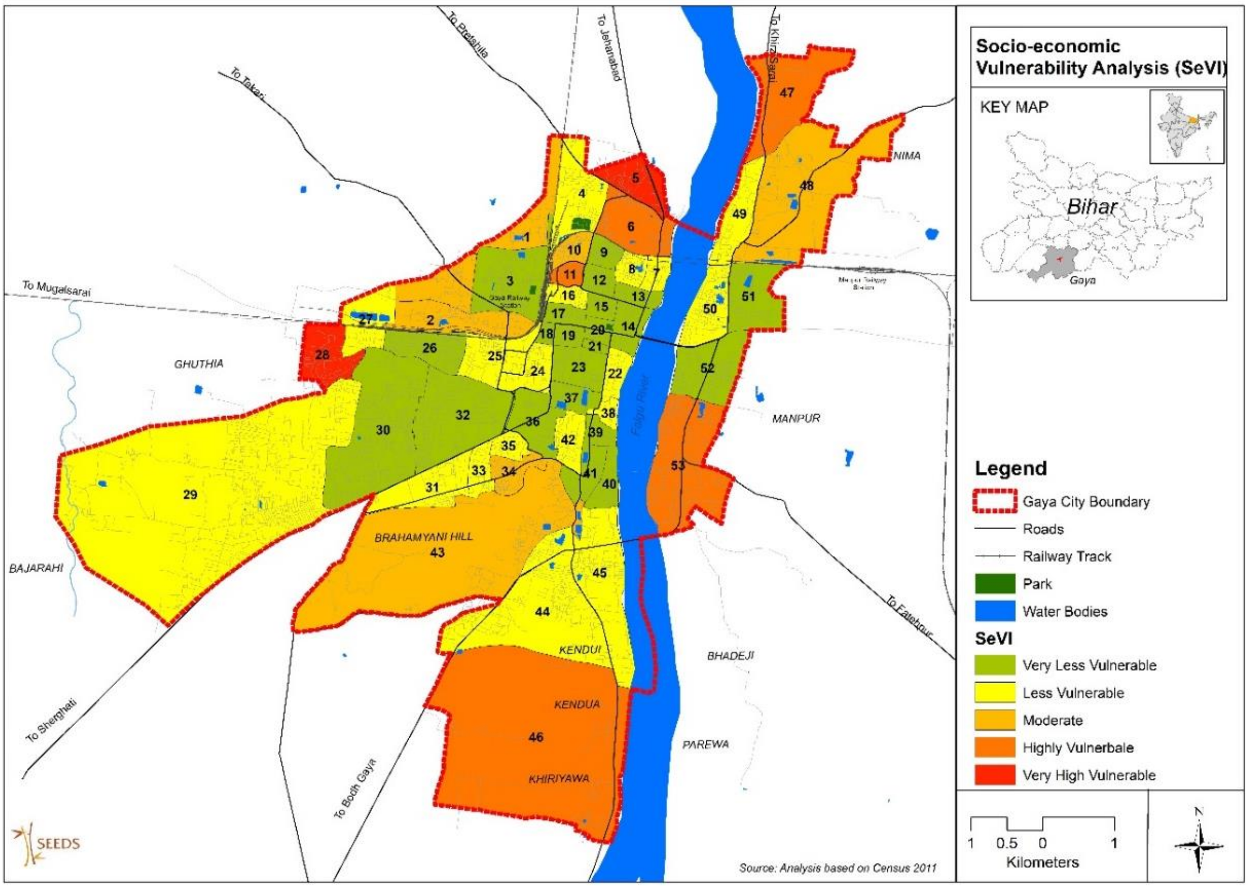

गया में सामाजिक आर्थिक नाजुकता सूचकांक (SeVI) (चित्र–25)

नगरीय क्षेत्रों में प्रकोपों का मौसमी कलेंडर

तालिका संख्या–13: गया नगरीय में प्रमुख खतरों का मौसमी विवरण

प्रकोप	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
लू/हीटवेव												
शहरी बाढ़												
शीतलहर												
जल संकट												
अगलगी												
वज्रपात/मेघ गर्जन												
जल निकासी संबंधी समस्याएं												
सड़क दुर्घटनाएँ												
वायु प्रदूषण												
भूकम्प												

वार्ड आधारित जोखिम वरीयता (स्कोर)

गया नगरीय क्षेत्र में बहु–आपदाओ की के प्रभावों की तुलना करने हेतु वार्ड स्तर पर किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर समग्र जोखिम वरीयता (स्कोर) का विकास विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया (एएचपी) का उपयोग करते हुए किया गया गया है।

प्रकोपों के प्रभावों वरीयता (स्कोर) की गणना नगरीय के प्रत्येक वार्ड पर खतरे के प्रभाव के आधार पर की गई है। परिणाम के माध्यम से, यह दर्शाता है कि नगरीय के वार्ड 06 में सबसे अधिक जोखिम वरीयता (स्कोर) है, जिसका अर्थ है कि यह वार्ड अति उच्च प्रकोप प्रभावित है, इस वार्ड के पश्चात वार्ड नंबर 10, 24 तथा 39 में जोखिम वरीयता अधिक है–

विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया (एएचपी) पद्धति द्वारा प्रकोपों का आकलन (तालिका–)

प्रकोप	वरीयता (स्कोर)	रैंक
अगलगी	24.20 प्रतिशत	1
सड़क दुर्घटनाएँ	12.90 प्रतिशत	2
लू/हीट वेव	11.60 प्रतिशत	3
शीतलहर	11.60 प्रतिशत	4
नागरिक अशांति (युद्ध एवं सामप्रदायिक घटनाएं)	8.10 प्रतिशत	5
वज्रपात/मेघ गर्जन	7.50 प्रतिशत	6
भूकम्प	6.80 प्रतिशत	7

फ्लूराइड	3.80 प्रतिशत	8
वायु प्रदूषण	3.70 प्रतिशत	9
जल संकट	3.40 प्रतिशत	10
जल निकासी की समस्या	2.90 प्रतिशत	11
बाढ़	2.00 प्रतिशत	12
सर्पदंश	1.00 प्रतिशत	13

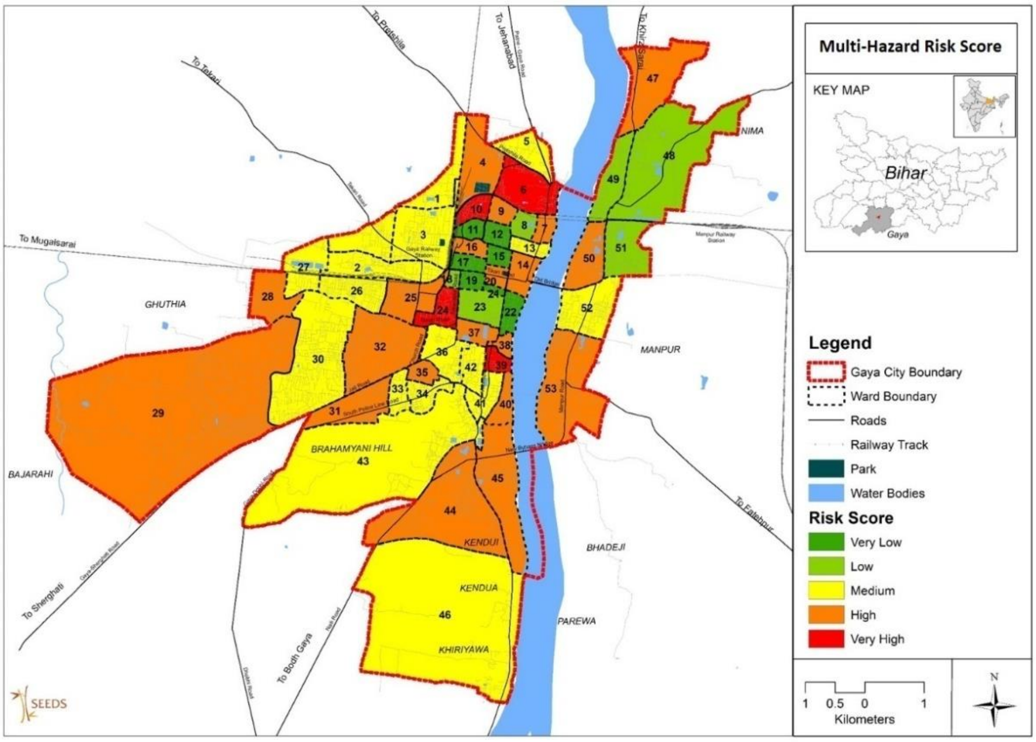

गया में वार्डवार जोखिम विश्लेषण (चित्र–21)

गया में बहु–प्रकोप आधारित जोखिम वरीयता स्कोर (तालिका–27)

जोखिम वरीयता (स्कोर)	वार्ड नम्बर
अत्यंत उच्च	6, 10, 24, 39
उच्च	4, 7, 9, 14, 16, 20, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 50, 53
सामान्य / मध्यम	1, 2, 3, 5, 13, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 41, 42,43, 46, 52
कम	8, 18, 23, 48, 49, 51
अत्यंत कम	11,12, 15, 17, 19, 21, 22

वार्ड सं.	स्लॅम	पता	जल निकाय	शौचालय	कचरा का निष्पादन	कचरा संग्रह	जल निकाय का प्रकार	जल जमाव	सड़क
11	हरिजन टोली, मुरलीहील	हरिजन टोली, मुरलीहील, गया बिहार	नगरपालिका पाईप	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	नहीं	पक्का

9	हरिजन टोली, रामधनपुर	हरिजन टोली, रामधनपुर, गया	निजी नलकुप	व्यक्तिगत निजी शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	प्रतिदिन	पक्का	नहीं	पक्का
8	हरिजन टोलही, करखुरा	हरिजन टोली, करखुरा, गया	निजी नलकुप	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी–कभी	कच्चा	नहीं	पक्का
22	हरिजन टोली, पीतमहेश्वा, चमरटोली	हरिजन टोली, पीतमहेश्वा, चमरटोली, गया	निजी नलकुप	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी नहीं	कच्चा	दलदल	पक्का
3	भाई टोली, देलहा	भाई टोली, देलहा, गया	कोई नहीं	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी नहीं	जल निकासी नही है	व्यापक	कोई सड़क नहीं
43	हरिजन टोली भैरोस्थान	हरिजन टोली, भैरोस्थान, गया	निजी नलकुप तथा नगरपालिका पाईप लाईन	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	नहीं	पक्का
10	हरिजन टोली, भैरागी	हरिजन टोली, भैरागी, गया	निजी नलकुप तथा नगरपालिका पाईप लाईन	निजी व्यक्तिगत शौचालय	निर्दिष्ट बिन्दुएं	वैकल्पीक	पक्का	दलदली	पक्का
22	हरिजन टोली, रमना	हरिजन टोली, रमना, गया	निजी नलकुप	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	दलदली	पक्का
45	हरिजन टोली, लखनपुरा	हरिजन टोली, लखनपुरा, गया	निजी नलकुप	व्यक्तिगत शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	नहीं	पक्का
45	हरिजन टोली, घुघरीटाड़ छट्ठु बिघा	हरिजन टोली, घुघाड़ीटाड़, छट्ठु बीघा, गया	निजी नलकुप	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	नहीं	पक्का
34	हरिजन टोली, गेवलबीघा, पार्ट–1	हरिजन टोली गेवलबीघा, पार्ट–1, गया	निजी नलकुप	खुले मे शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	सप्ताह में एक बार	कच्चा	नहीं	कच्चा
34	हरिजन टोली, गेवलबीघा, पार्ट–2	हरिजन टोली, गेवलबीधा, पार्ट–2, गया	निजी नलकुप	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	सप्ताह में एक बार	कच्चा	नहीं	कच्चा

32	हरिजन टोला, मुस्तफाबाद	हरिजन टोली, मुस्तफाबाद, गया	नगरपालिका पाईप लाईन	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी नहीं	पक्का	बहुत ज्यादा	कच्चा
2	हरिजन टोली, देल्हा, धनियॉ बगिचा	हरिजन टोली, देल्हा, धनियॉ बगिचा, गया	निजी नलकुप	खुले मे शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	कच्चा	बहुत ज्यादा	पक्का
27	हरिजन टोली, देल्हा, धनियॉ बगिचा	हरिजन टोली, देल्हा, धनियॉ बगिचा, गया	निजी नलकुप	खुले मे शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	कच्चा	बहुत कम	पक्का
46	हरिजन टोली, बक्सू बीघा	हरिजन टोली, बक्सू बीघा, गया	नगरपालिका पाईप लाईन	खुले मे शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	नहीं	कच्चा
44	हरिजन टोली, मरनपुर	हरिजन टोली, मरनपुर, गया	निजी नलकुप	खुले मे शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	बहुत कम	पक्का
44	हरिजन टोली, कपीलधारा	हरिजन टोली, कपील धारा, गया	निजी नलकुप	खुले मे शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	कच्चा	नहीं	कच्चा
14	हरिजन टोली, किरानीघाट	हरिजन टोली, किरानीघाट, गया	निजी नलकुप	खुले मे शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	कभी नहीं	नगन्य	कच्चा
29	हरिजन टोली, ईमलीयाचक	हरिजन टोली, ईमलीयाचक, गया	निजी नलकुप	खुले मे शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	सप्ताह में एक बार	कच्चा	बहुत कम	कच्चा
44	हरिजन टोली, अक्ष्यावट	हरिजन टोली, अक्ष्यवट, गया	निजी नलकुप तथा नगरपालिका पाईप लाईन	व्यक्तिगत निजी शौचालय	कुछ चिन्हित जगहो पर	एक दिन छोड़ कर	पक्का	नहीं	पक्का
9	हरिजन टोली, रामधनपुर	हरिजन टोली, रामधनपुर, गया	निजी नलकुप तथा नगरपालिका पाईप लाईन	व्यक्तिगत निजी शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	प्रति दिन	पक्का	नहीं	पक्का
47	मानपुर सुरईपुरा	मानपुर सुरईपुरा, गया	नगरपालिका पाईप लाईन	खुले मे शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी नहीं	कच्चा	बहुत कम	कच्चा
50	गांधिनगर, हरिजन टोली, पार्ट–1, मानपुर	गांधिनगर, हरिजन टोली, पार्ट–1, मानपुर, गया	निजी नलकुप	व्यक्तिगत शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	नहीं	पक्का

50	गांधिनगर, हरिजन टोली, पार्ट–2, मानपुर	गांधिनगर, हरिजन टोली, पार्ट–2, मानपुर, गया	निजी नलकुप	व्यक्तिगत शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	नहीं	पक्का
53	हरिजन टोली, भुसुण्डा	हरिजनटोली, भुसुण्डा, गया	निजी नलकुप	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी नहीं	कच्चा	बहुत कम	कच्चा
16	डोमटोली, स्टेशन रोड	डोमटोली, स्टेशन रोड, गया	निजी नलकुप	व्यक्तिगत शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	नहीं	पक्का
45	हरिजन टोली, ब्रह्मसत	हरिजन टोली, ब्रह्मसत, गया	नगरपालिका पाईप लाईन	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	एक दिन छोड़ कर	पक्का	नहीं	पक्का
49	हरिजन टोली, कुम्हारटोली, मानपुर	हरिजन टोली, कुम्हारटोली, मानपुर, गया	निजी नलकुप	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	कच्चा	ज्यादा	कच्चा
28	हरिजन टोली, कटारीहील, सलेमपुर	हरिजन टोली, कटारी हीन, सलेमपरु, गया	निजी नलकुप एवं नगरपालिका पाईप लाईन	व्यक्तिगत शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	सप्ताह में एक बार	पक्का	नहीं	पक्का
27	हरिजन टोली, भटबीघा	हरिजन टोली, भटबीधा, गया	निजी नलकुप एवं नगरपालिका पाईप लाईन	खुले में शौचव	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	एक दिन छोड़ कर	पक्का	नहीं	पक्का
38	हरिजन टोली, नाद्रागंज	हरिजन टोली, नाद्रा गंज, गया	निजी नलकुप एवं नगरपालिका पाईप लाईन	व्यक्तिगत शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	नगन्य	पक्का
6	हरिजन टोली, इकबाल नगर	हरिजन टोली, इकबाल नगर, गया	निजी नलकुप	खुले में शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	कच्चा	नगन्य	कच्चा
5	हरिजन टोली, बारिशनगर	हरिजन टोली, बारिशनगर, गया	निजी नलकुप	खुले में शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	कच्चा	नगन्य	कच्चा
31	हरिजन टोली, रामपुर	हरिजन टोली, रामपुर, गया	निजी नलकुप	खुले में शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	पक्का	बहुत कम	पक्का

50	हरिजन टोली, अबगीला	हरिजन टोली, अबगीला, गया	निजी नलकुप तथा नगरपालिका पाईप लाईन	व्यक्तिगत शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी नहीं	कच्चा	ज्यादा	पक्का
44	दुसाध टोली, खतकचक	दुसाध टोली, खतकचक, गया	निजी नलकुप	व्यक्तिगत शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी नहीं	पक्का	नहीं	पक्का
29	दुसाध टोली, इमलियाचक	दुसाध टोली, इमलियाचक, गया	नगरपालिका पाईप लाईन	खुले में शौचव	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी नहीं	कच्चा	नहीं	कच्चा
33	हरिजन टोली, दक्षिण पुलिस लाईन	हरिजन टोली, दक्षिण पुलिस लाईन, गया	निजी नलकुप	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	सप्ताह में एक बार	कच्चा	नहीं	पक्का
33	सिंघ्रास्थान, हरिजन टोली	सिंघ्रास्थान, हरिजन टोली, गया	नगरपालिका पाईप लाईन	खुले में शौच	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी नहीं	कच्चा	ज्यादा	कच्चा
28	हरिजन टोली, कटारी हील	हरिजन टोली, कटारी हील, गया	निजी नलकुप	व्यक्तिगत शौचालय	नाला, सड़क किनारे आदि में कचड़ा जमा करना	कभी कभी	कच्चा	बहुत कम	पक्का

4.3 विकास प्रक्रिया से उत्पन्न नए जोखिम

जिला प्रशासन एवं नगर निगम को नगरीय विकास की दृष्टि से सूक्ष्म स्तरों पर मौजूद विभिन्न संवेदनशीलता का अध्ययन तथा विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम के क्षेत्रों में नए आवासीय क्षेत्र बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सड़कें, भवन, बिजली, पुल और अन्य संबद्ध आधारभूत संरचना का कार्य तीव्रता से प्रगति में है। नगरीय क्षेत्रों में अनियमित आधारभूत संरचनाओं के कारण भौतिक संवेदनशीलता के बढ़ने की संभावना है, यह विकास संबंधी गतिविधियों के कारण और अधिक जोखिमयुक्त हो सकता है। अत यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि विकास से नए जोखिमों का निर्माण नहीं हो, साथ ही, मौजूदा जोखिमों वृद्धि नहीं होने पाए।

अध्याय–5
संस्थागत व्यवस्था
(Institutional Arrangements)

5.1 आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना

माननीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा सभी योजनाओं एवं गतिविधियों के सम्पादन हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन सम्बन्धी समस्त क्रियाकलापों से संबंधित नोडल विभाग गृह मंत्रालय है। इसके अन्तर्गत सुरक्षा कैबिनेट समिति (जलवायु परिवर्तन अनुकूलन) व राष्ट्रीय क्राइसिस प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) आपदा प्रबंधन के संबंध में निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर गठित प्रमुख समितियां हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एकीकृत तथा समग्र आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रीय, राज्य, जिला व स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचना स्थापित करने की आवश्यकता को बल देता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है, वहीँ क्षेत्रीय स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग के स्तर पर गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committee) द्वारा वित्तीय एवं अन्य सहयोग प्राप्त होता है जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर गठित राज्य कार्यकारी समिति (State Executive Committee) द्वारा आपदा प्रबंधन सम्बंधित समस्त कार्यो एवं गतिविधियों के सम्पादन हेतु आवश्यक वित्तीय तथा नीतिगत सहयोग प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर क्षमताओं के विकास, सुदृढ़ीकरण, शोध व नवाचार हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया है, इसी प्रकार से राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिये, ताकि आपदाओं से कुशलतापूर्वक निपटने एवं समुचित प्रबंधन करने के लिए विभागों, रिस्पांस एजंसियों, संस्थानों, अन्य हितभागियों एवं समुदाय की क्षमताओं का विकास किया जा सके। नगरीय स्तर पर, नगर प्रशासन के विभाग/प्रशाखाएं तथा विभिन्न आपदा सहाय्य विभाग/एजंसियां जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन, निर्देशन व अंतर विभागीय समन्वय में कार्य करती हैं।

विकास योजनाओं को आपदारोधी बनाने तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सोच का समावेश सभी सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, नागर समाज व समुदाय की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। नगरीय आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत सम्बंधित विभागों के कार्यों एवं दायित्व को सन्निहित करते हुए एकीकृत आपदा प्रबंधन योजना का विकास किया गया है।

5.2 नगर निगम में आपदा प्रबंधन की संरचना

भारतीय संविधान के 74वीं संशोधन के अनुरूप 'स्थानीय स्वशासन' के लिये शहरी स्थानीय निकाय के उद्देश्य से **''बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007''** को मुर्त रूप दिया गया है। बिहार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 में सुरक्षित शहर की कल्पना की गई है, अतः नगरीय स्तर पर ''फस्ट रिस्पॉडर मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से नगर निगम की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। इनके द्वारा निर्मित संरचनायें इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम होगें। खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/समुदाय तक पूर्व–चेतावनी, सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचाने में ये प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेगें।

5.3 बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार गठित समितियां

उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार निम्न समितियाँ क्रियाशील होगीं। इसके सदस्य वाडों के चुने हुए पार्षद होंगे। इन समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में नगर निगम अपने कृत्यों का संपादन करेगी।

नगर निगम की समितियाँ (चित्र–22)

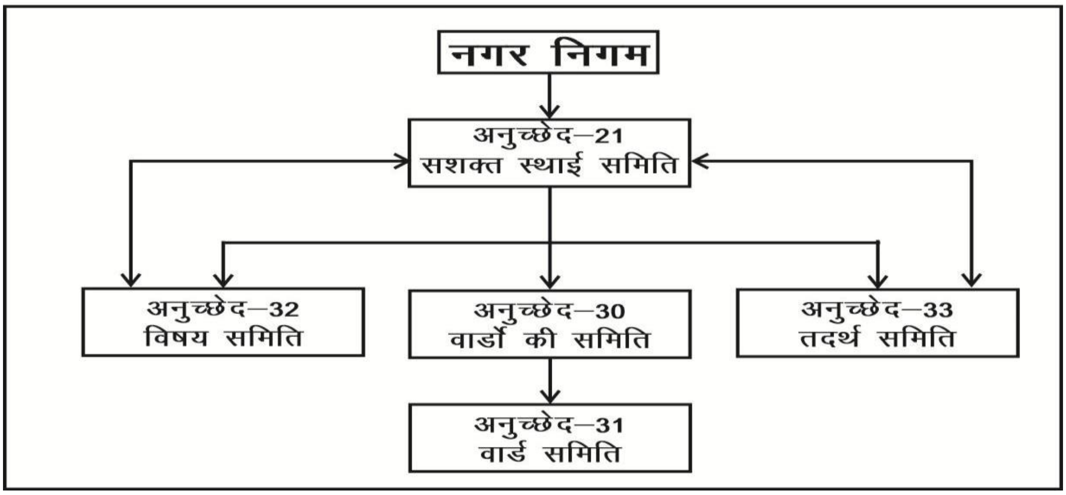

वार्ड समूह की सभी समितियां सशक्त स्थाई समिति के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन, वार्डो के समूह की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत परिसरों के संभरण, पाईपों एवं जल निकासी एवं मल निकासी संयोजनों, वर्षा के कारण या अन्यथा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर जमा जल का निकासी ठोस अपशिष्टों के संग्रह और हटायें जाने विसंक्रमण के उपबंध स्वास्थ्य परीक्षण सेवाओं तथा गंदी बस्ती सेवाओं के उपबंध रोशनी की व्यवस्था कोटि 4 एवं कोटि 5 की सड़कों की मरम्मति पार्को नालियों और गलियों का रख रखाव का कार्य सशक्त समिति द्वारा समय–समय पर अवधारित विनियमावली के अनुरूप करेगी।

वार्ड समूह की सभी समितिया सशक्त स्थाई समिति के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्यधीन, वार्डो के समूह की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत परिसरों के समरण, पाईपों एवं जल निकासी एवं मल निकासी संयोजनों वर्षा के कारण या अन्यथा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर जमा जल का निकासी ठोस अपशिष्टों के संग्रह और हटायें जाने, विसंक्रमण के उपबंध स्वास्थ्य परीक्षण सेवाओं तथा गंदी बस्ती सेवाओं के उपबंध, रोशनी की व्यवस्था, कोटि 4 एवं कोटि 5 की सड़कों की मरम्मति, पार्कों, नालियों और गलियों का रख रखाव का कार्य सशक्त समिति द्वारा समय–समय पर अवधारित विनियमावली के अनुरूप करेगी।

नगर निगम के पदाधिकारियों की भूमिका (चित्र–23)

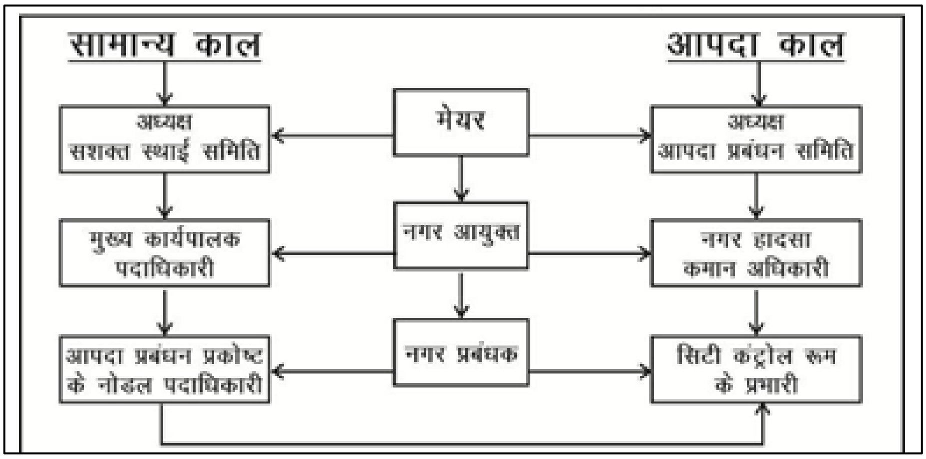

5.4 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 32 एवं 41 के आलोक में नगर निगम गया, आपदा प्रबंधन से जुड़े अपने विभिन्न दायित्वों एवं कृत्यों का बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 का अनुच्छेद 47 (5) क तथा 361 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आलोक में निम्न संस्थागत स्वरूप में निर्वहन करेगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 32 के अनुसार भी प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार (नगर निगम) की अपने क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1388 दि. 24.07.2004/1004 दि. 08.07.2005, 2016 दि. 14.08.2006 एवं 3883 दि. 11.12. 2007 के आलोक में गठित जिला, नगर निगम तथा वार्ड स्तर पर गठित बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का दायित्व निर्धारित किया गया है।

5.5 नगर निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों के स्वीकृत पद

नगर निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों के स्वीकृत पद के अनुसार संस्थागत स्वरूप निम्नवत है–

गया नगर निगम का संगठनात्मक ढांचा (चित्र–24)

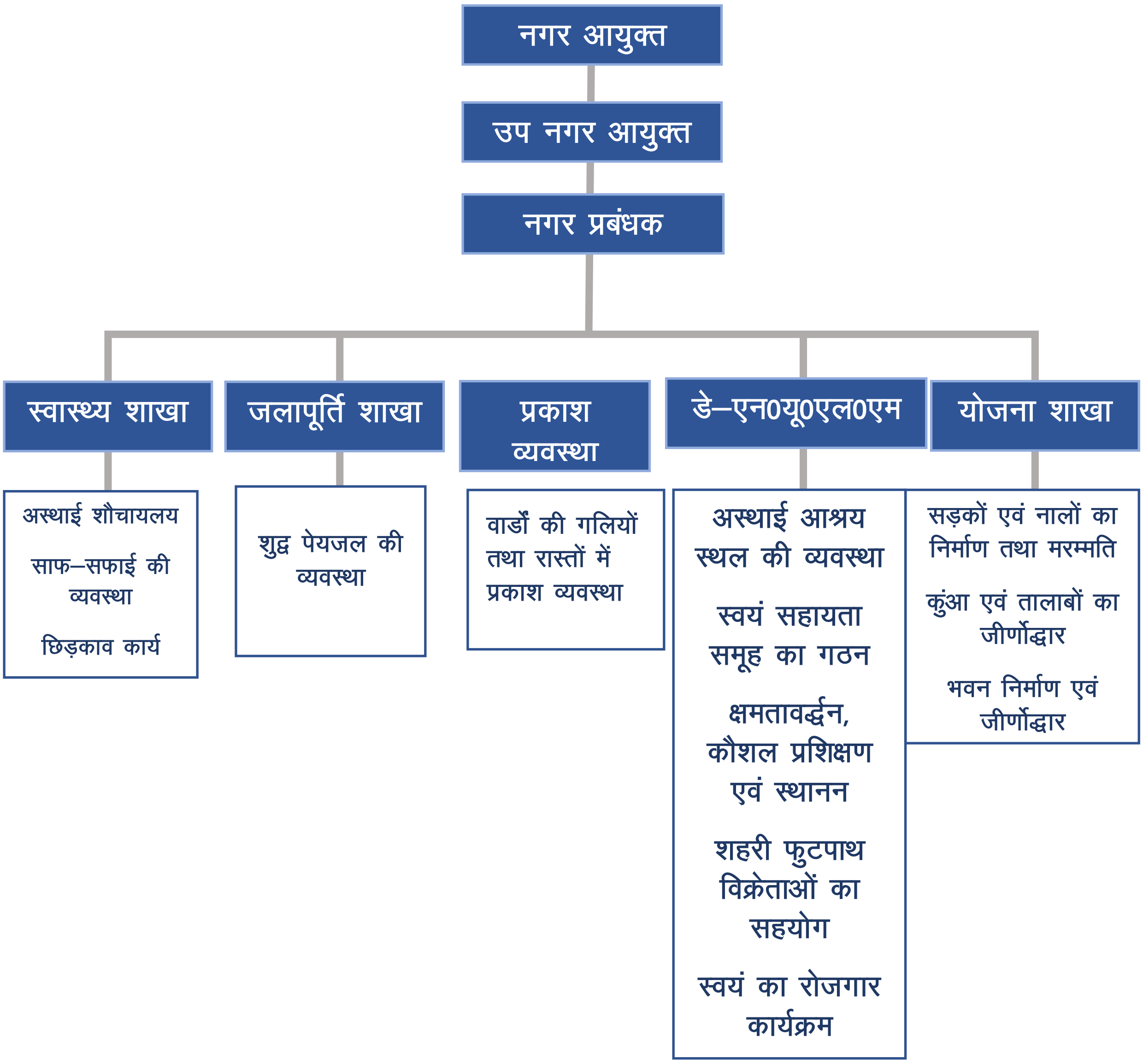

नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता मेयर करेंगे। अनुच्छेद 21 के अनुसार सशक्त स्थायी समिति में मेयर, उप–मेयर तथा सात अन्य वार्ड पार्षद होगें। अनुच्छेद–22 के अनुसार नगर निगम के सभी कार्यकारी शक्ति सशक्त स्थायी समिति में निहित होगे जो नगर निगम के लिए उत्तरदायी होगा।

5.6 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) में किए गए प्रावधान के आलोक आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है– (तालिका–25)

जिलाधिकारी	पदेन अध्यक्ष
जिला परिषद् के अध्यक्ष	सह अध्यक्ष
पुलिस अधीक्षक	सदस्य
उप–विकास आयुक्त	सदस्य
असैनिक शल्य चिकित्सक	सदस्य
अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन	प्रभारी पदा0 / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला में वरीयतम अभियंता	सदस्य

5.7 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना 16.11.2007 को गठित की गई हैं जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री है। इसके अतिरिक्त एक माननीय उपाध्यक्ष तथा 02 माननीय सदस्य वर्तमान में कार्यरत हैं। इसका मुख्यालय पॉचवी मंजिल, पटेल भवन, नेहरू मार्ग (बेली रोड) पटना में अवस्थित है। प्राधिकरण के स्तर से आपदाओं के न्यूनीकरण, प्रबंधन, मानक संचालन प्रक्रिया, आपदा प्रबंधन योजना, विभागों / हितभागियों का क्षमतावर्द्धन, अध्ययन / शोध, अन्तर–विभागीय समन्वय जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला का आयोजन करती है। प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने की दिशा में भी कार्य किया जाता है तथा इस संबंध संबंधित विभागों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाता है। प्राधिकरण के स्तर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया जाता है।

5.8 आपदा प्रबंधन विभाग

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार राज्य में आपदाओं के समुचित प्रबंधन, पूर्व–तैयारी, आपातकालीन प्रबंधन, रिस्पांस, राहत कार्यों का संचालन, राहत / आनुग्रहिक राहत वितरण, वित्तीय प्रबंधन, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, क्षमता निर्माण जैसे कार्यों हेतु नोडल विभाग है। विभाग द्वारा आपदाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण, नीति निर्माण, मानक संचालन प्रक्रिया आदि का क्रियान्वयन करने के साथ–साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित कानून का अनुपालन जिलों में कार्यरत जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों व अन्य संबंधित आपात सहाय्य विभागों के समन्वय से करती है। विभाग राज्य आपदा मोचन कोष (एस0डी0आर0एफ0) एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस0डी0एम0एफ0) के व्यय एवं प्रबंधन हेतु नोडल विभाग है।

5.9 राज्य कार्यकारिणी समिति

इसकी राष्ट्रीय योजना एवं राज्य योजना को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह राज्य में आपदा के प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, बिहार सरकार होते हैं। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी व्यय, आकस्मिक प्रबंधन हेतु व्यय, नीतियो व योजनाओं का सम्यक विचारोपरांत निर्णयों का अनुमोदन हेतु अनुशंसा करती है।

5.10 बिहार राज्य डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (BSDRN)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने– आपदा प्रबंधन के लिए वृहद व उपयोगी 'डेटाबेस' तैयार किया है। यह रिसोर्स नेटवर्क वेब आधारित है, जो सरकार के पदाधिकारियों, रिस्पांस एजंसियों तथा आपदा प्रबंधको के लिए उपलब्ध है। इस क्षेत्र में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खोज एवं बचाव उपकरण, कुशल मानव संसाधन, परिवहन, खाद्य एवं जलश्रोत, सुरक्षा एवं आश्रय तथा आपातकालीन आपूर्ति एवं सेवाएं जैसे छः वर्गों में सूचनाएं उपलब्ध करायी है। इस पोर्टल पर लगभग 8000 उपलब्ध संसाधन की जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने बड़े स्तर पर मोबाईल एप्प के जरिये सचेत रहने हेतु जन संदेश (Mass Messaging) पहुँचाने के लिए व्यवस्था की है। इसमें जिलाधिकारी (38) उप समाहंर्ता (38) बी.डी.ओ. (534) अंचलाधिकारी (534) फोकल शिक्षक (1542) नाव–नाविक मालिक (3820), पंचायत जन प्रतिनिधि (चयनित 207429 गैर चयनित 435699). जीविका दीदी (148890), आशा कार्यकर्ता (77542) आंगनबाड़ी सेविका (45946) अन्य प्रशिक्षित अभियंता एवं राजमिस्त्री आदि जुड़े है। अब तक इस जन संदेश का उपयोग पूर्व चेतावनी, आपदा की तैयारी, न्यूनीकरण, जागरूकता, बचाव, क्या करें, क्या न करें के विषयों पर किया गया है। इस वेब पोर्टल का प्रबंधन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के द्वारा किया जाता है।

5.11 जिला सड़क सुरक्षा समिति

जिला में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति का गठन सन् 2019 में कर लिया गया है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी है तथा जिला परिवहन पदाधिकारी सचिव के रूप में पदेन हैं। सदस्यों में नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक असैन्य शल्य चिकित्सक, कार्यपालक अभियंता, सड़क निर्माण विभाग आदि को सदस्य के रूप मे नामित किया गया है। समिति सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यों की समीक्षा निर्देश अध्ययन तथा समय–समय पर सड़क दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु संबंधित विभागों को आदेश जारी करता है।

5.12 मोटरवाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण (यथा संशोधित नियमावली 2021)

बिहार उन अग्रणी राज्यों में है जिसने सड़क दुर्घटना में मृतकों या गंभीर रूप से घायलों को त्वरित क्षतिपूर्ति/सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से मोटरवाहन अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय न्यायाधिकरण गठित किया है। मोटरवाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन 1) नियमावली 2021 का बिहार गजट में प्रकाशन किया गया है तथा वाहन जनित दुर्घटनाओं से उद्भूत मुआवजा बाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा। उन मुआवजा वादों का निष्पादन उपर्युक्त नियमावली के विहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकेगा। इस हेतु नियमावली में नियम 28 अंतःस्थापित किया गया है। इस प्रावधान के लागू होने से संबंधित व्यक्तियों को अनावश्यक भाग–दौड़ से बचाया जा सकेगा।

5.13 जिला परिषद

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जिला परिषद् के साथ नगर निगम है। विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को

जरूरी बना दिया गया है। नगर निगम को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने नगरीय योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

5.14 नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)

गया में सिविल डिफेन्स (नागरिक सुरक्षा) की इकाई अन्य जिले की तरह सक्रिय नही हैं जिसे सक्रिय करने की पहल आवश्यक है जिससे बाढ़ सहायता, पितृपक्ष/पिण्डदान, दुर्गापूजा, छठ आदि में भीड़ नियंत्रण तथा कोरोना काल में काम लिया जा सके व आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत प्रदान करने तथा आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए नागरिक सुरक्षा इकाईयों का उपयोग किया जा सके।

5.15 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिये गये प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। बिहार प्रांत के आपदा प्रवण स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक इकाई (बटालियन सं. 9) पटना जिले के बिहटा में अवस्थित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन देश–विदेश में बल आपदा प्रत्युत्तर एवं आपातकालीन प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञ दल है। आपदा प्रत्युत्तर में विश्व स्तर पर यह दल तीसरा सर्वोत्तम बल है। शान्तिकाल में इस दल के द्वारा आपदाओं से बचाव, आपदाओं के न्यूनीकरण, बचाव विधियों पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, कर्मियों, युवा स्वयंसेवकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों अन्य को प्रशिक्षित किया जाता है।

5.16 राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तर्ज पर बिहार राज्य में मार्च 2010 में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बिहटा में अवस्थित है। राज्य आपदा मोचन बल भी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तरह विशेषज्ञ रिस्पांस बल है तथा सभी प्रकार की स्थानीय आपदाओं में आपदा प्रत्युत्तर व आपातकालीन प्रबंधन करने हेतु जिम्मेवार है।

5.17 शिक्षा विभाग (मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम)

शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालय के माध्यम से समुदाय तक आपदा सुरक्षा एवं न्यूनीकरण हेतु मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। इस योजना के प्रभावी संचालन हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा परियोजना परिषद, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल स्तरीय शिक्षा समिति का सहयोग लिया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर मास्टर ट्रेनर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। मास्टर ट्रेनर शिक्षकों के द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा है तथा विद्यालयों में आपदाओं से बचाव हेतु विभिन्न शिक्षण गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

5.18 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, गया

आपदा संचालन केन्द्र, जिला मुख्यालय में अवस्थित है। यह सभी साथी/सहयोगी एजेन्सियों के साथ आपदा प्रबंधन के कार्यों का समन्वय करता है। वर्तमान में जिला आपदा संचालन केन्द्र में सिर्फ एक लैण्डलाईन फोन तथा इन्टरनेट युक्त कम्प्यूटर स्थापित है। साथ ही नगर निगम कार्यालय में इस कार्य हेतु सिर्फ एक टेलीफोन उपलब्ध है। नगर निगम के आपातकालीन संचालन केन्द्र में कारगर संचार सुविधाएँ उपलब्ध होगी। गया बहु आपदा प्रवण नगर है अतः यहाँ भी एक स्वतंत्र नगर आपदा संचालन केन्द्र स्थापित किया जायेगा। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 36 (1) एवं 36 (1) के आलोक में 24X7 कार्य करने वाला एक

आंतरिक आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित की जायेगी। यह केन्द्र पूर्व चेतावनी, सुझाव–सलाह का संभावित प्रभावितों के बीच प्रसारण, आपदा के दौरान मकान, पुल–पुलिया, पेड़ पौधो के ध्वस्त हो जाने पर इनके मलबों की सफाई इत्यादि कार्यो को सुचारू रूप से करने हेतु संबधित विभागों व रिस्पांस एजंसियों को सहयोग प्रदान करेगी।

5.19 बहु–एजेंसी समन्वय प्रक्रिया तथा जिम्मेदारी

जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में प्रस्तावित अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यों में नगर निगम प्रशासन विभिन्न विभागों के साथ पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करेगा। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को उनके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में सुरक्षित शहर, सुरक्षित जीविका सुरक्षित सार्वजनिक अंत:संरचना तथा सेवाओं का समावेश करते हुये समन्वय के साथ कार्य करेगी। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 45 में नगर निगम के मुख्य (कोर) कार्य क्षेत्र की चर्चा की गयी है। जिसमें कहा गया है कि निगम अपने दायित्वों को निभाने के क्रम में अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय के लिए सशक्त स्थाई समिति द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी ।

1. घरेलू व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था ।
2. ड्रेनेज तथा सीवरेज।
3. ठोस कचरा प्रबंधन ।
4. विकास एवं सामाजिक न्याय (शहरी गरीबों हेतु स्लम सुधार तथा आधारभूत सुविधा)
5. संचार व्यवस्था निर्माण, संधारण, सड़क, फुटपाथ पैदल रास्ते परिवहन टर्मिनल, पुल आदि।

निम्न कार्य भी स्वयं अथवा इसे बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगी :

नगर निगम के कार्यों का वर्गीकरण:

क्र.स.	कार्यों के नाम	किये जाने वाले कार्य
1	आपातकालीन कार्य	आग लगने पर मलवा निपटान, बाढ़/जलजमाव के रोकथाम हेतु कार्य
2	जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	पानी की व्यवस्था, बरसात एवं अन्य समयों पर दवा छिड़काव ।
3	सार्वजनिक सुविधा	सड़क की सफाई, कचरा उठाने की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय ।
4	प्रशासनिक कार्य	जन्म मृत्यु पंजीयन आदि ।
5	पर्यावरण सुरक्षा	हरियाली योजना, पार्क, संस्थाओं में वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन।
6	शिक्षा सम्बंधित	लोक महत्त्व के विषयों का प्रचार–प्रसार (विज्ञापन, होडिंग आदि) ।
7	विविध कार्य	जमीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा, जनगणना की व्यवस्था ।
8	विकास से संबंधित	सड़क बनाना, नालियां खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश एवं वाहन ठहराव

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अध्याय–39 के अनुच्छेद–361 आपदा प्रबंधन विषय पर विशेष रूप से चर्चा की हैं। इसमें कहा गया है कि नगर निगम द्वारा प्राकृतिक अथा तकनीकी आधारित आपदाओं में राज्य अथवा अन्य प्राधिकारियों के साथ सहभागी बनकर परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करेगी। इस परिस्थिति में निगम मौसम विज्ञान केन्द्र से भी मदद लेगी। साथ ही नगर निगम आपदा से संबंधित विभिन्न आयामों का डाटा संभावित प्रभावी क्षेत्रा का मैपिंग तैयार करेगी। आपदा प्रबंधन के मद्देनजर नगर निगम का यह कर्तव्य होगा वह आपातकालीन कार्य का संचालन तथा लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। संभावित भूकंप को ध्यान में रखकर उन सभी शहरी विकास के कामों में उपयुक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करायेगी।

5.20 जिला आपदा प्रबंधन योजना, गया से इस योजना का संयोजन

आपदा प्रबंधन अधिनिमय 2005 के प्रावधनों के अंतर्गत तीन स्तर यथा राज्य, जिला तथा नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का प्रावधान है। राज्य योजना जहाँ नीतिगत वक्तव्य है वहीं जिला

और नगर स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना साध्य व कार्रवाई योग्य है। अतः इस योजना को तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया है कि नगर एवं जिला योजना में तालमेल बना रहे। इस हेतु इस योजना में भी बहु–आपदा, खतरा एवं संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है। इस बात की विस्तृत चर्चा की गई है कि किस प्रकार नगर निगम, जिला प्रशासन एवं अन्य हितधारी तालमेल के साथ ऐसी परिस्थियों से निपटेगें। दोनों ही नगर एवं जिला योजना में मानव संसाधन एवं मशीनरी संसाधन का जिक्र किया गया है ताकि आपदा के समय एक दूसरे से सहयोग लिया जा सके।

5.21 नगर राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति (तालिका–27)

क्र0स0	**प्रतिनिधि/पदाधिकारी**	**पद**
1	महापौर, नगर निगम, गया	अध्यक्ष
2	नगर आयुक्त	सदस्य सचिव
3	प्रत्येक वार्ड के वार्ड पार्षद	सदस्य
4	विगत चुनाव में महापौर के पद हेतु हारे निकटतम उम्मीदवार	सदस्य
5	सभी राजनीतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य

5.22 वार्ड राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति (तालिका–28)

क्र0स0	**प्रतिनिधि/पदाधिकारी**	**पद**
1	वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2	संबंधित वार्ड के तहसीलदार	सदस्य सचिव
3	विगत चुनाव में वार्ड पार्षद के पद हेतु हारे निकटतम उम्मीदवार	सदस्य
4	सभी राजनीतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
5	स्थानीय विधायक के द्वारा वार्ड हेतु नामित प्रतिनिधि	सदस्य

समिति के कार्य एवं दायित्व

- सभी प्रकार के राहत सामग्री का वार्ड आयुक्त, विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटम प्रतिद्वन्दी सदस्य, स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दलों के एक–एक सदस्य की उपस्थिति एवं देख–रेख में वार्ड में वितरण किया जायेगा।
- वितरण की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्रियों का अनुमान्य राहत (मानदर) की सूचना आम लोगों को देते हुए वार्ड के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- सभी बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श, वार्ड स्तर राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–6

आपदाओं के विभिन्न चरणों में विभागों एवं रिस्पांस एजंसियों की भूमिका

6.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर व राहत कार्यों हेतु किए गए प्रावधान

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार प्रत्येक एजेंसी को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये यह विशेष ध्यान रखना है कि उनके द्वारा किये जा रहे कार्य से आपदा जोखिम का शमनीकरण एवं न्यूनीकरण हो। इसमें वृद्धि कदापि न हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एजेंसी/हितधारक द्वारा अपने स्तर पर एक ठोस आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाना है जिसमें उनके कार्य क्षेत्र में खतरा जोखिम एवं संवेदनशीलता की स्पष्ट पहचान की जा सके। तदनुसार उनकी अपनी क्षमता में यथा संभव वृद्धि करते हुये अन्य सहयोगी संस्थाओं से आपातकालीन सहायता हासिल करने व समन्वय के साथ मिल–जुल कर प्रत्युत्तर, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के कार्य किये जा सके। सभी एजंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पूर्व तैयारी के कार्य अवश्य किया जाना चाहिये।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अनुच्छेद 2 (ड) तैयारी से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति से अभिप्रेत है,

अनुच्छेद 32 क (ii) जिला प्राधिकरण की देखरेख में स्थानीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगें जिसमें जिला योजना के अधिकथित क्षमता निर्माण तथा तैयारी से संबंधित उपायों को करने का उपबंध उपवर्णित होगा।

अनुच्छेद 41 (2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में जो सुझाव दिया गया है तद्नुसार विभिन्न एजेसियों तथा हितधारकों द्वारा मुख्य रूप से निम्न पूर्व तैयारियाँ की जायेंगी–

(1) नगर निगम स्तर पर आपदा प्रबंधन मुद्दों से निपटने के लिए विशिष्ट संस्थागत ढांचा यथा सिटी कन्ट्रोल रूम एवं आपातकालीन संचालन केन्द्र की स्थापना की जायेगी। (अनुच्छेद 329)

(2) सभी वार्डो में समुदाय तथा अन्य हितधारकों के बीच खतरों की पहचान करने तथा आपदा जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे।

(3) आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों (यंत्र, संयंत्र सुरक्षा किट तथा भारी मशीन) का इस प्रकार अनुरक्षण किया जायेगा जिससे कि आपदा के समय आकस्मिक उपयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहें।

(4) समय–समय पर प्रशिक्षित कर्मियों समुदाय तथा भौतिक संसाधनों के साथ मॉकड्रिल आयोजित कर प्रत्युत्तर की तैयारियों का जायजा लिया जायेगा तथा त्रुटियां (यदि हो) को दूर किया जायेगा।

(5) सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ त्वरित संपर्क एवं पूर्ण समन्वय की सभी प्रक्रियाएं (प्रोटोकॉल के अनुसार) पूरी करके रखी जायेंगी।

(6) समुदाय स्तर पर क्रियाशील स्वयं सेवी/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा समुदाय के साथ मिलजुल कर वार्ड/मुहल्ला/गली स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने/इस पर चर्चा आयोजित करने/जागरूक करने/संवेदीकरण तथा स्वतः प्रत्युत्तर प्रारंभ करने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.2 पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर एवं राहत कार्य के चरण में विभागों व एजंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्य

तालिका–28

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया	
पूर्व तैयारी	• आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र रूट प्लान सहित तैयार करना। मानचित्र पर संवेदनशील स्थलों को अंकित करना। • संवेदनशील व जर्जर बिंदुओं को चिन्हित करना एवं जिला प्रशासन व संबंधित विभाग को विवरण उपलब्ध कराना। • शरणस्थलों व सामुदायिक रसोई के सुरक्षित व मूलभूत सुविधाओं से युक्त भवनों को चिन्हित करना। शरणस्थलों व सामुदायिक रसोई के प्रभारी की सूची सम्पर्क विवरण सहित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना। • आवश्यक सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार करना। • सूचनाओं के प्रभावी आदान–प्रदान हेतु संचार योजना का निर्माण करना तथा अंचल स्तर पर रिर्पोटिंग आदि कार्यों हेतु **बाढ़ नियंत्रण कक्ष** की स्थापना करना तथा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। • सभी संबंधित हितभागियों का प्रशिक्षण कराना। • जिला स्तर पर आपातकालीन प्रबंधन हेतु नियंत्रण कक्ष/जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र का 24X7 संचालन करना। • सभी सरकारी व निजी संसाधनों व उपकरणों की पहचान करना एवं मरम्मति का कार्य करना। सभी उपकरणों का अपडेशन आई0डी0आर0एन0 एवं बी0एस0डी0आर0एन0 पोर्टल पर करना। • रिस्पांस एजंसियों को किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में तैयार रहने के लिये प्रेरित करना, बेहतर तैयारी के लिए नियमित मॉकड्रिल व प्रशिक्षण आयोजित करना। • बंद एवं खराब हैण्डपम्प एवं शौचालय की सूची बनाना तथा मरम्मति सुनिष्चित करना। • मानव दवा, पशु दवा, पशु चारा आदि की उपलब्धता संबंधित विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करना। • प्रभावी अनुश्रवण हेतु सुपर जोन, जोन, उप जोन बनाना तथा पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। • समय–समय पर तैयारियों की जांच हेतु मॉकड्रिल अभ्यास करना। • प्रत्येक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाना।
प्रत्युत्तर	• आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पूर्व चेतावनी प्रदान करना तथा लोगों को शरणस्थलों पर शरण लेने के लिए अपील करना। • बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत–बचाव प्रारम्भ करना। स्थानीय पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। • स्थिति व आवश्यकता का आकलन कर सामुदायिक रसोई का संचालन करना। शरणस्थलों व सामुदायिक रसोई पर चिकित्सा शिविर लगाने हेतु संबंधित विभाग से समन्वय करना। • स्वच्छ पेयजल, ओ0आर0एस0 पैकेट तथा हैलोजन टैबलेट की व्यवस्था कराना।

	• बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नावों का संचालन करने व प्रभावितों के सुरक्षित निष्क्रमण हेतु नाविकों व गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित घाटों व चिन्हित स्थलों पर करना। • पशु चिकित्सा शिविर व पशु चारा आदि के वितरण हेतु संबंधित विभाग से आवश्यक समन्वय करना। • सहायय कार्य की रिर्पोटिंग ससमय जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना। इस हेतु आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। • विभिन्न आपदाओं के प्रति खतरनाक स्थलों की बैरिकेटिंग कराना तथा खतरे का संकेत लगाना।
राहत कार्य	• शरण स्थलों व सामुदायिक रसोई का प्रभावी संचालन करना।प्रभावित परिवारों को मूलभुत सुविधाएं उपलब्ध कराना। • क्षति आकलन की कार्रवाई करना। • राज्य सरकार के नियमानुसार प्रभावित परिवारों व मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान सहायता उपलब्ध कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में महामारी प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय करना।
पुनर्निर्माण	• आपदाओं से विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार के नियमों में आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना। • नये प्रस्तावित संरचनाओं, भवनों के निर्माण को स्थानीय स्तर पर घटित होने वाली आपदाओं के प्रति सुरक्षित व पहले से बेहतर बनाने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निदेश प्रदान करना।
नगर निगम, गया	
पूर्व तैयारी	• स्थानीय स्तर पर घटित होने वाली आपदाओं के प्रभावों के दृष्टिगत खतरा, जोखिम, नाजुकता, क्षमता आकलन करना एवं आपदावार संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र तैयार कर आवश्यक रणनीति व कार्ययोजना बनाना। • सामान्य नागरिक सुविधाओं जैसे कूड़ा–कचरा का उठाव/प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, पोर्टेबल शौचालय, जल प्याऊ, स्वीपिंग मशीन, नालों की साफ–सफाई/उड़ाही, सड़कों की मरम्मति आदि सुनिश्चित करना। • राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2005 एवं बिहार बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार भवन के नक्शों को पास करना तथा दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/विद्यालयों/अस्पतालों/भवनों/औद्योगिक ईकाइयों आदि को निर्धारित मानक पूर्ण करने व अगलगी निरोधक उपाय सुनिश्चित करने के पश्चात ही ट्रेड लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना। • नगर एवं वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करना। • आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति समझ बनाना तथा स्थानीय हितभागियों को प्रशिक्षित करना। • स्थानीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लागू करना। • जल संकट के प्रति संवेदनशील वार्डों/क्षेत्रों की पहचान करना। • रैन बसेरा में निराश्रितों/निर्धन वर्ग के आवासन की व्यवस्था मूलभूत सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, साफ–सफाई सहित सुनिश्चित करना। • राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत कार्यरत मानव बल के सहयोग से लू/हीट वेव/अगलगी से बचाव हेतु जागरूकता का प्रसार करना।

	●शहरी क्षेत्र में संचालित स्वयं सहायता समूह को भी इस संबंध में संवेदनशील बनाया जाना तथा लू/हीट बचाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर भी वितरित/चस्पा किया जा ना। ●भीषण गर्मी से राहत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जल प्याऊ की व्यवस्था करना। जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में जल टैंकर से अतिरिक्त जलापूर्ति करना। ●नियमित रूप से मौसम संबंधी सूचनाए/चेतावनी आदि का प्रसार करना।
प्रत्युत्तर	●इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल रूम/कंट्रोल रूम का संचालन 24x7 करना। आपात प्रबंधन हेतु रिस्पांस एजंसियों व विभागों से समन्वय स्थापित करना। ● आपदा की स्थिति में त्वरित रिस्पांस करना तथा बचाव एजंसियों को आवश्यक सहयोग प्रदान तथा संसाधन उपलब्ध कराना। ●घटना स्थल से मलबा व कूड़ा–कचरा का निपटान करना। ●शरण स्थलों व सामुदायिक रसोई में पेयजल, शौचालय, जलापूर्ति आदि मुहैया कराना। ● मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम व मृतकों के अंत्येष्टि में सहयोग। ●मृत पशुओं का समुचित निस्तारण कराना।
राहत कार्य	प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता उपलब्ध कराना। महामारी प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्रवाइ करना तथा प्रभावित
पुनर्निर्माण	भूकम्परोधी भवनों का निर्माण सुनिश्चत करना।
पुलिस	
पूर्व तैयारी	●डायल 112 सेवा के माध्यम से आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना। ● आपदा प्रभावित क्षेत्रों हेतु विशेष विधि व्यवस्था कार्ययोजना बनाना। ●प्रभावित क्षेत्रों में अराजक तत्वों द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याए उत्पन्न की जाती हैं, ऐसे तत्वों को चिन्हित कर आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना। ●रूट प्लान बनाना तथा पेट्रोलिंग कर रिस्पांस योजना में आवश्यक संशोधन करना। ● विभिन्न रिस्पांस एजंसियों के द्वारा आयोजित की जाने वाले मॉकड्रिल व प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। ●समय–समय पर खोज/बचाव, सुरक्षित निष्कासन व प्राथमिक उपचार से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित करना।
प्रत्युत्तर	● प्रथम प्रत्युत्तरदाता के रूप में घटना स्थल पर पहुँचना तथा संबंधित रिस्पांस एजंसियों से समन्वय करना। ● घटना स्थल पर भीड़ प्रबंधन करना एवं विधि व्यवस्था बनाए रखना। ● घटना के संबंध में तथ्यों की जांच करना तथा उच्चाधिकारियों को स्थिति से अवगत कराना। ● थाना में यू0डी0/एफ0आई0आर0 केस दर्ज करना तथा विस्तृत जांच करना।
राहत कार्य	अनुग्रह अनुदान व राहत सहायता से संबंधित आवश्यक प्रपत्र व जांच प्रपत्र जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा व संबंधित अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
भवन निर्माण विभाग, गया	
पूर्व तैयारी	नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सम्मिलित भवनों की भूकम्प, अगलगी, वज्रपात सहित अन्य स्थानीय आपदाओं के दृष्टिकोण से सुरक्षा ऑडिट करना। जर्जर भवनों को चिन्हित कर सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर रेट्रोफिटिंग अथवा धवस्त करने की कार्रवाई करना। खतरनाक भवनों पर निष्प्रायोज्य का संकेत लगाना। नवीन निर्माण होने वाले भवनों को स्थानीय आपदाओं विशेषकर भूकम्प की दृष्टि से सुरक्षित निर्माण करना।

	भवन को यदि बड़े पेड़ो से विभिन्न आपदाओं–वज्रपात, आंधी–तूफान, अतिवृष्टि, भूकम्प आदि से क्षति की सम्भावना है तो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर ऐसे पेड़ों की छटांई की कार्रवाई की जाए। भवनों की डिजाईन व निर्माण में राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2005 एवं बिहार बिल्डिंग बायॅलॉज में भवन सुरक्षा हेतु किए गए प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना। भवनों के निर्माण में समुचित निकासी मार्ग, विद्युत लोड के अनुसार पैनल, स्मोक डिटेक्टर, अग्निशमन यंत्रों का पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापन करना। तकनीकी अभियंताओं, संवदेकों, राजमिस्त्रियों, निर्माण सामग्री विक्रेताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान करना। गया जिला/गया वज्रपात की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, प्रत्येक भवन पर ताड़ित चालक/लाइटनिंग अरेस्टर अधिष्ठापित करना।
प्रत्युत्तर	रिस्पांस एजंसियों को भवन का मानचित्र तथा निष्कासन मानचित्र बनाना। संबंधित विभागों, संवेदक व राहत एजंसियों की सहायता से त्वरित राहत बचाव कार्य करना। नगर निगम तथा रिस्पांस एजंसियों को आवश्यक संख्या में उपकरण व मानव संसाधन
पुनर्निर्माण	भवन संरचनाओं को विभिन्न आपदाओं के दृष्टिगत सुरक्षित बनाना।
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गया	
पूर्व तैयारी	विद्युतीय संरचनाओं के समीप के वृक्ष की टहनी की कटायी–छंटायी करना। जर्जर एवं झुलते तार को बदलना तथा उनका सुदढ़ीकरण करना। वद्युतीय दुर्घटनाओ से होने वाली क्षति अथवा रोकथाम हेतु सामान्य समय एवं आपदा के समय जनता के सहयोग के लिये जागरूकता अभियान संचालित करना। आवश्यकतानुसार बिजली तड़ित चालक को स्थापित करना।
प्रत्युत्तर	वितरण संयंत्रो की शीघ्रतम मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति को शीघ्रता से चालू करने की योजना, जिससे महत्वपूर्ण संस्थान यथा अस्पताल, स्कूल, टेलिविजन केन्द्र, जल आपूर्ति, दूरसंचार, प्रशासनिक संस्थान इत्यादि कार्यरत रह सके। स्तरीय/शक्ति उपकेन्द्रो में 24X7 कार्यरत नियन्त्रण कक्ष का सतर्कता से संचालन।
राहत कार्य	मुआवजा आपदा से हुई विद्युत संरचनाओ की क्षति का आकंलन कर बीमा हेतु दावा करना।
पुनर्निर्माण	विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, सचंरण प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करना।
जिला स्वास्थ्य समिति, गया	
पूर्व तैयारी	सुनिश्चित करना कि शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों व सदर अस्पताल में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं संचालित हैं। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी सुचारू रूप से उपलब्ध है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के प्रति समुदाय को जागरूक करना। सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 पैकेट, आई0वी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था है। ए0एन0एम0, आशा व आगंनबाड़ी सेविकाओं को भी ओ0आर0एस0 पैकेट, डायरिया बचाव व प्राथमिक रूप से उपयोग में लायी जाने वाली दवाए् उपलब्ध करा दी गई हैं, इनके माध्यम से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने के संबंध में समुदाय स्तर पर जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करना कि लू,डायरिया, इंफ्लुएंजा, वायरल बुखार, ए.ई.एस. अगलगी आदि आपात स्थिति में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल चिकित्सा दल/क्यू. आर.टी गठित है तथा कार्यशील है। समुदाय स्तर पर जागरूकता बैठकों, पम्पलेट/पोस्टर का वितरण, नुक्कड़ नाटक, सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना। आवश्यक दवाओं व अन्य चिकित्सकीय सामग्री की व्यवस्था सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित करना।

प्रत्युत्तर	एंबुलेंस सेवा का प्रभावी रूप से संचालन करना। आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करना। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाना तथा प्रभावितों का उपचार करना व आवश्यक सलाह प्रदान करना। पर्याप्त संख्या में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चिकित्सा दल की प्रतिनियुक्ति प्रभावित क्षेत्रों में करना। मानव क्षति का विवरण रखना तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करना। संबंधित विभागों व परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराना ताकि नियमानुसार अनुग्रह अनुदान का लाभ आश्रितों को प्राप्त हो सके।
राहत कार्य	प्रभावित क्षेत्रों में महामारियों के प्रसार का खतरा रहता है, ऐसी स्थिति में अति–संवेदनशील क्षेत्रों में विसंक्रमण व कीटनाशक के छिड़काव की कार्रवाई करना।
पुनर्निर्माण	क्षति आकलन कर स्वास्थ्य संरचनाओं व अस्पतालों की मरम्मति करना।
अग्निशामालय, गया	
पूर्व तैयारी	अगलगी बचाव/अग्निक कर्मियों के सम्पर्क विवरण से संबंधित पम्पलेट वितरित करना। विद्यालयों, सामुदायिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निसुरक्षा प्रशिक्षण, मॉकड्रिल कार्यक्रम, जागरूकता गतिविधियां–नुक्कड़ नाटक, एल0ई0डी0 शो व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। सुरक्षा मानकों/राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड/बिहार बिल्डिंग कोड के अनुरूप पाए गए प्रतिष्ठान/संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए प्रतिष्ठान/संस्थान के विरूद्ध प्रषासनिक कार्रवाई करना एवं दण्ड का प्रावधान करना। समय–समय पर संबधित हितभागियों का प्रशिक्षण आयोजित करना। फायर हाइड्रेन्ट व प्रमुख जलाशयों की सूची तैयार करना। महत्वपूर्ण उपकरणों व संसाधनों की मरम्मति करना तथा उपकरणों की दक्षता व क्रियाशीलता की जांच करना। संवेदनशील क्षेत्रों व स्लम एरिया की पहचान करना तथा ऐसे क्षेत्रों में फायर टेंडर की प्रतिनियुक्ति करना। अन्य विभागों व रिस्पांस एजंसियों के समन्वय में मॉक ड्रिल करना। रूटमैप बनाना तथा वैकल्पिक मार्गों का भी मानचित्रण करना। संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सूचना व्यवस्था के लिए स्थानीय महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सम्पर्क विवरण रखना। जन समुदाय को जीवन बीमा व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जनरल/प्रापर्टी के लिए प्रोत्साहित करना।
प्रत्युत्तर	अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निकाण्ड की घटना की सूचना प्राप्त होते ही 02 मिनट के अन्दर फायर टेंडर घटना स्थल की ओर प्रस्थान करना अन्य रिस्पांस एजंसियों के सहयोग से प्रभावित व्यक्तियों को अस्पताल पहुचाने की कार्रवाई करना।
राहत कार्य	घटना के कारणों की विवेचना करना तथा क्षति आकलन करना।
ट्रैफिक उपाधीक्षक, गया	
पूर्व तैयारी	ट्रैफिक की कार्ययोजना बनाना। वैकल्पिक मार्गों के बारे में आमजन को जागरूक करना। रेडियों व नियन्त्रण कक्ष, नगर निगम, गया के डिस्पले के माध्यम से नागरिकों को ट्रैफिक अपडेट उपलब्ध कराना। विभिन्न चौक–चौराहों पर प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मियों की स्वास्थ्य जांच कराना। चौक–चौराहों पर प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मियों हेतु शेड, पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना।
प्रत्युत्तर	घटना की सूचना की प्राप्ति होने पर ट्रैफिक प्रबंधन करते हुए रिस्पांस एजंसियों को ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराना। संचार तंत्र को क्रियाशील रखना।

भारत संचार निगम लिमिटेड, गया/दूरसंचार सेवा प्रदाता एजेंसियां	
पूर्व तैयारी	संचार सेवाओं को निर्बाध संचालित करना। आपदाओं की दृष्टि से दूरसंचार टावरों को कार्यशील रखने हेतु वैकल्पिक ईंधन रूप से अतिरिक्त ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित करना। आपातकालीन सेवाओं से संबंधित नम्बरों में दूरसंचार व इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रावधान करना। एस0एम0एस0 व जिंगल संदेशों से आमजन को आपदाओं से बचाव के संबंध में जागरूक करना।
प्रत्युत्तर	क्षतिग्रस्त टावरों व संरचनाओं की त्वरित मरम्मति कर दूरसंचार व इंटरनेट सेवाओं को बहाल करना।
जिला परिवहन पदाधिकारी, गया	
पूर्व तैयारी	वाहनों की सुरक्षा जांच करना तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों व नाबालिग चालकों के परिजनों के विरूद्ध नियमानुसार दण्ड की कार्रवाई करना। सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाने हेतु विविध गतिविधियां यथा नुक्कड़ नाटक, विजुवल शो, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं का आयोजन, चित्रांकन, दीवार लेखन, नारा लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। वाहनों में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आमजन हेतु आवश्यक एडवाइजरी जारी करना। वाहनों में एल0ई0डी लाइट, रेडियम टेप, डीपर, आदि लगाने हेतु जागरूकता अभियान का संचालन करना। वाहनों में प्राथमिक उपचार किट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। सड़क सुरक्षा आधारित अच्छी आदतों जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, निर्धारित गतिसीमा में वाहनों को संचालित करने को प्रोत्साहित करना।
प्रत्युत्तर	रिस्पांस एजेंसियों को वाहन, ईंधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना।
कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, गया	
पूर्व तैयारी	जन–जागरूकता के अन्तर्गत होर्डिंग्स आदि की व्यवस्था, स्कूल एवं आबादी के पास स्पीड ब्रेकर का निर्माण करना मुख्य सड़क में बने दरार (Breaches) एवं सड़क के गड्ढ़े की भराई सुनिश्चित करना। मार्गो पर बने मध्य ह्वाइट डिवाइडर लाइन, साइड डिवाडर लाइन एवं जेब्रा लाइन आदि को स्पष्टता से प्रदर्शित करवाना। सड़क दुर्घटना के प्रति संवेदनशील स्थलों पर सचेतक बोर्ड स्थापित करना। सड़कों पर दुर्घटना बाहुल्य (Black spot) क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना एवं सचेतक बोर्ड स्थापित करना। बड़े पुलों के पहुँच पथ पर शार्प टर्निगं कर्व के आउट साइड में क्रास बैरियर्स स्थापित करना। स्कूल एवं अस्पतालों के पास स्पीड लिमिट जोन एवं नो हैवी जोन का बोर्ड स्थापित करना। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर जनता को जीवन रक्षा के सन्दर्भ एवं यातायात के नियम पर जागरूक करना।
प्रत्युत्तर	घटना के दौरान लिकं रोड की क्षति की जानकारी प्राप्त करना तथा अर्ली रिकवरी हेतु योजना के क्रियान्वयन पर कार्रवाई सम्पादन सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त सड़को की त्वरित स्थानीय संसाधनों के माध्यम से मरम्मत सुनिश्चित करना।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया	
पूर्व तैयारी	जन–वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन करना। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राशन वितरण सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित करना।
प्रत्युत्तर	प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत सहायता उपलब्ध कराना।
समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	

पूर्व तैयारी	आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन करना तथा 3–5 आयुवर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकन सुनिश्चित करना। नामांकित बच्चों को हॉटकुक भोजन उपलब्ध कराना। धात्री महिलाओं, गर्भवती महिलाओं व 0–5 आयु वर्ग के बच्चों की सूची बनाना तथा प्रशासन को उपलब्ध कराना। पोषण, स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल हेतु प्रदर्षन व व्यवहार परिवर्तन गतिविधियां करना। आंगनबाड़ी में बच्चों को विभिन्न खेल गतिविधियों से आपदाओं के बचाव हेतु जागरूक करना । महिलाओं व किशोरी समूह की बैठकों में आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, शौचालय का प्रयोग आदि के बारे में जागरूकता का प्रसार करना। आंगनबाड़ी केन्द्रों में अग्निशामक यंत्र व फायर बकेट अधिष्ठापित करना।
प्रत्युत्तर	शरण स्थलों पर वैकल्पिक रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन करना। गर्भवती महिलाओं की जांच व प्रसव में सहयोग करना। शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता व शौचालय का प्रयोग पर जागरूक करना।
कार्यपालक अभियंता जल संसाधन, गया	
पूर्व तैयारी	स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी एवं कार्यपालक पंचाने नदी पर अवस्थित तटबंधों की निगरानी करना तथा क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मति करना। स्थानीय स्तर पर बाढ़ अनुश्रवण समिति का गठन करना। नगरीय क्षेत्र में जलनिकासी एवं प्रबंधन हेतु तटबंधों व कनेक्टिंग नालों पर स्थापित स्लुईस गेट की ग्रिसींग करना तथा मरम्मति कर कार्यशील करना। तटबंधों की निगरानी एवं मरम्मति हेतु आवश्यक संख्या में तकनीकी अभियंताओं, कर्मियों, संवेदकों व श्रमिकों की प्रतिनियुक्ति करना। बाढ़ निरोधक परियोजनाओं को ससमय अवधि में पूर्ण करना।
प्रत्युत्तर	नदी के जल स्तर, वर्षापात एवं मौसम संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करना तथा आवश्यक कार्रवाई करना। बांध के टूटान बिंदु या क्षतिग्रस्त भाग की तुरंत मरम्मति करने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करना।
पुनर्निर्माण	बाढ़ निरोधक कार्यों हेतु तटबंधों का क्षति आकलन करना।
कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन, गया	
पूर्व तैयारी	जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत जल जीवन हरियाली अर्न्तगत संचालित परियोजनाओं का संचालन करना। जल संचयन व वाटर रिचार्ज की योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना तथा प्रभावी रणनीति बनाना। बंद व खराब ट्यूबवेल की मरम्मति करना। नहरों एवं नालियों की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों के साथ रणनीति बनाना। सिंचाई तथा अगलगी से बचाव हेतु पर्याप्त संख्या ट्यूबवेल को स्थापित करना। ट्यूबवेल आपरेटर की प्रतिनियुक्ति करना तथा संबंधित विभागों/स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए संचार योजना बनाना।
प्रत्युत्तर	नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना तथा हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार प्रसार करना। नगरीय क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति होने पर नगर निगम, गया द्वारा मांग किए जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ट्यूबवेल से टैंकरों में जल उपलब्ध कराना। अगलगी की स्थिति में फायर टेंडर को पुनर्जलभरण करने में सहायता करना।
पुनर्निर्माण	बड़े तालाबों में जल–जमाव व बाढ़ के कारण गाद होने पर गाद हटाने की कार्रवाई करना। क्षंतिग्रस्त नहरों व ट्यूबेल की मरम्मति करना।
वन प्रमण्डल, गया	
पूर्व तैयारी	शहरी क्षेत्र में वृक्षों की कटान को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई करना।

	शहरी क्षेत्र में जल, जीवन, हरियाली अभियान के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना तथा वृक्षों का रखरखाव सुनिश्चित करना। चक्रवात, आंधी–तूफान, भूकम्प आदि दौरान प्रभावित होने वाली संभावित संरचनाओं जैसे विद्युत तार, ट्रांसफारमर, कमजोर भवन आदि के निकट अवस्थित वृक्षों की आंशिक छंटाई करना। आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। आमजन को वृक्षों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
प्रत्युत्तर	रिस्पांस कार्य हेतु टास्क फोर्स को प्रभावित क्षेत्रों में राहत–कार्यों के संचालन हेतु भेजना। चक्रवात, आंधी–तूफान, बाढ़, अगलगी, वज्रपात, भूकम्प, सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त वृक्षों को संबंधित विभाग से समन्वय करते हुए हटाना। सड़कों पर यदि वृक्ष
पुनर्निर्माण	जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्थानीय पहल व जागरूकता द्वारा कम करना स्थानीय परिवेश के अनुकूल पौधरोपण को बढ़ावा देना। सार्वजनिक भवनों, विद्यालयों, सरकारी भूमि आदि स्थलों में अकीरा मियावाकी जैसी पद्धति से छोटे–छोटे वन क्षेत्र विकसित करना।
जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालय, गया	
पूर्व तैयारी	मीडिया प्रतिनिधियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका आधारित कार्यशाला व संवाद कार्यक्रम आयोजित करना। सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों जैसे बैनर, पोस्टर, नुक्कड नाटक, लोकगीत, लोक विधाओं आदि के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के रोकथाम के बारे में जागरूकता का प्रसार करना। मीडिया प्रतिनिधियों को आपदाओं से बचाव व आपातकालीन प्रबंधन से संबंधित पूर्व चेतावनियों, सलाह, सुझाव, लेखन सामग्री आदि उपलब्ध कराना ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक संदेश का प्रसार हो सके। रेडियो, टेलीविजन आदि में वीडियो, जिंगल, ऑडियो आदि उपलब्ध कराना तथा इस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों का साक्षात्कार कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
प्रत्युत्तर	मीडिया को अधिकारिक व विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराना। आपदा में मृत व्यक्तियों, घायल व्यक्तियों, मृत पशुओं, घायल पशुओं, क्षतिग्रस्त संरचनाओं आदि के संबंध पुष्टि प्राप्त सूचनाए प्रदान करना विभिन्न विभागों, रिस्पांस एजंसियों, राहत कर्मियों से संवाद स्थापित करना तथा राहत–बचाव कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेना तथा इंसीडेंट कमांडर से सहमति प्राप्त करते हुए मीडिया बुलेटिन जारी करना। आपदाओं के दौरान अफवाहें फैलने की आंशका होती हैं, इसके प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। घटनास्थल पर विधि व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन व शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीडिया व स्थानीय सम्भ्रांत व्यक्तियों से समन्वय कर अपील जारी करना। भ्रामक व अपुष्ट खबरों का खण्डन करना तथा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना।
राहत कार्य	अनुग्रह अनुदान व राहत कार्यों से संबंधित सूचनाओं को संबंधित विभागों से संकलित कर मीडिया को उपलब्ध कराना।
मीडिया	
पूर्व तैयारी	विभिन्न आपदाओं से बचाव के संबंध में संबंधित हितभागियों व विशेषज्ञों से सूचनाएं प्राप्त कर समाचार, लेख, केस स्टडी प्रकाशित करना। इलेक्ट्रानिक मीडिया में विशेषज्ञों व पदाधिकारियों का साक्षात्कार प्रसारित करना। आमजन को मौसम संबंधी पूर्वानुमान/सूचनाओं, नदियों का जल स्तर, संवेदनशील स्थलों, प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी आदि उपलब्ध कराना।

प्रत्युत्तर	आधिकारिक, विश्वसनीय व तथ्यपरक सूचनाओं को प्रसारित करना। अफवाहों के प्रबंधन व रोकथाम में प्रशासन को सहयोग प्रदान करना। राहत–कर्मियों को बचाव कार्य में सहूलियत हो इस हेतु अपील जारी करना।
राहत कार्य	जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई सूचनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित करना। प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की दस्तावेजीकरण, महत्वपूर्ण समय/तिथि व अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करना।
गैर सरकारी संगठन/सामुदायिक संगठन	
पूर्व तैयारी	शहरी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जलवायु अनुकूलन, पर्यावरण, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास संबंधी परियोजना तथा गतिविधियों का संचालन करना। आपदाओं से बचाव के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करना। जोखिमों, संवेदनषीलता, स्थानीय मुद्दों, उपलब्ध संसाधनों व स्वयंसेवकों के बारे में प्रशासन को सूचनाएं उपलब्ध कराना। आपदाओं के प्रति अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में स्वच्छता, शौचालय का प्रयोग व स्वच्छ पेयजल के प्रति लोगों को जागरूक करना।
प्रत्युत्तर	राहत–बचाव में जिला प्रशासन को सहयोग करना। प्रशासन के सहयोग से प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों का वितरण करना। महामरियों के प्रबंधन में सहयोग करना तथा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
राहत कार्य	स्थानीय समुदाय को दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना।
पुनर्निर्माण	आपदा जोखिम न्यूनीकरण आधारित नवाचार करना तथा समुदाय आधारित परियोजनाओं का संचालन करना।
बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स, गया	
पूर्व तैयारी	व्यावसायिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अगलगी, भूकम्प, रिसाव, औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं से बचाव हेतु सुरक्षात्मक कार्रवाई करना। प्रतिष्ठानों में आपदाओं से निपटने व बचाव हेतु आवश्यक उपकरणों को अधिष्ठापित करना। प्रतिष्ठानों की नियमित सुरक्षा व फायर ऑडिट कराना। आपदाओं व दुर्घटनाओं से दक्ष कर्मियों की नियुक्ति करना। प्रतिष्ठान के कर्मियों को प्रशासन व अग्निशामालय से समन्वय कर बचाव विधियों पर उन्हे प्रशिक्षित करना। सी0एस0आर0 गतिविधियों में आपदा प्रबंधन संबंधी परियोजनााओं के संचालन को महत्व देना।
प्रत्युत्तर	प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। प्रशासन के सहयोग से राहत वितरण कार्य प्रभावित क्षेत्रों में करना।
जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, गया	
पूर्व तैयारी	वृद्ध, लाचार, दिव्यांग, विधवा, भिक्षुक के पुनर्वास व सामाजिक संरक्षण से संबंधित योजनाओं से लाभान्वित करना। कौशल विकास, वैकल्पिक आजीविका, स्वयं सहायता समूह आदि से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों से ऐसे नाजुक समूह को जोड़ने का प्रयास करना। ऐसे समूहों पर आपदाओं के पड़ने वाले संभावित प्रभावों का अध्ययन करना तथा बचाव हेतु आवश्यक करना। प्रशासन को ऐसे नाजुक समूह की सूची उपलब्ध कराना।
प्रत्युत्तर	राहत–बचाव कार्य में वृद्ध, लाचार, दिव्यांग, विधवा, भिक्षुक आदि को प्राथमिकता करना तथा उन्हे सुरक्षित स्थलों पर शरण उपलब्ध कराना।
राहत कार्य	नियमानुसार अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराना।
जिला बाल संरक्षण कार्यालय, गया	
पूर्व तैयारी	रेलवे/बस स्टेशनों व भटकने वाले बच्चों का बाल गृह में पुनर्वास करना। बाल गृह के पदाधिकारियों, काउंसलर, कर्मियों व आवासित बच्चों/किशोरों हेतु आपदाओं से बचाव संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करना।

अध्याय–7

क्षमता निर्माण आधारित गतिविधियों के संचालन संबंधी कार्ययोजना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 6 में स्थानीय प्राधिकारी शीर्षक के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य का स्पष्ट उल्लेख है। इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अनुसार–

(1) स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुये–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकारिक मानकों और विनिर्देशो के अनुरूप है।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रिया कलाप करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय का सकेगा जिन्हें आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे ।

7.1 संस्थागत क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

नगर आपदा प्रबंधन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 के घोषित लक्ष्यो उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टिकोण से नगर निगम के सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों, अभियंताओं, अग्रिम पंक्ति के कर्मी एवं स्वयंसेवक जनप्रतिनिधियों का क्षमता वर्द्धन के उद्देश्य से प्रशिक्षण तथा जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ही आयोजित करना अत्यंत ही आवश्यक हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी हितभागियो तथा नियोजित कर्मियों के कौशल को मजबूती प्रदान करना तथा उनकी निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न आयामों तथा जटिलताओ के प्रति अवधारणा (Concept) प्रमाणिक जानकारी (Authentic information) कौशल (Skill) दृष्टिकोण (Attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (Personal Quality) विकसित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण के अंतर्गत पदाधिकारियों, जन प्रतिनिधियों व कर्मियों के लिए नगर क्षेत्र के लिए चिह्नित बहु आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–30 में किये गए प्रावधानों के अनुरूप क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। संस्थागत क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नगर निगम, बिहार की नगर विकास योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तत्वों का समावेश करना तथा भविष्य में घटित होने वाली आपदाओं व दुर्घटनाओं से निपटने के लिए स्थानीय क्षमताओं में वृद्धि करना। इसके साथ–साथ आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, स्थानीय समुदाय व लोगों को भी खतरे एवं जोखिम को पहचान तथा उससे बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा।

गया नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मियों का संस्थागत प्रशिक्षण

तालिका–29

क्र. सं.	लक्ष्य समूह	प्रशिक्षण का विषय	माह एवं अवधि	तकनीकी सहयोग
1	मेयर / उपमेयर नगर निगम के पदाधिकारी वार्ड पार्षद नगर निगम के कर्मी एवं लिपिक	नगर निगम, गया में घटित होने वाली आपदाओं के न्यूनीकरण तथा वार्ड स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधनों के आधार पर आपदाओं से निपटने की कार्ययोजना बनाना। वार्ड की विकास योजना में बाढ़, जल–जमाव, अगलगी, भूकम्प, वज्रपात, सड़क दुर्घटना जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक	शपथ ग्रहण के 1 माह के भीतर (3 दिवसीय) तथा प्रत्येक 6 (जनवरी)–6 (जुलाई) माह में समीक्षा बैठक (1 दिवसीय)	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया एस0डी0आर0एफ0 एन0डी0आर0एफ0 गैर सरकारी संगठन
2	मेयर / उपमेयर नगर निगम के पदाधिकारी वार्ड पार्षद	वार्डों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्ययोजनाओं व गतितिविधियों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु वार्ड स्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों का सशक्तिकरण एवं क्षमतावर्द्धन	प्रत्येक वर्ष में एक बार (अप्रैल माह)	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया
3	सभी संबंधित हितभागी	शीतलहर से बचाव एवं प्रबंधन शीतलहर से राहत हेतु कम्बल वितरण व रैनबसेरा का प्रभावी संचालन संबंधी कार्ययोजना कोहरा के दौरान सड़क दुर्घटना के रोकथाम संबंधी उपाय	प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया जिला परिवहन पदाधिकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक कोषांग, गया
4	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी वेण्डर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि नगर निगम अन्तर्गत सरकारी एवं निजी कार्यालयों के पदाधिकारी सम्बद्ध सिविल अभियंता एवं आर्किटेक्ट भवन निर्माण संवेदक भवन निर्माण सामग्री के प्रमुख विक्रेता	भूकम्परोधी भवन निर्माण तथा भवनों में अगलगी की रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण सभी प्रकार के भवनों का सुरक्षा जांच एवं फायर ऑडिट राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2005 एवं बिहार बिल्डिंग बॉयलॉज का अनुपालन	प्रत्येक वर्ष (जनवरी) माह में प्रत्येक 3–3 माह पर समीक्षात्मक बैठक	नगर निगम, गया भवन निर्माण विभाग जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया जिला अग्निशामालय
5	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी स्थानीय स्वयंसेवक स्थानीय युवक एवं युवती स्थानीय नाविक एवं गोताखोर वेण्डर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि नगर निगम अन्तर्गत सरकारी एवं निजी कार्यालयों के कर्मी	विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव की विधियां बेसिक मेडिकल रिस्पांस / प्राथमिक उपचार आधारित क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण	प्रत्येक माह में अलग–अलग लक्ष्य समूह हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया एस0डी0आर0एफ0 एन0डी0आर0एफ0 जिला अग्निशामालय जिला रेडक्रास सोसाइटी गैर सरकारी संगठन

6	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी आटो एसोशिएसन वेण्डर	वायु प्रदूषण पर संबंधित हितभागियों का संवेदीकरण प्रशिक्षण	अक्टूबर माह में	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के स्थानीय प्रतिनिधि।
7	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी इच्छुक नागरिक एवं स्वयंसेवक	जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु रूफ टॉप उद्यानीकरण एवं वायु प्रदूषण से रोकथाम वाले पौधे लगाने संबधी प्रशिक्षण	फरवरी माह	जिला कृषि पदाधिकारी जिला उद्यान पदाधिकारी
8	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी	शहरी वन प्रबंधन एवं वन आच्छादन बढ़ाने हेतु क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण	जून माह में	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया
9	चिकित्सक पैरामेडिकल कर्मी ए0एन0एम0 आशा कार्यकर्ता	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महागारी अधिनियम 1897 महामारी (संसोधन) अधिनियम–2020 कोरोना प्रबंधन ऑक्सीजन प्लांट का परिचालन रख–रखाव तथा नई तकनीकों की जानकारी।	आवश्यकतानुसार	सिविल सर्जन, गया एवं नगर निगम, गया
10	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी	शहरी क्षेत्र में प्रभावी स्वच्दता एवं पेयजल/जलापूर्ति प्रबंधन पर प्रशिक्षण	आवश्यकतानुसार	नगर निगम, गया
11	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी	भीषण गर्मी/लू प्रबंधन तथा सूखा प्रबंधन	मार्च माह में	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया
12	सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक सभी विद्यार्थी विद्यालय प्रबंधन समिति	मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सुरक्षित शनिवार के क्रियान्वयन से सबंधित प्रशिक्षण	नियमित	शिक्षा विभाग एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया
13	लेडी सुपरवाइजर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका आशा कार्यकर्ता	बच्चों को कुपोषण से बचाव तथा महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव संबंधी प्रशिक्षण	आवश्यकतानुसार	आई0सी0डी0एस0 एवं सिविल सर्जन, गया
14	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण ।	अप्रैल माह में	प्रोग्रामर एवं जिला आई0टी0 मैनेजर
15	संबंधित जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी संबंधित धर्म स्थल के प्रबंधक/प्रतिनिधि	गया के अन्तर्गत अवस्थित विभिन्न धर्म स्थलों में भीड़ प्रबंधन व अगलगी रोकथाम के उपाय करने संबंधी प्रशिक्षण	सितम्बर माह में	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया
16	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी मीडिया कर्मी	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 आपदा विषयों पर लेखन कार्य से समाज को जागृत करना बेहतर पर्यावरण हेतु प्रचार–प्रसार आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका	अप्रैल माह में	जिला सूचना जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गया नगर
17	गोताखोर एवं नाविक	नाव दुर्घटना की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यशाला	अप्रैल माह में	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया
18	सभी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी	शहरी क्षेत्र में तटबंधों व स्लुईस गेटों का रखरखाव एवं मरम्मति	अप्रैल माह में अगस्त माह तक नियमित अनुश्रवण	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया

				कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, गया
19	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग से संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी	नगर बाढ़/जलजमाव प्रबंधन आधारित प्रशिक्षण वार्डवार जल निकासी योजना नालों की उड़ाही/साफ–सफाई	अप्रैल माह में जुलाई एवं सितम्बर माह में समीक्षा बैठक	जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन, गया
20	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी	महामारी प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण	संवेदनशीलता के अनुसार एवं आउट ब्रेक	सिविल सर्जन, गया
21	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी संबंधित धर्मस्थलों के प्रबंधक	मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार दुर्गापूजा एवं छठ पूजा में की जाने वाली कार्रवाई एवं भीड़ प्रबंधन हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में कार्ययोजना निर्माण तथा	सितम्बर/अक्टूबर माह में	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया
22	स्वय सहायता समूह	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित स्वयं सहायता समूहों का वैकल्पिक आजीविका श्रोतों पर क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण	नियमित रूप से	नगर निगम, गया
23	सिविल इंजीनियर तथा राजमिस्त्री	भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण	आवश्यकतानुसार	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया
24	व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि औद्योगिक ईकाइयों के प्रतिनिधि	औद्योगिक दुर्घटनाओं व विद्युत शार्ट सर्किट की रोकथाम पर प्रशिक्षण मानक विद्युत उपकरणों का प्रयोग	प्रत्येक 4 माह के अन्तराल पर	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गया अग्निशमन पदाधिकारी, गया
25	शहरी क्षेत्र के इच्छुक व्यक्ति	वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर एक दिवसीय प्रशिक्षण	आवश्यकतानुसार	जिला उद्यान पदाधिकारी, गया नगर निगम, गया।
26	भीड़ प्रबंधन से संबंधित विभाग एवं हितभागी	विष्णुपद मंदिर एवं मेला क्षेत्र में आयोजित होने वाले पितृपक्ष मेला में भीड़ प्रबंधन एवं श्रद्धालुआ हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं संबंधी क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण	अगस्त माह में सितम्बर माह में समीक्षात्मक बैठक	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया नगर निगम, गया।
27	आपदाओं के दौरान वैकल्पिक रोजगार के अवसरों पर क्षामतावर्द्धन आधारित प्रशिक्षण का आयोजन	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं दीन दयाल अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 3 माह पर आपदावार प्रशिक्षण	प्रत्येक 3 माह	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया नगर निगम, गया।
28	गया शहर के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0)	स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) का आपदा जोखिम न्यूनीकरण आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रत्येक माह	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया नगर निगम, गया।

7.2 समुदाय तथा सामुदायिक संस्थाओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम

स्थानीय नगर निकाय के सदस्यों शहरी विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकरियों को जोखिम विश्लेषण, जोखिम की पूर्ण जानकारी के साथ योजनाओं के निरूपन स्वीकृति तथा जोखिम अनुकूलित पहल के लिए एक प्रभावी क्षमता वर्द्धन कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला प्रदर्शनी ज्ञानवर्द्धन परिभ्रमण, निर्णय सहायक उपकरण से निम्न विधाओ से परिचित कराया जायेगा।

क्र.सं.	हितधारक	प्रशिक्षण माड्यूल
1	नगर निगम एवं शहरी विकास तथा आवास विभाग के कर्मी, प्रथम पक्ति के कर्मी (सफाई कर्मी) सामुदायिक सेवा संस्थायें तथा स्वयं सेवक	• जोखिम विश्लेषण, जोखिम की जानकारी के साथ विकास योजना का निरूपण । • जोखिम अनुकूलन से संबंधित चेक लिस्ट के आलोक में क्रियान्वयन की पहल ।
2	सामुदायिक आपदा प्रत्युत्तर दल	• सभी तरह की मानक संचालन प्रक्रिया, पूर्व तैयारी तथा प्रत्युत्तर क्रियायें ।
3	वास्तुविद, भवन निर्माण, अभियंता, अधिदर्शक (Supervisor) तथा राज मिस्त्री	• भूकंप जोन (4) के अनुसार बिहार भवन निर्माण उप संहिता 2014 के ससंगत प्रावधानों के आलोक में भवन निर्माण के मानक तथा रेट्रोफिटिंग के तरीके।
4	नागरिक परिषद, युवा क्लब के सदस्य कॉलेज के छात्र–छात्रायें, शिक्षक, दुकानदार, युवा स्वयंसेवक	• प्राथमिक उपचार • ट्रैफिक नियम • सुरक्षित वाहन चालन (धुंध, कुहासा सहित सभी परिस्थितियों में) • वाहन की फिटनेस के संबंध में • दुर्घटना हो जाने पर नजदीकी पुलिस तथा ट्रामा सेन्टर से संपर्क करने के संबंध में।
5	स्वयं सहायता समूह	• वैकल्पिक आजीविका, कौशल विकास

तालिका–30

7.3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण सामुदायिक जन–जागरूकता

जागरूकता अभियान एवं संवेदीकरण कार्यक्रमों को संचालित कर गया शहर में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विभागों, हितभागियों, शहरी निकाय के प्रतिनिधियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, आमजन को आपदाओं के प्रभावों के रोकथाम तथा समुचित प्रत्युत्तर के प्रति प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस कार्य को आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी संचालित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों से संरेखित भी किया जा सकता है। इस प्रायोजन हेतु विभिन्न आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए तैयार आई.ई.सी. सामग्री का उपयोग कर समुदाय स्तर पर नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, सोशल मीडिया, एफएम रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। वार्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन को सशक्त करने के लिए विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कार्यदल का गठन किया जा सकता है, इसकी जवाबदेही होगी कि वे हितधारक समूह के प्रतिनिधियों तथा स्थानीय स्वयं सेवक को जन–जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित व प्रशिक्षत करें। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव– सलाह का प्रसार किया जा सकता है। इन सामग्रियों को *बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाईट (www.bsdma.org/ouractivities) विषय पर क्लिक करके देखा जा सकता है। भविष्य में नगरीय आपदा प्रबंधन के दृष्टिगतं आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षिण मॉड्यूल का सहयोग भी लिया जा सकता है।*

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम की कार्ययोजना (तालिका–31)

क्र0स0	प्रस्तावित जागरूकता गतिविधि का विवरण	लक्ष्य समूह	गतिविधि का प्रकार/माध्यम
1.	शीतलहर से बचाव	सभी वार्ड	नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया जागरूकता, सुरक्षा सलाह
2.	भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के दौरान विविध गतिविधियों का संचालन	चिन्हित संवेदनशील क्षेत्र	नुक्कड़ नाटक, पम्पलेट, पोस्टर,
3.	अग्निसुरक्षा जागरूकता सप्ताह के अर्न्तगत विभिन्न जागरूकता गतिविधि	सभी वार्ड स्लम क्षेत्र, व्यावसायिक प्रतिष्ठान	नुक्कड़ नाटक, मॉकड्रिल, एल0ई0डी0 शो

4.	भीषण गर्मी/लू से बचाव तथा प्रबंधन	सभी वार्ड	नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया जागरूकता, सुरक्षा सलाह
5.	सड़क दुर्घटना से रोकथाम, सड़क सुरक्षा से संबंधित बैनर	सभी वार्ड एवं ब्लैक स्पॉट के आसपास के समुदाय	नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी, साईकिल जागरूकता
6.	बाढ़, डूबने से बचाव, वज्रपात तथा चक्रवात से बचाव हेतु जनजारूकता	सभी वार्ड बाढ़/जल जमाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्र	मॉकड्रिल एवं प्रशिक्षण
7	शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा सुरक्षित कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय सुरक्षा तथा विभिन्न आपदाओं/प्रदूषण से बचाव पर विद्यार्थियों को नियमित आपदा से बचाव के टिप्स तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन ।	सभी वार्ड सभी विद्यालय	शिक्षण सत्रों का आयोजन
8	वायु प्रदूषण रोकथाम संबंधी जागरूकता	सभी वार्ड सभी विद्यालय	नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन, दीवार पेंटिग
9	ध्वनि प्रदूषण रोकथाम हेतु जागरूकता	सभी वार्ड सभी विद्यालय	प्रभात रैली एवं नुक्कड़
10	सूखा, गीला कचरे का पृथ्क्कीकरण आधारित जागरूकता	सभी वार्ड सभी विद्यालय	जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन, दीवार पेंटिग
12	पर्यावरण संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण आधारित जागरूकता	सभी वार्ड सभी विद्यालय	नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन, दीवार पेंटिग
13	विद्युत संरक्षा एवं सुरक्षा	सभी वार्ड सभी विद्यालय	जागरूकता रैली
14	जैवविविधता संरक्षण आधारित जागरूकता	सभी वार्ड सभी विद्यालय	चित्रांकन प्रतियोगिता
15	शहरी क्षेत्र में हरित आवरण बढाने तथा वृक्षारोपण आधारित जागरूकता कार्यक्रम	सभी वार्ड सभी विद्यालय	जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन, दीवार पेंटिग
16	जल जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत जल संरक्षण आधारित जागरूकता कार्यक्रम	सभी वार्ड सभी विद्यालय	नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन, दीवार पेंटिग

7.4 मॉकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन (तालिका–32)

नगर निगम, गया में विभिन्न आपदाओं की संवेदनशीलता के प्रभाव को कम करने, संस्थानों की क्षमता वृद्धि तथा विभागों/रिस्पांस एजंसियों के बीच तालमेल बेहतर कर प्रत्युत्तर क्षमता बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्र में चिन्हित आपदाओं पर आधारित मॉकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन निम्नवत् किया जा सकता है–

क्र0 स0	मॉकड्रिल का विषय	मह	संबंधित विभाग
1.	विद्यालयों में विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु ''सुरक्षित शनिवार'' के अन्तर्गत मॉकड्रिल सत्रों का आयोजन	नियमित	शिक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग, पुलिस, नगर निगम, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया
2.	भूकम्प आधारित संयुक्त मेगा मॉकड्रिल (औद्योगिक संस्थान)	वर्ष में 1 बार	सभी आपात सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजंसियां, हितभागी संस्थाएं
3.	बाढ़ आधारित संयुक्त मॉकड्रिल (बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में)	जून/जुलाई	जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया, नगर निगम, गया, पुलिस, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0
4.	अगलगी आधारित मॉकड्रिल (विद्यालय स्तर)	नियमित	जिला अग्निशमन, शिक्षा विभाग, जिला कार्यक्रम कार्यालय, आई0सी0डी0एस0

5.	अगलगी आधारित मॉकड्रिल (औद्योगिक, व्यावसायिक एवं समुदाय)	नियमित	जिला अग्निशमन एवं पुलिस
6.	भीड़ की दृष्टि से अति–संवेदनशील स्थल पर भगदड़ प्रबंधन आधारित संयुक्त मॉकड्रिल	वर्ष में 1 बार	सभी आपात सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजंसियां, हितभागी संस्थाएं एवं धार्मिक स्थल प्रबंधन समिति
7.	बायोलॉजिकल एवं केमिकल आपदा आधारित मॉकड्रिल	वर्ष में 1 बार	सभी आपात सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजंसियां, हितभागी संस्थाएं
8.	औद्योगिक दुर्घटना एवं बायॅलर विस्फोट रिस्पांस आधारित मॉकड्रिल	वर्ष में 1 बार	सभी आपात सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजंसियां, हितभागी संस्थाएं
9.	अति–संवेदनशील स्तर पर बम विस्फोट रिस्पांस आधारित	3 वर्ष में एक बार	बम डिस्पोजल दल, पुलिस, जिला अग्निशमन, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया
10.	विद्यालय / सरकारी भवन / कार्यालय में निष्कासन आधारित मॉकड्रिल (अगलगी एवं भूकम्प के परिप्रेक्ष्य में)	नियमित	सभी आपात सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजंसियां, हितभागी संस्थाएं
11.	सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग काम्पलेक्स आधारित सुरक्षित निष्कासन अभ्यास	नियमित	सभी आपात सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजंसियां, हितभागी संस्थाएं
12.	फायर हाईड्रेन्ट की जांच / अभ्यास	नियमित	सभी आपात सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजंसियां, हितभागी संस्थाएं
13.	रेलवे स्टेशन पर भगदड़ प्रबंधन व बहु–आपदा आधारित मॉकड्रिल	नियमित	सभी आपात सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजंसियां, हितभागी संस्थाएं

7.5 गया में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु उपयुक्त स्थल (तालिका–33)

क्र0स0	प्रशिक्षण स्थल का नाम	पता	क्षमता	नियंत्री पदाधिकारी
1	नगर निगम, सभाकक्ष	नगर निगम, परिसर	60	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया
2	सम्राट अशोक भवन	नगर परिषद	300	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया
3	ऑडिटोरियम, गया म्यूजियम	गेबल बिगहा मोड़	600	जिला नजारत, गया
4	जिला परिषद सभागार	कोर्ट रोड	150	उप विकास आयुक्त, गया
5	समाहरणालय सभागार, गया	कलेक्ट्रेट परिसर	100	जिला नजारत, गया

प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों व मॉकड्रिल कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्त का प्रबंधन

नगर निगम, गया के अन्तर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण आधारित प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों, व मॉकड्रिल कार्यक्रम आयोजित करने हेतु नगर निगम के आन्तरिक वित्त का प्रावधान किया जा सकता है। नगर निगम, गया द्वारा आपदा प्रबंधन आधारित गतिविधियों का आयोजन करने हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया, पुलिस विभाग, गया एवं जिला अग्निशमन कार्यालय, गया से भी समन्वय किया जा सकता है।

अध्याय–8
वित्तीय व्यवस्था
(Financial Arrangements)

संसाधन जुटाना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह आपदा प्रबंधन की संकल्पना को व्यावहारिक पहलुओं से जोड़ता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन के लिए संस्थागत तथा वित्तीय संरचनाओं की स्थापना एवं इसके सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही, वैश्विक प्रक्रियाओं व समझौतों ने समुदायों के मध्य आपदा जोखिम में न्यूनीकरण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को मान्यता दी है, राष्ट्रीय प्रयास भी आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए परिवर्तित हो गए हैं। राष्ट्रीय व राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं में आपदाओं के न्यूनीकरण तथा पूर्व–तैयारियों की सैद्धांतिक समझ को बढ़ावा दिया गया है तथा आत्मसात किया गया है। हालांकि इस दूरदर्शी दृष्टिकोण के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आपदा न्यूनीकरण के वित्तपोषण के विभिन्न वैकल्पिक मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्यों तथा जिलों हेतु आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के संचालन एवं प्रत्युत्तर के लिए वित्तीय संसाधनों को राज्य आपदा प्रत्युत्तर कोष (एस0डी0आर0एफ0) व जिला आपदा प्रत्युत्तर कोष (डी0डी0आर0एफ0) के रूप में परिभाषित किया गया है। इस संबंध में विभिन्न निधियां स्थापित की गईं हैं तथा राज्य कार्यकारी समिति (एस0ई0सी0) व जिला समितियों को आपदा प्रत्युत्तर हेतु संसाधनों एवं वित्त की व्यवस्था की गई। उक्त अधिनियम में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो विशेष परिस्थितियों में केन्द्र द्वारा राज्य को आसान शर्तों पर ऋृण उपलब्ध कराना संभव बनाते है। राज्य स्तरीय आपदा प्रत्युत्तर कोष (एस0डी0आर0एफ0) के लिए कोष की स्थापना केंद्र एवं राज्य के योगदान से 75: 25 अनुपात के साथ की गई है। साथ ही, इससे संबंधित राज्य व जिला न्यूनीकरण कोष का प्रावधान भी किया गया है।

हाल ही में, 15 वें वित्त आयोग ने सिफारिश प्रदान की है जिसमें राज्य और जिला स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधियों को प्राथमिकता देने तथा स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप आपदा जोखिम न्यूनीकरण की योजनाओं के संचालन पर राज्य एवं जिला ध्यान केंद्रित कर सके।

''इन न्यूनीकरण गतिविधियों से संबंधित निधियों का उपयोग उन स्थानीय स्तर व समुदाय–आधारित पहल के लिए किया जाएगा जो जोखिमों का प्रशमन करते हैं तथा पर्यावरण अनुकूलन संबंधी क्षेत्रों या आबादी तथा आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। अपितु, व्यापक स्तर पर न्यूनीकरण संबंधी कार्य यथा–तटीय दीवारों का निर्माण, बाढ से बचाव हेतु तटबंधों, सूखा पुनर्वास आदि के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग नियमित विकास योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, न कि इस न्यूनीकरण निधि से। ''

वित्त आयोग ने प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्रों के लिए राशि आवंटित करने की सिफारिश की है, 02 राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर कोष (एन0डी0आर0एफ0) के अन्तर्गत एवं 04 राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एन0डी0एम0एफ0) के अन्तर्गत विशिष्ट नगरीय व नाजुक क्षेत्रों हेतु।

8.1 नगरीय आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय व्यवस्थाः गया

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 (Bihar DRR Roadmap-2015-2030) के अर्न्तगत स्थानीय नगरीय निकायों (ULBs) को विभिन्न नगरीय–स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों तथा योजनाओं के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अधिमान्य किया है। उक्त रोडमैप सभी सरकारी विभागों हेतु विभाग स्तर की वार्षिक योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए निधियों की व्यवस्था करने के प्रावधानों की भी अनुशंसा प्रदान करता है तथा इसे व्यापक रूप से

प्रोत्साहित करता है। आपदा प्रबंधन एक बहु–आयामी विषय है तथा व्यापक और समग्र योजना के लिए सभी सरकारी विभागों की भागीदारी की आवश्यकता है।

वित्त आयोग, भारत सरकार ने स्थानीय नगरीय निकायों (ULBs) को अनुदान सहायता (2021–2026) के अन्तर्गत बिहार के नगर विकास विभाग को 9999 करोड़ रूपये आवंटित किए है। इस राशि को राज्य सरकार द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों को आवंटित की जाने वाली नगरीय विकास निधि में समाहित कर प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में आपदा प्रबंधन तथा वित्त विभाग के सहयोग से योजना एवं विकास विभाग, बिहार व वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित योजनाओं को आत्मसात् करने के साथ–साथ विभिन्न विकासपरक योजनाओं में समावेश करने का प्रावधान किया गया है, बिहार में संचालित जल जीवन हरियाली अभियान इसी की एक कड़ी है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप व राज्य आपदा प्रबंधन योजना में खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा व पुनर्वास नीतियों का सशक्तिकरण करना जैसी महत्वपूर्ण बातों के समावेश करने पर विशेष जोर दिया गया है। एक अत्यंत ही प्रसांगिक विषय है तथा नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त संवेदनशीलताओं में कमी लाने के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों के समुदायों के आजीविका संवर्द्धन को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्रीय पलायन में कमी लाने में सहायक है। एस0डी0आर0एफ0 एवं विभागीय बजट में भवन तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं को सदृढ़ करने पर अधिक जोर दिया गया है। इसी परिदृश्य में, बिहार के बेहतर भविष्य के निर्माण के लक्ष्य हेतु बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सात निश्चय योजना का संचालन किया जा रहा है।

सार्वजनिक भवनों का निर्माण का आपदारोधी होना चाहिए, इस हेतु विकास संबंधी योजनाओं में वित्तपोषण हेतु आवश्यक प्रावधान एवं समन्वय किया जाना चाहिए। विभिन्न योजनाओं यथा–प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना आदि के तहत निर्मित आवासीय भवनों के निर्माण में आपदाओं की दृष्टि से सुरक्षात्मक प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। बहु आपदाओं से निपटने के लिए वार्ड स्तर पर विकसित किए जाने वाले वार्षिक विकास बजट में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था किया जाना चाहिए। योजना के कार्यान्वयन में विनिर्दिष्ट विशिष्ट प्रावधानों तथा गतिविधियों के साथ लागू किया जाना आपेक्षित है जिस हेतु प्रभावी अनुश्रवण एवं आकलन प्रणाली का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इससे योजना के क्रियान्वयन में मिले अनुभवों एवं सीख से भावी योजनाओं का अद्यतन करने में सहायता मिलती है।

आपदा प्रबंधन विभाग, के द्वारा जिला स्तर पर स्थापित किए गए जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र की तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में भी आपदाओं के नियन्त्रण, कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति एवं अन्य नगरीय सेवाओं को समुचित रूप से संचालित किए जाने हेतु एकीकृत कमांड एवं कन्ट्रोल केन्द्र का प्रावधान किया गया है तथा इस हेतु वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। बिहार की राज्य आपदा प्रबंधन योजना में इस प्रायोजन (वित्तीय व्यवस्था करने) हेतु निम्न 02 अनुशंसाएं की गई है–

क. कुल वार्षिक बजट में विविध कार्यक्रमों व गतिविधियों हेतु आवश्यक व्यय, बचाव, राहत, प्रत्युत्तर तथा पुनर्वास हेतु आवश्यक व्यय आदि हेतु निश्चित प्रतिशत की राशि को आवंटित करने का प्रावधान किया जाना।

ख. वार्षिक बजट में आपदा न्यूनीकरण व्यय को पूर्ण करने के लिए कुल वार्षिक बजट में एक निश्चित प्रतिशत की राशि का आवंटन किया जाना। इसी प्रकार वार्षिक आपदा प्रबंधन योजना के अनुरूप आवंटन करना।

वार्षिक बजट मे विकेन्द्रीकृत मद का प्रावधान विकास तथा आपदाओं से निपटने हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। नगरीय स्तर पर आपदारोधी संरचनाओं के निर्माण हेतु व्यय, प्रशिक्षण सामग्री हेतु व्यय व संचार संबंधी व्यय को वार्षिक आधार पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी के रूप में निजी संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाने के अवसरो को बढ़ावा

दिया जाना चाहिए। साथ ही, इसका उपयोग सार्वजनिक व निजी आधारभूत संरचनाओं को सशक्त करने के लिए किया जाना चाहिए।

जोखिम हस्तांतरण तंत्र तथा वित्तीय जोखिम प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करने से आपदा जोखिमों के खिलाफ संरचनाओं की सुरक्षा में सहायता मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सुविधाओं संबंधी पूंजीगत व्यय, गतिविधि व्यय, उपकरण तथा सामग्री व्यय, कार्यक्रम/गतिविधि व्यय सहित अन्य संबंधित व्यय का संचालन संबंधित विभागों एवं हितभागी संस्थानों के द्वारा मिलजुल किया जा सके। साथ ही, इसी आधार पर नगरीय क्षेत्रों हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसके वित्तीय पक्ष का सर्वाधिक महत्व होता है, अतः इसको भी ध्यान में रखते हुए समस्त योजना तैयार की जाती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल की गयी गतिविधियों/क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था एक आवश्यक अंग है। आपदा प्रबन्धन योजना हेतु निम्नांकित वित्तीय प्रबन्धों का प्रावधान किया गया है–

8.2 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला सभी स्तरों पर आपदा रिस्पान्स फण्ड और आपदा न्यूनीकरण फण्ड उपलब्ध कराता है। अधिनियम की धारा 46 (1) एवं धारा 48 (1) के अनुसार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010 में पत्रांक सं0 323/2010–एनडीएम–1 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स फण्ड एवं राज्य आपदा रिस्पान्स फण्ड का गठन किया। इसी अधिसूचना के माध्यम से आपदा राहत कोष को राज्य आपदा राहत कोष में बदल दिया गया।

8.3राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

15 वें वित्तीय आयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का उद्देश्य विशेष रूप से न्यूनीकरण के उपायों के लिए फण्डिंग करना है।

8.4 अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग

आपदा प्रबन्धन के सन्दर्भ में देखा जाये तो आपदा के बाद पुनर्निर्माण के समय वित्तीय संसाधन एवं प्रबन्धन का होना अत्यधिक आवश्यक है। इस हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा प्रबन्धन कोष के प्रावधान से अलग गंभीर प्राकृतिक स्थिति होने पर इस कोष का प्रावधान राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स कोष से किया गया है।

8.5 क्षमता निर्माण कोष

गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा प्रभावी एवं त्वरित ढंग से आपदा प्रत्युत्तर को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, ताकि मानव जीवन एवं सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा के प्रति रिस्पान्स करने वाले समुदायों/लोगों के बीच नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संचालित किया जाये। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के मद में प्रत्येक वर्ष कुल राज्य आपदा रिस्पान्स कोष का 10 प्रतिशत प्राप्त होता है। जिले की मांग पर इस क्षमता विकास अभ्यास को जिला स्तर पर किया जाता है और इस हेतु आवश्यक कोष राज्य स्तर से निर्गत होता है।

8.6 प्रधानमंत्री राहत कोष

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कोष की धनराशि

बैंकों में नियत जमा खातों में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है।

सामान्यतः, धनराशि या तो तत्काल वितरित कर दी जाती है अथवा उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्गत कर दिया जाता है। शेषधन राशि को दीर्घावधि तक सुरक्षित रखने के लिए समुचित रूप से उसका निवेश किया जाता है। अधिकतम सुरक्षित धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की राशि का निवेश बैंकों में आवधिक जमा योजनाओं में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के सहयोग से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के पीछे निम्न उद्देश्य हैं –

- पीड़ित एवं उसके परिजनों को तत्काल वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु
- खोज एवं बचाव में सहयोग करने हेतु
- पीड़ितों को स्वास्थ्य देख–भाल पहुंचाने हेतु
- पीड़ितों को शरणालय, भोजन, पेयजल एवं साफ–सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु
- सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं एवं परिवहन के अस्थाई बहाली हेतु
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल बहाली हेतु।

8.7 मुख्यमंत्री सहायता कोष

मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष स्थापित है। जिसमें विभिन्न माध्यमों से अर्थात शासकीय, अशासकीय व्यक्ति अथवा संस्था या कार्यालय द्वारा दी गई दान स्वरूप राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाती है। इस कोष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेक के अनुसार बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा या अन्य विपत्तियों से ग्रस्त या औद्योगिक एवं अन्य दुर्घटनाओं के शिकार या उक्त पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त एवं साधनहीन ऐसे लोगों को भी जिन्हें तत्काल सहायता देना आवश्यक प्रतीत होता है, इस कोष से सहायता दी जाती है। यह दान राशि नगद, मनी–आर्डर, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी प्राप्त होती है। यह सहायता प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार के लोगों को सीधे अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

8.8 सांसद राहत कोष

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों/संसाधनों को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाने के लिए, खोज, बचाव, पुनर्निर्माण आदि के कामों में स्थानीय सांसद द्वारा रू0 10 लाख तक की राशि आपदा प्रबन्धन के कामों में खर्च किया जा सकता है।

8.9 केन्द्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं से जुड़ाव

विभिन्न प्रकार की आयजनक योजनाओं जैसे मनरेगा आदि के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। इन योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से वे आपदा के बाद आसानी से राहत कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत कार्यों के लिए अन्य स्थानों से कोष तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं।

8.10 अन्य वित्तीय स्रोत

इसके अलावा जिला में किसी आपदा के समय प्रभावित समुदाय के सहायता हेतु अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थायें अपनी स्वेच्छा से आती है। ये आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अपनी–अपनी सुविधाओं के अनुसार सामुदायिक क्षमता विकास एवं डिजास्टर रेजिलिएन्स प्रक्रिया विकसित करने हेतु बहुतायत परियोजनायें संचालित करती हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य प्राइवेट दानदाताओं से राहत से पुनर्स्थापन एवं अन्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से सहयोग ले सकता है।

8.11 कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0)

भारत सरकार द्वारा कारपोरेट तथा कंपनियों को शुद्ध निवल लाभ का 2.5 प्रतिशत की राशि को सामाजिक दायित्वों व आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों हेतु संचालित करना अनिवार्य किया गया है। इस राशि का उपयोग करने हेतु नगर निगम के स्तर से प्रयास से किया जा सकता है।

अध्याय–9
योजना का अनुश्रवण, आकलन तथा अद्यतनीकरण

9.1 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन का महत्व

गया आपदा प्रबंधन योजना के मूल में नगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियां निहित हैं तथा जो इसे प्रासंगिक बनाती हैं। योजना में नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त विशिष्ट जोखिम, नाजुकताए, क्षमता व जोखिम संबंधी अवयवों को चिन्हित किया गया है। साथ ही, इसमें आपदाओं के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में सामुदायिक हितों एवं सोच का समावेश प्रत्येक स्तर पर किया गया है।

आपदा तथा विकास का पारस्परिक रूप से गतिशील प्रकृति का होने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जाना आवश्यक है। प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली योजना के कार्यचालन, प्रासंगिकता, प्रगति व व्यावहारिकता पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है। निर्धारित समय सीमा के भीतर नियोजित लक्ष्यों तथा कार्यों को पूर्ण करने हेतु सतत् अनुश्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आवश्यकतानुसार रणनीतियों में बदलाव किया जा सकता है तथा आपदा प्रबंधन योजना को और प्रभावी बनाने व आवश्यक सुधार किये जाने में सहायता मिलती है।

वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर संचालित योजनाएं, नीतियों तथा गतिविधियां जो विशिष्ट कार्यकलापों, उभरती चुनौतियों तथा अन्य योजनाओं से संबंधित हैं। इसी आधार पर इस योजना में महत्वपूर्ण लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यों व रणनीतियों का निर्धारण किया गया है तथा इसके अनुरूप मूल्यांकन प्रद्धति का विकास किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मॉक–ड्रिल व क्षमता निर्माण अभ्यास इस योजना को सफल बनाने में सहायक है तथा प्रासंगिक बनाते हैं। मूल्यांकन से प्राप्त सीख के अनुरूप योजना को संशोधित करने में मिल सकती है।

9.2 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए न्यूनीकरण, तैयारी, प्रत्युत्तर, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण करने हेतु अल्पकालिक व दीर्घकालिक लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए एक कार्ययोजना का विकास किया जाना आवश्यक है। योजना का समग्र मूल्यांकन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा के द्वारा किया जाएगा। तद्नुसार अनुमोदन हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी जाएगी।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही, राज्य प्राधिकरण की अनुशंसा के आलोक में व्याप्त चुनौतियों, अनुभवों तथा दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए योजना का अद्यतन किया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त तथा नगर निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा आपदा–पूर्व तथा अन्य विकास आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों का अनुश्रवण किया जाएगा, जिससे नगरीय क्षेत्र को आपदाओं की दृष्टि से सुरक्षित बनाया जा सके। इससे नगरीय स्तर की चुनौतियों की बेहतर समझ हो सकेगी व लक्ष्य के अनुरूप विकास योजनाओं को तैयार किया जा सकेगा।

बिहार की राज्य आपदा प्रबंधन योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार योजना की समीक्षा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं नगर आयुक्त की तकनीकी समीक्षा समिति द्वारा वार्षिक आधार पर की जायेगी। समिति की बैठक में अनुश्रवण संबंधी प्रतिवेदन तथा क्षति आकलन प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी, विशेष परिस्थितियों योजना के विभिन्न पहलुओं को चिन्हित करते हुए योजना का अद्यतन किया जाएगा।

9.3 योजना के अद्यतन की कार्रवाई

जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2019) में परिभाषित किया गया है, आपदा प्रबंधन योजना को वार्षिक तथा विशिष्ट परिस्थितियों में संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नवत् सम्मिलित हैं–

- व्यापक रूप से घटित घटना के पश्चात गहन रूप से समीक्षा करना तथा संशोधन करना।
- प्रक्रिया एवं संचालित संसाधनों में बदलाव के पश्चात (जैसे, नीति, कर्मिकों, संगठनात्मक संरचनाओं, प्रबंधन प्रक्रियाओं, सुविधाओं तथा उपकरणों)।
- राज्य तथा जिला प्राधिकरण द्वारा योजना, मार्गदर्शन व अनुशंसाओं के संबंध में जारी अधिसूचना या आवश्यक अद्यतन के पश्चात।
- योजना लागू होने और आपात घटना के प्रत्येक मामले के पश्चात।
- प्रमुख अभ्यासों के पूर्ण होने के पश्चात, प्राप्त अनुभवों से मिली सीख तथा सुझावों का योजना में समावेश किया जाना।
- नगरीय प्रोफाइल (संरचना) में बदलाव की स्थिति, प्रकोपों का जोखिम, आसन्न प्रकोपों को सम्मिलित करना।
- नए अथवा संशोधित कानूनों या अध्यादेशों का अधिनियमन

अनुश्रवण तथा मूल्यांकन से तकनीकी प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता, नए शोधों तथा नवाचारों के आकलन करने में भी मदद करता है। नगरीय आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए शैक्षिक संस्थानों तथा व्यावसायिक संगठनों के द्वारा किए गए प्रसांगिक शोध व तकनीकी इनपुट को सम्मिलित कर योजना का अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि योजना को नये तकनीकी नवाचारों व समाधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

जैसा कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन योजना में चिन्हित किया गया है, नगरीय क्षेत्र की योजना को भी परिस्थितियों तथा अनुभवों के आधार पर वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा। योजना के तहत उद्देश्यों, कार्यों और कार्यों का आकलन करते समय मॉक–ड्रिल, प्रशिक्षण व तकनीकी विशेषताओं को सम्मिलित किया जा सकता है।

प्रमुख अपडेट निम्नलिखित पदाधिकारियों के साथ साझा किए जाएंगे:

- माननीय विधानसभा/विधान परिषद सदस्य
- जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, एसडीआरएफ, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी।
- अन्य हितभागी (गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक आधारित संगठन एवं समुदाय)

सभी प्रमुख हितभागियों के साथ संचार को सशक्त करने से आवश्यक सिफारिशों और सुझावों को एकत्र करने में सहायता मिलती है तथा योजना की गुणवत्ता, व्यावहारिकता एवं प्रासांगिकता को बढ़ावा प्रदान करती है।

अध्याय–10

आपातकालीन प्रबंधन का संस्थागत तंत्र

(Institutional Mechanism of Emergency Mangement)

10.1 आपातकालीन प्रबंधन हेतु किए गए संस्थागत प्रावधान

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार स्थानीय स्तर की आपदाओं का प्रत्युत्तर कार्य स्थानीय स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में आपदा की तीव्रता के अनुसार आपातकालीन प्रबंधन एवं प्रत्युत्तर संबंधी निर्णय जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया द्वारा लिया जाएगा। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, जिले में इंसीडेन्ट रिस्पांस सिस्टम के अन्तर्गत इंसीडेन्ट कमांडर जिलाधिकारी, गया अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी होगें, जिनके दिशानिर्देश में सभी संबंधित विभाग तथा रिस्पांस एजंसियां राहत बचाव कार्यों का सम्पादन करेंगी। नगर निगम, गया क्षेत्र में घटित आपदाओं के प्रथम प्रत्युत्तरदाता की भूमिका का निवर्हन नगर आयुक्त, नगर निगम, गया के द्वारा तब तक किया जाऐगा जबतक जिला प्रशासन, गया के द्वारा प्रयुत्तर नहीं कर दिया जाता है।

इसके साथ–साथ, आपदा के समय सामान्यतः जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा निर्देशन में नगर निगम वो सभी कार्य सम्पन्न करेगा जो इसको सौंपा जायेगा या स्वीकृत जिला आपदा प्रबंधन योजना में नगर निगम के लिए निर्दिष्ट किया गया हो इस दायरे में नगर आपदा प्रबंधन समिति जिसका ढांचा द्वारा आपदा प्रत्युत्तर के सभी कार्य किये जायेंगे।

10.2 जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समूह

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–205 प्र0 पटना, दिनांक–22.06.2009 में आकस्मिक योजना के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर आपात प्रबंधन समूह का गठन किया गया है, जिसमें आपातकालीन सहाय्य विभागों के प्रधान सचिव सम्मिलित हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार आकस्मिक योजना हेतु प्रत्येक स्तर पर आपात प्रबंधन समूह का गठन अनिवार्य है, जो समय–समय पर समीक्षा बैठक आयोजित कर आपातकालीन परिस्थितियों के प्रभावी प्रबंधन व संसाधनों के सुचारू कार्यचालन हेतु आवश्यक निर्णय लेगा। **(तालिका–34)**

क्र0स0	पदाधिकारी	पद
1	जिलाधिकारी, गया	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, गया	सदस्य
3	नगर आयुक्त, गया	सदस्य
4	उप विकास आयुक्त	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / सिविल सर्जन	सदस्य
6	अपर समाहर्ता (राजस्व)	सदस्य
7	अपर समाहर्ता–(आपदा प्रबंधन) / प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन	सदस्य
8	मुख्य अभियंता–जल संसाधन	सदस्य
9	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
10	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
11	जिला पशुपालन पदाधिकारी	सदस्य
12	जिला परिवहन पदाधिकारी	सदस्य

13	जिला आपूर्ति पदाधिकारी,	सदस्य
14	कार्यपालक अभियंता (विद्युत)	सदस्य
15	कार्यपालक अभियंता (पथ निर्माण विभाग)	सदस्य

जिले में आपदाओं की संवेदनशीलता व आकस्मिक परिस्थितियों के अनुसार अन्य विभागों व संबंधित हितभागियों को जिला आपात प्रबंधन समूह में सम्मिलित किया जा सकता है। नगर निगम क्षेत्र में घटित व्यापक स्तरीय आपदा के रिस्पांस करने हेतु नगर आयुक्त, गया के द्वारा जिलाधिकारी, गया को राहत बचाव के तीव्र व प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

10.3 नगर निगम, गया में आपात प्रबंधन समूह

आपदा मोचन हेतु नगर निगम में जिला आपदा प्रबंधन समूह के नियंत्रणाधीन नगर स्तर पर एक त्वरित प्रत्युत्तर दल कार्य करेगी जिसका स्वरूप निम्नवत होगा।

1. नगर आयुक्त – अध्यक्ष
2. उप नगर आयुक्त –उपाध्यक्ष
3. नगर प्रबंधक –सदस्य सचिव
4. कार्यपालन अभियंता, यांत्रिकी –सदस्य
5. मुख्य सफाई निरीक्षक –सदस्य
6. सफाई निरीक्षक – सदस्य
7. विद्युत पर्यवेक्षक – सदस्य
8. सफाई इन्स्पेक्टर – सदस्य
9. तकनीकी पर्यवेक्षक – सदस्य

10.4 नगर निगम, गया के स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना

नगर निगम, गया में आपात परिस्थितियों के मदेनजर नियन्त्रण कक्ष का संचालन नगर आयुक्त, नगर निगम, गया के दिशानिर्देश किया जाता है। आपदाओं, पेयजल संकट, जलजमाव, महामारियों, भीड़ प्रबंधन, अफवाह प्रबंधन आदि के मद्देनजर इस नियंत्रण कक्ष का संचालन किया जाता है। नियन्त्रण कक्ष के हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार प्रसार स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया के माध्यम से किया जाता है। नियन्त्रण कक्ष में लैंड लाईन फोन, वायरलेस सेट, एक मोबाईल फोन, सेटेलाइट फोन तथा एक इन्टरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर, प्रिंटर, वेबकैमरा तथा स्पीकर की व्यवस्था रहेगी। इस नियन्त्रण कक्ष के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पालियों में जायेगी। नियन्त्रण कक्ष में निम्न सामग्रियां दस्तावेजीकरण हेतु उपलब्ध रहेंगी–

(1) उपस्थिति पंजी
(2) शिकायत पंजी
(3) सूचना एवं संदेश पंजी
(4) शिकायत निवारण पंजी

10.5 पूर्व सूचना तंत्र

अधिकृत एवं प्रमाणिक स्रोत से प्राप्त सभी सूचनाओं को सूचना एवं संदेश पंजी में दर्ज कर संबंधित अधिकारियो तक नियन्त्रण कक्ष, नगर निगम, गया के माध्यम से पहुँचाया जायेगा। इस कार्य हेतु नियन्त्रण कक्ष, नगर निगम, गया का हेल्पलाइन नम्बर सक्रिय रहेगा। मौसम व नदियों के जल स्तर में वृद्धि संबंधी सूचनाओं को नगर निगम, गया में स्थापित किए गए विभिन्न डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर प्रसारित किया जाएगा, ताकि स्थानीय निवासी दी गई चेतावनी के अनुसार व्यवहार कर सकें। गया में स्थानीय रेडियो, टेलीविजन एवं एफ0एम0 चैनल के माध्यम से भी आपदाओं से संबंधित सूचनाओं, सलाह, सुझाव व चेतावनियों को प्रसारित किया जाएगा। इस कार्य के सम्पादन में जिला

सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गया आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। एस0एम0एस0, आडियो संदेश व वीडियो संदेश के माध्यम से भी आम लोगों से आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवहार करने के लिए अपील जारी की जाएगी। नियन्त्रण कक्ष, नगर निगम, गया एवं जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, गया के कम्यूनिकेशन योजना के अनुसार महत्वपूर्ण हितभागियों व जनप्रतिनिधियों को आपातकालीन प्रबंधन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। वर्तमान समय में सोशल मीडिया भी सूचनाओं को त्वरित प्रसारित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बना है, नगर निगम के आधिकारिक फेसबुक/ट्विटर के माध्यम से सूचना पहुँचाई जा सकती है। प्रभावी समन्वय व सूचनाओं के त्वरित प्रसारण हेतु व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग भी किया जाएगा। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रत्येक आपदा प्रवण वार्ड में पूर्व निर्धारित स्थल से लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचना संप्रेषित की जायगी। वार्ड स्तर पर गठित आपातकालीन प्रत्युत्तर दल (ERT) तथा राहत निगरानी समिति के माध्यम से भी हितधारकों तक पूर्व सूचना पहुँचाने की कार्रवाई की जायेगी।

10.6 सहायक यंत्र एवं संयंत्र

आपदा मोचन के दौरान मुख्यतः निकासी राहत एवं बचाव राहत शिविर संचालन, घायलों को अस्पताल तक पहुँचाना, अस्पताल में उनका समुचित इलाज, खून की कमी वालों के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन, मृतकों का अंतिम संस्कार ध्वस्त जीवन सहयोगी सरचनाओ का मलवा निपटान तथा सार्वजनिक सेवाओं के त्वरित पुनर्स्थापन इत्यादि के लिए बहुत तरह के हल्के व भारी यंत्र संयंत्र, उपस्कर उसको चलाने वाले प्रशिक्षित आपरेटर की आवश्यकता होती है। आपदा मोचन हेतु उपलब्ध संसाधन की सूची BSDRN पोर्टल पर संधारित है।

10.7 जिला प्रशासन तथा अन्य एजंसियों से संयोजन

नगर निगम क्षेत्र में सभी आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु नित्य प्रति की कार्रवाईयों एवं राहत तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति के लिए संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अधिकृत हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिला के सभी विभागों के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रतिनियोजित की गई है। नगर निगम क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य आपदा प्रबंधन 2005 की अध्याय 4 धारा 30 की निम्न धाराओं में स्पष्ट किया गया है।

30.2(III) जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। आपदाओं के निवारण और इसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किये गये है।

30.2.(IV) जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उनके प्रभावों के न्यूनीकरण तयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जाता हैं।

30.2. (X) — जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं को पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

30.2. (XI) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबंद्ध विभागों या संबंद्ध प्राधिकारियों को जहाँ किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 निहित प्रावधानों के आलोक में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक तथा मानवीय घटना घटित होने पर प्रत्युत्तर प्रक्रिया की पहल नेतृत्व तथा समन्वय का सम्पूर्ण दायित्व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को है। उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। अधिनियम की धारा 302

XVI से 30.2-XXIV तथा धारा 34 (a) से 34(m) तक द्रष्टव्य है)। इसके आलोक में नगर निगम क्षेत्र में प्रत्युत्तर हेतु जिला आपदा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

10.8 नगर आपदा प्रबंधन समिति

नगर निगम के अंतर्गत नगर आपदा प्रबंधन समिति का गठन मेयर/नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से किया जायेगा।

- मेयर —अध्यक्ष
- उप महापौर —उपाध्यक्ष
- नगर आयुक्त —सदस्य सचिव
- उप नगर आयुक्त —सदस्य
- नगर प्रबंधक —सदस्य
- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल —सदस्य
- असैनिक शल्य चिकित्सक —सदस्य
- कार्यकारी अभियंता भवन प्रभाग —सदस्य
- कार्यपालक अभियंता जल निस्करण —सदस्य
- कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल —सदस्य
- कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल —सदस्य
- वन प्रमंडल पदाधिकारी —सदस्य
- जिला कृषि/उद्यान पदाधिकारी —सदस्य
- जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी —सदस्य
- आपूर्ति पदाधिकारी —सदस्य

10.9 आपातकालीन सहायता कार्य

नगर निगम, किसी भी आपदा के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया के नेतृत्व तथा निर्देशन में वैसे सभी आपातकालीन सहायता कार्य करेगी जिसका अधिकारिता बिहार म्यूनिसिपल अधिनियम—2007 द्वारा नगर निगम को प्राप्त है, एवं समय—समय पर शहरी विकास विभाग या अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है। नगर निगम, आपदा काल में प्रत्युत्तर के लिए एक त्वरित प्रत्युत्तर दल (Quick Response Team) का गठन करेगी जो न्यूनतम समय अंतराल में अपने दायित्वों की पूर्ति के लिये सदा सर्वदा 24X7 टीम लीडर एवं उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी तथा आवश्यक यंत्र संयंत्रो के साथ तैयार रहेगी। गया नगर क्षेत्र में साफ सफाई के प्रर्यवेक्षण हेतु आठ दलों का गठन किया गया है। इसमें प्रत्येक दल का नेतृत्व उप नगर आयुक्त, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा किया जायेगा। इन दलों में एक प्रभारी कनीय अभियंता/कर्मी, चार जमादार तथा उपयुक्त संख्या में सफाई कर्मी आवश्यक यंत्र संयंत्रों के साथ प्रतिनियुक्त किये गये है। इस QRT के सभी सदस्यों का नाम संपर्क, मोबाईल नम्बर उनकी विशेषज्ञता तथा कौशल की जानकारी संबंधी सारी सूचनायें टीम लीडर के पास उपलब्ध होगी। नगर निगम के पास प्रत्युत्तर हेतु पूर्व से तैयार रखे गए यंत्र—संयंत्र जो चालू हालत में हों तथा जमा की गई सामग्रियों की जानकारी भी हमेशा उपलब्ध रहेगी ताकि समय पर काम आये। आपातकालीन प्रत्युत्तर के लिए अतिरिक्त सामग्री की जरूरत पड़ने पर आपूर्तिकर्ताओं को पहले से चिह्नित कर उन्हें संभावित क्रय आदेश निर्गत किया जायेगा। नगर निगम के पास इन कार्यों को पूरा करने के लिए निधि का उपबंध बजट में किया जायेगा।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना में निम्नांकित 15 प्रकार के आपातकालीन सहायता कार्यों की सूची दी गई है। जो निम्नांकित है–

1. सूचना आदान–प्रदान
2. कानून व्यवस्था
3. खोज एवं बचाव
4. राहत एवं आश्रय एवं चारा
5. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
6. पालतू पशु आश्रय
7. पेयजल आपूर्ति
8. ऊर्जा आपूर्ति
9. परिवहन व्यवस्था
10. लोक निर्माण कार्य (NHAI, पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य प्रमण्डल)
11. मलबा निपटान एवं सफाई
12. क्षति आकलन
13. सूचना प्रवाह तथा सहायता केन्द्र
14. दान प्रबंधन
15. मीडिया प्रबंधन

10.10 घटना प्रक्रिया तंत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया

नगर निगम, गया के किसी भी वार्ड या वार्ड समूहों में अथवा पूरे शहर में आने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं निर्देशन में उपरोक्त आपात कालीन समर्थन कार्य हेतु नगर निगम द्वारा निम्न कार्रवाई की जायेगी। इस दौरान बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 30 एवं 31 के अनुसार गठित दार्थों की समिति तथा वार्ड समिति को सक्रिय किया जायेगा।

1. सूचना आदान–प्रदान :– जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से किसी आपदा के घटित होने की पूर्व सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देंगे जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगी।

2. कानून व्यवस्था :– जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा इकाई द्वारा किया जायेगा।

3. खोज एवं बचाव:– स्थानिय स्तर की अत्यंत साधारण आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। किसी गंभीर आपदा के समय जिलाधिकारी स्तर पर SDRF/NDRF या सेना को खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

4. राहत एवं आश्रय :– जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित सभी आश्रय स्थलों के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी.डी.टी., ब्लीचिंग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें जिलाधिकारी के निर्देशन में किया जायेगा।

5. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता :– गया शहर में चक्रवाती तूफान भूकम्प, अग्नि, जल जमाव, मौसमी बीमारी, वैश्विक महामारी तथा अन्य व्यापक प्रभाव वाली आपदाओं के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था स्वच्छता व्यवस्था को निर्बाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास नगर निगम द्वारा किया जायेगा।

6. पालतू पशु आश्रय एवं चारा : जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जाते हैं वहाँ पशुओं का मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिन्हित कार्य बल जरूरी यंत्र संयन्त्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डीडी.टी., ब्लीचिंग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।

7. पेयजल आपूर्तिः– जहाँ कही पाईप एवं नल द्वारा पेय जल आपूर्ति की जाती है उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर तत्काल टैंकर द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेंगे। साथ ही व्यवधान को शीघ्रतिशीघ्र दूर करते हुये जलपूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।

8. ऊर्जा आपूर्तिः– ऊर्जा प्रवाह बाधित होने पर दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लि. (SBPDCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।

9. परिवहन व्यवस्था :– आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यों के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था जिला परिवहन पदाधिकारी कटिहारद्वारा की जायेगी।

10. लोक निर्माण कार्य :– सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण एवं रख–रखाव कार्य निर्माण विभागों के द्वारा किये जायेंगे।

11. मलवा निपटान एवं सफाई – विभिन्न आपदाओं में भिन्न–भिन्न प्रकार का मलवा इकट्ठा होता है जिसे यथाशीघ्र उस जगह से हटाकर सामान्य जीवन व्यवहार बहाल करना आवश्यक होता है। आपदावार मलवा निपटान एवं सफाई के लिए निम्न प्रकार का आपात्कालीन समर्थन कार्य की तैयारी नगर निगम के द्वारा की जायेगी।

(क) भूकम्प– भूकम्प के दौरान जमींदोज हो गये भवन या पानी की टंकी का मलवा निपटान के लिए डोजर, डम्फर जेसीबी इत्यादि मशीनों का तैयार रखा जायेगा। कंक्रीट के छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर तथा कंक्रीट के भीतर के सरिये को लेजर बीम से काटने का प्रबंध किया जायेगा इन छोटे टुकड़ों को जेसीबी तथा डोजर से समेट कर डम्फर में लोड कर दिया जायेगा जिसे शहर के इर्द गिर्द नीचे गढ़ढे को भरने के लिए अथवा ठोस कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा।

(ख) जलजमाव शहर में यह आपदा को प्रभावित करती है। जलजमाव के बाद शहरों की गलियों, सड़को तथा घरो से गाद एवं गीला कूड़ा बहुत बड़ी मात्रा में फैले मिलते हैं। अतिवृष्टि के कारण नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने तथा सभी नागरिक सुविधाओं में आई रूकावट को दूर करने के लिए बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 5133 दि. 27.9.19 द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में समुचित कार्य किया जायेगा। इसमें जल निकासी हेतु पंपों का उपयोग कर जल निकासी के उपरांत संक्रमण रोगों से बचने के उपाय तथा जल भरे गड्ढ़ो को चिन्हित करके मेल होल को बंद रखने का आदेश अंकित है।

(ग) अग्नि अगलगी की अवस्था में तुरंत प्रत्युत्तर की कार्रवाई की जा सके इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, पटना ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसे विस्तृत से अनुलग्नक पर देखा जा सकता है।

(घ) स्वास्थ्यः अस्पताल में अचानक जनहताहत अग्निकांड या भूकंप आने की स्थिति में निम्नलिखित कार्यों को समन्वयित ढंग से सपन्न किया जायेगा जिसका ब्यौरा निम्नवत है–

- **जनहताहत प्रबंधन–** चिकित्सा प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर व्यवस्था को उत्प्रेरित करना, कमांड व्यवस्था को उत्प्रेरित, घायलों का वर्गीकरण, जाँचशाला, फार्मेसी आदि की आपूर्ति एवं सेवा की तैयारी रखना।
- **अग्नि सुरक्षा प्रबंधन–** चिकित्सा प्रशासन एवं प्रणाली की तीव्र तत्परता, अस्पताल के आदेश प्रणाली की तीव्रता, रोगियों की निकासी, अग्निशमन सुरक्षा जाँचशाला, फार्मेसी तथा आपूर्ति सेंवा को बहाल रखना।
- **भूकम्प सुरक्षा प्रबंधन–** चिकित्सा प्रशासन तथा प्रणाली की तीव्रता, अस्पताल में आदेश प्रणाली की तीव्रता, रोगियों की निकासी सुरक्षा, रोगियों का वर्गीकरण, जाँचशाला फार्मेसी एवं आपूर्ति व्यवस्था को बहाल रखना ।

नोटः उपरोक्त तीनों कार्य हेतु सदर अस्पताल द्वारा अलग–अलग उत्तरदायित्व उपरोक्त कार्य हेतु समय सीमा (मिनट में) तथा उन कार्यों हेतु संबंधित चिकित्सक/मेडिकल स्टाफ/प्रबंधन की जवाबदेही निर्धारित करेगा। इसके लिए अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जायेगी।

(ड.) चक्रवाती तूफानः इस आपदा के दौरान आम तौर पर बड़े–बड़े पेड़ सड़कों पर गिर कर आवागमन बांधित कर देते है। इनको जल्द से जल्द हटाना आवश्यक होता है। छोटे–मोटे पेड़ पौधो को हटाने के लिए कुल्हाड़ी कुदाल अथवा मोबाइल आरी मशीन से काटकर इनके छोटे टुकड़ों को एकत्रित कर इनका भंडारण किसी खुले स्थान में कर दिया जायेगा जहाँ से यह वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। इस आपदा के दौरान टीन की छतों के उड़ने तथा अन्य हल्के पदार्थ बेतरतीब तरीके से सड़कों पर फैलकर आवागमन को बाधित करते हैं। इनको इकट्ठाकर निपटान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान मृत लावारिस पशु तथा मनुष्य के शवों का विधिवत निपटान यथा दफनाने या जलाने का कार्य भी नगर निगम की आपदाकालीन प्रत्युत्तर दल की विशेष टीम द्वारा किया जायेगा।

12. सूचना प्रवाह तथा सहायता केन्द्रः सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।

13. दान प्रबंधन :– आपदा की स्थिति में गैर सामुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाती है ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होंगे जो दान दाता संगठनों को आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेंगे तथा इनसे प्राप्त दान को एक समुचित पंजी में दर्ज करेगे।

14. मीडिया प्रबंधनः सभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया स्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रीफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा सकेगी।

15 समन्वयः सभी हितभागी एजेंसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेगें। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होगे। दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशों का पालन करेंगे।

10.11 इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम

वर्तमान में इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम वैश्विक स्तर पर आपातकालीन प्रबंधन हेतु अपनायी जाने वाली आधुनिकतम प्रणाली एवं व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, जिला एवं स्थानीय स्तर पर घटित आपदाओं व दुर्घनाओं पर त्वरित, प्रभावी एवं समन्वित रिस्पांस हेतु इस प्रणाली को आत्मसात किया है। इस प्रणाली के संचालन हेतु सभी आधुनिक तकनीकों का समावेश आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है।

इस प्रणाली के अर्न्तगत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) **इंसीडेंट कमाण्डर** होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी होते हैं। इंसीडेंट कमाण्डर को सहयोग प्रदान करने का कार्य सेफ्टी ऑफिसर निष्पादित करते हैं। सामान्यतः सेफ्टी ऑफिसर स्थानीय पदाधिकारी या रिस्पांस दल के प्रमुख होते हैं। लॉयजन ऑफिसर का कार्य नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त, नगर निगम, गया तथा ग्रामीण/अन्य क्षेत्रों हेतु प्रभारी पदाधिकारी (आपदा प्रबंधन), गया निष्पादित करेंगे। नगर निगम, गया क्षेत्र में संबंधित रिस्पांस एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने में प्रभारी पदाधिकारी,

(आपदा प्रबंधन), गया द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, गया को सहयोग प्रदान किया जायेगा। सूचनाओं के सम्प्रेषण हेतु जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गया मीडिया समन्वयक का कार्य करेंगे।

इस प्रणाली के सफल संचालन में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र सूचनाओं का आदान–प्रदान व अन्तर विभागीय समन्वय का कार्य कर आपात प्रबंधन संबंधी सभी संबंधित पदाधिकारियों, विभागों व रिस्पांस एजंसियों को आवश्यक निर्देश व सहयोग देगी। DEOC सभी आपातकालीन संचालन विभागों/एजंसियों (ESFs) को अलर्ट करेगा और समन्वय करके घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचाने में अन्य नियन्त्रण कक्षों से समन्वय स्थापित करेगा। इसी प्रकार, नगर निगम, गया के स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष द्वारा भी DEOC, संबंधित विभागों व रिस्पांस एजंसियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। घटना स्थल पर जिला पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर के मार्गदर्शन व नेतृत्व में राहत–बचाव अभियान का संचालन किया जाएगा। सभी विभाग व रिस्पांस एजंसियां इंसिडेंट कमांडर के निर्देशों का पालन करेंगे। इस प्रणाली के तहत् ऑपरेशन सेक्शन के चीफ पुलिस अधीक्षक, गया, प्लानिंग सेक्शन के चीफ उप विकास आयुक्त, गया तथा लॉजिस्टक सेक्शन के चीफ अपर समाहर्ता (राजस्व/आपदा प्रबंधन), गया होगें, जो राहत–बचाव कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले आवश्यक उपकरणों, संचार उपकरणों और मानव संसाधनों की व्यवस्था संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करेंगे। सभी सेक्शन के चीफ के द्वारा आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों, कर्मियों, राहत–बचाव टीमों (पुलिस, अग्निशमन, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0,गृह रक्षा वाहिनी आदि), विशेषज्ञों, स्वयंसेवकों, एन0सी0सी0 कैडेट, संवेदकों, वाहन चालकों, जे0सी0बी/क्रेन चालकों, कारपेंटर, मिस्त्री, श्रमिक आदि की प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार अल्पकालिक रूप से की जा सकेगी। प्रत्युत्तर कार्यों के समुचित प्रबंधन, दस्तावेजों के रखरखाव, वित्तीय लेन–देन, वाहन व्यवस्था, आपदा राहत केन्द्रों के संचालन, सामुदायिक रसोई का संचालन आदि के संबंध में आवश्यक निर्णय जिलाधिकारी, गया द्वारा लिया जाएगा तथा उनके द्वारा संबंधित पदाधिकारी (यथा प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, वरीय उपसमाहर्ता, जिला नजारत, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी आदि) को आवश्यक व्यवस्थाएं की जिम्मेदारी दी जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, गया से समन्वय स्थापित करते हुए राहत–बचाव का संचालन करेंगे।

जिला प्रशासन, गया द्वारा राहत–बचाव कार्यों को जब तक अपने दायित्व में नहीं ले लिया जाता है तब तक स्थानीय पदाधिकारी (नगरीय क्षेत्र में नगर आयुक्त, नगर निगम, गया तथा ग्रामीण क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी) या रिस्पांडर (पुलिस, स्वास्थ्य या संबंधित विभाग) ही इंसीडेंट कमाण्डर का कार्य संपादित करते हैं।

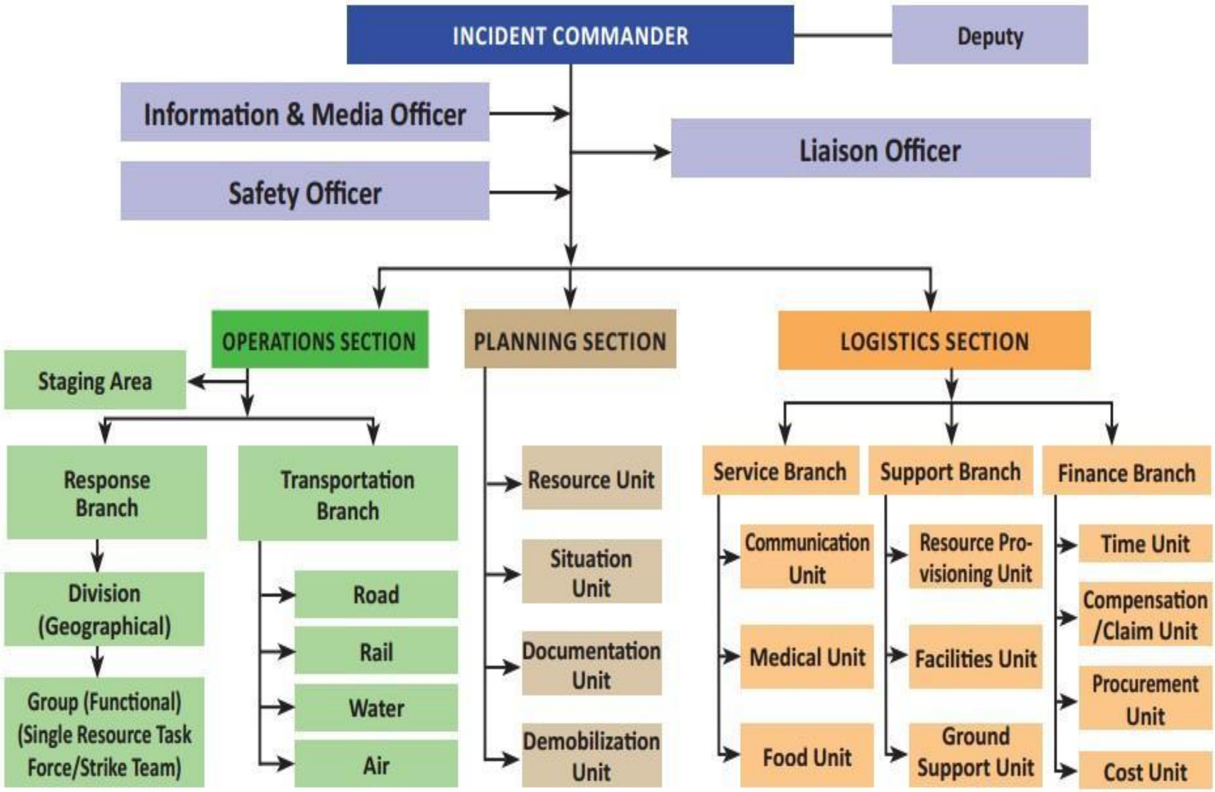

चित्र–29 इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम

अध्याय–11
पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन
(Reconstruction and Rehabilitation)

भीषण आपदाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक अंतः संरचनाओं में व्यापक क्षति होने के कारण आपदा के घटित होने के साथ ही दैनन्दिनी की कई गतिविधियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। अत्यंत संवेदनशील संरचनाएं यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप्प पड़ जाते हैं। जीवन यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यों को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है। इस बीच जीवनप्रदायी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है ताकि प्रभावित समुदाय या समाज की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

यूएनआईएसडीआर द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है

पुनर्निर्माण (Reconstruction) आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवनप्रदायी संरचनाओं, सेवाओं, भवनों, जन सुविधा तंत्र तथा जीविका के साधन जो किसी आपदाग्रस्त व संवेदनशील समुदाय या समाज को पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हो। ऐसी संरचनाओं व सेवाओं को मध्यमकालिक या दीर्घकालिक रूप से पुनर्निर्माण करना, जो एक मजबूत (Resilient) संरचना, टिकाऊ विकास के अनुरूप तथा पूर्व से बेहतर निर्माण हो तथा इससे भविष्य में आपदा जोखिम कम से कम रहे। उसे हम पुननिर्माण कहेंगे ।

पुनर्स्थापन (Rehabilitation) किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध बुनियादी जन सुविधा, मूलभूत सेवाएं जो आपदा के कारण ध्वस्त हो गई हो तथा इसके त्वरित पुनर्निर्माण को पुनर्स्थापन कहा जायेगा।

पुनर्निर्माण (Reconstruction) तत्कालीन क्रियाकलाप में संबंधित संस्था सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगी। साथ ही संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। सिविल सर्जन तथा नगर निगम द्वारा आपदा पश्चात संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मत का कार्य कराया जा सकेगा। इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः पूर्व से बेहतर रूप में बहाल करना ।

पुनर्वास द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation) आपदा पश्चात यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उनके रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

क्षति आकलन प्रक्रिया तथा प्रपत्र आपदा प्रबंधन विभाग को अधिसूचना संख्या 3601 दिनांक 30.09. 2014 के अनुसार प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का चयन जिला दण्डाधिकारी को करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच शक्ति का प्रत्योजन (Power Delegate) कर सकते है। आपदा के पश्चात क्षति आकलन मुख्यत संवेदनशील आबादी अंतःसंरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एंव विकास कार्यों से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यत दो खंडों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है, इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरभाई टिकाउ विकास कार्यों द्वारा की जानी चाहिये।

आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख हैं –

- .मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति को हानि
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओ की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण की क्षति
- मनोसामाजिक संघात

11.1 संभागवार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी (तालिका–35)

क्र. सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	मृतकों के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियों को सौंपना। अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम संस्कार करवाना।	समुदाय, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	घायलों को राहत शिविर या स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा	पुलिस चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
	आधारभूत संरचना	आपदा के उपरांत सरकारी भवनों, सड़क संपर्क, पुल–पुलिया जल–मल निकास नाली, संचार एवं विद्युत आपूर्ति संरचना तथा सुरक्षा तटबंध इत्यादि में हुई क्षति की मापी तथा आवश्यक मरम्मति का प्राक्कलन तैयार करना।	भवन निर्माण प्रमंडल पथ प्रमंडल संचार प्रमंडल नगर विकास प्रमंडल
3	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्निर्माण,	क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन की तैयारी।	संबंधित विभाग
4	निजी घर/मकान	निजी मकानों को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना ।	अंचलाधिकारी
5	पशु संसाधन	पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मूल्यांकन करना।	पशुपालन अधिकारी बीमा कंपनी
6	चिकित्सा (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराना।	असैन्य शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन)

		आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराना।	
7	जीविका के साधन बहाल करना	जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित/संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुनर्वापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कंपनी, श्रम संसाधन विभाग कल्याण विभाग शहरी जीविका मिशन

11.2 पीड़ितों को राहत

भूकंप, जल जमाव तथा नगरीय बाढ़, सुखा, अग्नि दहन आदि आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये हैं इसका सक्षिप्त विवरण का उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नांकित है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस.डी. आर. एफ. एवं एन. डी. आर. एफ.) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में निर्धारित न्यूनतम मापदंड अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत दिशा निर्देश।
- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05. 09. 2008।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning), लू (Heat Wave) अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा) नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु मानवजनित सामूहिक दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। सड़क दुर्घटना में क्षतिपूर्ति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- पत्रांक 1692 दिनांक 2204.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में अगलगी से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है।

➢ आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा,
➢ अगलगी पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन,

- गैस लीक से अगलगी से पीड़ित को अनुदान
- ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकंप से प्रभावितों को राहत वितरण के संबंध में राज्यादेश संधारित हैं। वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को भी समतुल्य अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया हैं।.

11.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन

आधारभूत संरचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसियों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सनिश्चित्त करेंगे।

11.4 जीवनप्रदायी भवनों की मरम्मति

जल जमाव एवं नगरी बाढ़ तथा भूकंप से क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैन्दिनी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो उन भवनों की यथाशीघ्र मरम्मती कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगा। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मती युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

11.5 अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

11.6 आजीविका का पुनर्स्थापन

आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते हैं। आर्थिक गतिविधि ठप्प पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्याओं से वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान, कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा शहरी विकास कार्यक्रमों में वरीयता दी जायेगी।

11.7 चिकित्सा सुविधा का पुनर्स्थापन

आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम क्षेत्र में चिकित्सा के लिए स्थापित अस्पताल, नर्सिंग होम, आपदा प्रभावित हो तो इनका पुनर्स्थापन किया जायेगा।

11.8 दीर्घकालिक पुनर्वापसी

बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यों से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'काउंसलिंग की व्यवस्था होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

अध्याय–12
रिस्पांस कार्ययोजना

12.1 बाढ़ एवं जलजमाव

नगर निगम, गया के क्षेत्र बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र नहीं हैं, हालांकि कुछ वर्षों में शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रभाव रहा है। वर्ष 2016 में अतिवृष्टि तथा फ्लैश फ्लड से फल्गु नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण गया शहर के कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गये थे। इस बाढ़ के कारण शहर के क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया था तथा प्रमुख सार्वजनिक सुविधाएं, सड़क, अस्पताल, व्यक्तिगत सम्पत्तियां आदि क्षतिग्रस्त हो गये थे। शहर के वार्ड 45 तथा 46 के चाणक्य पुरी कॉलोनी, अनुग्रहपुरी कॉलोनी, अशोक बिहार कॉलोनी, पंत नगर कॉलोनी तथा मधुसूदन कॉलोनी जैसे क्षेत्र प्रमुख रूप से वर्ष 2016 की बाढ़ में प्रभावित हुए थे। बाढ़ के साथ–साथ गया के कई क्षेत्र नालों व नालियों में अतिक्रमण तथा सिंगल यूज प्लस्टिक कचरा के एकत्र होने के फलस्वरूप जलबहाव में होने वाली रूकावट से जल–जमाव से ग्रसित हो जाता है। वार्ड संख्या 22 तथा 38 जल जमाव के प्रति अति–संवेदनशील क्षेत्र हैं तथा सामान्य प्रभावित वार्ड 7, 14, 20, 21, 39, 40, 41, 45, 46 50 तथा 53 हैं।

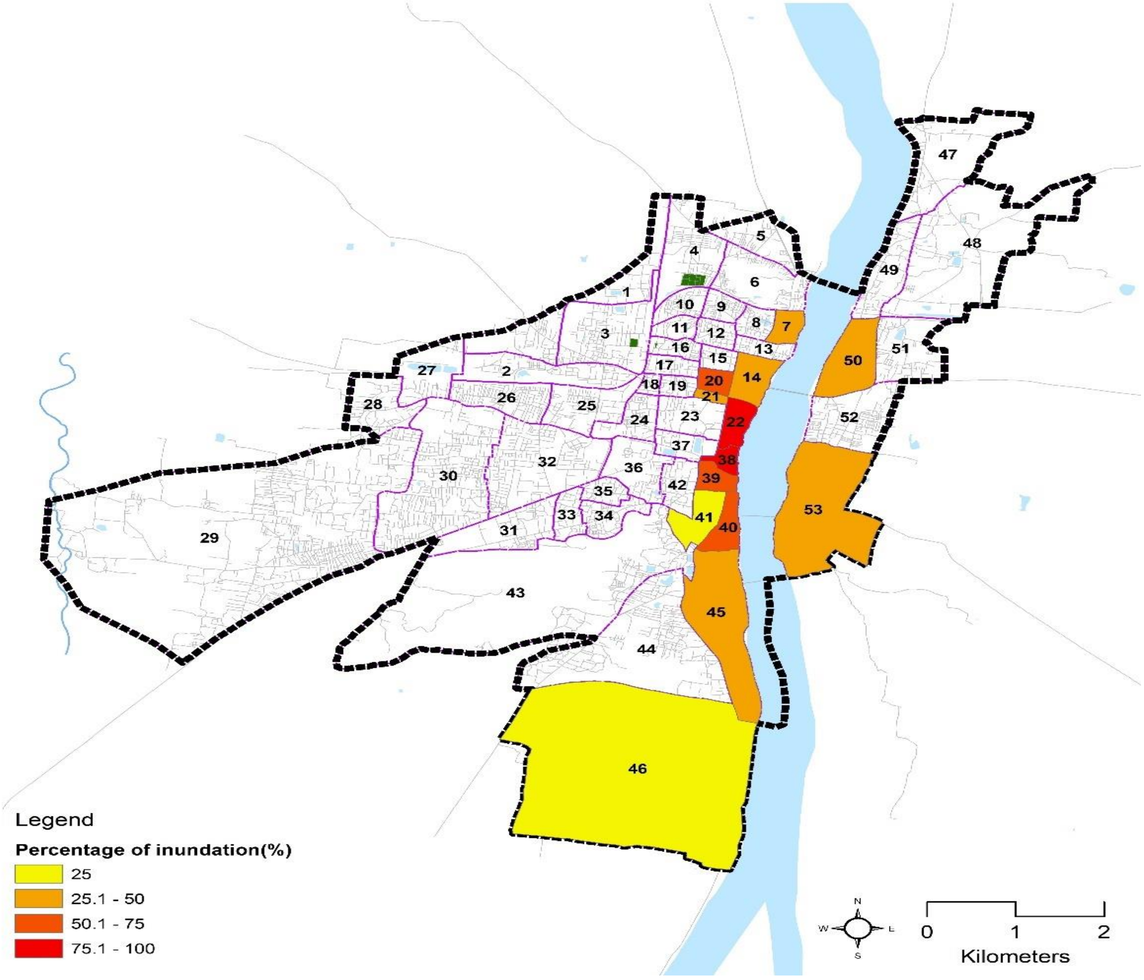

चित्र–बाढ़ मानचित्र, गया

बाढ़ संबंधी नये जोखिम

नगर निगम, गया एवं जल संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गंगा उद्भव योजना व गंगाजल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत गया में गयाजी रबर डैम तथा जल शोधन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत गंगाजी राजगृह जलाशय का जल भंडारण की क्षमता 9.915 एमसीएम किए जाने की योजना है। इस योजना के तहत् गया एवं बोधगया में 8000 घरों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जानी है। इस योजना से जल उपलब्धता फल्गु नदी में बनी रहेगी परन्तु अतिवृष्टि होने की स्थिति में बाढ़ एवं जल जमाव से कई क्षेत्र प्रभावित भी हो सकते हैं।

नदी एवं बड़े नालों की सूची (तालिका–36)

क्र0स0	नदी,नाला एवं अन्य जल स्त्रोत का विवरण	प्रभावित वार्ड
1.	फल्गु नदी	05, 06, 14, 22, 38, 39, 40, 45, 50, 52, 53
2.	बॉटम नाला (उलवेज से कठोतर तालाब तक)	20, 21
3.	मनसरवा नाला	45, 46
4.	कुजापी नाला का छूटा हुआ भाग (कल्वर्ट से आहर तक)	1
5.	इकबाल नगर नाला	5
6.	वार्ड नम्बर 10 बैरागी भवन तेल बिगहा रेलवे लाइन तक	10,11
7.	राजेन्द्र आश्रम से ब्राहम्णी घाट नदी किनारे तक नाला की सफाई	37, 38
8.	गेवाल बिगहा मोड़ से कर्क व्यू से सरकारी बस स्टैंड़ होते हुए, चोपड़ा एजेंसी होते हुए राजेन्द्र आश्रम तक।	34

वार्डवार छोटे नालों एवं नालियों की सूची (तालिका–37)

वार्ड संख्या	वार्ड स्तरीय नालों एवं नालियों की सूची
1	1. भसुण्डा फतेहपुर रोड दोनों तरफ नाला। 2. लखीबाग गौरी कन्या विद्यालय नाला। 3. पार्षद महोदय के घर से रोड से पूर्व पईन भुसुण्ड़ा मेला तक नाला। 4. नरेश चौधरी के घर से नदी तक। 5. उड़नपुर खोंठी से भुसुण्डा मेला तक। 6. गौरक्षणी रोड नालाः–बेलदारी टोला। 7. बेलदारी टोला से नवल सिंह के मकान तक नाला। 8. चमुण्डा माई से बहुआर चौरा बिगहा तक नाला। 9. विष्णु बिहार से सलेमपुर पैन तक नाली
2	10. डेल्हा विलास जी के घर से कुजापी नाला तक 11. डेल्हा रामलखन सिंह यादव कॉलेज से 2 न0 गुमटी रेलवे बाउन्ड्री तक दोनो तरफ
3	12. टेकारी मुख्य मार्ग में गुल फेक्ट्री से संगम चौक होते खरखुरा मुख्य पथ तक नाला 13. डेल्हा पुनसाव होटल से रामदास वर्मा के धर होते हुए राजकुमार सिंह धर तक नाली
4	14. न्यू बागेश्वरी कालनी से पचमोहनी होते हुए रेलवे लाईन तक 15. बिन्दु गली से रेलवे लाईन पानी टंकी तक
5	16. रामशिला मोड़ से गया पटना मेन रोड गोदाम तक
6	17. लाल बाबा नाली (सुखी साव) गली से रेलवे लाईन तक।

	18. संतोष भगत के घर से गबड़ा तक अमीत कुमार के घर से दुर्गा पासवान के घर तक 19. बागेश्वरी गुमटी से रामशीला मोड़ से दक्षिण का नाला तक 20. कागबली वेदी से रेलवे पुल एंव विभिन्न गली
7	21. पंचायती अखाड़ा मस्जिद मोड़ से पंचायती अखाड़ा टी0ओ0पी0 होते हुए नदी किनारे तक रोड के दोनों तरफ नाली। 22. के0 भी0 एम0 नाला। 23. मकसुदपुर कोठी नाला। 24. राजेन्द्र पिनाला– पंचायती अखाड़ा मस्जिद से तुतवाड़ी मोड़ होते हुए सिन्हा भवन (उत्तरी भाग) तक।
8	25. झीलगंज नाला– रविन्द्र सिंह के मकान से पटेल किराना दुकान तक दोनों तरफ तथा पटेल किराना। 26. नई गोदाम मोड़ से तुतवाड़ी मोड़ होते हुए सिन्हा भवन तक। 27. विजय सिंह के मकान के पीछे से मोहन मेडिकल के पीछे तक का नाला। 28. कुमार कॉलोनी में गोपाल यादव के घर से महारानी रोड तक का नाला। 29. राज कॉलोंनी में गोपाल साव के घर से मदन सिंह के घर तक का नाला। 30. गुलाब बाग में रेलवे लाईन से विनोद (सब्जी वाला) के घर तक का नाला। 31. महारानी रोड नाला– बंगला स्थान रेलवे लाईन से भुसुण्डी मोड़ होते हुए नई गोदाम मोड़ तक।
9	32. बागेश्वरी गुमटी से कलाली मोड़ (मेंन रोड) तक नाला। 33. महारानी रोड देवी स्थान से डॉ0 विनय कमार के घर होते हुए आशा देवी (पार्षद) के घर तक का नाली। (मेन रोड) 34. महरान रोड में देवी स्थान से नई गोदाम मोड़ तक नाला
10	35. केन्द्रीय विद्यालय से भूई टोली रेलवे लाईन तक नाला 36. डाक स्थान बैरागी से बैरागी कलाली मोड़ तक नाला 37. बैरागी कलाली मोड़ से मुख्य पथ में बागेश्वरी गुमटी तक नाला 38. पावरगंज रोड में भानु विश्वकर्मा के घर से गबड़ा तक नाला 39. जहूर पान दुकान से भूई टोली की नाली 40. भूई टोली में रेलवे लाईन का सिंग नाला 41. सेन्ट्रल स्कूल के उत्तर होते हुए गबड़ा एवं रेलवे पुल नाला के आगे तक प्राइवेट स्कूल के गेट तक नाला 42. जनता कॉलनी में गेट मास्टर से शिव मंदिर तक नाली।
11	43. माल गोदाम मोड़ से काली स्थान तेल बिगहा होते हुए बैरागी मोड़ तक। 44. छपरा कोठी से मेंन रोड होते हुए बैरागी मोड़ तक नाली। 45. माल गोदाम मोड़ से साको देवी के घर होते हुए डाक स्थान तक मुरली हील नाला तक। 46. बैरागी मेन रोड में डाक स्थान से शकुन्तला देवी के धर तक नाला 47. पाईप गली मीना देवी से होते हुए कृष्ण यादव से स्लाटर हाउस तक नाला। 48. सुनील बाबु वकील साहेब के घर से मार्कण्डेय बाबा के घर होते हुए सुनील कुमार सिन्हा के घर तक नाला।
12	49. रंग बहादुर रोड नाला मुरली हील पुल से तेल बिगहा मोड़ होते हुए खैरात अहमद रोड नई गोदाम मोड़ तक। 50. राजेन्द्र पथ नाला– तेल बिगहा मोड़ से नई गोदाम मोड़ तक। 51. मिर्चईया गली नाला– रंगबहादुर रोड से राजेन्द्र पथ, मिर्चईया गली होते हुए बैरागी मोड़ तक। 52. रामधनपुर नाला– बैरागी मोड़ से भुसुण्डी मोड़ तक।
13	53. वार्ड सं0 13 अन्तर्गत पंचायती अखाड़ा में मौर्या धाट मस्जिद तक दोनो साईड नाला 54. वार्ड सं0 13 अन्तर्गत पंजाबी कॉलनी में राधेश्याम नाला पंजाबी कॉलनी में नाला का सफाई। 55. जी0बी0 रोड आनन्दी माई से नई गोदाम से दोनो तरफ एवं खैरात अहमद रोड पुर्वी भाग नई गोदाम दोनो तरफ से आनन्दी माई तक नाला की सफाई। 56. आनंदी माई मोड़ से तुतबाड़ी भाया भारत सेवा आश्रम तक नाला सफाई।

	57. वार्ड सं0 13 अन्तर्गत खैरात अहमद रोड मनोज तिलकुट से आंनदी माई तक नाला का सफाई कार्य। 58. नई गोदाम मोड़ से भाया तुतबाड़ी मोड़ के0बी0 लेन तक नाला सफाई।
14	59. चौक रोड नाला– के0पी0 रोड से रंगबहादुर रोड तक नाला की सफाई। 60. रंग बहादूर रोड से अनुग्रह रोड तक दोनो साईड (मीर आबु सालेह रोड) तक। 61. अनुग्रह रोड नाला–जी0बी0 रोड से मोरिया घाट, किरण सिनेमा तक दोनो साइड। 62. अनुग्रह रोड़ नाला–जी0बी0 रोड से रिभर साईड होते हुए किरण सिनेमा तक (मेन रोड)। 63. के0पी0 रोड नाला– कोतवाली से किरण सिनेमा तक उतर तरफ नाला की सफाई। 64. जी0बी0 रोड नाला–कोतवाली से रंगबहादुर रोड तक (पूर्वी भाग) नाला 65. लहेरिया टोला नाला–के0 पी0 रोड से टेकारी रोड हॉस्पीटल के पीछे होते हुए रंगबहादूर रोड, शहीद रोड तक । 66. रंगबहादुर रोड से नदी किनारे होते हुए पार्षद के टाल तक नाला 67. जी0बी0 रोड से किरानी घाट(टेकारी रोड नाला) दोनों तरफ तक की नाला
15	68. जी0बी0 रोड आनंदी माई मोड़ से मोती पहलवान देवी स्थान होते हुए अनुग्रह रोड तक। 69. अनुग्रह रोड नाला – आनन्दी माई जी0बी0 रोड हॉस्पिटल से अखाड़ा होते हुए अनुज के घर तक। 70. मणी रोड नाला–जी0बी0 रोड से पुलिस अड्डा होते हुए मोती पहलवान डेयरी दुकान तक, दोनो तरफ नाला की सफाई। 71. मुरारपुर बी0एन0 झा0 रोड नाला – जी0 बी0 रोड के0पी0 यादव से देवी स्थान होत हुए ट्रांसपोर्ट रोड तक नाला की सफाई। 72. मस्जिद नाला रोड– बउआ जी के मकान से अनुग्रह रोड गणेश कोठी तक दोनो तरफ नाला की सफाई। 73. आन्नदी माई से अनुग्रह रोड मोड़ होते हुए पीपल तक (खैरात अहमद रोड)।
16	74. मोती पहलवान नाला– रंगबहादुर रोड मोती पहलवान से अजातशत्रु तक। 75. डिहबार बाबा से तेलबिगहा काली स्थान तक। 76. मुन्नी बाबु के घर से पवन के घर होते हुए डॉ0 विवेकानन्द मिश्रा तक। 77. गुरूद्वारा रोड में स्टेशन मोड़ से बिट्ठल जी के धर होते हुए अनुज सिंह के धर तक नाला की सफाई।
17	78. बाटा मोड़ स्टेशन रोड से गुरूद्वारा मोड़ तक 79. बाटा मोड़ से गुप्ता नमकिन टोकरी रोड तक 80. टेकारी रोड से गुरूद्वारा के विभिन्न गलीयाँ। 81. गुरूद्वारा से टेकारी रोड तक 82. गुरूद्वारा से शिक्षा मंदिर तक 83. शिक्षा मंदिर से टेकारी रोड मुन लाईन तक 84. स्टेशन रोड से कौआ स्थान होते गुरूद्वारा रोड तक। 85. टेकारी रोड से कौआ स्थान तक। 86. अनुग्रह कन्या स्कूल से माहुरी मंडल तक 87. माहुरी मण्डल से गुरूद्वारा मेन रोड तक 88. तेलिया धर्मशाला से विशेश्वर गली होते हुए कौआ स्थान दोनो तरफ 89. गुरूद्वारा मंदिर होते हुए शिवमंदिर से टेकारी रोड मून लाईट तक 90. फतेहगंज रोड दोनो तरफ 91. रामचन्द्र धर्मशाला दोनो तरफ 92. स्टेशन रोड से बाटा मोड़ होते हुए बम पुलिस से गुरूद्वारा तक। 93. मीरसफायत रोड पीपल गली
18	94. एक नं0 गुमटी से मारूफगंज स्लाटर हाउस तक। 95. नाला रोड़ का नाला दोनो तरफ का। 96. दुल्हीनगंज, मखलौटगंज, एंव बैंक गली,। 97. राजु छड़ दुकान स्वराजपुरी रोड से विनोद बापु होते अशोक कुमार के धर तक 98. तेली टोला गला संतोष जी गली एंव उमरू अंडा गली

	99. बाटा मोड़ से मारूफगंज रोड (स्वाराजपुरी रोड) दोनो तरफ
19	100. कबीरबाग फाटक दौनो तरफ एंव कबीरबाग कॉलनी, ढोलकिया गली 101. कारू चाय दुकान मोड़ से ढोलकिया गली शौचालय दोनों तरफ। 102. टेकारी रोड का दक्षिणी भाग। 103. बारी रोड डॉ मेहरा इमाम से कठोकर तालाब मोड़ तक 104. कठोकर तालाब बंदना होटल से शौचालय तक 105. संजय सेठ से शौचालय दोनो तरफ 106. मीरसफायत रोड पश्चिमी भाग 107. के0पी0 रोड दोनो तरफ 108. मिर्जा दोस्त मो0 लेन, कठोकर तालाब आदर्श कॉलनी 109. भदानी कोल्ड स्टोरेज से कबीरबाग फाटक
20	110. मुरारपुर रोड (दोनों तरफ) 111. वजीर अली रोड (दोनो तरफ) 112. धामीटोला रोड (दोनों तरफ) 113. गोदाम नारियल पट्टी (दोनो तरफ) 114. मिरसफायत रोड (पूर्वी भाग) 115. के0पी0 रोड उतरी भाग तक (कोतवाली मजार से केडिया जी के धर तक) 116. कटरा गली,रामशरण लेन ,लक्ष्मण सहाय लेन एवं पुरूषोतम दास लेन। 117. टेकारी रोड गुप्ता नमकीन से जी0बी0 रोड हनुमान मंदिर दोनो तरफ 118. गोतम बुद्व रोड पश्चिम भाग कोतवाली मस्जिद से पिलग्रीम मोड़ तक 119. अनुग्रह नारायण रोड (दक्षिण भाग) 120. पुरानी गोदाम रोड (दोना तरफ) 121. खैरात अहमद रोड।
21	122. वजीर अली रोड दोनो तरफ 123. के0पी0 रोड संजय सेठ से बाटा दुकान तक दक्षिण तरफ का नाली। 124. कसाब टोला से कठोतर तालाब 125. बाटा दुकान पश्चिम साइड छत्ता मस्जिद जीमल मियॉ एवं सुरेन्द्र आआ मिल एवं दाल मील। 126. कसाब टोला से छत्ता मस्जिद तक बारी टोला 127. मारवाड़ी पंचायत धर्मशाला के दानों साइड के नाला की सफाई। 128. चुना गली रोड दोनो तरफ 129. बैंक रोड दोनों तरफ
22	130. बजाजा रोड, लॉ रोड, शहीद रोड, फकरी टोली एवं पनडरिमा नाली की सफाई। 131. पीरमंसूर दोनो तरफ एवं मॉडर्न स्टुडियों तक नाला सफाई। 132. कन्या पाठशाला से पोस्ट ऑफीस मोड़ तक दोनो तरफ नाला सफाई। 133. रमना लाहपट्टी के दोनो तरफ नाली की सफाई। 134. कोतवाली से नियर प्रकाश जैन से परम ज्ञान निकेतन तक। 135. टावर चौक से पितामहेश्वर नियर परम ज्ञान तक 136. किरण सिनेमा से कोतवाली थाना मोड़ दक्षिणी भाग के0पी0रोड तक नाला सफाई। 137. गौरिया मठ गली एवं राजु रविदास गली एंव अन्य गली। 138. सीढिया धाट एंव महादेव धाट 139. पितामहेश्वर दलित टाला।
23	140. बारी रोड से अगबर अली के धर तक दोनो तरफ नाली की सफाई यासिल कॉलनी। 141. इनायत कॉलनी अन्तर्गत ब्लाक–। में बारी रोड में मस्जिद होते हुए बारी साहब तक एवं ब्लाक ठ मकबल साहब के धर से साजिद साहब के धर होते मोख्तर साहब के धर से जी धर तक नाला की सफाई। 142. टी0 मॉडल गली चौधरी कम्पाउण्ड एवं मरफी रेडियो गली में नाली की सफाई।

	143. दुर्गाबाड़ी नाला कसाब टोला से बार लाइब्रेरी तक दोनो तरफ नाला की सफाई। 144. बारी रोड के दोनो तरफ कइोतर तालाब से स्वराजपुरी रोड तक नाला की सफाई 145. स्वराजपुरी रोड नाला बारी रोड से भारत सेवा आश्रम से नूर कम्पाउण्ड तक नाला की सफाई पूर्वी भाग।
24	146. महल्ला बनिया पोखर में ईद गाह मैदान से सलफीया मस्जिद टाल होते हुए इमामबाड़ तक नाली सफाई। 147. नगमतिया रोड के दोनों तरफ नाले की सफाई का कार्य। 148. मोहल्ला न्यु नगमतीया कॉलोनी में ए0 पी0 आर0 हॉस्पीटल लाइन दो रोड नं0 10 तक। 149. हादी हासमी से पीछे तरफ से मारूफगंज मोड़ तक। 150. ए0 पी0 आर0 मॉल से मिर्जा गालीब मोड़ नाला। 151. श्री मेडिकल से राय काशीनाथ मोड़ होते स्वराजपुरी रोड़ तक।
25	152. नाजरेथ स्कूल के सामने से गुमटी नं0 02 तक नाला उड़ाही का कार्य। 153. शान्तिबाग एवं सेवा नगर दोनों तरफ नाली का उड़ाही का कार्य। 154. मदरसा गली पोल, कसाब पोल गली, खाना गली पोल, खजूर गली, ट्रांसफॉर्मर गली पोल में नाली उड़ाही का कार्य। 155. करीमगंज गुमटी नं0 2 से रेलवे लाईन होते हुए रोड़ नं0 3 के कोना तक नाला उड़ाही का कार्य। 156. सेवा नगर मंदिर से करीमगंज रोड़ नं0 2 से कब्रिस्तान गेट नं0 2 तक नाला उड़ाही का कार्य। 157. करीमगंज पोल आखरी गली दोनो तरफ मदरसा गली चुड़ी गली खजुर गली , ट्रासफार्मर गली बेल गली कसाब गली गाड़ी खाना गली नाली उडाही का कार्य। 158. करीमगंज रोड़ सं0 – 02 से कब्रिस्तान तक नाला। 159. वार्ड – 25 रेलवे से करीमगंज से रेलवे गुमटी तक।
26	160. कटारी हिल रोड में क्रेन स्कुल से अनुग्रह कॉलेज तक ए0 एम0 कॉलेज मोड़ से शिवली कॉलोनी होते हुए रेलवे लाईन तक नाला उड़ाही का कार्य। 161. करीमगंज में क्रेन स्कुल के कब्रीस्तान होते हुए रेलवे लाइन तक नाला सफाइ। 162. न्यु करीमगंज में क्रेन स्कुल के बाउण्ड्री के पिछे से साबुन फैक्ट्री तक एवं सदाम चौक होते हुए रोड नं0 18 तक नाली सफाई।
27	163. धनिया बगीचा डेल्हा में लक्षमण पासवान के घर से श्याम बिहारी पासवान के घर तक में नाला सफाई। 164. शिवपुरी कॉलोनी में भिन्न भिन्न पथ में नाली सफाई। 165. अलीगंज मेन रोड नं0 01 में नाला का सफाई। 166. वार्ड –27 में डेल्हा दुलारगंज डेल्हा ढलान दोनो साईड़ गेनहारी साव गली। 167. वार्ड़ सं0 – 27 में ड़ेल्हा दुलारगंज बढी टोला।
28	168. महल्ला कटारी में पैज कॉलोनी पेट्रोल पंम्प से रेलवे लाईन तक नाला सफाई का कार्य। 169. महल्ला कटारी में अम्बेदकर मोड़ से मिडिल स्कूल के दोनों तरफ नाली सफाई। 170. एफ0 सी0 आई0 बाउण्ड्री से बंगाली बिगहा राजा यादव के घर तक नाली सफाई। 171. महल्ला बंगाली बिगहा में भिन्न भिन्न पथ में नाली सफाई।
29	172. चन्दौती मोड़ से रघुनाथ शिशु निकेतन होते हुए पावर ग्रिड बाउण्ड्री वाल तक नाला सफाई का कार्य। 173. सुबोध सिंह के घर से झपसी यादव के घर तक नाला महल्ला मेडिकल निमा रोड विनोवानगर सफाई। 174. मगध कॉलोनी रोड़ सं0 – 01 झपसी यादव के मकान तक नाला। 175. चंदौती मोड़ से पावर ग्रेड तक नाला।
30	176. कटारी हील रोड मुख्य पथ से गाँगो बिगहा देवी सीन का नाला सफाई का कार्य। 177. नारायणगढ़ हनुमान मंदिर से चन्दौति रोड ब्लॉक तक नाली सफाई का कार्य। 178. गाँगो बिगहा पुलिस अड्डा से ब्लाँक रोड तक सफाई का कार्य।

	179. भट्ट बिगहा मेंन रोड से जनता फ्लैट तक सफाई का कार्य। 180. चिरैयाटाड़ मेंन रोड से मुस्तफाबाद मोड़ तक नाला सफाई का कार्य। 181. शास्त्री नपगर रोड नं0 एक से शास्त्री नगर गोरैया स्थान तक सफाई का कार्य। 182. मुस्तफाबाद डॉ0 मंजु माला क्लिनिक से चन्दौती ब्लॉक रोड गांगो बिगहा तक सफाई का कार्य।
31	183. पुलिस लाईन मुख्य पथ से रामपुर दलित टोला होते हुए गया कॉलेज चहार दीवारी तक नाला का सफाई। 184. गया–डोभी मेंन रोड पथ में रामपुर दुर्गास्थान से गोपाल पेट्रोल पम्प तक नाला का सफाई। 185. पुलिस लाईन रोड में अम्बेदकर छात्रावास से गया–डोभी होते हुए चिरैयाटाँड़ ग्रीड तक नाला का सफाई। 186. सिकड़िया मोड़ से बस स्टैण्ड़ तक नाला।
32	187. गाँगो बिगहा देवी स्थान से देव कोठी एवं चाणक्यपुरी शिव मंदिर होते हुए क्रेन स्कूल कटारी हील रोड तक। 188. कटारी हील रोड में क्रेन स्कूल से श्री संजीव श्याम एम0 एल0 ए0 के घर एवं डी0 एम0 कोठी होते हुए गया–डोभी मेंन रोड तक। 189. वार्ड सं0 – 32 में नगर आयुक्त के आवास से ड़ी0 एफ0 ओ0 जयप्रकाश झरना तक नाला। 190. ए0 पी0 कॉलोनी विधायक महेश सिंह यादव सुबोध जी के घर तक केहार से गंगो बिगहा देवी सीान 191. विमल राम से बबन सिंह के घर तक नाला।
33	192. मुस्लिम होटल से गया–डोभी रोड होते हुए खगड़िया टोला हिन्दूस्तान जाँच घर तक। 193. पुलिस लाईन से दलित टोला होते हुए पईन नाला तक। 194. पुलीस लाईन से डी0 आई0 जी0 क्वार्टर नाला का सफाई कार्य। 195. बंगाली कॉलनी आनन्द मार्ग का नाला सफाई। 196. निगम क्षेत्र के पुलीस लाईन क्वार्टरो का नाला का सफाई। 197. मोहन नगर मोड़ पूलीस लाईन का नाला का सफाई। 198. पैन नाला बड़ा बाबु से पुलिस लाईन बंगाली कॉलनी तक। 199. गेवल बिगहा मोड़ से गाँधी मैदान से खलीस पार्क।
34	200. गेवाल बिगहा मेंन रोड में सुजानचुआँ नाला से मुन्नी मस्जिद तक (सुजानचुआँ नाला)। 201. पुलिस लाईन रोड से गेवाल बिगहा मुख्य पथ तक नाला सफाई का कार्य। 202. पुलिस लाईन रोड नाला:–दुर्गा स्थान से बंगाली कॉलोनी तक नाला सफाई कार्य।
35	203. गेवाल बिगहा मेंन रोड में मुन्नी मस्जिद से गेवाल बिगहा मोड़ तक। 204. (पईन नाला) पुलिस लाईन रोड में बंगाली कॉलोनी से गेवाल बिगहा मोड़ होते हुए प्रकाश झरना तक। 205. बिचली मस्जिद गर्भ नाला रामचन्द्र भवन कोण तक। 206. बर तर से लेकर मौलाना मस्जिद गेवाल बिगहा मोड़ तक नाला का सफाई।
36	207. बउली घर से मुन्नी मस्जिद तक नाली की सफाई। 208. बेलदारी टोला से समीर तक्या अड्डा तक नाली की सफाई। 209. काली बाड़ी मंदिर से नूतन नगर होते हुए ग्रीन फील्ड स्कुल तक दोनो तरफ नाली की सफाई। 210. जयप्रकाश मंदिर से बउली पर तक नाला की सफाई। 211. जयप्रकाश नगर से दुर्गास्थान मुख्य पथ तक (सुजान चुआँ)नाला का सफाई।
37	212. गुरूगेह से कोयरी बारी रोड तक दोनों साईड का नाला का सफाई का कार्य। 213. गुरूगेह से पीर मंसुर मोड़ 214. अंम्बेदकर मार्केट से मगध पेट्रोल पंप तक 215. पूर्वी दिग्धी तालाब रोड 216. कटारी रोड नाला दोनों तरफ से होते हुए शहीद भगत सिंह चौक से शिक्षा विभाग आफिस तक।

	217. राजेन्द्र आश्रम पुल से बेलदारी टोला टिल्हा महावीर स्थान तक
38	218. ब्रहमणिघाट में महल्ला टोली से माता वैषण मंदिर के गेट तक नाला सफाई 219. राम सागर रोड पूर्वी भाग में ब्रहमस्थान से नादरागंज नाला तक। 220. पूर्वी रामसागर रोड नाला से राजेन्द्र आश्रम होते हुए शाह साहेब मस्जिद नाला तक 221. कोयरी मोड़ से होते हुए महल्ला टोली से रीभर साईड तक । 222. राम सागर रोड नाला पश्चिमी साईड में नावागढी से नादरागंज नाला पूल तक
39	223. नउआ गढ़ी से चमार टोली तक (पूर्वी भाग रामसागर रोड) नाली की सफाई। 224. महल्ला उपरडीह में मदन पाठक के घर से ब्रह्मणी घाट से हुए नदरागंज नाला तक नाली की सफाई। 225. संजू महुआर से संजय सिंह के घर होते हुए शाही मस्जिद एवं नौआगढ़ी गली में नाला की सफाई। 226. वार्ड सं0 39 अंतर्गत नई सड़क से स्वर्णकार मंदिर होते हुए बहुआर चौरा जैन मंदिर तक नाला की सफाई। 227. नौवागढ़ी मोड़ से मौलागंज अंदर गया मुख्य पथ तक नाला की सफाई।
40	228. विष्णुपुरी मोड़ से मशानघाट रोड से मनसरवा नाला तक सफाई। 229. महल्ला उपरडीह में मनोकामना मंदिर से विनय गुप्ता के घर तक एवं मनोकामना मंदिर से शिव मंदिर तक नाली की सफाई। 230. भोलागिरी आश्रम से दक्षिण दरवाजा मुख्य पथ एवं अहिल्याबाईरोड तक नाला की सफाई। 231. अहिल्याबाई मुख्य पथ के दोनो तरफ लॉजिंग हाउस से दखिण दरवाजा तक नाली की सफाई। 232. नारायण चुआँ से मनसरवा नाला तक मशान घाट रोड के दोनो तरफ नाला की सफाई।
41	233. खावा नाला मसान घाट रोड से अहिल्याबाई रोड तक एवं शौचालय होते हुए नारायणचुआँ मोड़ तक नाला की सफाई। 234. कलाली समीर तकिया मोड़ से शिव शक्ति कॉलोनी मेंहदी बाग होते हुए मंगला गौरी मोड़ तक दोनो साईड नाला की सफाई। 235. चाँद चौरा मोड़ से पूर्वी नाला नई सड़क तक नाला की सफाई। 236. मच्छरहट्टा समीर तकिया से चाँद चौरा तक दक्षिणी नाला नाला की सफाई। 237. समीर तक्या मोड़ से दुर्गा स्थान तक दक्षिण तरफ नाला की सफाई।
42	238. चाँद चौरा से पश्चिमी नई सड़क तक सेवा दल दोनो तरफ। 239. नई सड़क से नौवागढी तक रामसागर के पूर्वी नाला। 240. राजेन्द्र आश्रम से चाँद चौरा पश्चिमी नाला मंगला गौरी रोड़। 241. राजेन्द्र आश्रम मोड़ से चाँद चौरा शाह साहब से चाँद चौरा तक पूर्वी नाला। 242. राजेन्द्र आश्रम से काली बाड़ी मोड़ तक गोदावरी रोड पूर्वी नाला। 243. मछरहट्टा–रामसागर रोड से धनेश गबड़ा एवं समीर तकिया से चाँद चौरा मछरहट्टा उत्तरी नाला। 244. नावागढी मोड़ अन्दर सोनार पट्टी होते नई सड़क अड्डा तक।
43	245. मंगला गौरी गेट से शाहमीर तकिया कलाली तक। 246. मंगला माई गेट से अन्दर एवं मार्कण्डे तक। 247. पतलगंगा सिढ़ी से कॉलरा अस्पताल गेट तक।
44	248. माडनपुर में अक्षयवट मोड़ से डाक स्थान नैली मोड़ तक दोनो तरफ 249. मंगलागौरी रोड नाला सफाई। 250. माडनपुर में अक्षयवट मोड़ से डाक ।
45	251. माड़नपुर रोड से ब्रहसमत तालाब होते हुए पजेवा तक नाला की सफाई। 252. बैतरणी तालाब के दक्षिण कारू पंडा के घर से उदय चौधरी के घर तक। 253. घुघरीटाँड़ बाईपास से डंडीबाग होते हुए आयुर्वेदिक कॉलेज तक नाला की सफाई। 254. घुघरीटाँड़ बाईपास से कमल नैन के घर होते हुए छठु बिगहा लक्ष्मण यादव के घर तक नाला की सफाई। 255. मनसरवा नाला नदी से मसान घाट पुल तक नाला

	256. नारायणचुआँ से मंगला गौरी गेट तक नाला 257. विष्णुपद थाना से मगला माई तक मुख्य पथ नाला 258. मशान धाट रोड से दुर्गा बस्खोर बंगाली आश्रम होते हुए उदय चौधरी के धर के पीछे तक नाला। 259. लक्ष्मी कॉलनी से राजकुमार नगर होते हुए पुल निगम कार्यालय तक नाली
46	260. गोपी बिगहा में नाली सफाई। 261. अशोक बिहार एवं पंत नगर मे नाली सफाई ।
47	262. खजहाँपुर मध्य विद्यालय से विक्रमादित्य के घर तक। 263. मानपुर गोपालगंज रोड पूर्वी भाग नाला सफाई। 264. मानपुर गोपालगंज रोड पश्चिम भाग नाला सफाई। 265. पेहानी पईन से खंजाहापुर स्कूल तक। 266. पईन–खजाहाँपुर स्कुल से कुकरा नदी तक।
48	267. मानपुर कलाली रोड के दोनो तरफ शिवचरन लेन से खजाँहापुर नाला की सफाई। 268. मानपुर टी0 ओ0 पी0 अड्डा से ईश्वर चौधरी हॉल्ट तक एवं दुर्गा स्थान दलित टोला तक तक। 269. मानपुर टी0 ओ0 पी0 अड्डा से कुकरा पुल तक। 270. बड़ा पईनः–कलाली रोड से एवं सुर्य पोखरा तक।
49	271. महल्ला–पटवाटोली मानपुर में नन्द किशोर लाल रोड में नदी किनारे तक नाला की सफाई का कार्य। 272. महल्ला–पटवाटोली कच्ची संघत शेमराज राम पार्क से बुधिया माई होते जगदीश पान दुकान एवं कच्ची संघतसे नदी तक और सेमराज पार्क के चारो तरफ होते नदी किनारे तक नाली की सफाई का कार्य। 273. मध्य विद्यालय मानपुर अड्डा से गोपालगंज रोड मानपुर बाजार तक नाला सफाई का कार्य। 274. गद्दर पाण्डेय लेन महल्ला में भुमिगत नाला की सफाई नदी किनारे तक एवं पेहानी नई मदरसा वारिसनगर से नदी किनारे तक नाली की सफाई का कार्य। 275. महल्ला–पेहानी मानपुर में श्री दुर्गा स्थान, यूको बैंक से शिव मंदिर तक नाली का सफाई का कार्य। 276. मनोकामना महादेव मंदिर गोपालगंज रोड मानपुर से पटवाटोली होते नदी किनारे तक एवं डाक घर लेन होते बि0एन0 सहाय लेन भुमिगत नाला की सफाई का कार्य। 277. महल्ला–पेहानी बैजनाथ सहाय लेन पटवाटोली मानपुर में शेखावत नाला की सफाई का कार्य। 278. महल्ला–पेहानी मानपुर में गोपालगंज रोड से लेकर नदी किनारे तक नाली की सफाई का कार्य। 279. पुरानी मदरसा नाला। 280. चरबटिया व नौआगली नाला।
50	281. कुम्हार टोली चुनु के मकान से रेलवे लाईन तक। 282. महावीर स्थान से उतरी भाग से विशाल मार्केट तक । (कर्मी टोला) 283. जनकपुर में क्रांती लॉज से दिनकर जी के घर तक। 284. जनकपुर में कल्लु धोबी से फल्गु नदी किनारे तक । 285. जनकपुर में महेन्द्र सिंह के घर से फलगु नदी किनारे तक।
51	286. मानपुर खिजरसराय मेन रोड से सुढी टोला घर्मशाला होते पईन तक नाला सफाई। 287. मानपुर कुर्मी टोला रेलवे लाईन से पईन तक नाई टोली से पईन तक नाली सफाई। 288. मानपुर खिजरसराय मेंन रोड एकता भवन से तेली टोला दोनो गली से पईन तक । 289. मानपुर सुढ़ी टोला सरभरा नगर पहाड़तल्ली से पईन तक नाली सफाई। 290. मानपुर कुम्हार टोली वजरंग वली से मंत्री के मकान होते हुए काली पोखर से तिताइगंज स्कूल से पइन तक। 291. गया –नवादा मेन रोड से अबगीला देवी सीान के नेजाम कोलोनी से पइन तक 292. मानपूर खिजरसराय मुफासील कुम्हार टोली मेंल रोड से रेलवे लाइन ईश्वर चौधरी हाल्ट तक

52	293. नौरंगा पुल से नारायण नगर सिद्धार्थपुरी गया–नवादा रोड तक पईन की सफाई। 294. गौरक्षणी रोड के दोनो तरफ होते हुए बुल्ला शहीद तक नाला की सफाई का कार्य। 295. खरहरी कोठी से बैकुण्ठ शर्मा के घर तक लखीबाग अन्डर ग्राउण्ड नाला (भुमिगत नाला)। 296. गया–नवादा रोड शिव वचन सिंह के घर से महेन्द्र साव के घर तक रोड के दाहिनी नाला की सफाई का कार्य। 297. जगदीशपुर नाला। 298. नौरंगा रोड नालाः–गौरक्षणी रोड से
53	299. भसुण्डा फतेहपुर रोड दोनो तरफ नाला की सफाई। 300. लखीबाग गौरी कन्या विद्यालय नाला की सफाई।। 301. पार्षद महोदय के घर से रोड से पूर्व पईन भुसुण्ड़ा मेला तक नाला की सफाई। 302. नरेश चौधरी के घर से नदी तक। 303. उड़नपुर खोंठी से भुसुण्डा मेला तक। 304. गौरक्षणी रोड नालाः–बेलदारी टोला। 305. बेलदारी टोला से नवल सिंह के मकान तक नाला की सफाई। 306. चमुण्डा माई से बहुआर चौरा बिगहा तक नाला की सफाई। 307. विष्णु बिहार से सलेमपुर पैन तक नाली सफाई का कार्य।

बाढ/जलजमाव में पूर्व, दौरान व पश्चात किये जाने वाले कार्य–(तालिका–38)

बाढ़ एक व्यापक स्तर पर घटित होने वाली आपदा है तथा इससे निपटने के लिए कई विभागों व एजंसियों को समन्वित रूप से कार्य करना होता है। बाढ़ के विभिन्न चरणों में की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत् है–

चरण	कार्रवाई	संबंधित विभाग एवं हितभागी
पूर्व तैयारी	• जल जमाव एवं बाढ़ के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा बाढ़ के प्रभावों की रोकथाम हेतु आवश्यक रणनीति बनाना। मानचित्र पर संवेदनशील स्थलों व वैकल्पिक मार्ग को अंकित करना। • शरणस्थलों व सामुदायिक रसोई के सुरक्षित व मूलभूत सुविधाओं से युक्त भवनों को चिन्हित करना। शरणस्थलों व सामुदायिक रसोई के प्रभारी की सूची सम्पर्क विवरण सहित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना। • आवश्यक सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार करना। • जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया से समन्वय स्थापित कर आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर बाढ़ संभावित परिवारों की प्रवृष्टि बाढ़ पूर्व करना। • सूचनाओं के प्रभावी आदान–प्रदान हेतु संचार योजना का निर्माण करना तथा निगम स्तर पर रिर्पोटिंग आदि कार्यों हेतु **बाढ़ नियंत्रण कक्ष** की स्थापना करना तथा पदाधिकारियों कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। • सभी संबंधित हितभागियों, नाविकों, गोताखोरों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 के सहययोग से कराना। • सभी सरकारी एवं निजी नावों की पहचान एवं मरम्मति का कार्य करना। सभी नावों का निबंधन सुनिश्चित कराना। नावों को	• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया एवं एन0डी0आर0एफ0/ एस0डी0आर0एफ0

	परिचालित करने हेतु ऐसे स्थान का चुनाव जहाँ पर सभी की पहुँच आसानी से हो सके। • वार्ड स्तर पर आवश्यकतानुसार राहत बचाव दल जैसे–पूर्व चेतावनी, खोज/बचाव, प्राथमिक उपचार, शरणस्थल प्रबंधन दल का गठन करना व उनको मॉक–अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षित करना। • सामग्रियों व उपकरणों के समुचित रखरखाव हेतु भण्डार गृह का प्रावधान करना तथा कुशल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति मरम्मति कार्य हेतु करना।	
	• सभी तटबंधों पर अवस्थित स्लुईस गेट की मरम्मति जल संसाधन विभाग के सहयोग से कराना तथा जल–निकासी हेतु अधिक क्षमता वाले पम्पसेट को बाढ़ से पहले अधिष्ठापित करना।	• जल संसाधन विभाग, गया एवं लघु जल संसाधन विभाग, गया
	• नालों व तटबंधों की सतत् निगरानी करना। • संभावित क्षेत्रों में अवांक्षित तत्वों पर निगरानी रखना।	• पुलिस एवं गृह रक्षा वाहिनी
	• गया में अवस्थित जल स्त्रोतों व नालों की नियमित साफ–सफाई एवं नालों की उड़ाही की कार्रवाई किया जाना। डूबने से बचाव हेतु खुले नालों को ढंकना। • कचरा का समुचित निपटारा करना। • बाढ़ एवं जल–जमाव से निपटने संबधी कार्यों हेतु आवश्यक वित्त बजट का प्रावधान करना। • आवश्यक खोज/बचाव, पानी निकासी व सफाई उपकरणों का ससमय क्रय करना। उपलब्ध उपकरणों की मरम्मति करना। • निर्माण किए जाने वाले भवन को बाढ़ की दृष्टि से ऊंचा व सुरक्षित बनाना और बिजली के सभी उपकरणों को ऊंचे स्थान पर अधिष्ठापित करना। • शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण व सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण जलनिकासी बाधित हो जाती है। समुचित जलनिकासी एवं पर्यावरण सरंक्षण हेतु अतिक्रमण एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध नियमित अभियान चलाना। • उँचे चबुतरों पर लगे हुये बंद एवं खराब हैण्डपम्प एवं शौचालय की सूची बनाना तथा मरम्मति सुनिश्चित करना। • नगरीय क्षेत्र हेतु गठित बाढ़ राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की बैठक आयोजित कर जल–जमाव व बाढ़ के निदानात्मक उपायों पर चर्चा करना तथा आवश्यक योजना बनाना।	• नगर निगम, गया
	• मानव दवा, पशु दवा, पशु चारा आदि की उपलब्धता संबंधित विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करना। स्लम क्षेत्रों में महामारियों की रोकथाम हेतु विशेष प्रबंध करना।	• जिला स्वास्थ्य समिति, गया।
	जलजमाव व बाढ़ के मद्देनजर विद्युत आपूर्ति हेतु आपातकालीन योजना बनाना।	विद्युत आपूर्ति विभाग

बचाव / न्यूनीकरण	•कार्यदलों, हितभागियों व समुदाय का बाढ़ से बचाव एवं न्यूनीकरण आधारित प्रशिक्षण एवं मॉकड्रिल कार्यक्रम आयोजित करना। •नाजुक वर्ग एवं संवेदनशील समुदायों की सूची तैयार करना व उन्हें बाढ़ से बचाव की विधियों के बारे में जागरूक तथा संवेदनशील बनाना। •निर्माण किए जाने वाली सड़कों व अन्य मार्गों में जल स्त्रोंतों के प्राकृतिक बहाव हेतु आवश्यक सख्या में पुल, पुलिया, कल्वर्ट, ह्युम पाइप का प्रयोग करना। •नदियों, तालाबों व अन्य जल स्त्रोतों के निकट पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण करना। इससे नदियों के कटाव व वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। •बाढ़ से पूर्व संचार माध्यमों को कार्यशील रखने हेतु टावरों, विद्युत आपूर्ति, एक्सचेंज आदि की मरम्मति कराना। संचार सुविधा चालू रखने हेतु वैकल्पिक योजना तैयार करना। •वार्ड स्तर पर बाढ़ एवं जल जमाव की रोकथाम हेतु संबंधित वार्ड पार्षद, कर्मियों के सहयोग से माइक्रो प्लान बनाना। •बाढ़ के प्रति संवेदनशील कमजोर वर्गों जैसे वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग आदि की पहचान करना तथा सूचीबद्व करना। •वार्ड के सदस्यों की समझ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिप्रेक्ष्य में विकसित कर कार्ययोजना का निर्माण करना एवं क्रियान्वयन करना। •खतरनाक, डूबने वाले व गहरे स्थानों की पहचान करना, खतरा का चिन्ह / संकेत लगाना व सुरक्षा घेरा बनाना। •ऐसे पुलों अथवा पुलियों की पहचान जहाँ पर पानी अधिक और तेज करेण्ट होता है। •परिवार किट, महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं बहुमूल्य सामानों की सुरक्षा हेतु उपाय करना, परिवार किट में एक सप्ताह का सूखा खाना, कपड़े, साबुन, औजार, माचिस, मिट्‌टी तेल इत्यादि की व्यवस्था करना। •बेसिक मेडिकल रिस्पांस (प्राथमिक उपचार) पर गोताखोरों, नाविकों, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षित करना। •पुल–पुलिया के वेन्ट (तल) की सफाई करना ताकि जल स्त्रोतों का प्राकृतिक बहाव होता रहे।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया के दिशानिर्देश में सभी संबंधित सहाय्य विभाग के द्वारा
प्रत्युत्तर	•एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 व अन्य रिस्पांस एजंसियों से समन्वय स्थापित करना। •समुदाय स्तर तक मौसम व जल स्तर की जानकारी प्रदान करने हेतु आवश्यक पहल करना तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना। •क्षमता सम्वर्द्धन हेतु समय–समय पर मॉकड्रिल करना। •जल–जमाव व बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जलनिकासी हेतु कर्मियों व संवेदकों की प्रतिनियुक्ति करना। •बचाव व राहत अभियान के दौरान प्रतिक्रिया एजंसियों को सहयोग करना।	

	•बाढ़ की स्थिति होने पर बाढ़ राहत बचाव हेतु सामुदायिक रसोई व आपदा राहत केन्द्र का संचालन जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया के समन्वय स्थापित करते हुए करना। •सामुदायिक रसोई व आपदा राहत केन्द्र में भोजन, आवासन, चिकित्सा, पेयजल, शौचालय •जल–जमाव व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारियों से बचाव हेतु ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम हेतु रोगाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करना। स्वच्छ पेयजल, ओ0आर0एस0 पैकेट तथा हैलोजन टैबलेट की व्यवस्था कराना। •नदी का जल स्तर खतरे के निशान से अधिक होने पर संभावित प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पूर्व चेतावनी प्रदान करना तथा लोगों को शरणस्थलों पर शरण लेने के लिए अपील करना। •स्वच्छ पेयजल, ओ0आर0एस0 पैकेट तथा हैलोजन टैबलेट की व्यवस्था कराना। •प्रभावित क्षेत्रों में नावों का संचालन करने व प्रभावितों के सुरक्षित निष्क्रमण हेतु नाविकों व गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित घाटों व चिन्हित स्थलों पर करना। •सहाय्य कार्य की रिपोर्टिंग ससमय जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना। इस हेतु आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। •खतरनाक स्थलों की बैरिकेडिंग कराना तथा खतरे का संकेत लगाना। •क्षतिग्रस्त संरचनाओं व सड़कों की त्वरित मरम्मति कर सेवाओं को अविलम्ब चालू करना। •गैर सरकारी संगठनों व स्वैच्छिक संस्थाओं को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करना। •बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबंध करना व अस्पतालों में एंटी वेनम की पर्याप्त व्यवस्था रखना। •पशुओं के शवों का समुचित निपटारा करना। •शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन टैबलेट का वितरण करना।	
पश्चात / पुनर्निर्माण	•नुकसान का आकलन करना। प्रभावितों को अनुमन्य सरकारी योजनाओं से आच्छादित करना। •क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मति करना एवं इस प्रायोजन हेतु वित्त की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं व जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया के सहयोग से करना। •जल–जमाव व बाढ़ से बचाव हेतु विशेष योजना का निर्माण करना।	

बाढ़–आमजन हेतु महत्वपूर्ण सलाह (तालिका–39)

आपदा की प्रकृति	चरण	सलाह
बाढ़	पूर्व	• वार्ड स्तर पर बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करना तथा बाढ़/जलजमाव से निपटने की कार्ययोजना तैयार करना। • बाढ़/जलजमाव के दृष्टिगत वार्ड में व्याप्त जोखिमों, संवेदनशीलता व संसाधनों की पहचान करना। • बाढ़ पूर्व तैयारी करने के मद्देनजर वार्ड स्तर पर विभिन्न टास्कफोर्स हेतु क्षमतावर्द्धन, मॉकड्रिल एवं प्रशिक्षण आयोजित करना। • बाढ़ के दौरान पूर्व चेतावनी प्राप्त होते रहे, इस हेतु सौर ऊर्जा के उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना। • मौसम, जल स्तर, वज्रपात संबंधी पूर्व चेतावनी हेतु रेडियों, एफ0एम0 टीवी, समाचार पत्र, न्यूज पोर्टल देखते रहें। वार्ड स्तर पर विश्वसनीय सूचनाओं के प्रसार व अफवाहों के प्रबंधन हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करें। • स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों जैसे–नाव, वाहन, लाइफ जैकेट, रस्सी, बांस, फोम आदि के सहयोग से बचाव सामग्री बनाना। गोताखोरों, नाविकों, वाहन मालिकों, बढई, राजमिस्त्री आदि की सूची बनाना। • वार्ड में उँचे स्थलों एवं सुरक्षित भवनों की पहचान करना। पशुओं हेतु अलग सुरक्षित शरण स्थलों की पहचान करना। • बाढ़ के प्रति वार्ड के संवेदनशील कमजोर वर्गों जैसे वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग आदि की पहचान करना तथा सूचीबद्ध करना। • खतरनाक, डूबने वाले व गहरे स्थानों की पहचान करना, खतरा का चिन्ह/संकेत लगाना व सुरक्षा घेरा बनाना। • हाथ की सफाई, पानी के उपयोग, जल शुद्धिकरण यन्त्र, ओ0आर0एस0 के उपयोग हेतु जागरूकता अभियान का संचालन निरंतर अन्तराल पर करना। • परिवार किट, महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं बहुमूल्य सामानों की सुरक्षा हेतु उपाय करना, परिवार किट में एक सप्ताह का सूखा खाना, कपड़े, साबुन, औजार, माचिस, मिट्टी तेल इत्यादि की व्यवस्था करना। • वार्ड में बाढ़ के इतिहास के मद्देनजर ऊंचा घर, शौचालय, और ऊंचा चबूतरा युक्त चापाकल का निर्माण करें।
	दौरान	• बचाव दलों/रिस्पांस एजंसियों को स्थिति से अवगत कराना एव मानचित्र के माध्यम से सुरक्षित रास्तों के बारें में बताना। बचाव दलों को आवश्यक सहयोग एवं संसाधन मुहैया कराना। • स्थानीय राजमिस्त्री/कारीगर या पी0एच0ई0डी0 के द्वारा हैण्डपम्प को ठीक करना। • मच्छरों एवं जलजनित बीमारियों से बचाव हेतु स्वच्छता हेतु ब्लीचिंग पाउडर, चूना इत्यादि का छिड़काव कराना। हैण्डपम्पों व कुँओ को ब्लीचिंग पाउडर से विसंक्रमित करना। • सबसे पहले कपड़े, जरूरी दवाईयाँ, कीमती सामान, कागज इत्यादि को जलरोधी बैग में अपने आपात किट के साथ रखें। • आपात–राहत सामग्री साथ रखें। • अपने गंतव्य स्थान की सूचना स्थानीय प्रशासन व स्वयंसेवी संगठनों को दें।

		• बिजली आपूर्ति को बन्द कर दें। • रेत की बोरियाँ रखकर स्नानघर, शौचालय एवं सभी प्रकार के घर के छिद्रों को बन्द कर दें। • घर में ताला लगाकर बताये गये रास्ते से घर को खाली करें। • अनभिज्ञतावश ज्यादा पानी वाली जगहों पर न जायें। आने–जाने के लिए लाठी का प्रयोग करें। • स्थानीय रेडियो एवं टी0वी0 पर निर्देश सुनते रहें। • राहत सामग्री का पारदर्शी व न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित कराना।
	पश्चात	• बाढ़ के दौरान किए गए रिस्पांस कार्य की समीक्षा करना तथा बाढ़ के न्यूनीकरण व प्रबंधन के लिए आवश्यक पहल करना।
नाव दुर्घटना	पूर्व	• नावों का पंजीकरण कराएं। • नाव पर भार क्षमता का अंकन होना आवश्यक है तथा भार क्षमता के अनुसार ही नाव पर लोग सवार होने चाहिए। • नाविक व गोताखोर को प्रशिक्षित होना चाहिए। नाव पर इम्प्रावाईज तरीकों से तैयार लाइफ जैकेट तथा अन्य बचाव सामग्री अवश्य होनी चाहिए। • नावों के घाट सुरक्षित तथा सुगम पहुँचयुक्त होने चाहिए।
	दौरान	• त्वरित राहत बचाव करें। • नावों का संचालन प्रातः 06.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक ही करें। • नावों का संचालन तेज धारा में नहीं करें।
	पश्चात	• नाव की मरम्मति करें। • पर्याप्त संख्या में नावों का प्रबंध करे।
डूबने से होने वाली मृत्यु	पूर्व	• नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित जल स्त्रोतों के खतरनाक स्थलों को चिन्हित करते हुए ऐसे स्थलों की सूचना नगर प्रबंधक, नगर निगम, गया अथवा ICCC को दें। • अति–संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा संकेत व चेतावनी बोर्ड लगाने हेतु नगर निगम, गया अथवा जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया से समन्वय स्थापित करें। • जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया के समन्वय से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा संचालित सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय गोताखोरों व नाविकों का प्रशिक्षण करायें। तत्पश्चात, स्थानीय विद्यालयों व वार्डों में युवकों, युवतियों, विद्यार्थियों आदि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। • स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक की बोतल से बनने वाली लाइफ जैकेट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जलजमाव व बाढ़ की स्थिति में बांस व फोम से बनी राफ्ट का अधिक से अधिक आवागमन हेतु प्रयोग करें।
	दौरान	• बच्चों को पुल/पुलिया/ऊँचें टीलों से पानी में कूदकर स्नान करने से रोकें। • खतरनाक चिन्हित घाटों/तालाबों/गड्ढ़ों के किनारे न स्वयं जायें न ही जायें बच्चों को जाने दें। • यदि तैरना जानते हों तभी नदियों/तालाबों/घाटों के किनारे जाएँ, तैरते समय अति आत्मविश्वास से बचें। • बच्चों को नदियों/तालाबों/तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें। • कम उम्र के बालक/ बालिकाओं को नदियों, तालाबों तथा गड्ढ़ों में नहाने के लिए या खेलने के लिए अकेले नहीं छोड़ें। • बाढ़ व जलजमाव के पानी में सेल्फी या फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी नहीं करें, यह खतरनाक व जानलेवा हो सकता है।

	पश्चात	• डूबने के प्रति संवेदनशील स्थलों को सुरक्षित बनाने व बैरिकेडिंग करने हेतु संबंधित वार्ड पार्षद के माध्यम से प्रस्ताव नगर निगम, गया को उपलब्ध कराया जाए।
जल जनित महामारी का प्रसार	पूर्व	• नालों व तालाबों की साफ–सफाई कराना तथा आसपास के क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। • बाढ़ व जलजमाव के कारण होने वाली जल जनित महामारी के प्रति अति–संवेदनशील को चिन्हित करना तथा इस संबंध में नगर निगम प्रशासन को अवगत करना। • कूड़े–कचरे को नगर निगम, गया द्वारा निर्धारित स्थलों पर डालें। • मानसून के दौरान घरों, छतों व कबाड़ आदि में जलजमाव नहीं होने दें, इससे डेंगू व मलेरिया के प्रभाव को कम किया जा सकता है। • स्वच्छता व आसपास की पर्यावरणीय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
	दौरान	• नगर प्रशासन व जिला स्वास्थ्य समिति, गया से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में एन्टी लार्वा, एन्टी बैकटेरिया व अन्य कीटनाशकों का छिड़काव करना। • जल जनित रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को जांच, चिकित्सा व पोषण हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराना अथवा चिकित्सकीय परामर्श लेना। • साफ–सफाई व कूड़ा निपटान में आवश्यक सहयोग करना।
	पश्चात	• जलजनित रोगों के प्रसार के कारणों की जांच करना तथा आवश्यक प्रबंध करना।
सर्पदंश	पूर्व	• वन विभाग के सम्पर्क विवरण रखना तथा संबंधित कर्मियों से समन्वय बनाए रखना। • अस्पतालों में एंटी वेनम सिरम की उपलब्धता की जांच करना। उपलब्धता नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों को स्थिति से अवगत कराना। • घरों के आसपास साफ–सफाई रखना व विसंक्रमित रखना। • मानसून से पहले झाड़ियों की साफ–सफाई कराना। कबाड़ व अनुपयोगी सामग्रियों का भण्डारण नहीं करना। • सोने से पहले बिस्तर की जांच करना। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखना। • घर में सांपों को भगाने हेतु लाठी एवं डण्डा रखें।
	दौरान	• प्रभावित व्यक्ति को धैर्य प्रदान करें। • सर्पदंश से प्रभावित अंग को साबुन–पानी से धोएं । • सर्पदंश से प्रभावित अंग को स्थिर करके रखें । • तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुँचाएं तथा विशेषज्ञ चिकित्सीय सहायता लें। • बर्फ अथवा अन्य ठंडे पदार्थ का इस्तेमाल काटे गये स्थान पर नहीं करें। अनुसंधान के अनुसार यह खतरनाक हो सकता है। • टुर्निकेट नहीं बाँधे । इससे संबंधित अंग में रक्त प्रवाह पूरी तरह रूक सकता है एवं संबंधित अंग की क्षति हो सकती है। • काटे गये स्थल पर चीरा न लगाए। इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकी है एवं खून का बहाव नुकसान पहुँचाता है।
	पश्चात	• घर के आसपास के क्षेत्रों की जांच करें।

12.2 अगलगी

नगर निगम, गया में भीषण गर्मी का अत्यधिक प्रभाव रहने, सघन बाजारों, संकरे आवासीय क्षेत्रों, स्लम क्षेत्रों व औद्योगिक ईकाइयों के कारण अगलगी के प्रति अति संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में सम्मिलित है। गया शहर में कई क्षेत्रों यथा के0पी0 रोड, जी0बी0 रोड, टॉवर चौक, गोल पत्थर तथा गेवल बीघा में विद्युत तारों के जंजाल व लूज होने से शार्ट सर्किट का खतरा विद्यमान रहता है। गया में अवस्थित ज्वलनशील पदार्थों से युक्त तेल डिपो, पेट्रोल पम्प, सी0एन0जी स्टेशन आदि भी अगलगी की संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। कई क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्या के कारण भी अगलगी का खतरा बना रहता है।

शहरी क्षेत्र के कई भागों में अग्निशमन वाहन रास्तों के संकीर्ण होने के कारण पहुँच नहीं होने से फायर रिस्पांस में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना अग्निशमन विभाग को करना पड़ता है। गया के शहरी क्षेत्र में अगलगी की रोकथाम के दृष्टिगत जागरूकता एवं मॉकड्रिल कार्यक्रम संचालित किया जाना आवश्यक है।

नगर निगम, गया में अगलगी के प्रमुख हॉटस्पॉट–के0पी0 रोड में धामी से पहले पटाखा बजार

संवेदनशील प्रतिष्ठान– पेट्रोल पम्प, एल0पी0जी0 गैस गोदाम, ए0पी0ओ0 शॉपिंग

संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्र–मानपुर पंखा टोली

नगर निगम, गया में स्लम क्षेत्रों की संख्या–42

अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र–कलेक्ट्रेट परिसर, के0पी0 रोड गोल घर

वार्डवार अगलगी की संवेदनशीलता

अति–संवेदनशील वार्ड–	49, 45, 40, 39, 22, 14, 7,3 2
संवेदनशील वार्ड–	शेष सभी वार्ड
सामान्य वार्ड–	37 एवं 23

वर्ष 2022 में अगलगी का विवरण (तालिका–40)

माह	अगलगी की संख्या	ग्रामीण आग	शहरी आग	जलने से मृत व्यक्ति की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	घायल पशुओं की संख्या
जनवरी	09	04	05	0	0	2005	01
फरवरी	04	02	02	0	0		0
मार्च	06	02	04	0	0		0
अप्रैल	38	31	07	0	01	02	0
मई	10	04	06	0	01		01
जून	05	01	04	0	0		0
जुलाई	05	01	04	0	0		0
अगस्त	05	0	05	0	0		0
सितम्बर	05	02	03	0	0		0
अक्टूबर	08	03	05	0	0	01	0

नवम्बर	04	02	02	0	0		0
दिसम्बर	06	05	01	0	0		0
कुल	105	57	48	0	02	2008	02

अगलगी के घटना की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित स्थल

गया में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर निम्न क्षेत्र अगलगी के दृष्टिकोण से अति–संवेदनशील पाए गए हैं, इन क्षेत्रों में संवेदनशीलता का प्रमुख कारण सघन आबादी, संकरे रास्ते, अग्निशमन वाहनों के पहुँच पथ का अवरूद्ध होना, स्लम क्षेत्र होना, अग्निशामक यंत्रों की अनुपलब्धता है। इन क्षेत्रों में रास्तों पर अतिक्रमण भी अधिक है। गया में बहु–मंजिली इमारतों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके अनुसार भी अगलगी रिस्पांस योजना बनाई जानी आवश्यक है। **तालिका–41**

वार्ड नं0	चिन्हित स्थल	संवेदनशीलता का कारण
39	बहुआर चौराहा एवं निकटवर्ती क्षेत्र	संकीर्ण क्षेत्र
49	मानपुर पटवा टोली	औद्योगिक क्षेत्र एवं संकीर्ण क्षेत्र
7	किराणी घाट से चांद–चौरा तक फल्गु नदी के तराई क्षेत्र	संकीर्ण क्षेत्र
2, 3	डेल्हा रेलवे लाइन पार का क्षेत्र	संकीर्ण क्षेत्र

चिन्हित स्लम क्षेत्र (तालिका–42)

क्र0स0	स्लम क्षेत्र का नाम	वार्ड संख्या
1.	हरिजन टोली, मुरलीहील	11
2.	हरिजन टोली, रामधनपुर	9
3.	हरिजन टोली, खरखुरा	1
4.	हरिजन टोली, पिता महेश्वर, चमरटोली	22
5.	भुई टोली, डेल्हा	2
6.	हरिजन टोली, भैरो स्थान	43
7.	हरिजन टोली, वैरागी	10
8.	हरिजन टोली, रमना	22
9.	हरिजन टोली, लखनपुरा	45
10.	हरिजन टोली, घुघड़ीटांड़	45
11.	हरिजन टोली, गेवाल बिगहा, भाग–1	33
12.	हरिजन टोली, गेवाल बिगहा, भाग–2	34
13.	हरिजन टोली, मुस्तफाबाद	30
14.	हरिजन टोली, विजय बिगहा	2
15.	हरिजन टोली, डेल्हा, धनिया बगीचा	27
16.	हरिजन टोली, बक्सू बिगहा	46
17.	हरिजन टोली, माड़नपुर	44
18.	हरिजन टोली, कपीलधारा	44
19.	हरिजन टोली, किरानी घाट	14
20.	हरिजन टोली, इमलियाचक	30
21.	हरिजन टोली, अक्षयवट	44
22.	हरिजन टोली, दौनापुर	42
23.	हरिजन टोली, पहसी	8

24.	हरिजन टोली, मानपुर	51
25.	गांधीनगर हरिजन टोली, भाग–1, मानपुर	50
26.	गांधीनगर हरिजन टोली, भाग–2, मानपुर	50
27.	हरिजन टोली, भुसुण्डा	53
28.	डोम टोली, स्टेशन रोड	16
29.	हरिजन टोली, ब्रह्मसत	45
30.	हरिजन टोली, कुम्हरटोली, मानपुर	50,51
31.	हरिजन टोली, कटारी हील	28
32.	हरिजन टोली, सलेमपुर	53
33.	हरिजन टोली, भटबिगहा	30
34.	हरिजन टोली, नादरागंज	38
35.	हरिजन टोली, इकबालनगर	6
36.	हरिजन टोली, वारिसनगर	5
37.	हरिजन टोली, रामपुर	31
38.	हरिजन टोली, अबगीला	51
39.	हरिजन टोली, खटकाचक	44,46
40.	हरिजन टोली, इमलियाचक	30
41.	हरिजन टोली, साउथ पुलिस लाईन	33
42.	हरिजन टोली, सिंगरा स्थान	34

अगलगी संवेदनशीलता के न्यूनीकरण हेतु आवश्यक सुझाव

- सघन व संकरे मोहल्लों में अग्निशमन रिस्पांस को बेहतर करने व न्यूनीकरण हेतु मोटरबाइक आधारित फायर टेंडर, औद्योगिक इकाइयों हेतु फोम आधारित फायर टेंडर, बहु–मंजिला इमारतों हेतु लैडर युक्त भारी क्षमता के फायर टेंडर का प्रावधान किया जा सकता है। इसकी अधियाचना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस0डी0एम0एफ0) के तहत की जा सकती है।

नगर निगम, गया अन्तर्गत अवस्थित पेट्रोल पम्प (तालिका–43)

क्र0स0	**पेट्रोल पम्प**
1.	स्टेशन रोड पर पेट्रोल पम्प
2.	स्वराजपुरी रोड भारत सेवा आश्रम के निकट पेट्रोल पम्प
3.	मिर्जा गालिब मोड़ पर पेट्रोल पम्प
4.	सरकारी बस स्टैण्ड के पहले पेट्रोल पम्प
5.	संरोगी पेट्रोल पम्प
6.	गया कॉलेज के सामने पेट्रोल पम्प
7.	गेवल बीघा मोड़ के पास पेट्रोल पम्प
8.	सिकारिया मोड़ के पास पेट्रोल पम्प
9.	मेडिकल कालेज (बुलेट शो रूम के पास)
10.	मानपुर पुल के पास रिवर साइड पर पेट्रोल पम्प

नगर निगम, गया अन्तर्गत अवस्थित गैस एजेंसी (तालिका–44)

क्र0स0	गैस एजेंसी का नाम	पता
1.	अंशु इण्डेन	महेश्वर रमना रोड कार्नर
2.	माँ गुरूवंदना गैस एजेंसी	उमेश चन्द्र सरकार रोड
3.	विनय इण्डेन	महानंदपुर मानपुर मोड़
4.	टी0एन0एस0 इण्डेन	चन्दवती मोड़
5.	नरायणी इंडियन	जगजीवन कालेज
6.	सरस्वती इन्टरप्राईजेस	रैक साइड
7.	श्याम इण्डेन	कटारी मोड़
8.	अभिनव इन्टरप्राईजेस	गेवल बीघा रोड
9.	गैस घर	चन्दवती मोड़
10.	एच0पी0 शोभराज एजेंसी	अम्बेडकर चौराहा
11.	राजवीर इण्डेन	मुस्तफाबाद
12.	माँ शान्ति एच0पी0	मुस्तफाबाद
13.	रेखा भारत गैस	धरमदेव नगर

अगलगी से निपटने हेतु गया में उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों की संख्या (तालिका–45)

क्र0स0	वाहन संख्या	गाड़ी का प्रकार	क्षमता
1.	BR-1G-6923	वाटर वाउजर	12000 ली0
2.	BR-1G-6956	फोम टेण्डर	4000 ली0
3.	BR-1G-6943	रेस्क्यू टेण्डर	2500 ली0
4.	BR-01GB-4496	वाटर टेण्डर	4500 ली0
5.	BR-02AA-4546	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
6.	BR-02-AA-4548	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
7.	BR-02AA-4635	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
8.	BR-02GB-4693	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
9.	BR-0GB-4696	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
10.	BR-02GB-4701	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
11.	BR-02GA-1897	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम

12.	BR-1G-6977	वाटर टेण्डर	4500 ली0
13.	BR-1GB-4735	वाटर टेण्डर	3000 ली0
14.	BR-02GB-4699	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
15.	BR-02AA-3254	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
16.	BHR16-8817	वाटर टेण्डर	4500 ली0
17.	BR-02AA-4549	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
18.	BR-02AA-4551	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
19.	BR-02GB-4695	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
20.	BR-02GB-4697	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
21.	BR-02GB-4698	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
22.	BR-1GB-4506	वाटर टेण्डर	4500 ली0
23.	BR-1GB-4732	वाटर टेण्डर	3000 ली0
24.	BR-1GB-5941	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
25.	BR-1G-6957	वाटर टेण्डर	4500 ली0
26.	BR-01GB-4748	वाटर टेण्डर	3000 ली0
27.	BR-02GB-4694	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
28.	BR-02GB-4700	मिक्सड टेक्नालॉजी वाहन	300 ली0 पानी एवं 100 ली0 फोम
29.	BR01-GM-0339	वाटर टेण्डर	4500 ली0
30.	BR01-GM-0340	वाटर टेण्डर	4500 ली0
31.	CN-06744	वाटर टेण्डर	4500 ली0

नगरीय क्षेत्र में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, कर्मियों एवं हेल्पलाइन नम्बर का विवरण (तालिका–46)

क्र0स0	पदनाम / हेल्पलाइन	विवरण	मोबाइल नम्बर
1.	आपातकालीन सेवा		112
2.	फायर ब्रिगेड सेवा		101
3.	पुलिस सहायता		100
4.	जिला अग्निशमन पदाधिकारी, गया		7485805959

5.	अग्निशमन पदाधिकारी, गया		7485805958
6.	जिला अग्निशमन कार्यालय		0631–2222258
7.	सहायक अग्निशमन पदाधिकारी	श्री देवेन्द्र कु0वर्मा	9931650520
8.	सब आफिसर	श्री संजय कु0 सिंह	7004348418
9.	प्रधान चालक	श्री अर्जुन कुमार सिंह	7979742499
10.	अग्निक / 254	श्री उमेश कुमार	8002147621
11.	अग्निक / 406	श्री सीताराम चौधरी	8102155535
12.	अग्निक / 442	श्री शिवजी पासवान	9334261449
13.	अग्निक / 435	श्री अशोक पासवान	7352907955
14.	अग्निक / 413	श्रीमती सीमा कुमारी	8969768467
15.	अग्निक / 418	श्री सनोज कुमार	8873264579
16.	अग्निक / 446	श्री नृपेन्द्र कुमार	9709550019
17.	अग्निक / 480	श्री कौशल कुमार	9576031177
18.	अग्निक / 357	श्री अनिल कुमार यादव	6203626368
19.	अग्निक / 376	श्री राजु कुमार यादव	8873704450
20.	अग्निक / 545	श्री नित्तम कुमार	8083688612
21.	अग्निक / 508	श्री मिथिलेश पाल	8757564292
22.	अग्निक / 334	श्री मोतीलाल चौधरी	7004329138
23.	अग्निक / 274	श्री अशोक कुमार	8541950230
24.	अग्निक / 31	श्री रमेश कुमार	8521989105
25.	अग्निक / 348	श्री किशोर कुमार	8804517398
26.	अग्निक / 405	श्री धनजी यादव	9931503860
27.	अग्नि चालक / 601	श्री भोला कु0 राय	9771110976
28.	अग्नि चालक / 610	श्री अमृत कुमार	7301635586
29.	अग्नि चालक / 642	श्री अमित कु0 वर्मा	7903094562
30.	अग्नि चालक / 722	श्री रूपेश कुमार पासवान	8677950038
31.	अग्नि चालक / 624	श्री मो0 तौकीर अली	8544102938
32.	अग्नि चालक / 581	श्री अरविंद कुमार	7903055722
33.	अग्नि चालक / 532	श्री संजय कुमार	9818369642
34.	अग्नि चालक / 332	श्री चंदन कुमार	7004039603
35.	अग्नि चालक / 57	श्री शम्भू कुमार	8789417208
36.	अग्नि चालक / 67	श्री चंदन कुमार 2	8877680224
37.	अग्नि चालक / 710	श्री विक्रम कुमार	7070115611

संबंधित विभागों द्वारा अगलगी की रोकथाम, प्रत्युत्तर एवं न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाई
तालिका–47

चरण	कार्रवाई	संबंधित विभाग एवं हितभागी
पूर्व तैयारी	• नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं सम्बंधित विकास प्राधिकरण द्वारा नये भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए दिये जाने वाले भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016 (National Building Code of India, 2016) के अर्न्तगत किये गये प्रावधानों के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि भवन निर्माण के भूखण्ड मानचित्र योजना (Building Layout Plan) में अग्निसुरक्षा मानकों व सुरक्षित निष्कासन हेतु आवश्यक नियोजन किया गया है। • नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के परिक्षेत्र में स्थापित फायर हाईड्रेंट, पानी की टंकी व नलकूपों को क्रियाशील रखना। ई–गवर्नेंस माध्यमों यथा–जन सेवा केन्द्रों, दूरभाष, इण्टरनेट एवं काल सेंटर आदि से जनसुविधाओं, फायर हाईड्रेंट/नलकूप मरम्मत, अग्नि जोखिम संबंधी प्राप्त जन–शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करना। • फायर हाईड्रेंट, पानी की टंकी व नलकूपों पर तैनात कर्मियों के सर्म्पक नम्बरों को विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों–पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराना जिससे आपात स्थिति में समन्वय स्थापित कर बचाव कार्य त्वरित व प्रभावी रूप से किया जा सके। • नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यो में अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रावधान करना। कार्यालयों व वाहनों को अग्निशामक यन्त्रों से सुसज्जित करना। • नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कर्मियों, चालको को अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन यन्त्र संचालन व प्रत्युत्तर संबंधी प्रशिक्षण/मॉकड्रिल अग्निशमन विभाग की देखरेख में कराना। • नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत द्वारा ढुलाई, कूड़ा उठाने, मलबा हटाने वाले समस्त वाहनों व उपकरणों (जैसे–ट्रक, ट्रैक्टर, टाटा मैजिक, डंपर–लोडर, जे0सी0बी0,कंटेनर, स्वीपिंग मशीन, पोकलेन, हाइड्रोलिक क्रेन, फांगिग मशीन) आदि को कार्यचालन की स्थिति में रखना।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया नगर निगम, गया जिला अग्निशमन कार्यालय, गया पुलिस अनुमण्डल पदाधिकारी अंचल अधिकारी

	• प्रशासन के सहयोग से निरन्तर अवधि पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल तक बिना किसी बाधा के बचाव कार्य हेतु पहुँच सकें। • अगलगी प्रत्युत्तर क्षमता को बेहतर बनाने हेतु नगरीय क्षेत्र में अवस्थित पम्प हाउस तथा जल मिनार में यार्ड हाइड्रेन्ट व फीमेल कपलिंग को जोड़ा जा सकता है, इससे फायर टेंडर में अगलगी के दौरान आवश्यकता पड़ने पर पुनर्जलभरण किया जा सकता है। • नगर निगम एवं जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया के स्तर से अग्निशमन विभाग के सहयोग से नगरीय क्षेत्र के संवेदनशील प्रतिष्ठान, अस्पताल, स्कूल, सघन बाजारों, संकीर्ण गलियों, औद्योगिक इकाइयों, धार्मिक स्थलों, सरकारी भवनों में नियमित रूप से फायर ऑडिट किया जाना चाहिए। • सार्वजनिक स्थलों, सरकारी व निजी संस्थानों में अधिक से अधिक संख्या में अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन किया जाना चाहिए। • संकीर्ण गलियों व स्लम क्षेत्रों में अगलगी की रोकथाम हेतु विशेष कार्ययोजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है। • नगरीय क्षेत्र में अगलगी की रोकथाम एवं आमजन को संवेदनशील बनाने हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, सुरक्षित निष्कासन अभ्यास किया जाना।	
दौरान	• अग्निकांड की घटना होने पर तुरंत कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर संबधित कर्मचारियों को दिशा–निर्देश देना व आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करना। • बेहतर अन्तर विभागीय समन्वय हेतु संबंधित विभागों, रिस्पांस एजंसियों व हितभागियों के साथ मॉकड्रिल करना। • प्रशासन/राहत–बचाव एजंसियों द्वारा अग्निकांड से प्रभावित घटनास्थल पर किये जा रहे राहत व बचाव कार्य में आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से पहुँचकर इंसीडेंट कमाण्डर के दिशानिर्देश में बचाव कार्य व मलबा हटाने में सहयोग करेंगें। • राहत शिविर लगाना तथा प्रभावितों हेतु स्वच्छ पेयजल व खाद्य सामग्री का प्रबंध करना। • अग्निकांड के कारण घटना स्थल तक पहुँच मार्ग संकरा/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सड़क की मरम्मति करना।	
पश्चात	• बचाव स्थल से मलबा हटाकर साफ–सफाई सुनिश्चित करना व जनसुविधाओं को बहाल करना।	

	• क्षति आकलन कार्य में नगर परिक्षेत्र व प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करना। • बचाव कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुए वाहनों, उपकरणों व संसाधनों की मरम्मत कर कार्यचालन योग्य बनाना।	

अगलगी प्रत्युत्तर क्षमता को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक उपाय

- त्वरित फायर रिस्पांस कराना एवं बचाव कार्यों का संचालन करना।
- सभी प्रतिष्ठानों/संस्थानों की सुरक्षा जांच करना एवं फायर ऑडिट करना।
- सुरक्षा मानकों/राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड/बिहार बिल्डिंग कोड के अनुरूप पाए गए प्रतिष्ठान/संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना एवं सुरक्षा मानकों के अनुरुप नहीं पाए गए प्रतिष्ठान/संस्थान के विरूद्ध प्रषासनिक कार्रवाई करना एवं दण्ड का प्रावधान करना। समय–समय पर संबधित हितभागियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- विभागों/जन–प्रतिनिधियों/स्वैच्छिक संगठनों/हितभागियों एवं समुदाय हेतु अग्नि सुरक्षा जन–जागृति के दृष्टिगत मॉकड्रिल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- अग्निशमन कर्मियों के बचाव हेतु अग्निशामक किट व प्राथमिक उपचार किट की व्यवस्था करना।
- अगलगी के घटना स्थल तक शीघ्र पहुँचने के लिए Route Chart तैयार करना।
- Fire Zone Area के समीप Water Tanks/iEilsV एवं अन्य जल–श्रोतों की मैपिंग करना।
- Hot-Spot Areas में उपलब्ध जलस्त्रोत व फायर हाईड्रेन्ट का ब्योरा एकत्र कर सूचीबद्व करना एवं उसका उपयोग करना।
- अग्निशमन दलों का रिफ्रेशर क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण आयोजित करना। अन्य रिस्पांस टीमों के साथ संयुक्त अभ्यास करना।
- अग्निकाण्ड घटनास्थलों पर त्वरित पहुँचने हेतु अग्निशमन वाहनों में जी0पी0एस0 बेस्ड नेवीगेशन सिस्टम/ जी0पी0एस ट्रेकर डिवाइस लगाना तथा एन0आई0सी0 से समन्वय स्थापित कर अंचलवार पंचायत/वार्ड का अक्षांश एवं देशान्तर का विवरण प्राप्त कर अभिलेखीकरण कर लेने कार्रवाई करना।
- अग्निशमन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर क्षति आकलन (मानव हानि, पशु हानि, आर्थिक नुकसान) व विभाग द्वारा फायर फाईटिंग से बचाये गये (मानव, पशु व सम्पत्तिं) का आकलन करना।
- फायर फाईटिंग कार्य की समीक्षा कर फायर फाईटिंग सेवा को और बेहतर बनाने हेतु कार्ययोजना बनाना। स्थानीय समुदाय को अग्नि निरोधात्मक उपायों को लागू करने हेतु प्रेरित करना।
- जन समुदाय को दुर्घटना बीमा व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जनरल/प्रापर्टी बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना।

औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठान हेतु अगलगी से बचाव हेतु महत्वपूर्ण सुझाव

- फैक्टरी अधिनियम, 1948 (संशोधित–2017) में निहित मानकों व प्रावधानों का अनुपालन करना। कारखानों में फायर सेफ्टी प्रभारी प्रतिनियुक्त करना।
- दुकानों, कारखानों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निसुरक्षा हेतु आवश्यक उपकरण, संसाधनों व कुशल मानव संसाधनों की व्यवस्था करना।
- कर्मियों को अग्निसुरक्षा व अग्नि बचाव के तरीकों पर प्रशिक्षित करना।
- ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना। अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत ऑन साइट व ऑफ साइट योजना बनाना।

- राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016 (National Building Code of India, 2016) के अर्न्तगत किये गये प्रावधानों को लागू करना।
- नियमित अन्तराल पर फायर ड्रिल एवं अन्य बचाव अभ्यास करना।

गया नगरीय क्षेत्र व आसपास के फायर हाईड्रेन्ट की सूची (तालिका–48)

क्र0स0	जलस्त्रोत का नाम	प्रकार
1.	भुसुनदा मेला	हाइड्रेन्ट वाल्व
2.	मस्तलीपुर	हाइड्रेन्ट वाल्व
3.	बुद्धा महादेव	हाइड्रेन्ट वाल्व
4.	आजाद पार्क	हाइड्रेन्ट वाल्व
5.	दण्डीबाग	हाइड्रेन्ट वाल्व
6.	जनता कॉलोनी	हाइड्रेन्ट वाल्व
7.	कॉटन मिल टाप	हाइड्रेन्ट वाल्व
8.	कॉटन मिल बदानी	हाइड्रेन्ट वाल्व
9.	लखीबाग	हाइड्रेन्ट वाल्व
10.	न्यू गोदाम शिव मंदिर	हाइड्रेन्ट वाल्व
11.	न्यू गोदाम ओल्ड	हाइड्रेन्ट वाल्व
12.	फायर स्टेशन	हाइड्रेन्ट वाल्व
13.	खरखुरा	हाइड्रेन्ट वाल्व
14.	निगम स्टोर	हाइड्रेन्ट वाल्व
15.	गुरू नानक स्कूल	हाइड्रेन्ट वाल्व
16.	निगम सिनेमा	हाइड्रेन्ट वाल्व
17.	जोरा मस्जिद	हाइड्रेन्ट वाल्व

गया नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख तालाबों व घाटों की सूची (तालिका–49)

क्रम संख्या	तालाब का नाम	वार्ड संख्या
01	राम शिला पोखर	05
02	सूर्य मंदिर पोखर	05
03	लाल बाबा तालाब	06
04	पीताम्हेश्वर तालाब	22
05	सिघरा स्थान तालाब	33
06	सरयुग पोखर	33
07	दिघी तालाब	37
08	राम सागर तालाब	40
09	सूर्य कुंड तालाब	40
10	गोदावरी तालाब	43
11	अक्षयबट (रुकमनी तालाब)	44
12	ब्राहमशल्य तालाब	45
13	बैतरनी पोखर	45
14	सूर्य पोखर तालाब (मानपुर)	49

☞ अगलगी से बचाव हेतु आवश्यक सलाह

सामान्य जनता हेतु

–दिन का खाना 09 बजे सुबह से पूर्व तथा रात का खाना शाम 06 बजे के बाद बनायें।
–हवन आदि का काम सुबह 09 बजे से पूर्व निपटा लें।
–भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह बुझा दें। गैस सिलेण्डर का रेग्यूलेटर बन्द कर दें।
–रसोई घर की छत ऊँची रखी जाय। साथ ही, ज्वलनशील सामग्रियों को रसोई घर और बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
–आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी को बोरे में भरकर तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें। यदि संभव हो तो किचन, स्टोर रूम व ए0सी0 के निकट अग्निशमन यंत्र रखें।
–जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर–उधर नहीं फेंके।
–घर के किसी भी उत्सव के लिए लगाये टेन्ट अथवा कनात के नीचे से बिजली के तार को न ले जाएं।
– जहां पर सामूहिक भोजन इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहां पर दो से तीन ड्रम पानी अवश्य रखा जाए। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाए।
–खाना बनाते समय ढीले–ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना न बनाएं, हमेशा सूती कपड़ा पहनकर ही खाना बनाएं। यदि संभव हो तो एप्रन पहनकर ही भोजन बनाएं।
–सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलें।
–आग लगने पर सर्वप्रथम समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें। साथ ही, फायर ब्रिगेड (101 नम्बर), पुलिस (100 एवं 112 नम्बर) तथा स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करें एवं उन्हे सहयोग करें।
–सायरन की घंटी बजाती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अवरोध रहित आगे बढ़ने हेतु अपने वाहनों को किनारे करके खड़ा कर लें।
–अगर आपके कपड़े में आग लगे तो दौड़ें या भागें नही बल्कि जमीन पर लेटकर तथा लुढ़क कर आग बुझाने का प्रयास करें।

विद्युत उपभोक्ताओं हेतु

–बिजली के लूज तारों से निकली चिनगारी भी आग लगने का कारण बन जाती है। अतएव जहां कहीं लूज तार दिखे उसकी सूचना बिना देर किये ऊर्जा विभाग/संबंधित बिजली विभाग के अभियंताओं को दी जाए।
–बिजली के तारों में कटिया/टोंका न लगाएं। तार को खुला न छोडें।
–शार्ट सर्किट से लगने वाली आग के बचाव हेतु बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मति करा लें।
–शार्ट सर्किट से लगने वाली आग के नियन्त्रण हेतु मेन स्विच, एम0सी0वी0 व फॉयर अलार्म अवश्य लगाएं।
–ए0सी0 का तापमान आवश्यकतानुसार **22°C** से **24°C** तक रखें। भोजन बनाने हेतु हीटर का प्रयोग न करें।
–अगलगी की स्थिति में बिजली काटने हेतु विद्युत विभाग के नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र/सब स्टेशन के महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर अपने पास रखें।
–अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान की फायर ऑडिट अवश्य करायें तथा अग्निशमन यन्त्र पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापित करें।

MANUAL MAP WATER SOURCES OF DISTRICT GAYA

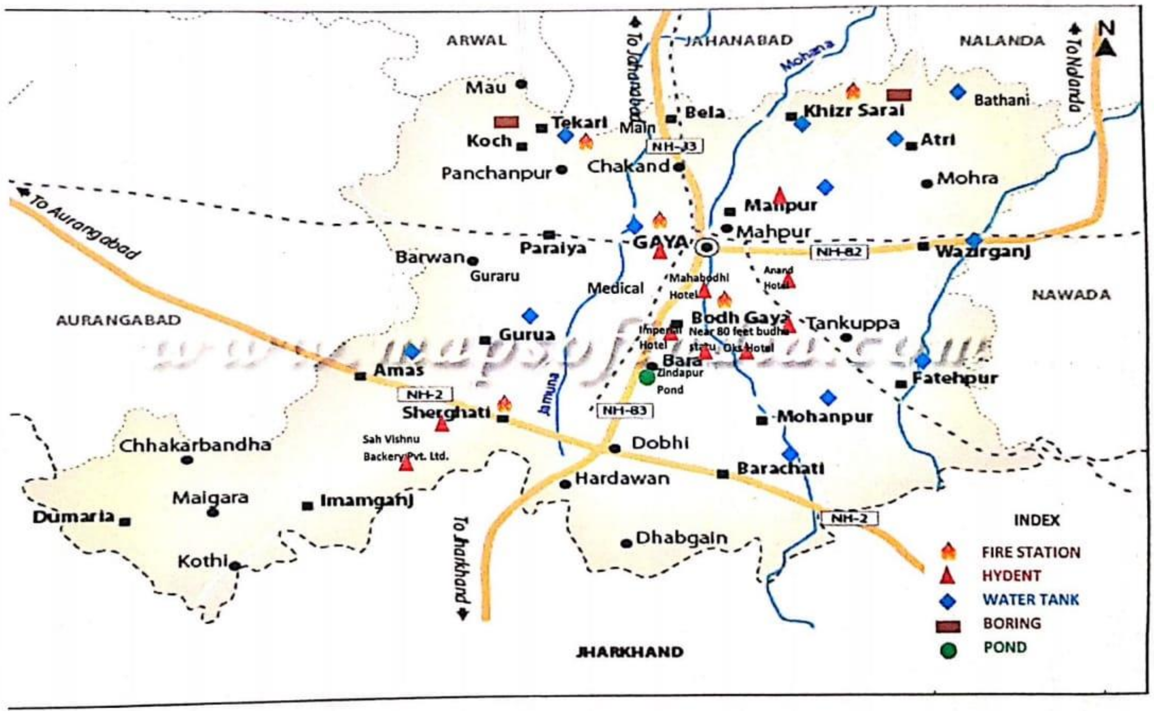

चित्र–31 जल स्त्रोतों का मानचित्र

12.3 भूकम्प

गया जिला भूकम्प की दृष्टि से जोन–**III** के अन्तर्गत आता है, जो भूकम्प की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील जिलों की श्रेणी है, जहां भूकम्प से व्यापक स्तर पर क्षति हो सकती है। भूकम्प भू–गर्भीय गतिविधियों के कारण अचानक होने वाली आपदा है तथा इसके संबंध में प्रभावी पूर्वानुमान भी नही किया जा सकता है। भूकम्प की आपदा से मुख्यतः संरचनात्मक क्षति होती है, जिसके फलस्वरूप व्यापक स्तर पर जानमाल, पर्यावरण, पशुधन आदि का नुकसान होता है। बिहार में वर्ष 1934 में आये भूकम्प के प्रभावों के विनाशकारी क्षति के प्रमाण आज भी मौजूद हैं तथा भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक 100 वर्षों के अन्तराल पर व्यापक स्तर पर भूकम्प की घटना होने का पूर्वानुमान है। हालिया वर्षों में, वर्ष 2015 में नेपाल में आये भूकम्प के झटकों को गया जिले तक अनुभव किया गया था। यह इस बात का संकेत है कि भूकम्प जैसी विनाशकारी आपदा से निपटने के लिए प्रभावी एवं क्रियाशील रणनीति की आवश्यकता है। भूकम्प से निपटने के लिए संरचनात्मक दृष्टि से भवनों, तटबंधों, पुलों, सड़कों, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों व निजी सम्पत्तियों को भूकम्परोधी बनाये जाने की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त प्राचीन, पुरात्वविक दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाओं, पुराने घरों व नान इंजीनियरिंग रूप से निर्मित संरचनाओं को भूकम्प की दृष्टि से सुरक्षित बनाने हेतु रैपिड विजुवल स्क्रीनिंग (आर0वी0एस0) तकनीक से भूकम्प नाजुकता आकलन (Sesmic Vulnerability Assessment) कर दक्ष सिविल इंजीनियर व आर्किटेक्ट के सहयोग से ऐसी संरचनाओं को रेट्रोफिटिंग तकनीक से भूकम्प की दृष्टि से सुरक्षित किया जा सकता है। भूकम्प के गैर–संरचनात्मक प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु समुदायों व प्रमुख हितभागियों को भूकम्प से पूर्व, भूकम्प के दौरान तथा भूकम्प के पश्चात चरणों में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जागरूक व संवेदनशील व जागरूक बनाने की आवश्यकता है। भूकम्प एक ऐसी आपदा है जिसमें पूर्व तैयारी व संरचनात्मक संरक्षा के माध्यम से इसके प्रभावों को न्यून किया जा सकता है।

नगर निगम, गया जिले का मुख्यालय है तथा नगरीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तीव्र रूप से शहरीकरण होने के कारण संरचनाओं का निर्माण भी तीव्रता से हो रहा है। भूकम्प एक ऐसी आपदा है जिसके अन्य आपदाओं यथा अगलगी, भूस्खलन, विद्युत स्पर्शाघाट, फ्लैश फ्लड, सड़क दुर्घटनाओं आदि के होने की संभावना बनी रहती है तथा इस दृष्टि से नगरीय क्षेत्र के सघन, स्लम, पुरानी बसावट के क्षेत्र अधिक संवेदनशील है।

गया के आसपास भूकम्प का इतिहास

जैसा कि हम अवगत हैं कि गया जिला भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। गया जिले में अवस्थित गया में अनुभव किए गए भूकम्प का इतिहास निम्न सारणी में देखा जा सकता है– **तालिका–50**

वर्ष	भूकम्प की तीव्रता (रियक्टर स्केल)	भूकम्प का केन्द्र
26 अगस्त 1833	7.9	पूर्वी नेपाल
21 मई 1842	7.0	बांका–धुरैरा
11 नवम्बर 1842	8.9	बिहार–बंगाल
7 अक्टूबर 1920	7.0	जहानाबाद–सासाराम
15 जनवरी 1934	8.4	बिहार–नेपाल बार्डर क्षेत्र
05 मार्च 1935	6.0	बिहार–नेपाल बार्डर क्षेत्र

11 फरवरी 1936	5.6	बिहार–नेपाल बार्डर क्षेत्र
23 दिसम्बर 1983	4.3	नरायनपुर बिहार
17 फरवरी 1985	4.7	कोडरमा, झारखंड
02 मई 1988	3.8	रामनगर, बिहार
15 फरवरी 1993	4.9	कस्बा–पूर्णिया
16 मई 1998	6.6	उत्तर प्रदेश–बिहार बार्डर
27 मई 2005	3.5	मनचंदा, बिहार
06 जून 2008	3.8	बोध
26 मार्च 2009	4.1	चाईबासा
27 मार्च 2012	5.0	किशनगंज, बिहार
15 दिसंबर 2015	4.5	चस, झारखण्ड
15 दिसंबर 2015	4.2	देवघर, झारखण्ड
15 फरवरी 2021	3.5	गया

गया में वार्डवार भूकम्प की संवेदनशीलता

गया शहर की स्थापना 10वीं सदी में पाल वंश की राजधानी के रूप में हुई थी। गया जिला व गया के कई नगरीय क्षेत्रों में हिन्दू, बौद्ध व मुस्लिम धर्म के कई प्रमुख स्थल हैं तथा देश–विदेश से यहां आने वाले सैलानियों के कारण गया में पर्यटन काफी समृद्ध है तथा होटलों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विकास भी बड़े पैमाने पर हुआ है। विदित है कि इस शहर का ऐतिहासिक, धार्मिक व पुरात्विक महत्व है। प्राचीन समय से इस शहर में कई प्रमुख भवनों, प्रशासनिक परिसरों, महलों, बाजारों के निर्माण से गया के कई क्षेत्र अत्यंत सघन हो गए हैं। प्राचीन समय के अधिकतर भवनों के निर्माण में आधुनिक भवन निर्माण तकनीकों विशेषकर भूकम्परोधी तकनीकों का प्रयोग नहीं किया है, साथ ही, इन क्षेत्रों के सघन होने व व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कई संकीर्ण मोहल्लों व संकरी गलियों की बसावट हो गई है। प्राचीन क्षेत्र होने व पुरातत्विक भवनों की देखरेख के आभाव में कई भवन अत्यंत ही जर्जर हो गए हैं। ऐसे मोहल्लों में भूकम्प के कारण होने वाली संरचनात्मक क्षति की संभावना अत्यधिक है तथा भूकम्प के समय इन क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य करने में रिस्पांस एजंसियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सर्वेक्षण के आधार पर गया में भूकम्प की श्रेणीवार संवेदनशीलता निम्नवत् है–

जर्जर भवन बाहुल्य क्षेत्र

वार्डवार चिन्हित जर्जर व भूकम्प की दृष्टि से कमजोर संरचनायुक्त संकीर्ण व संकरे क्षेत्र का विवरण निम्नवत् है– **(तालिका–51)**

क्र0स0	वार्ड संख्या	जर्जर भवन की संख्या	प्रकार
1	38	25	धर्मशाला, मंदिर, आवसीय क्षेत्र
2	39	37	धर्मशाला, मंदिर, आवसीय क्षेत्र
3	40	06	पुराने भवन एवं सरकारी भवन
4	23	04	पुराने भवन एवं सरकारी भवन

भूकम्प प्रबंधन के 06 मुख्य स्तम्भ

भूकम्प प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2007, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार ने देश में भूकम्प जैसी व्यापक एवं अचानक घटित होने वाली आपदा के लिए 06 मुख्य स्तम्भों पर कार्य करने पर जोर दिया है, इसके अन्तर्गत पूर्व–तैयारी व न्यूनीकरण पहलुओं को वैज्ञानिक व तकनीकी रूप से विभिन्न चरणों में संबंधित विभागों, रिस्पांस एजंसियों एवं हितभागियों द्वारा स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भूकम्प प्रबंधन हेतु सुझाए गए 06 मुख्य स्तम्भ निम्नवत् हैं–

1. निर्माण की जाने वाली नव–संरचनाओं में भूकम्परोधी डिजाइन पहलुओं का समावेश करना।
2. भूकम्प के प्रति अति–संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित संरचनाओं व महत्वपूर्ण सुविधाओं को चिन्हित करते हुए रेट्रोफिटिंग करना तथा ऐसी संरचनाओं को सृदढ़ बनाना।
3. भूकम्प प्रबंधन से संबंधित नीतियों, नियामकों व योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना।
4. सभी हितभागियों का भूकम्प से निपटने हेतु पूर्व तैयारी व जागरूकता बढ़ाना।
5. प्रभावी भूकम्प प्रबंधन हेतु उपयुक्त क्षमतावर्द्धन प्रयासों यथा–शिक्षा, प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण तथा शोध एवं विकास को बढ़ावा देना।
6. भूकम्प के प्रति अति–संवेदनशील क्षेत्रों में आपातकालीन प्रत्युत्तर क्षमता को सृदढ़ करना।

भूकम्प न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु प्रमुख दिशानिर्देश एवं कार्यक्रम

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009
- राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2005
- भूकम्प प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2007, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016 एवं 2019
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन योजना।
- बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30
- बिहार बिल्डिंग बायलॉज

जिला स्तर पर भूकम्प/अन्य आपदाओं के रिस्पांस हेतु गठित आपदा प्रबंधन समूह का स्वरूप

(01) जिलाधिकारी – अध्यक्ष

(02) वरीय पुलिस अधीक्षक– सदस्य

(03) नगर आयुक्त– सदस्य

(04)उप विकास आयुक्त–सदस्य

(05)मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन– सदस्य

(06) अपर समाहर्ता (राजस्व)– सदस्य

(07) अपर समाहर्ता–(आपदा प्रबंधन)– प्रभारी पदाधिकारी /सदस्य

(08) मुख्य अभियंता–जल संसाधन

(09) जिला पंचायती राज पदाधिकारी–सदस्य

(10) जिला कृषि पदाधिकारी–सदस्य

(11) जिला पशुपालन पदाधिकारी–सदस्य

(12) जिला परिवहन पदाधिकारी–सदस्य

(13) जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सदस्य

(14) कार्यपालक अभियंता (विद्युत)–सदस्य

(15) कार्यपालक अभियंता (पथ निर्माण विभाग)

जिला स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समूह द्वारा भूकम्प के दौरान किए जाने वाले समस्त कार्यों का अनुश्रवण करने के साथ–साथ अन्तर विभागीय समन्वय, संसाधनों का त्वरित हस्तांतरण, समन्वित रिस्पांस कार्य जैसे कार्य सम्पादित करने में सहयोग प्रदान करेगा। इस समूह में आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के पदाधिकारियों, अभियंताओं, विशेषज्ञों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। यह समूह इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम के अनुसार प्रत्युत्तर कार्यों को सम्पादित किए जाने तक प्रभावी व सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

विभिन्न चरणों में भूकम्प न्यूनीकरण व प्रबंधन हेतु किए जाने वाले कार्य (तालिका–52)

क्र0स0	पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण एवं प्रबंधन	संबंधित विभाग एवं हितभागी
01	स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाना। शहर की आयोजना से संबंधित बायलॉज में सुधार करना तथा भवन निर्माण से संबंधित मॉडल बायलॉज को लागू करना। भूकम्परोधी निर्माण से संबंधित सुरक्षा बिल्डिंग कोड के बारे में जागरूकता का प्रसार करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, गया
02	तकनीकी संस्थानों, पदाधिकारियों, प्रोफेशनल्स, अभियंताओं, राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण प्रदान करना।	तकनीकी अभियंता एवं पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया।
03	भूकम्प सुरक्षा के प्रति जन–जागरूकता प्रसार हेतु भूकम्परोधी मॉडल भवन का विकास करना। शिक्षकों, समुदाय तथा राजमिस्त्रियों का भ्रमण ऐसे मॉडल भवन में कराना। नुक्कड़ नाटक, विजुअल/वीडियो शो, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता आदि जागरूक गतिविधियां अधिष्ठापित करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया। कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, गया
04	भूकम्परोधी भवन निर्माण से संबंधित नियामकों, शहरी योजना संरक्षा संहिताओं, तथा अन्य सुरक्षा नियमों को प्रभावी अनुश्रवण करते हुए लागू करना। नगर निगम स्तर पर संबंधित कार्यों एवं नियमानुसार भवनों के नक्शों व डिजायन के निर्माण को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु एक सुव्यवस्थित प्रणाली को संचालित करना। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्माणाधीन व पूर्व से निर्मित भवनों का भूकम्प सुरक्षा के दृष्टिकोण से तकनीकी व सुरक्षा आडिट करना व जर्जर होने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचना उपलब्ध करना तथा सुरक्षात्मक कार्रवाई करना। परियोजनाओं में भवन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच करते हुए सुरक्षात्मक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, गया
05	प्राचीन इमारतों को सूचीबद्ध करना तथा ऐसे भवनों का भूकम्प जोखिम व नाजुकता आडिट कराना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया

	सभी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं यथा स्कूल, अस्पताल, ट्रामा सेन्टरों, सरकारी भवन, आश्रयस्थल, आडिटोरियम, आदि का भुकम्प सुरक्षा ऑडिट करना तथा सुरक्षात्मक उपाय करना। आपातकालीन प्रबंधन के मद्देनजर एंबंलेस सेवाओं, अग्निशमन सेवाओं, क्रेन सेवाओं, जे0सी0बी, ट्रैक्टर–ट्राली, वाहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, गया
06	चरणबद्ध तरीके से पूर्व में निर्मित भवनों का रेट्रोफिटिंग कराकर कमजोर भवनों को सुरक्षित करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, गया
07	कम्यूनिकेशन प्लान का निर्माण करना ताकि सूचनाओं का सम्प्रेषण निर्बाध रूप से किया जा सके।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया
08	विद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर मॉक–अभ्यास करना (विशेषकर झूको–ढंको–पकड़ो)	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया
09	भूकम्प के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, संकरी गलियों, संकीर्ण मोहल्लों, जर्जर भवनों, प्राचीन भवनों की सूची बनाना तथा मानचित्रण करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया। कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, गया
10	भूकम्प के दौरान संचार सेवाओं के धवस्त होने की स्थिति में संचार व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सेटेलाइट फोन, वायरलेस सुविधा तथा अन्य उपायों की व्यवस्था पूर्व से रखना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया।

रिस्पांस चरण

क्र0स0	रिस्पांस चरण में किए जाने वाले कार्य	संबंधित विभाग एवं हितभागी
01	इंसीडेन्ट रिस्पांस सिस्टम के अनुसार त्वरित राहत एवं बचाव कार्य का संचालन। क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे व्यक्तियों का सुरक्षित निष्कासन करना तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। राहत बचाव कार्यों हेतु आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों व बचाव कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया। कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, गया कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, गया अंचल अधिकारी, गया।

	राहत–बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यकतानुसार उपकरणों व जे0सी0बी0, क्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर–ट्राली, ट्रक, टिपर आदि के साथ अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रयोग करना। प्रभावितों व घायलों का प्राथमिक उपचार करना। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को समुचित चिकित्सा हेतु ट्रामा सेन्टर व अस्पताल भेजना।	
02	रिस्पांस एजंसियों यथा पुलिस, अग्निशमन टीम, एंबंलेस, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, सिविल डिफेंस आदि की प्रतिनियुक्ति करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया। पुलिस अधीक्षक, गया। सिविल सर्जन, गया। जिला अग्निशमन पदाधिकारी, गया।
03	भूकम्प प्रभावितों हेतु भोजन व आवासन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक किचन, आपदा राहत केन्द्र,खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति, पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति, चिकित्सा शिविर आदि आवश्यक व्यवस्थाएं करना। इन स्थलों पर शौचालय, स्वच्छ पेयजल, साफ–सफाई, पोषण, बच्चों हेतु दूध, डिग्नटी किट, महिलाओं हेतु सैनेटरी पैड जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया सिविल सर्जन, गया। जिला कार्यक्रम कार्यालय, आई0सी0डी0एस0, गया जिला शिक्षा कार्यालय, गया।
04	भूकम्प के दौरान अनाथ हुए बच्चों एवं खोए हुए बच्चों को भोजन, आवास, सामाजिक संरक्षण व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।	जिला बाल संरक्षण कार्यालय, गया।
05	भूकम्प के दौरान क्षतिग्रस्त संचार सेवाओं को त्वरित बहाल करना ताकि संबंधित रिस्पांस एजंसियों व विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके तथा रिस्पांस कार्य को बेहतर ढ़ंग से संचालित किया जा सके।	भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड एवं अन्य संचार सेवा प्रदाता कंपनियां
06	क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल–पुलिया की त्वरित मरम्मति करना तथा मोटेरेबल करते हुए आवागमन सुविधा को बहाल करना।	नगर निगम, गया पथ निर्माण प्रमण्डल, गया बुडको प्रमण्डल, गया ग्रामीण कार्य प्रमण्डल (अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में)
07	क्षतिग्रस्त विद्युत संरचनाओं की मरम्मति करते हुए विद्युत आपूर्ति सुविधाओं को बहाल करना।	विद्युत आपूर्ति कार्य प्रमण्डल, गया
08	भूकम्प के दौरान प्रभावित पशुधन हेतु आहार, पेयजल, चारा, पशु चिकित्सा, गर्भाधान सेवाओं को उपलब्ध कराना।	जिला पशु चिकित्सा कार्यालय, गया अंचलाधिकारी, गया

09	क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मति करते हुए चापाकल मरम्मति, पेयजल, शौचालय, एवं जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करना	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया
10	मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार मृत पशुओं का सुरक्षित निपटान करना	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया पुलिस जिला पशु चिकित्सा कार्यालय, गया
11	नालों के बहाव को अवरूद्ध करने वाले मलबा को हटाना, जल निकासी बहाल करना, मलबा की साफ–सफाई, कूड़ा–उठाव, साफ–सफाई व्यवस्था बहाल करना, महामारी प्रबंधन करना	नगर आयुक्त, नगर निगम, गया जिला महामारी नियंत्रण कार्यालय, गया सिविल सर्जन, गया
12	भूकम्प रिस्पांस हेतु आवश्यक वित्त की व्यवस्था व अल्पकालिक योजनाओं की आवश्यकतानुसार स्वीकृति व महत्वपूर्ण उपकरणों का क्रय किया जाना।	महापौर, नगर निगम, गया नगर आयुक्त, नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया
13	अन्य समीपवर्ती जिलों व नगर निगमों से संसाधनों, सुरक्षा कर्मी, बचाव कर्मियों, कुशल मानव संसाधनों, राजमिस्त्रियों, की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।	नगर विकास विभाग जिला आपदा प्रबंधन
14	भीड़ प्रबंधन, विधि व्यवस्था बनाए रखना, स्वयंसेवी संगठनों को सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना।	जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया नगर आयुक्त, नगर निगम, गया
15	आपदा प्रबंधन विभाग के मानक के अनुसार भूकम्प प्रभावितों व आश्रितों को तत्काल राहत सहायता, अनुग्रह अनुदान सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्षति आकलन व प्रभावितों की सूची बनाना।	जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया नगर आयुक्त, नगर निगम, गया अंचलाधिकारी
16	मीडिया प्रबंधन, अफवाह प्रबंधन, विश्वसनीय सूचनाओं का प्रेषण	जिलाधिकारी, गया अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी

भूकम्प के दौरान संरचनात्मक क्षति होने के कारण इसके अन्य आपदाओं यथा अगलगी, भूस्खलन, बाढ़, सड़क दुर्घटनाओं, विद्युत दुर्घटनाओं आदि में परिवर्तित होने की संभावना होती है। ऐसी परिस्थितियों में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों व अभियंताओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रिस्पांस कार्य सम्पादित किया जाएगा।

प्रमुख अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालय ट्रामा सेंटर, आर्थोपेडिक सेंटर व ब्लड बैंक का विवरण

तालिका–53

क्र0स0	चिकित्सा सुविधा का नाम	प्रकार (अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालय ट्रामा सेंटर व ब्लड बैंक)	सम्पर्क पदाधिकारी एवं दूरभाष/हेल्पलाइन नम्बर
1.	प्रभावती अस्पताल, गया	अस्पताल	9801922689
2.	जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया	अस्पताल, ट्रामा सेन्टर एवं ब्लड बैंक	9470003263

3.	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया	चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, ट्रामा सेन्टर एवं ब्लड बैंक	0612–2210196 9097533278

आपातकालीन निकास हेतु सड़कों की सूची

क्र0स0	वार्ड संख्या	सड़क का विवरण
1.	51	जगजीवन कालेज
2.	46	बोधगया बाईपास रोड
3.	29	ए0पी0 कालोनी रोड
4.		खैरात अहमद रोड
5.		डा वजीर अली रोड
6.	22	पिता महेश्वर रोड
7.	24	म्हारानी रोड
8.		पुलिस लाइन रोड
9.	30	मेडिकल रोड
10.	30	चन्दौती रोड
11.	28	कटारी हिल रोड
12.	44	मगला गौरी रोड
13.	44	मारणपुर रोड
14.	44	नैनी रोड
15.	6	बागेश्वरी रोड
16.		जेल रोड
17.	22	गांधी मैदान रोड
18.	20	के0पी0 रोड
19.		बजाजा रोड
20.	22	रमना रोड
21.	22	जिला स्कूल रोड, पूर्वी
22.	39	रामसागर रोड, पूर्वी
23.	37	राजेन्दर आश्रम रोड
24.	23	कचहरी रोड
25.	11	पुरानी गोदाम रोड
26.		किराणी घाट रोड
27.	40	चाँद चौरा रोड
28.	39	नई सड़क
29.		नारायण चुंआ
30.		नगमतिया रोड
31.	17	स्टेशन रोड
32.		टेकारी रोड
33.		स्वराजपुरी रोड
34.	50	मानपुर मुफस्सिल रोड

भूकम्प के दौरान शरण हेतु वार्ड में उपलब्ध खुले मैदान एवं पार्क का विवरण (तालिका–55)

क्र0 सं0	वार्ड सं0	खुले मैदान व पार्क का नाम
1.	20	गांधी मैदान रोड
2.	37	जिला स्कूल
3.	34	हरिदास सेमनरी
4.	34	खलील पार्क गेबल बिगहा
5.		ए0पी0 कालोनी कब्रिस्तान
6.	27, 28	रेलवे मैदान
7.	30	इन्डोर स्टेडियम
8.	30	चन्दौती मैदान
9.	7	पंचायती अखाड़ा
10.	40	विष्णुपद मंदिर परिसर
11.	23	नूर कम्पाउंड
12.	23	अम्बेडकर पार्क
13.	23	केदार नाथ मार्केट
14.	30	बाजार समिति
15.	20	जय प्रकाश झरना

12.4 सूखा, पेयजल संकट एवं भीषण गर्मी

भीषण गर्मी गया शहर के लिए एक बड़ा खतरा है। जून 2019 में, गया के शहरी क्षेत्र में भीषण गर्मी का व्यापक प्रभाव था तथा इससे 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। शहर में भीषण गर्मी की स्थिति होने से सुखाड़ तथा पेयजल संकट की स्थिति हो जाती है तथा स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शहर में यह स्थिति अप्रैल माह से जून माह तक प्रत्येक वर्ष होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण गर्मी की स्थिति कभी–कभी मार्च तथा जुलाई माह में भी हो जाती है। इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुँच जाता है। भीषण गर्मी का प्रभाव सभी वार्डों में अत्यधिक पड़ता है परन्तु कुछ क्षेत्र बसावट व सघनता के कारण वार्ड संख्या 2, 4, 6, 28, 30, 36, 43, 44, 46, 48, 53अधिक संवेदनशील हैं। गया जिले के निम्न मानचित्र से स्पष्ट है कि गया का शहरी क्षेत्र सुखाड़ के प्रति अत्यंत ही संवेदनशील क्षेत्र है। **चित्र–32**

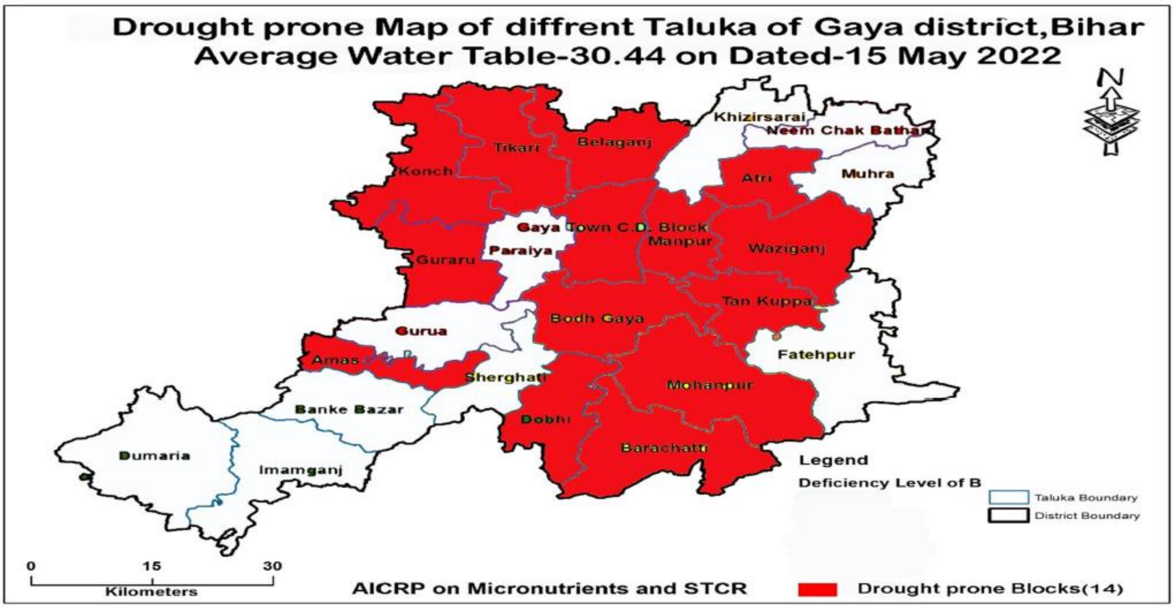

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लू/हीट वेव की घोषणा तब की जाती है जब मौसम विज्ञान द्वारा अधिष्ठापित किये गये कम से कम 2 स्टेशनों में लगातार 2 दिनों तक निम्नलिखित में से कोई भी निर्धारित मानदंड पूर्ण होता है, तत्पश्चात इसके अगले दिन लू/हीट वेव घोषित किया जाता है–

सामान्य तापमान से परिवर्तन के आधार पर

क) लू/हीट वेव–जब सामान्य तापमान से परिवर्तन 4.5 से 6.4ºC होता है।

ख) गंभीर लू/हीट वेव –जब सामान्य तापमान से परिवर्तन 6.4ºC अधिक हो।

वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर

क) हीट वेव – जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45ºC से अधिक या उसके बराबर हो।

ख) गंभीर लू/हीट वेव –जब वास्तविक अधिकतम तापमान 47ºC से अधिक या उसके बराबर हो।

भारत तथा इसके विभिन्न भू–भागों लू/हीटवेव सामान्यत ग्रीष्मकाल यथा मार्च से जून के दौरान, हालाँकि जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से कभी–कभी जुलाई में भी इसका प्रभाव रहता है।

हीटस्ट्रोक, मानव शरीर पर लू/हीटवेव के प्रमुख प्रभावों में से एक है, सामान्यतः यह तब होता है जब शरीर अपने तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है, इसके कारण शरीर का

तापमान तेजी से बढ़ता है, शरीर से अत्यधिक पसीना आने लगता है तथा शरीर ठंडा नहीं हो पाता है। हालाँकि, लू/हीटवेव के परिणामस्वरूप कई अन्य बीमारियाँ भी होती हैं, जिनसे बचाव के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह जीवन के लिए घातक हो सकती है।

नगर निगम,गया के पेयजल संकट प्रभावित क्षेत्र की सूची

(तालिका–56)

क्र0स0	वार्ड संख्या	स्थान
1.	4	बागेश्वरी
2.	6	बागेश्वरी गुमटी बमबाबा
3.	9	बंगला स्थान
4.	10	जनता बैरागी कॉलोनी, पावरगंज
5.	11	मुरली हील क्षेत्र
6.	25	करीमगंज क्षेत्र
7.	26	न्यू करीमगंज
8.	27	टलीगंज
9.	28	शास्त्रीगंज, चन्दौती कॉलोनी
10.	29	सियाड़ी, किशोरी मोहन कॉम्पलेक्स
11.	30	मुस्तफाबाद, चिरैयाटांड़, हनुमान नगर, डॉ0 मंजू माला
12.	31	सिकरिया मोड़ से गोपाल पेट्रोल पम्प तक, रामपुर
13.	32	ए0पी0 कॉलोनी
14.	33	गेबाल बिगहा, पुलिस लाईन क्षेत्र, सिंगरा स्थान
15.	34	पहाड़तल्ली, लाल बाबा क्षेत्र, डोमटोली, छोटी मस्जिद, बंगाली बिगहा
16.	35	पईन नाला/भुई टोली
17.	40	उपरडीह करसिल्ली
18.	43	भैरो स्थान, पहाड़तल्ली क्षेत्र
19.	44	ब्रह्मचारी बाबा
20.	51	भूई टोली पहाड़तल्ली

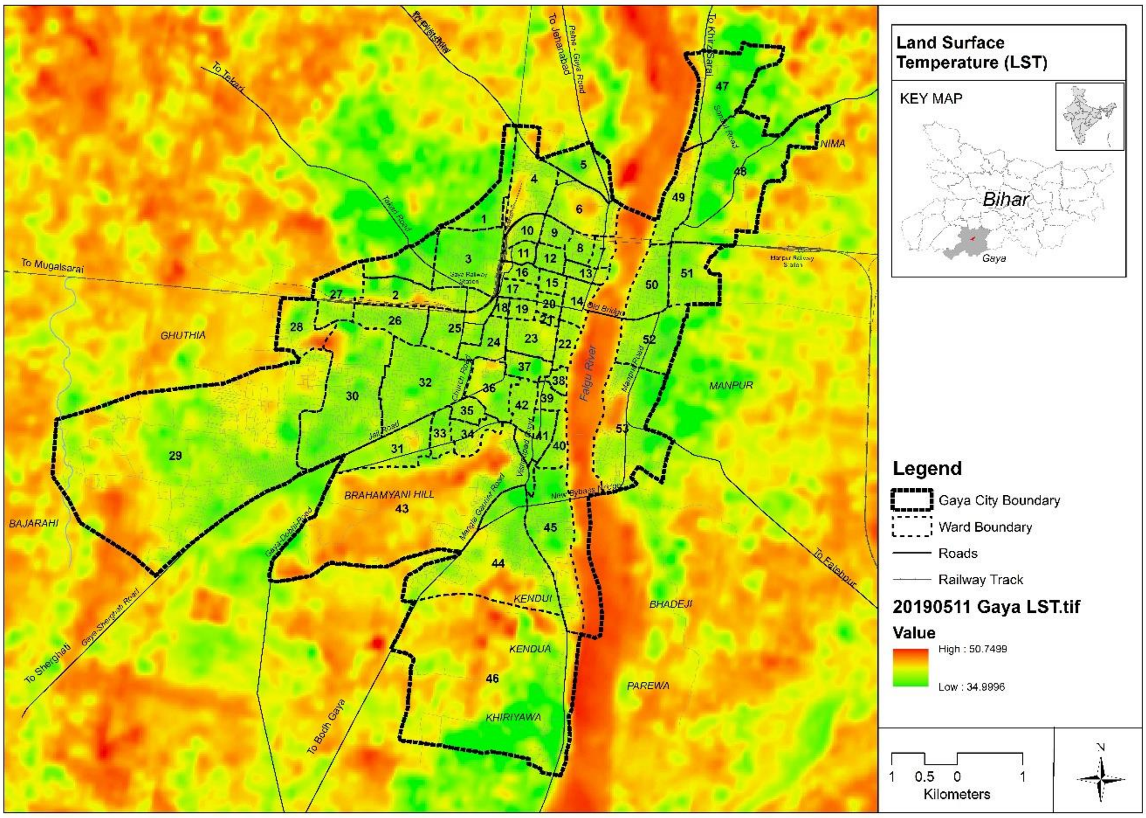

चित्र–33 भू–सतह तापमान (एल.एस.टी.) 2019, गया शहर

गया शहर में संचालित जल प्याऊ/पनशाला का विवरण (तालिका–57)

क्र0स0	जल प्याऊ/पनशाला स्थल का नाम
1.	डेल्हा बस स्टैण्ड के पास
2.	रैनबसेरा पंचायती अखाड़ा
3.	किराणी घाट बस स्टैण्ड के पास
4.	नई गोदाम मोड़ के पास
5.	कलाली मोड़ बैरागी के पास
6.	पिलग्रिम अस्पताल के पास
7.	मिर्जा गालिब मोड़ के पास
8.	सिकरिया मोड़ बस स्टैण्ड के पास
9.	आशा सिंह मोड़ के पास
10.	सरकारी बस स्टैण्ड के पास
11.	मुफस्सिल मोड़ बस स्टैण्ड के पास
12.	दयालु पेट्रोल के पास
13.	गांधी मैदान रैनबसेरा संख्या–02
14.	चांद चौरा मोड़ चौराहा
15.	बाईपास चौराहा
16.	आजाद पार्क गेट के पास

भीषण गर्मी (लू) से राहत हेतु नगर निगम, गया के द्वारा संचालित पनशाला में जिला स्वास्थ्य समिति, गया के सहयोग से ओ0आर0एस0 पैकेट तथा प्राथमिक उपचार किट की भी व्यवस्था की जाती है।

वार्ड स्तर पर नलकूपों का विवरण (तालिका–58)

क्रमांक	वार्ड सं0	स्टैण्ड पोस्ट एवं नलकूप का विवरण	क्षेत्र जहाँ जलापूर्ति अच्छादित की जाती है।	कुल
1	4	खरखुरा महादेव मन्दिर के पास मेन रोड पर	वार्ड सं0 4	9
2		खरखुरा दुर्गा मंदिर के गली में	वार्ड सं0 4	
3		खरखुरा कोल्ड स्टोर के आगे मेन रोड पर	वार्ड सं0 4	
4		डेलहा पुराना थाना के पास	वार्ड सं0 4	
5		बागेश्वरी देवी स्थान निकट किशोर	वार्ड सं0 4	
6		बागेश्वरी बिन्दु मूर्तिकार के गली में स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 4	
7		कोरमा रोड गांधी मोड़ के आगे स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 4	
8		दुर्गा स्थान लोको स्टैन्ड	वार्ड सं0 4	
9		लोको नवल पासवान स्टैन्ड के पास	वार्ड सं0 4	
10	5	गांधी मोड़	वार्ड सं0 5	3
11		गोविन्दपुर सूर्य मंदिर	वार्ड सं0 5	
12		गया पटना मध्य विधालय के पास	वार्ड सं0 5	
13	6	रामशीला मोड़	वार्ड सं0 6	3
14		पहासवर रेलवे लाइन के पास पंचायती अखारा के	वार्ड सं0 6	
15		रामशीला सिताकुंड पंचायती अखाड़ा	वार्ड सं0 6	
16	8	झीलगंज मंतु के सामने सिन्हा भवन	वार्ड सं0 8	4
17		तुतवारी मोड़ देवी मंदिर के पास	वार्ड सं0 8	
18		झीलगंज नए गोदाम के मूर्तिकार के पास	वार्ड सं0 8	
19		पाहसी बेलदारी टोला पहसी शिव मंदिर	वार्ड सं0 8	
20	9	बंगला स्थान पहली बर के पेड़ के पास स्टैंड पोस्ट	वार्ड सं0 9	4
21		आशा देवी के घर के आगे शिव मंदिर के ,पास	वार्ड सं0 9	
22		बंगला स्थान सामुदायिक भवन के पास स्टैंड पोस्ट	वार्ड सं0 9	
23		बंगला स्थान स्कूल के पास	वार्ड सं0 9	
24	10	हरिजन मंदिर स्टेशन रोड	वार्ड सं0 10	2
25		बैरागी भुई टोला	वार्ड सं0 10	
26	11	बैरागी मोड़ कलू सिंह शादी घर	वार्ड सं0 11	1
27	12	मीरचाईया गली	वार्ड सं0 12	2
28		रामरुची स्कूल मोड़ हनुमान मंदिर	वार्ड सं0 12	
29	14	किरानी घाट पूल के नीचे	वार्ड सं0 14	1
30	15	मुरारपुर काली मंदिर के पास	वार्ड सं0 15	3
31		पूर्वीसराय जामा मस्जिद	वार्ड सं0 15	
32		मुरारपुर मस्जिद के बगल में	वार्ड सं0 15	
33	16	मुरली हील रोड कालिस्थान के बगल में तेलबीगहा	वार्ड सं0 16	2
34		दुर्गा स्थान स्टेशन रोड	वार्ड सं0 16	
35	18	बाटा मोड़ से पश्चिम बजरंग बाली के पास	वार्ड सं0 18	4
36		देवी स्थान पार्षद के घर के निकट	वार्ड सं0 18	
37		एक नंबर गुमटी के पास	वार्ड सं0 18	
38		महावीर स्कूल के गेट पर	वार्ड सं0 18	
39	19	हनुमान मंदिर सब्जी मंडी में	वार्ड सं0 19	4
40		पुरानी गोदाम महेश जी के सामने	वार्ड सं0 19	
41		कठोकर तालाब के मोड़ पर	वार्ड सं0 19	
42		पुरानी गोदाम कोल्ड स्टोर के सामने	वार्ड सं0 19	
43	20	आजाद पार्क स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 20	2
44		नारायणी टीयूबल के आगे शिवहर	वार्ड सं0 20	

45	21	कठोकर तालाब के पास	वार्ड सं0 21	1
46	22	पिता महेश्वर शीतला मंदिर	वार्ड सं0 22	3
47		सीरिया घाट स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 22	
48		किरण सिनेमा के सामने काली मंदिर के पास	वार्ड सं0 22	
49	23	नगर निगम ऑफिस पार्क	वार्ड सं0 23	2
50		एस0पी0 ऑफिस के सामने	वार्ड सं0 23	
51	25	करीमगंज ट्रांसफारमर के पास	वार्ड सं0 25	1
52	27	डेलहा परैया रोड रस्सी बटी के पास	वार्ड सं0 27	3
53		डेलहा एफ.सी.आई. मोड़ पर शिवमंदिर के पास	वार्ड सं0 27	
54		डेलहा बस स्टैन्ड	वार्ड सं0 27	
55	28	कटारी बजरंग बली मोड़ पर	वार्ड सं0 28	2
56		सुढ़ही बिगहा भुई टोली	वार्ड सं0 28	
57	29	सियाधि मोड़	वार्ड सं0 29	2
58		चंदौती गाँव में रोड के बगल में	वार्ड सं0 29	
59	30	भट्बिगहा हनुमान जी	वार्ड सं0 30	4
60	30	इमालिया चक	वार्ड सं0 30	
61	30	रोटरी क्लब के पीछे	वार्ड सं0 30	
62	30	कातारी हिल मोड़	वार्ड सं0 30	
63	31	सिकड़िया मोड़	वार्ड सं0 31	4
64		रामपुर भुई टोला	वार्ड सं0 31	
65		रामपुर शिव मंदिर के गली में	वार्ड सं0 31	
66		रामपुर लालबाबा	वार्ड सं0 31	
67	32	पंजाबी पार्क	वार्ड सं0 32	4
68		रामपुर देवी स्थान	वार्ड सं0 32	
69		नगर आयुक्त आवास के पास	वार्ड सं0 32	
70		रामपुर देवी स्थान के आगे	वार्ड सं0 32	
71	33	खगरिया महल्ला	वार्ड सं0 33	11
72		कौटिल्यपूरी पार्क	वार्ड सं0 33	
73		मोहन खान पुलिस लाइन मस्जिद के पास	वार्ड सं0 33	
74		बंगाली मोहल्ला नजदीक दुर्गा स्थान के पास	वार्ड सं0 33	
75		गेवालबिगहा पुलिस लाइन भुई टोली के पीछे	वार्ड सं0 33	
76		उर्दू मिडिल स्कूल स्टैंड पोस्ट	वार्ड सं0 33	
77		मुस्लिम होटल अनजान शाहिद के पास	वार्ड सं0 33	
78		चपरासी कवाटर के पास	वार्ड सं0 33	
79		पैन पर राजेश के घर के सामने	वार्ड सं0 33	
80		पुलिस लाइन भुई टोला	वार्ड सं0 33	
81		पुलिस लाइन सामुदायिक भवन के पास	वार्ड सं0 33	
82	34	गोवाल विगहा पाइप लाइन विस्तार	वार्ड सं0 34	4
83		गेवाल बिगहआ मन्नू मिस्त्री रोड में	वार्ड सं0 34	
84		गेवाल वीगहा पैन पर प्याऊ स्लम क्षेत्र	वार्ड सं0 34	
85		पच्चू यादव के आगे सामुदायिक भवन के पास	वार्ड सं0 34	
86		आरिफ नगर जब्बार मिस्त्री के पास	वार्ड सं0 35	13
87		पैन पर शिवलाल साव के पास	वार्ड सं0 35	
88		स्व मूर्तजा मियां के पास स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 35	
89		प्रिंस मंजिल के पास स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 35	
90		बंधु कुम्हार के पास स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 35	

91	35	स्व कलीम मियां बर्तन स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 35	
92		स्व मंसूर मियां के पास स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 35	
93		मोगल मोदी दुकान पास स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 35	
94		बलि मियां पैन स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 35	
95		एजाज मोदी के पास स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 35	
96		हाजी हसीन साव के पास स्टैन्ड	वार्ड सं0 35	
97		गेवाल बिगहा जुम्मा मस्जिद एजाज मियां के पास	वार्ड सं0 35	
98		गेवाल बिगहा जुम्मा मस्जिद स्टैन्ड पोस्ट	वार्ड सं0 35	
99	36	मुस्लिम टोला समीर तक्या	वार्ड सं0 36	4
100		गांधी मैदान गेट पर मन्नू लाल पुस्तकालय के सामने	वार्ड सं0 36	
101		गांधी मैदान महारानी बस स्टैन्ड	वार्ड सं0 36	
102		समीर तकिया मध्य विधालय	वार्ड सं0 36	
103	37	साई मंदिर दिघी तालाब	वार्ड सं0 37	2
104		कोयरी वारी मोड़ पर	वार्ड सं0 37	
105	39	ब्राहमनी घाट	वार्ड सं0 39	3
106		नादरागंज मस्जिद के पीछे	वार्ड सं0 39	
107		नदरगंज भुई टोली नदी किनारे	वार्ड सं0 39	
108	40	देवघात शौचालय के बगल में	वार्ड सं0 40	4
109		देवघाट गजाधार मंदिर के सामने	वार्ड सं0 40	
110		देवघात जियालोल वेदी	वार्ड सं0 40	
111		देवघात गायत्री घाट	वार्ड सं0 40	
112	42	राम सागर तालाब के पास	वार्ड सं0 42	3
113		टील्हा धर्मशाला गेट पर	वार्ड सं0 42	
114		काली बाड़ी गुमटी के पास	वार्ड सं0 42	
115	44	अक्षयवट पूरब	वार्ड सं0 44	2
116		अक्षयवट पश्चिम	वार्ड सं0 44	
117	45	मशान घाट	वार्ड सं0 45	3
118		ब्रहमसत सरोवर के पास	वार्ड सं0 45	
119		छट्टू बगहा देवी स्थान	वार्ड सं0 45	
120	46	बकसूविगहा देवीस्थान मेन रोड पर	वार्ड सं0 46	1
121	47	हेड मनपुर	वार्ड सं0 47	2
122		कुकरा देवीस्थान	वार्ड सं0 47	
123	48	हरिजन धर्मशाला मेन रोड पर	वार्ड सं0 48	2
124		मुफ्फाशील थाना विशाल मार्केट		
125	50	मसानटोली गांधी नगर	वार्ड सं0 50	3
126		मानपुर जोड़ा मस्जिद के पास	वार्ड सं0 50	
127		गांधी नगर मानपुर मेन रोड के अंदर	वार्ड सं0 51	
128	51	कुर्मी टोला देवी मंदिर	वार्ड सं0 51	2
129		सुढही टोला देवी मंदिर	वार्ड सं0 52	
130	52	पूर्व वॉर्ड पार्षद नन्दकिशोर के घर के पास	वार्ड सं0 45	1
131	53	सीता कुंड पूरब	वार्ड सं0 45	2
132		सिताकुंड पश्चिम	वार्ड सं0 45	

1. जल मिनारों की सूची (तालिका–59)

क्र0स0	जल मिनार का स्थान	वॉर्ड संख्या	कुल
1.	राजा कोठी देवी मंदिर	01	08
2	राजा कोठी शिव मंदिर	01	
3.	फकीर स्कूल	01	
4	मधू मण्डल (सजनपुर)	01	
5	जितेंद्र वर्मा के घर के पास	01	
6	तरवाना भुई टोला	01	
7	गौतम नगर नाला पार	01	
8	सब्जी मंडी	01	
9	परैया रोड शिव मंदिर	02	06
10	पोस्ट ऑफिस गली	02	
11	विजय बिगहा चमार टोली	02	
12	डेलहा बस स्टैन्ड	02	
13	बिस्कुट फैक्ट्री	02	
14	02 नंबर पुल के पूर्व	02	
15	मंद राज बिगहा शिव मंदिर	03	06
16	संस्कृत विघालय	03	
17	बढ़ई टोला	03	
18	हिंदले फील्ड	03	
19	बैंक ऑफ बरौदा (बड़की डेलहा)	03	
20	भट्ट बिगहा रोड	03	
21	प्रेतशिला रोड देवी मंदिर	04	07
22	दैनिक जागरण	04	
23	गीता मैडम के घर के पास	04	
24	आर पी एफ बैरक –शिव मंदिर –लोको	04	
25	काली मदिर	04	
26	लोको मैदान	04	
27	64 नंबर गुमटी	04	
28	धोबियाघाट शिव मंदिर	05	08
29	धोबियाघाट नदी किनारे	05	
30	गोविन्दपुर बर पेड़ के पास	05	
31	गोविन्दपुर जाने के रास्ते पर	05	
32	गोविन्दपुर प्रेतशिला रोड आउटर पर	05	
33	गोविंदपुर जयराम यादव के पास	05	
34	गोविन्दपुर वॉर्ड पार्षद घर के पास	05	
35	ारखुरा 64 नंबर गुमटी के पश्चिम	05	
36	कागवाली वेदी पंचायत अखारा	06	03
37	बागेश्वरी ठकुरवाड़ी	06	
38	बगेश्वरी मंदिर के पश्चिम	06	
39	गया पटना रोड कब्रिस्तान	07	03
40	प्चायती अखाड़ा नीम गली	07	
41	पंचायती अखाड़ा समदा की गल्ली	07	
42	झिलगंज ठाकुर वाड़ी	08	01
43	सेंट्रल स्कूल के पीछे भुई टोली	10	02
44	बगीचा अंदर वैरागी (रविदास टोला	10	
45	चौधरी गली	12	

46	बालिका स्कूल	12	05
47	मिरचाइया गली स्कूल में	12	
48	शंकर सोनार गली	12	
49	रंग बहादूर रोड (धोबी घाट)	12	
50	बाँके गली	13	04
51	जी बी रोड पंजाबी कॉलोनी के आगे	13	
52	वॉर्ड पार्षद के पीछे (सहिद स्कूल)	13	
53	चंद्राशेखर जनता कॉलेज	13	
54	सराय रोड	14	05
55	पूर्वी सराय	14	
56	गेल पत्थर अस्पताल	14	
57	बी एन झा रोड मध्य विधालय के पास	14	
58	डॉ सुनीता शर्मा के क्लिनिक (मीर अबू सलेम रोड)	14	
59	गुरुद्वारा अखारा	15	05
60	मुरारपुर टी ओ पी	15	
61	मुरारपुर बिगहा पर	15	
62	एस0 के0 इंडस्ट्रीज के पीछे	15	
63	मुरारपुर सुधा पार्लर	15	
64	वॉर्ड पार्षद गली	16	03
65	गोल बगीचा ब्राहमस्थान बोरिंग के पास	16	
66	डोम टोली (नगर निगम स्टोर के पीछे)	16	
67	गुरुद्वारा रोड चमार टोली	17	03
68	तेलिया धर्मशाला	17	
69	शनि मंदिर बाटा मोड़	17	
70	पूर्व वॉर्ड पार्षद दीवाल के पास शिवमंदिर	18	02
71	बाटा मोड़ हनुमान मंदिर	18	
72	कठोकर तालाब	19	04
73	डॉ डी पी खेतान	19	
74	मदरसा के पीछे	19	
75	कबड़खाना रोड	19	
76	आजाद पार्क में	20	04
77	मुरारपुर मध्यविधालय के पास	20	
78	गेल पथर अस्पताल गेट	20	
79	आजाद पार्क (दवा मंडी)	20	
80	अंदर राखी गली	21	05
81	के पी रोड सब्जी मंडी	21	
82	कठोकर तालाब के पूर्व गली में	21	
83	चुना गली मोड़ सालाटर हाउस	21	
84	कसाई टोला फाटक के अंदर	21	
85	दीवारिया गली	22	03
86	19 पांतमहेश्वर चमार टोली (पुरानी गैस)	22	
87	पीरमंसूर मजार में	22	
88	बारी रोड	23	06
89	लेडी एल्गिन अस्पताल	23	
90	पोस्ट ऑफिस	23	
91	मारवाड़ी मध्य विधालय	23	
92	रेजिस्ट्री ऑफिस के पास	23	

93	लेडी एल्गिन अस्पताल	23	
94	वॉर्ड पार्षद के घर के पास	24	04
95	ताज मॉगिल (बनिया पोखर)	24	
96	कबाड़ी दुकान रेलवे सिनेमा	24	
97	हनुमान पोखर के पास इमामबाड़ा	24	
98	वन विभाग	25	03
99	पुरानी करीम गंज मटिक के घर के पास	25	
100	02 गुमटी के झोपड़ी पट्टी	25	
101	प्यास के पास करीमगंज	26	06
102	कब्रिस्तान के दक्षिण गेट के पास	26	
103	कब्रिस्तान के पश्चिम उत्तर काना में	26	
104	कब्रिस्तान के पूर्व गेट के पास	26	
105	08 नंबर रोड में	26	
106	चूड़ी गली –पुरानी करीम गंज	27	07
107	धनिया बगीचा स्कूल के पास	27	
108	धनिया बगीचा मोटर साइकिल एजेंसी गली	27	
109	टलीगंज मस्जिद गली (ट्रांसफर्मर के पास	27	
110	अलीगंज लाइन किनारे	27	
111	सताब्दी स्कूल के गली में अलीगंज	27	
112	शिव मंदिर (मिल गली)	27	
113	रोज पैलेस के सामने कायदी मोड़ के पूर्व	27	
114	बंगाली बिगहा भुई टोली	28	05
115	कटारी वॉर्ड पार्षद के ऑफिस	28	
116	इस्लामगंज	28	
117	देवी स्थान कटारी चौधरी टोला	28	
118	अंबेडकर मोड़ से उत्तर –पासवान टोला	28	
119	कलेर मध्य विधालय	29	08
120	कलेर भुई टोली शौचालय के पास	29	
121	वॉर्ड पार्षद घर के सामने कलेर	29	
122	कलेर भुई टोली दक्षिणी	29	
123	कलेर गाँव राजपूत टोला	29	
124	कलेर गाँव राजपूत टोला (स्कूल से पश्चिम)	29	
125	बिनोब नगर	29	
126	सियाही	29	
127	शाहिद भगत सिंह कॉलोनी	30	05
128	मुस्तफा बाद सामुदायिक भवन	30	
129	जेल प्रेस के सामने –शास्त्री नगर	30	
130	नारायणगढ़ मंदिर के पास	30	
131	हनुमान नगर –हनुमान मंदिर के पास	30	
132	खेल परिसर के पश्चिम	31	05
133	खेल परिसर केर पूरब	31	
134	ब्राहमचारी कॉलोनी	31	
135	बंगाली कॉलोनी	31	
136	सार्जेंट मेजर कॉर्टर में	31	
137	डॉ सुजीत प्रकाश के पास	32	05
138	कब्रिस्तान के पास	32	
139	मिर्जा गालिब कालेज के पास	32	

140	बिजली ग्रिल के पास	32	
141	रामपुर मंदिर के पास	32	
142	पाइएन पर देवी स्थान के पास	33	05
143	भुई टोली में गेवल बिगहा	33	
155	चपरासी कॉलोनी	33	
156	पुलिस लाइन रोड खताल के पास	33	
157	पहाड़ी लाइन होटल खताल के पास	33	
158	मानता मंदिर के निकट	34	05
159	फूचु यादव के पास	34	
160	खंड कुओं के पास	34	
161	जी आर डी ए कवाटर के पास	34	
162	बंगाली कॉलोनी	34	
163	पैन नाला पर नसीम के पास	35	06
164	पैन नाला पर पेंटर के पास	35	
165	भीम इलेक्ट्रिक	35	
166	खटकाचक बाईपास	35	
167	खटकाचक शालिग्राम विधालय	35	
168	पतली गली गेवाल बिगहा	35	
169	बोली पर शहनीर तक्या	36	06
170	दुर्गास्थान के पास सहनीर तक्या	36	
171	बेलदारी टोला मंदिर के पास	36	
172	गदहिया टोला शहनीर तक्या	36	
173	नूतन नगर पश्चिम	36	
174	कसाब टोला पशिम	36	
175	यादव टोला कोइरीबारी	37	04
176	विसार तालाब के पास	37	
177	शिक्षा विभाग के पास	37	
178	बिसार तालाब महाबीर के पास	37	
179	टील्हा धर्मशाला गेट के पास	38	03
180	सामुदायिक भवन नदी के किनारे	38	
181	मुंडन स्थान पितामहेश्वर	38	
182	बहूआर चौरा	39	06
183	देवी स्थान नाउआगर्दी	39	
184	नई सड़क मुन्ना जी	39	
185	टील्हा धर्मशाला के पूर्वी गेट	39	
186	टील्हा धर्मशाला के पूर्वी गेट नंबर 02	39	
187	ब्रहमनी घाट धोबिया घाट	39	
188	ऊपर डीह सीधी के पास	40	05
189	अपरजिता स्कूल के पास	40	
190	ढाढ़रवाला पांडा जी पास	40	
191	मेहर कर जी के गली म	40	
192	देवघाट नदी के किनारे	40	
193	मौर्य गली	41	01
194	सीताराम चाय दुकान	42	04
195	पाइप पल्ली राम सागर	42	
196	डाक स्थान गल्ली	42	
197	नई सड़क टी ओ पी के अंदर	42	

198	गेदावरी के पास	43	01
199	मारनपुर ब्राहमजोनि पहाड़ के पास	44	04
200	खटकचक बड़ी टोला	44	
201	केशव नगर	44	
202	मारनपुर बाइपास	44	
203	निचली सड़क हनुमान मंदिर	45	05
204	साई मंदिर के पास	45	
205	बैतरनी तालाब के पूरब मजेबा	45	
206	डॉ साकेत नारायण के पास	45	
207	झारखण्डे महादेव के पास	45	
208	निमिया टांड़ केंदुई	46	04
209	गोपी बिगहा	46	
210	केंदुआ मनीर खान	46	
211	बकसू बिगहा	46	
212	मानपुर सुरीयपोखर भुई टोली	47	08
213	सूर्या पोखर यादव टोला	47	
214	कोइरी टोला महावीर स्थान	47	
215	बसी बिगहा	47	
216	मोयडपट्टी गौरी स्थान	47	
217	मानपुर पेहानी कोइरी टोला	47	
218	जोड़ा मस्जिद मंदिर के पास	47	
219	सूर्या पोखरा मुसहर टोली	47	
220	शेखबीघा पुल के पास	48	08
221	मानपुर कलाली रोड	48	
222	गेरे रोड कुमहार टोली	48	
223	ईश्वर चौधरी हाल्ट	48	
224	मानपुर तकिया पर मस्जिद के पास	48	
225	मानपुर तकिया पर हाइवै	48	
226	मानपुर टी ओ पी के अंदर	48	
227	बुनियादगंज थाना के सामने	48	
228	लाइन के बगल में पप्पू के पास	49	03
229	मणीव के किनारे	49	
230	बूढ़ी मंदिर के पास	49	
231	सिद्धार्थपूरी कॉलोनी देवी स्थान	50	03
232	मानपुर मल्लाह टोली	50	
233	जनकपुर देवी स्थान	50	
234	अबगोला देवी स्थान	51	05
235	अबगोला देवी स्थान विज्ञान कॉलोनी	51	
236	कुम्हार टोली काली पोखर	51	
237	सरवारा नगर मानपुर	51	
238	सुशीला सहाय फैक्ट्री	51	
239	कृष्ण पूरी कॉलोनी	52	02
240	चामुंडा मंदिर के पसस	52	
241	बहोरा बिगहा महादलित टोला	53	05
242	सलेमपुर स्कूल के पास	53	
243	केशरी टोला मंदिर	53	
244	बेलदिरी टोला	53	

245	सलेमपुर सीता कुंड अड्डा के पास	53	

2. गया नगरीय क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर (तालिका–60)

क्र0स0	स्थल का नाम	जल स्तर (फीट में)
1.	अशोक तिथि निवास	36
2.	सीताकुण्ड	18
3.	देव घाट	20
4.	वार्ड संख्या–4 वागेश्वरी	77
5.	वार्ड संख्या–6 बागेश्वरी गुमटी	70
6.	वार्ड संख्या–9 बंगला स्थान	35
7.	रामधनपुर	52
8.	वार्ड संख्या–10 बैरागी	30
9.	वार्ड संख्या–11 मुरली हॉल	75
10.	वार्ड संख्या–25 करीमगंज	84
11.	वार्ड संख्या–27 न्यू करीमगंज	90
12.	वार्ड संख्या–28 शास्त्री नगर	103
13.	चंदौती कॉलोनी	107
14.	वार्ड संख्या–29 सियाड़ी किशोरी मोहन	65
15.	वार्ड संख्या–30 मुस्ताफाबाद	94
16.	चिरैयाटांड	92 फीट
17.	हनुमान नगर	83
18.	डॉ0 मंजु मॉल	95
19.	वार्ड संख्या–31 सिकड़िया मोड़ (डंकन मोड़)	75
20.	पेट्रोल पम्प	83
21.	रामपुर	70
22.	लालु नगर	70
23.	क्रिश्चियन कॉलोनी	68
24.	वार्ड संख्या–32 ए0पी0 कॉलोनी	120
25.	वार्ड संख्या–33 पुलिस लाइन	66
26.	सिंगरा स्थान	64
27.	गेयाल स्थान	64
28.	वार्ड संख्या–35 पईन नाला गेवाल बिगहा	61
29.	भुई टोला	60
30.	वार्ड संख्या–40 उसरडीह	80
31.	करसिल्ली	23
32.	वार्ड संख्या–43 भैरोस्थान	22
33.	भैरो स्थान पहाड़तल्ली	24
34.	वार्ड संख्या–44 व्रसधारी बाबा	20
35.	वार्ड संख्या–51	17

गया नगर निगम, गया के अन्तर्गत कुँओं की सूची (तालिका–61)

गया नगर निगम के द्वारा उड़ाही कराये गये कुँओ की सूची:-		
क्रम संख्या	वॉर्ड संख्या	स्थान
1	वॉर्ड संख्या 01	लक्ष्मी मंदिर ,मेन रोड से पश्चिम
2	वॉर्ड संख्या 01	तरवाना रोड खारखुरा देवी स्थान के पश्चिम
3	वॉर्ड संख्या-02	पोस्ट ऑफिस गली
4	वॉर्ड संख्या–02	पिपरा गली
5	वॉर्ड संख्या –04	बागेश्वर मंदिर के बेरिया बागान में
6.	वॉर्ड संख्या –05	रामशीला मंदिर के सामने
7	वॉर्ड संख्या–05	कंडी नवादा गाँव – देवी स्थान के पास
8	वॉर्ड संख्या–06	बगेश्वरी ठाकुरवाड़ी के नीचे
9	वॉर्ड संख्या–06	बंब बाबा भूहियाटोली के पास
10	वॉर्ड संख्या–17	पिपेरी गली में धोतउई के घर के पास
11	वॉर्ड संख्या–19	हाता गोदाम दुर्गा मंदिर के पीछे
12	वॉर्ड संख्या–20	एजाज पाक
13	वॉर्ड संख्या–20	छाता मस्जिद मेन रोड के बीच मे गली के पास

12.5 शीतलहर

गया जिले की भौगोलिक बनावट एवं अतिविषम जलवायु परिस्थितियों के कारण गया शीतलहर आपदा के प्रति अत्यंत ही संवेदनशील है। शीतलहर के प्रभावों के कारण गया शहर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी पहुँच जाता है। शीतलहर का प्रभाव सामान्यतः दिसम्बर माह से फरवरी माह के दौरान रहता है, जिसमें जनवरी माह शीतलहर के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। शीतलहर के प्रभावों के कारण शहर में आमजन को राहत पहुँचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, समाज कल्याण विभाग, बिहार एवं नगर विकास विभाग, बिहार की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अलाव की व्यवस्था, कम्बल वितरण, पेयजल की व्यवस्था, निर्धन, नाजुक वर्गों के आवासन हेतु रैनबसेरों का संचालन, शीतलहर से बचाव संबंधी सलाह का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था, समुचित पोषण संबंधी आवश्यक कार्रवाई जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

नगर निगम, गया अन्तर्गत निम्न स्थलों पर शीतलहर से राहत हेतु अलाव की व्यवस्था की जाती है–

तालिका–62

क्र0स0	अलाव स्थल का विवरण
1.	रेलवे स्टेशन
2.	रायकाशी नाथ मोड़
3.	गाँधी मैदान रैनबसेरा संख्या–2
4.	गेवल बीघा खालिस पार्क
5.	गाँधी मैदान रैनबसेरा संख्या–4
6.	टावर चौक किरण सिनेमा
7.	किराणी घाट पेट्रोल पम्प के पास
8.	पंचायती अखाड़ा रैनबसेरा
9.	बाटा मोड़

10.	बैरागी रैन बसेरा–07
11.	समाहरणालय रैनबसेरा
12.	नई गोदाम मोड़
13.	दुखः हरनी मंदिर जामा मस्जिद के पास
14.	आजाद पार्क
15.	विष्णुपद मंदिर
16.	चाँद चौराहा
17.	कुष्ठ अस्पताल पहस्वर
18.	दिघी तालाब घोड़ा स्टैण्ड
19.	आनन्दी माई मोड़
20.	गेदवरी नारायण चुआ
21.	नई गोदाम भुसुण्डी मोड़
22.	मोफस्सिल मोड़
23.	मिर्जा गालिब मोड़
24.	राजेन्द्र आश्रम
25.	बैरागी डाक स्थान
26.	मानपुर बस स्टैण्ड

गया के नगरीय क्षेत्रों में शीतलहर राहत हेतु संचालित किए जाने वाले रैनबसेरों का विवरण

तालिका–63

क्रमांक संख्या	रैन बसेरा का नाम	पता	प्रबंधक का नाम	कार्य का समय	केयर टेकर का नाम	कार्य का समय
01	रैन बसेरा संख्या :– 01	गांधी मैदान	गीत कुमारी – 8789709969	24 घंटे	मीना देवी	6 am - 2 pm
					कांचन देवी	2 pm - 10 pm
02	रैन बसेरा संख्या :– 02	गांधी मैदान	ईशा कुमारी – 7319734831	24 घंटे	सुनीता देवी	6 am - 2 pm
					सलोनी कुमारी	2 pm - 10 pm
03	रैन बसेरा संख्या :– 03	गांधी मैदान	तुलसी कुमारी – 9546193831	24 घंटे	शोभा देवी	6 am - 2 pm
					अंतरी देवी	2 pm - 10 pm
04	रैन बसेरा संख्या :– 04	गांधी मैदान	पुष्पांजलि कुमारी – 9097442329	24 घंटे	फुलवा पासवान	6 am - 2 pm
					पूजा कुमारी	2 pm - 10 pm
05	रैन बसेरा संख्या :– 06	पंचायती अखाड़ा	सुनीता देवी 9507244439	24 घंटे	आरती कुमारी	6 am - 2 pm
					गुड़िया देवी	2 pm - 10 pm
06	रैन बसेरा संख्या :– 07	डाक स्थान बैरागी स्टेशन रोड	रीता कुमारी – 9798738556	24 घंटे	कमला देव	6 am - 2 pm
					सोनी देवी	2 pm - 10 pm
					मीना देवी	6 am - 2 pm

नोट– जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, गया के स्तर से नगर निगम, गया एवं जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया के समन्वय में असहाय, निर्धन, भिक्षुक, नाजुक, दिव्यांग, वृद्ध एवं लाचार लोगों को कम्बल का वितरण किया जाता है।

गया के नगरीय क्षेत्रों में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभागों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

क्र0स0	विभागों द्वारा शीतलहर के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली कार्रवाई	संबंधित विभाग
1	रैनबसेरों में आवासन, पेयजल, साफ–सफाई तथा शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराना। रैनबसेरों के संचालन हेतु आवश्यक कर्मियों एवं वेण्डरों की प्रतिनियुक्ति करना। वैकल्पिक एवं अस्थाई रूप से संचालित किए जाने वाले रैनबसेरों के संचालन हेतु उपर्युक्त स्थलों का चयन तथा टेंट शेड निर्माण समस्त मूलभूत व आवासन सुविधाओं के साथ किया जाना।	नगर निगम, गया
2	शीतलहर के दौरान कोहरे का व्यापक प्रकोप होता है जिससे सड़क दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने की संभावना रहती है। इसके दृष्टिगत सड़क सुरक्षा जागरूकता तथा वाहनों की सुरक्षा जांच कराना।	जिला परिवहन पदाधिकारी, गया
3	शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, असहायों, आवासहीनों, श्रमिकों, गरीबों व अन्य निःसहाय वर्गों को शीतलहर राहत हेतु कम्बल क्रय कर वितरण करना।	नगर निगम, गया, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गया
4	शीतलहर राहत हेतु सार्वजनिक व संवदेनशील स्थलों (बाजार, चौक–चौराहों, रैनबसेरा, रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, विद्यालयों, धर्मशाला, मुसाफिरखाना, अस्पताल, सरकारी कार्यालयों, न्यायालय, बैंकों, टेम्पू स्टैंड, कोषागार कार्यालय, स्लम क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्र आदि) पर अलाव की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्रवाई यथा लकड़ियों, वाहन, ज्वलनशील सामग्री , वाहन चालक, श्रमिकों आदि की व्यवस्था करना।	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया। अंचलाधिकारी, गया
5	शीतलहर राहत कार्यों के अनुश्रवण व प्रबंधन हेतु पदाधिकारियों, कर्मियों एवं वेण्डरों की प्रतिनियुक्ति करना। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण करते हुए रैनबसेरा संचालन, अलाव जलाने व कम्बल वितरण व्यवस्था	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया। अंचलाधिकारी, गया
6	शीतलहर से बचाव हेतु आमजन को सामुदायिक रेडियो, मीडिया (प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक, वाट्सएप व सोशल मीडिया), होर्डिंग, पम्पलेट आदि के माध्यम से जागरूक व संवेदनशील बनाना।	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया। जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गया
7	शीतलहर के दौरान चिकित्सा व्यवस्था को प्रभावी रूप से संचालित करना तथा शीतलहर के दौरान हृदय से संबंधित स्वास्थ्य विकारों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है, इसके दृष्टिगत समुचित इलाज हेतु अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्था करना। शीतलहर के दौरान चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक दवाओं, जांच सुविधा, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड,	सिविल सर्जन, गया

	पैथालॉजी आदि को विशेषज्ञ डाक्टरों व पैरामेडिकल की प्रतिनियुक्ति करते हुए क्रियाशील रखना।	
8	गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, मंदिर समितियों आदि के माध्यम से गरीबों व असहाय वर्गों को सहायता पहुँचाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।	नगर निगम, गया जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, गया।

शीतलहर से बचाव हेतु आवश्यक सलाह

जन सामान्य : क्या करें तथा क्या न करें

पूर्व

- रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों जैसे विभिन्न मीडिया स्त्रोतों से स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान एवं महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते रहें जिससे शीतलहर आने की संभावना के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर सकें।
- सर्दियों के कपड़े पर्याप्त संख्या में रखें, मल्टीलेयर कपड़े शीतलहर से निपटने में अधिक सहायक होते हैं।
- आपात परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक आपदा किट जैसे खाद्य सामग्री, शुद्ध पेयजल, इंधन, बैटरी, चार्जर, इमरजेंसी लाइट तथा प्राथमिक उपचार में सहायक दवाइयां आदि रखें।
- दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करना सुनिश्चित करें ताकि ठंडी हवाएं घर में न आने पाये।
- शीतलहर के समय फ्लू, नाक बहना, सर्दी–जुकाम व नकसीर जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जो आमतौर पर ठंड के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती हैं या बढ़ जाती हैं, इस तरह के लक्षणों के लिए स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सक से परामर्श करें।

दौरान

- मौसम की जानकारी और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन व दिशा निर्देशों का पालन करें।
- ठंडी हवाओं, बारिश व पाला के संपर्क में जितना संभव हो न आयें, इस दौरान अधिक से अधिक समय घर के अंदर रहें और कम से कम यात्रा करें।
- मल्टीलेयर वाले ढ़ीले–ढाले कपड़े पहनें। भारी परिधान पहनने के बजाय बाहर की ओर वायुरोधी नायलान/काटन एवं अंदर की ओर गर्म ऊनी कपड़े पहने। तंग कपड़े कदापि न पहने, इससे शरीर में रक्त परिसंचरण में कमी होने की संभावना हो सकती है।
- शरीर को सूखा रखें। यदि किसी कारणवश आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो अपने सिर, गर्दन, हाथों तथा पैर की अंगुलियों को ढकें ताकि इन अंगों से शरीर की गर्मी न निकलने पाये। यदि संभव हो तो गीले कपड़ों को तुरंत बदल दें।
- गर्म व वायुरोधी दस्ताने पहने, जिससे हाथों की उँगलियाँ गर्म रहें। साथ ही, फेफड़ों को बचाने के लिए अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढ़कें।
- शीतलहर से बचने के लिए सिर को टोपी/हैट से ढकें व गर्दन पर मफलर का प्रयागे करें। पैरों को गर्म रखने के लिए वाटरप्रूफ/इन्सुलेटेड जूते पहनें।

- पोषण युक्त भोजन करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल व सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें।
- नियमित रूप से गर्म तरल पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहती है।
- नियमित रूप से तेल, पेट्रोलियम जेली या बॉडी क्रीम से अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें।
- बुजुर्ग लोगों, नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल करें, साथ ही अकेले रहने वाले लाचार व निःसहाय बुजुर्ग व दिव्यांग लोगों की सहायता करें।
- बिजली की खपत को कम करें, रूम हीटर का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करें। जब भी रूम हीटर का प्रयाग करें तो वेंटिलेशन का पर्याप्त ध्यान रखें।
- यदि आपके कमरे में कोयला या लकड़ी से निकलने वाले धुआं को निकालने के लिए उचित चिमनी नहीं है तो बंद कमरे को गर्म करने के लिए कोयले/लकड़ी को न जलाएं, क्योंकि बंद स्थानों में कोयला जलाना खतरनाक हो सकता है। यह कार्बन मोना ऑक्साइड पैदा कर सकता है जो बहुत जहरीला होता है और इससे कमरे में मौजूद व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो सकती है।
- शीतलहर हेतु उर्पयुक्त भवन का निर्माण करें तथा शीतलहर के प्रभावों को कम करने वाले उपायों को लागू करें।
- पशुओं या घरेलू पशुओं को ठंड के मौसम में अंदर रखें व उन्हें कंबल से ढंक दें। पशुबाड़े को वायुरोधी बनायें।
- शराब या अन्य नशायुक्त पेय का सेवन नही करें, यह आपके शरीर के तापमान को कम करता है, नशे की लत रक्त वाहिकाओं, विशेष रूप से हाथों में हाइपोथर्मिया के जोखिम को बढ़ा देता है।
- ठंड लगे हुए अंग पर तेल की मालिश न करें, इससे त्वचा को नुकसान पहुँच सकता है।
- शरीर में कंपकंपी को नजर अंदाज नहीं करें। यह पहला संकेत है कि शरीर की गर्मी कम हो रही है। ठंड से लंबे समय तक संपर्क में रहने से बचें।
- घर के अंदर रहें। यदि कपडा गीला या बहुत ठंडा है तो कपड़े बदल दें। कंबल, कपड़े, तौलिया या चादर से शरीर को गर्म करने का प्रयास करें। शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करने के लिए गर्म पेय लें।
- ठंड से प्रभावित व्यक्ति को तब तक कोई तरल पदार्थ न दें जब तक कि वह पूरी तरह से सामान्य न हो जाए।
- ठंड में लंबे समय तक शरीर का सम्पर्क होने से यह त्वचा को पीला, कठोर व सुन्न कर सकता है और शरीर के प्रभावित अंगों जैसे उंगलियों, पैर की उंगलियों, नाक/कान पर लाल फफोले हो सकते हैं। प्रभावित भाग के मृत हो जाने पर त्वचा का लाल रंग काला हो सकता है। इस स्थिति को गैंग्रीन कहा जाता है, जो अपरिवर्तनीय है। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें तथा प्रभावित अंग को हल्के गुनगुने पानी से गर्म करने की कोशिश करें।
- शीतलहर के संपर्क में आने से हाइपोथर्मिया हो सकता है जैसे– शरीर के तापमान में कमी, कंपकंपी, बोलने में कठिनाई, नींद न आना, कड़ी मांसपेशियां, भारी सांस, कमजोरी या बेहोशी जैसे लक्षण हो सकते हैं। हाइपोथर्मिया एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है, इस स्थिति में हाइपोथर्मिया से पीड़ित व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएँ।

12.6 सड़क दुर्घटना

गया शहर सड़क दुर्घटनाओं के प्रति कम संवेदनशील है। गया जिले में अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में होती है। अपितु, नगर निगम, गया के शहरी क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित हैं। इन स्थलों पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नवत् आवश्यक प्रावधान किए गए हैं–

सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से नगर निगम, गया के अन्तर्गत चिन्हित ब्लैक स्पॉट की सूची

वार्ड संख्या	चिन्हित ब्लैक स्पॉट (संवेदनशील क्षेत्र)	सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के उपाय
वार्ड संख्या	**चिन्हित ब्लैक स्पाट (संवेदनशील क्षेत्र)**	● सड़क दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा संदेश, चेतावनी बोर्ड अधिष्ठापित किया जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार, बैरिकेडिंग की जानी चाहिए। ● सड़क दुर्घटनाओं की संवेदनशीलता के कारणों की जांच की जानी चाहिए। तकनीकी कमियों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों से समन्वय किया जाना चाहिए। ● चिन्हित ब्लैक स्पॉट के आसपास स्पीड ब्रेकर का प्रावधान किया जाना आवश्यक है तथा इस संबंध में चेतावनी बोर्ड भी लगाया जाना आवश्यक है। ● ब्लैक स्पॉट के निकटवर्ती क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जानी आवश्यक है। ● ब्लैक स्पॉट के निकटर्ती क्षेत्रों में एंबुलेंस सुविधा का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए निकवर्ती ट्रामा सेन्टर का मानचित्रण पूर्व से ही किया जाना चाहिए।
29	सिकरिया मोड़	
45	घुघरीटांड बाइपास	
24	गांधी मैदान रोड, उत्तर भाग	
34	गेबल बिगहा मोड़	

नगर निगम, गया की ट्रैफिक प्रबंधन योजना

पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, गया के स्तर से सभी चौराहों पर यातायात लाईट के अनुसार ट्रैफिक प्रबंधन किया जा रहा है। इन स्थलों पर माईकिंग के माध्यम से भी ट्रैफिक का नियंत्रण व प्रबंधन किया जा रहा है। उक्त स्थलों पर यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति 24x7 की गई है।

उक्त के अतिरिक्त, अन्य 20 प्रमुख चौक–चौराहों पर भी ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति यातायात नियन्त्रण व प्रबंधन के मद्देनजर की गई है, इन चौक–चौराहों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0स0	चौक–चौराहों का विवरण
1	मुफस्सिल चौक
2	किराणी चौक
3	आशा सिंह मोड़
4	गया कालेज मोड़
5	बइपास मोड़
6	बाटा मोड़

7	पत्थर मोड़
8	चाँद चौरा
9	मंगलागौरी मोड़
10	मानन्दपुर
11	घुघरीटाड़
12	सिकरिया मोड़

सड़क सुरक्षा हेतु संबंधित विभागों के कार्य एवं दायित्व

जिला परिवहन कार्यालय, गया	• जिला सड़क सुरक्षा समिति, गया की बैठक में गया के नगरीय क्षेत्र में सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों व सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर चर्चा करना तथा आवश्यक कार्ययोजना बनाना। संबंधित विभागों व एजंसियों को आवश्यक निदेश प्रदान करना। • सड़क सुरक्षा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक इत्यादि आयोजित करना। • वाहन जांच अभियान चलाना। वाहनों में सड़क सुरक्षा संबंधी मानक पूर्ण नहीं होने पर निर्धारित कानूनी कार्रवाई करना तथा जुर्माना लगाना अथवा जब्ती करना। • हेलमेट व सीट बेल्ट का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों व यात्रियों पर निर्धारित जुर्माना लगाना। • ब्लैक स्पाट व सड़क दुर्घटनाओं के प्रति अति–संवेदनशील स्थलों की पहचान करना। संबंधित विभागों को संरचनात्मक व तकनीकी सुधार करने के निदेश प्रदान करना। • अति–संवेदनशील स्थलों पर सड़क सुरक्षा निर्देशक व चेतावनी बोर्ड लगाना। • प्रमुख स्थलों पर स्पीडो मीटर का प्रावधान करना। • लहरिया कट व अनियंत्रित वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करना। • विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। • आपातकालीन सम्पर्क नम्बरों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना। • सार्वजनिक परिवहन व माल ढुलाई से संबंधित विभिन्न संगठनों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों व ट्रैफिक प्रबंधन में सहयोग करने हेतु प्रेरित करना। • गुड सेमेटेरियन कानून का प्रचार प्रसार करना ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को बिना किसी बाधा के तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके।
उपाधीक्षक, ट्रैफिक पुलिस, गया	• ट्रैफिक का प्रबंधन करना। • प्रमुख चौक–चौराहों अथवा मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति करना। • वाहन जांच अभियान चलाना। वाहनों में सड़क सुरक्षा संबंधी मानक पूर्ण नहीं होने पर निर्धारित कानूनी कार्रवाई करना तथा जुर्माना लगाना अथवा जब्ती करना।

	• हेलमेट व सीट बेल्ट का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों व यात्रियों पर निर्धारित जुर्माना लगाना। • सड़क दुर्घटनाओं का डाटाबेस रखना तथा इन्टेग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस को उपलब्ध कराना।
नगर निगम, गया	• नगर निगम,गया एवं बुडको के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों के निर्माण में तकनीकी व सरंचनात्मक दृष्टि से सड़क सुरक्षा पहलुओं को समाहित करना। • नगर निगम, गया के द्वारा विभिन्न चौक–चौराहों पर ट्रैफिक लाइट के माध्यम से यातायात प्रबंधन करना। • यातायात नियंत्रण कक्ष, गया के सहयोग से शहर के यातायात पर निगरानी रखना। • अवांछित तत्वों पर कड़ी निगरानी रखना तथा संबंधित विभागों के सहयोग से कानूनी कार्रवाई करना। • प्रभावी व सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु वैकल्पिक मार्गों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। • वैकल्पिक मार्गों को होर्डिंग व डिजिटल डिस्पले के माध्यम से प्रदर्शित करना। • स्थानीय रेडियो एफ0एम0 के माध्यम से ट्रैफिक अपडेट नागरिकों व वाहन चालकों को उपलब्ध कराना। • शहरी क्षेत्र में भारी व भारवाहक वाहनों के प्रवेश व निकास हेतु समय का निर्धारण करना ताकि शहर में जाम की समस्या नहीं हो।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• सड़क सुरक्षा के जागरूकता गतिविधियों का संचालन करना। • आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न योजनाओं में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना का निर्माण करना तथा योजना के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करना। • सड़क दुर्घटनाओं के प्रति अति–संवदेनशील स्थलों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों व ब्लैक स्पॉट स्थलों पर सड़क सुरक्षा सलाह आधारित बैनर व पोस्टर लगाना।
इन्टरग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस	• सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित समस्त डाटाबेस तैयार करना तथा संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना। • संबंधित विभागों को एप्प आधारित सड़क दुर्घटना के डाटाबेस के बारे में प्रशिक्षित करना।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं पथ निर्माण प्रमण्डल, गया	• क्षतिग्रस्त भाग की त्वरित मरम्मति करना व मोटेरेबल बनाना। • संवेदनशील स्थलों पर सड़क सुरक्षा संदेशों, सड़क सुरक्षा निर्देशकों व चेतावनी बोर्ड को अधिष्ठापित करना। • ब्लैक स्पॉट के तकनीकी व संरचनात्मक फाल्ट व कमियों को दूर करना। • टोल प्लाजा व एन0एच0 के विभिन्न स्थलों पर एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराना। इससे संबंधित हेल्पलाइन का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना।
जिला स्वास्थ्य समिति, गया	• एंबुलेंस सेवा का संचालन 24X7 करना।

	• ब्लड बैंक का संचालन करना तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व विभागों के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैम्प का आयोजन करना ताकि आपात स्थिति खून की कमी नही होने पाए। • आपातकालीन सेवा, हड्डी रोग विभाग व ट्रामा सेन्टर का संचालन करना। • आपातकालीन सम्पर्क नम्बरों का प्रसार–प्रसार करना। • चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ व ए0एन0एम0 के सहयोग से प्राथमिक उपचार व सुरक्षित रेफरल विधियों पर कर्मियों, युवा स्वयंसेवकों आदि हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।
जिला रेडक्रास सोसाइटी, गया	• प्राथमिक उपचार, खोज/बचाव व सुरक्षित निष्कासन पर युवाओं व स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण आयोजित करना। • आपात स्थिति में राहत–बचाव कार्य में सहयोग करना।

12.7 भीड़ प्रबंधन एवं धार्मिक आयोजन संबंधी व्यवस्थाएं

गया शहर धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थल है। विभिन्न त्यौहारों व पर्व के अवसर पर गया में भारी भीड़ एकत्र हो जाती है, जिससे भगदड़ का खतरा व्याप्त रहता है। गया के विष्णुपद मंदिर में सितम्बर माह में आयोजित होने वाले पितृपक्ष मेला महासंगम में देश–विदेश से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के द्वारा अपने पूर्वजों का पिण्डदान/तर्पण करने संबंधी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस स्थल को मोक्ष भूमि कहा जाता है तथा इस स्थल पर पितृपक्ष मेला का आयोजन लगभक एक पखवाड़ा तक (15 दिन) चलता है। सामान्य समय में भी यहाँ 15000 से अधिक श्रद्धालुओं के द्वारा पूर्वजों का पिण्डदान/तर्पण करने के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। पितृपक्ष मेला में प्रत्येक तिथि का धार्मिक आस्था के दृष्टिकोण से अलग–अलग महत्व है तथा इसके अनुसार भीड़ प्रबंधन एवं अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई जिला प्रशासन गया के द्वारा नगर निगम, गया व अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से की जाती है। गया शहर व्यावसायिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध है, इसके कारण कई क्षेत्र भीड़ बाहुल्य हैं, जहां विभिन्न प्रकार की अप्रिय दुर्घटनाओं व आपदाओं का खतरा व्याप्त रहता है। गया में भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार निम्नवत् हैं, जिसके लिए नगर निगम, गया के द्वारा अन्य विभागों व रिस्पांस एजंसियों के सहयोग से आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं–

- होली
- दुर्गापूजा/दशहरा/विजयदशमी
- चैती छठ
- छठ पर्व
- महाशिवरात्रि
- ईद–अल–फित्र
- ईद–अल–अजहा
- रामनवमी
- मुहर्रम
- गणेश पूजा
- बारावफात

उक्त पर्व–त्यौहारों में गृह विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं नगर विकास विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, नियंत्रण कक्ष की स्थापना, मिनी नियंत्रण कक्ष की स्थापना, सुरक्षात्मक व्यवस्था, वाहन पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पेयजल आपूर्ति, शौचालय की व्यवस्था, चिकित्सा टीमों की तैनाती, फायर ब्रिगेड की तैनाती की जाती है। संबंधित विभागों को पूर्व तैयारी एवं प्रबंधन संबंधी निदेश जिलाधिकारी, गया व पुलिस अधीक्षक, गया के संयुक्त आदेश के माध्यम से निदेशित किया जाता है। भीड़ प्रबंधन तथा पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु प्रत्येक स्तर पर शांति समिति का गठन किया जाता है तथा पर्व/त्यौहारों से पूर्व समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्ययोजना का निर्माण किया जाता है। पितृपक्ष का आयोजन गया के शहरी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन है तथा इस आयोजन को सुचारू रूप से आयोजित करने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा पण्डा समिति, संवास सदन समिति, विष्णुपद मंदिर समिति, अन्य नागर समिति के साथ समन्वय स्थापित कर इस आयोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है ताकि श्रद्धालुओं को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए इस आयोजन का निरापद आयोजित किया जा सके।

गया में भीड़ बाहुल्य क्षेत्र की सूची

क्र0स0	स्थल का नाम
1.	विष्णुपद मंदिर एवं मेला क्षेत्र
2.	रेलवे स्टेशन
3.	के0पी0 रोड
4.	गेबल बिगहा
5.	सिकरिया मोड़
6.	शहमीर तकिया
7.	घुघरीटाड़ बाईपास
8.	बड़की डेल्हा बस स्टैण्ड
9.	टावर चौक
10.	स्टेशन रोड
11.	टेकारी रोड (बाटा मोड़)
12.	रेलवे स्टेशन –1 नम्बर गुमटी
13.	मानपुर मुफस्सिल मोड़

पितृपक्ष के आयोजन में भीड़ प्रबंधन/भगदड़ से बचाव हेतु जिला प्रशासन, गया एवं नगर निगम, गया के द्वारा अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से की जाने वाली कार्रवाई

गया शहर में अवस्थित विष्णुपद मंदिर का हिन्दू धर्म में मोक्ष प्राप्ति की आस्था के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर फल्गु नदी के किनारे बना है तथा मान्यता है कि यहां तर्पण करने के बाद भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने से सभी दुखों का नाश होता है तथा पितरों (पूर्वजों) को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि भगवान राम ने यहां अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। अतएव इस मंदिर में देश–विदेश से श्रद्धालु पितरों के पिंडदान के लिए आते हैं। पितृपक्ष मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में किया जाता है। पितृपक्ष मेला से संबंधित सभी प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नगर निगम, गया के क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं। पितृपक्ष मेला से संबंधित 54 पिण्डवेदी हैं, जिसमें से 45 पिण्ड वेदी विष्णुपद मंदिर गया, 9 तर्पण स्थल, गया तथा 1 पिण्ड वेदी पुनपुन (पटना जिलान्तर्गत) में है। इसकी सूची निम्नवत् है–

तालिका –67 (पिण्डवेदी की सूची)

1	पुनपुन	गया-पटना रेलवे में पुनपुन घाट स्टेशन
2	गोदावरी	मंगलागौरी के रास्ते में
3	फल्गु नदी	देव घाट से पितामहेश्वर तक
4	प्रीसीला	प्रेतशिला पहाड़ी के नीचे
5	ब्रह्मकुंड	प्रेतशिला पहाड़ी के नीचे
6	रामशीला	पंचायती अखाड़ा के पास
7	काकवाली	रामशीला हिल के पास
8	उत्तरमानस	पितामहेश्वर मोहल्ला
9	दखिनमानस	विष्णुपद क्षेत्र में सूर्य कुंड
10	उदिची	विष्णुपद क्षेत्र में सूर्य कुंड
11	कनखल	विष्णुपद क्षेत्र में सूर्य कुंड
12	जिहवाल	विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी के तट पर
13	गढ़धर वेदी	विष्णुपद मंदिर मंडल
14	सरस्वती वेदी	गया-बोधगया मार्ग में अंबा गांव के पूर्व की ओर
15	मतंगवापी	बोधगया
16	धर्मार्णय	बोधगया
17	बोधितारु	बोधगया
18	ब्रह्म सरोवर	मारनपुर
19	काकबली	मारनपुर
20	अमरसेचन	मंगलागौरी मंदिर के पास
21	तारकबरहम	मंगलागौरी मंदिर के पास
22	रुद्र पद	विष्णुपद मंदिर मंडल
23	ब्रह्म पद	विष्णुपद मंदिर मंडल
24	दक्षिणाग्नि पाद	विष्णुपद मंदिर मंडल
25	गढ़्यपत्याग्नि पद	विष्णुपद मंदिर मंडल
26	आहवानराग्नि पाद	संभ्याग्नि पद
27	अवस्थयग्नि पाद	विष्णुपद मंदिर मंडल
28	सूर्य पद	विष्णुपद मंदिर मंडल
29	कार्तिक्य पद	विष्णुपद मंदिर मंडल
30	इन्द्र पद	विष्णुपद मंदिर मंडल
31	आगस्ट पैड	विष्णुपद मंदिर मंडल
32	कानवन पैड	विष्णुपद मंदिर मंडल
33	चंद्र पद	विष्णुपद मंदिर मंडल
34	गणेश पद	विष्णुपद मंदिर मंडल
35	काच पैड	विष्णुपद मंदिर मंडल
36	मातंग पैड	विष्णुपद मंदिर मंडल
37	कश्यप पद	विष्णुपद मंदिर मंडल
38	गजकर्ण पद	विष्णुपद मंदिर मंडल

39	सीताकुंड	देवघाट के सामने फल्गु नदी के तट पर (पूर्व की ओर)।
40	रामगया	देवघाट के सामने फल्गु नदी के तट पर (पूर्व की ओर)।
41	गया सीर	विष्णुपद श्मशान घाट
42	गया कूप	विष्णुपद मंदिर मंडल
43	मुंड पृष्ठ	कार्सिली हिल पर
44	आदि गया	कार्सिली हिल पर
45	धौत पद	दक्षिण द्वार
46	वेतारानी	दक्षिण द्वार
47	भीम गया	मंगलागौरी
48	गोपराचार	मंगलागौरी
49	अक्षय वाट	मारनपुर
50	गदालोल	अक्षय वाट के पास
51	गायत्री घाट	ब्राह्मणी घाट के पास

पितृपक्ष में श्रद्धालुआ के द्वारा स्नान हेतु सरोवर तथा घाटों का विवरण (तालिका–68)

क्र0स0	स्थल का नाम	सरोवर / घाट
1.	ब्रह्म सरोवर	सरोवर
2.	रूकमिणी तालाब	सरोवर
3.	पिता महेश्वर	सरोवर
4.	रामशीला	सरोवर
5.	वैतरणी	सरोवर
6.	सूर्यकुण्ड	सरोवर
7.	गोदावरी	स्रोवर
8.	प्रेतशिला	सरोवर
9.	देवघाट	घाट
10.	गजाधर घाट	घाट
11.	ब्राह्णीघाट	घाट
12.	सीढ़ियांघाट	घाट

प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष मेला की तैयारी 03 माह पूर्व शुरू कर दी जाती है। इस प्रायोजन हेतु 17 प्रकार की विभिन्न कार्य समितियों का गठन कर आवश्यकता आकलन किया जाता है तथा पितृपक्ष मेला के सुचारू, दुर्घटना रहित व शांतिपूर्वक आयोजन हेतु माइक्रो स्तर पर आयोजित किए जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित कार्ययोजना का निर्माण किया जाता है तथा सम्पूर्ण मेला क्षेत्र को 43 जोन में चिन्हित कर सेक्टर वार व्यवस्था तथा अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। इस आयोजन में फल्गु नदी में स्नान करने की परम्परा रही है, इससे मद्देनजर राज्य सरकार की गंगा उद्भव योजना के माध्यम से फल्गु नदी में निरंतर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु गया जी रबर डैम का निर्माण 312 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है। इसी रबरडैम के ऊपर स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिससे सीताकुण्ड एवं देवघाट की दूरी 1.2 किमी हो गई है, इससे श्रद्धालुआ व तीर्थयात्रियों को धार्मिक अनुष्ठान एवं तर्पण संबंधी प्रक्रियाओं को सम्पादित करने में सुलभता होगी। जिला प्रशासन, गया एवं नगर निगम, गया के द्वारा 15 हजार से अधिक श्रद्धालुआ के आवासन हेतु 40 से अधिक पूर्व चिन्हित स्थलों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से युक्त निशुल्क व्यवस्थाएं की जाती हैं। शुल्क

के आधार पर आवासन हेतु 85 होटल/गेस्ट हाउस, 468 पण्डा के आवास/धर्मशाला को चिन्हित किया गया है। गांधी मैदान तथा आई0टी0 आई मैदान में टेंट सिटी का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन आवासन क्षमता लगभग 70000 श्रृद्धालुओं हेतु उपलब्ध होती है। पितृपक्ष का आयोजन एक पखवारा तक होता है, जिसमें अनन्त चतुर्दशी, प्रतिपदा, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, मातृ नवमी, एकादशी एवं अमावस्या प्रमुख है।

इस आयोजन हेतु निम्न विभागों के द्वारा आवश्यक कार्य किए जाने हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है–

तालिका–69

क्र0स0	विभाग एवं हितभागी का विवरण	पूर्व तैयारी एवं अन्य कार्रवाई
1.	जिला प्रशासन एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया	• सभी संबंधित विभागों एवं हितभागियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करना तथा पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना। • पितृपक्ष मेला स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना तथा भीड़ प्रबंधन हेतु कार्ययोजना का निर्माण करना। • आवश्यकता आकलन कर कार्य समितियों का गठन करना तथा विभागों हेतु कार्यों का बंटवारा करना। अनुश्रवण हेतु जोन का गठन करना। • संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करना तथा संसाधनों का मानचित्रण करना। महत्वपूर्ण स्थलों पर निगरानी हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। • श्रद्धालुआ के आवासन के लिए उपर्युक्त स्थलों, भवनों, सार्वजनिक भवनों, होटलों, धर्मशालाओं आदि को चिन्हित करना। आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना। • यातायात व्यवस्था हेतु खुले मैदानों को चिन्हित करना। • आयोजन स्थलों पर विद्युत संरक्षा सुरक्षित करते हुए प्रकाश व्यवस्था करने हेतु विद्युत विभाग को दिशानिर्देश प्रदान करना। • विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना। • सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरों को अधिष्ठापित करना व वीडियोग्राफी/ड्रोन से निरन्तर निगरानी रखना। • मेला स्थल के महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षित निष्कासन मानचित्र एवं सार्वजनिक यातायात रूटमैप अधिष्ठापित करना। • निर्बाध रूप से सूचनाओं के संप्रेषण हेतु संचार व्यवस्था बनाना तथा सम्पर्क विवरणों को अद्यतन करना।
2.	नगर निगम, गया	• घाटों/सरोवरों/वेदी/पिंडदान स्थलों की नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित करना। • निर्धारित स्थलों पर डस्टबिन का प्रावधान करना तथा श्रद्धालुआ से निर्धारित डस्टबिन में कूड़ा कचरा सामग्रियों को डालने हेतु अपील करना तथा पोस्टर/बैनर लगाना।

		●पूजा सामग्री जल निकायों व नालियों में फेंके जाने से जल निकासी व्यवस्था बाधित हो सकती है। ●सभी स्थलों पर पेयजल एवं जलापूर्ति सुनिश्चित करना। वैकल्पिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था रखना। ●श्रद्धालुओं हेतु शौचालय का पर्याप्त प्रबंध करना तथा अस्थायी रूप से मोबाइल शौचालय का जलापूर्ति सुविधा के साथ अधिष्ठापित करना। ●आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। ●नगर निगम, गया तथा बुडको के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मति करना तथा मोटरेबल रखना। ●दैनिक श्रमिकों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करना। ●नगर निगम, गया के स्तर से की जाने वाली कार्रवाईयों के अनुश्रवण हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना तथा हेल्पलाइन नम्बर जारी करना। ●महामारी नियंत्रण के मद्देनजर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना। ●फुटपाथ दुकानकारों हेतु वेंडिग जोन निर्धारित करना।
3.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल (पी0एच0ई0डी0), गया	● नगर निगम, गया से समन्वय स्थापित करते हुए महत्वपूर्ण स्थलों पर जलापूर्ति/पेयजल उपलब्ध कराना। ●अस्थायी चापाकल एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था करना। ●टेंट सिटी एवं अन्य आवासन स्थलों पर पेयजल आपूर्ति तथा अस्थायी शौचालय की व्यवस्था करना। ●स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों यथा–रोटरी क्लब, लांयस क्लब, रेडक्रास समिति, मंदिर समिति आदि के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाएं करना।
4.	विद्युत विभाग	●लूज तथा अव्यवस्थित बिजली के तारों की मरम्मति करना। ●विद्युत आपूर्ति 24X7 निर्बाध रूप से रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। ●मेला क्षेत्र में विद्युत कर्मियों की टीम को भ्रमणशील रखना तथा विद्युत विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सम्पर्क विवरण को नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना ताकि आपात स्थिति में त्वरित प्रबंधन किया जा सके।
5.	पुलिस विभाग/ गृह रक्षा वाहिनी	●आवांछित तत्वों पर कड़ी निगरानी हेतु प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा जांच का प्रावधान करना। महत्पपूर्ण मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर एवं हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच की व्यवस्था करना। ● महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति 24X7 करना।

		• पुलिस दल के द्वारा नियमित पेट्रोलिंग करते हुए सतत् निगरानी करना । • सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरों (नाइट विजन एवं कलर सुविधा) के माध्यम से निगरानी करना। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में कैमरों हेतु वैकल्पिक विद्युत (जनरेटर व सौर ऊर्जा) की व्यवस्था रखना।
6.	जिला स्वास्थ्य समिति, गया	• महत्वपूर्ण स्थलों एवं नियंत्रण कक्ष पर चिकित्सा शिविर लगाना। • महत्वपूर्ण स्थलों पर एंबुलेस की व्यवस्था करना। • आवश्यक संख्या में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ, कर्मियों आदि की प्रतिनियुक्ति करना। • महामारी प्रबंधन हेतु आवश्यक मात्रा में कीटनाशकों व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना।
7.	जिला परिवहन कार्यालय, गया	• श्रद्धालुओं को आने–जाने में कठिनाई नहीं हो, इस हेतु बस पड़ाव व टेम्पू पड़ाव स्थलों को आवश्यकतानुसार पुनः निर्धारित करना। • ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से गया शहर एवं पितृपक्ष मेला क्षेत्र का यातायात रूट योजना एवं मानचित्र लगाना। • अनुश्रवण हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराना। • यात्री किराया पुनर्निर्धारित करना। • सड़क सुरक्षा संबंधी आई0ई0सी0 सामग्री महत्वपूर्ण स्थलों पर अधिष्ठापित करना।
8.	पथ निर्माण विभाग	• श्रद्धालुआ को आवागमन में कठिनाई नहीं हो, इसके मद्देनजर महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मति करना। • सड़क सुरक्षा हेतु सड़क सुरक्षा संकेतकों का अधिष्ठापन करना।
9.	जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालय, गया	• श्रद्धालुओं हेतु की गई व्यवस्थाओं एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करना। • स्थानीय एफएम चैनल के माध्यम से आमजनों को जागरूक करना। • श्रद्धालुओ को सुरक्षा सलाह प्रदान करना। • मीडिया कर्मियों को प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित प्रेस नोट उपलब्ध कराना। • अफवाह प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। समय–समय पर प्रेस ब्रिफिंग आयोजित करना। • पितृपक्ष मेला क्षेत्र में रिपोर्टिंग हेतु मीडियाकर्मियों को अधिकृत करना तथा मीडियाकर्मियों को विशेष आई0डी0 कार्ड उपलब्ध कराना। • अपुष्ट खबरों, भ्रामक खबरों व सूचनाओं का संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ऐसी सूचनाओं/अफवाहों व खबरों का

		खण्डन करना। संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए वैधानिक कार्रवाई करना।
10.	जिला सूचना विज्ञान कार्यालय, गया	• पितृपक्ष के प्रबंधन से संबंधित वेबसाइट (http://www.pinddaangaya.bihar.gov.in/?pg=home) एवं इससे संबंधित एप्प का प्रबंधन करना। • महत्वपूर्ण सूचनाओं, हेल्पलाइन नम्बरों एवं सलाह को पितृपक्ष आयोजन से संबंधित वेबसाइट पर अपडेट करना। • सभी संबंधित विभागों से निरन्तर समन्वय स्थापित करना।
11.	ट्रैफिक पुलिस	• यातायात प्रबंधन योजना बनाना। ट्रैफिक जाम की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करते हुए यातायात बहाल करना। • महत्वपूर्ण चौक–चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति करना। • सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। • वाहनों की जांच करना। • वन–वे ट्रैफिक का अनुपालन कड़ाई से करना।
12.	जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन, गया	• गया जी रबर डैम के माध्यम से फल्गु नदी में निर्धारित जल स्तर बनाए रखना। • सरोवरों का जल प्रबंधन करना तथा जल स्तर बनाए रखना।

12.8 महामारी प्रबंधन

गया की विशिष्ट भौगोलिक बनावट, जल स्त्रोतों, नालों के दूषित जल, बाढ़, जलजमाव, बर्ड फ्लू, वायरल रोगों जैसे कारकों के कारण शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जल जनित तथा वेक्टर जनित महामारियों का प्रसार होता है। नगर निगम, गया में महामारियों का प्रसार एक प्रमुख आपदा के रूप में उभर कर सामने आया है। शहरी क्षेत्र में महामारियों के प्रसार से ग्रसित लोगों में पोषण व स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं तथा कई मामलों में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। गया में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में लोग महामारियों के शिकार होते है। शहर में मच्छरों का व्यापक प्रकोप है, इससे भी शहरी क्षेत्र में कई प्रकार की बीमारियां पनपती हैं। गया जिले तथा गया के परिप्रेक्ष्य में टाइफाइड, हैजा, फाइलेरिया, डेंगू बुखार, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, कोविड 19, खसरा आदि का प्रसार रहा है। गया जिले तथा इसके शहरी क्षेत्र से बड़े महानगरों में प्रवासन के कारण टी0बी0 की बीमारी का भी प्रकोप रहा है। स्लम क्षेत्र तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग टी0बी0 रोग से अधिक ग्रसित होते हैं। गया में कई अवसरों पर दूषित भोजन करने से फूड प्वाइजनिंग के भी लोग शिकार हुए हैं।

नगर निगम, गया के परिक्षेत्र में महामारियों के प्रसार के प्रमुख कारण एवं निवारण के उपाय

प्रमुख कारण	प्रसार करने वाली बीमारियां	रोकथाम के उपाय
मच्छरों व मक्खियों की बढ़ती संख्या	डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, जापानी इंसेफेलाइटिस बुखार व फाइलेरिया	• वर्षा जल का अन्डरग्राउन्ड संचयन अथवा वाटर रिचार्ज करना। • कूड़े–कचरे का समुचित निपटान करना। नालों की नियमित साफ–सफाई कराना तथा बहाव सुनिश्चित करना। • पानी टैंकों, ड्रमों, बर्तनों, शौचालय के टैंकों, नाली, छतों, घर के आसपास जल एकत्र नहीं होने देना। • तालाबों व जल स्त्रोतों की नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित करना। आसपास के क्षेत्र को नियमित अन्तराल पर विसंक्रमण की कार्रवाई करना। • निर्माणाधीन घरों व भवनों में क्यूरिंग व अन्य प्रयोजनों हेतु अधिक जल का भण्डारण नहीं करना। • पानी में रखे जाने वाले सजावटी पौधों के पानी को नियमित अन्तराल पर बदलना। • खुले कुँओं, ओवरहेड पानी की टंकी आदि की नियमित साफ–सफाई कराना।
दूषित पेयजल	डायरिया (हैजा), टाइफाइड, हेपाटाइटिस ए	• पानी के शुद्धिकरण की विधियों की जानकारी होना। इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना। • नगर निगम की वाटर सप्लाई को क्लोरिनीकृत करते हुए करना। • टुटे हुए पाइप की मरम्मति करना। चापाकल की नियमित मरम्मति करना। यह सुनिश्चित करना कि आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। • पेयजल संकट प्रभावित क्षेत्रों में जल टैंकरों शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
तरल एवं सॉलिड कचरा प्रबंधन समुचित रूप से नहीं होना।	मच्छर जनित रोग, टीबी, टाइफाइड, हैजा	• प्लास्टिक बोतलों, थैली, कबाड़ आदि शहरी क्षेत्र में जलजमाव का कारण बनते है, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रसार होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का समुचित प्रबंधन किया जाना अति–आवश्यक है। • नालों, नालियों व अन्य जल स्त्रोंतों की साफ–सफाई नियमित रूप से किया जाना। • संवेदनशील स्थलों पर विशेष अभियान चलाकर ब्लीचिंग, चूना पाउडर व एन्टी लार्वा का छिड़काव कराना। • जल स्त्रोंतों पर अनाधिकृत रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाना।

		• स्लाटर हाउस को समुचित ढंग से विसंक्रमित करना। • जलशोधन संयंत्र स्थापित करना तथा जल का पुनर्प्रयोग करना।
होटलों व फूड वेण्डरों के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अशुद्ध भोजन	डायरिया, फूड प्वाइजनिंग	• होटलों व फुटपाथ के फूड वेण्डरों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच कराया जाना। • होटल कर्मियों व फूड वेण्डरों हेतु प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन करना।
शौचालय का कम प्रयोग तथा सार्वजनिक शौचालय व पेशाब घरों की कम उपलब्धता	डायरिया, बुखार, मक्खी जनित रोग	• खुले में शौच की कुप्रथा को बंद करने , शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा स्वच्छता आदतों को अपनाने हेतु निरन्तर वृहद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए। • सभी प्रमुख चौक–चौराहों, सार्वजनिक भवनों, सुविधा केन्द्रों को सार्वजनिक शौचालय की सुविधा से आच्छादित किया जाना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार पेशाब घरों का प्रावधान किया जाना चाहिए।
उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की कम जानकारी		• महामारियों से प्रभावित व्यक्ति की तुरंत जांच कराने तथा समुचित उपचार हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध चिकित्सा व पैथोलॉजी सुविधाओं की जानकारी का प्रचार–प्रसार करना। • प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कराना।
प्रवासन संबंधी मुद्दे	टी0बी0	• संक्रमण प्रभावित महानगरों से आने वाले प्रवासी मजदूरों से अन्य लोगों में महामारियों के प्रसार की संभावना अधिक होती है। ऐसे महानगरों से आने वाले मजदूरों की जांच नियमित रूप से की जानी आवश्यक है।

महामारियों से निपटने हेतु गया जिले तथा नगर निगम, गया में उपलब्ध संसाधन एवं उपकरण

क्र0स0	**संसाधन/उपकरण का नाम**	**नियंत्री पदाधिकारी**
1	फागिंग मशीन	नगर प्रबंधक
2	टेनीफोर्स 50 ई0सी0 (लार्वासाइडर)	जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, गया
3	सिन्थेटिक पारॉथराइड	जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, गया
4	हडसन कम्प्रेसर पम्प	जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, गया
5	टेक्निकल मैलाथियान	जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, गया
6	फागिंग मशीन, जिला मलेरिया कार्यालय	जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, गया
7	एक्सरे मशीन	जिला यक्ष्मा रोग नियंत्रण पदाधिकारी, गया
8	सी0बी0 नेट	जिला यक्ष्मा रोग नियंत्रण पदाधिकारी, गया
9	ट्रु–नैट	जिला यक्ष्मा रोग नियंत्रण पदाधिकारी, गया
10	माइक्रोस्कोपिक सेंटर	जिला यक्ष्मा रोग नियंत्रण पदाधिकारी, गया
11	ब्लीचिंग पाउडर	नगर प्रबंधक, नगर निगम, गया

12	चूना	नगर प्रबंधक, नगर निगम, गया
13	स्प्रेयर मशीन	नगर प्रबंधक, नगर निगम, गया
15	फागिंग मशीन	नगर प्रबंधक, नगर निगम, गया

महामारी प्रबंधन हेतु संबंधित विभागों के कार्य एवं दायित्व (तालिका–71)

नगर निगम, गया		
पूर्व	**दौरान**	**पश्चात**
● संवेदनशील क्षेत्रों यथा जलजमाव बाहुल्य को चिन्हित करना। ● सभावित क्षेत्रों में एन्टी लार्वा व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना। ● आसपास रहने वाले समुदाय को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना। ● कूड़ा का उठाव नियमित रूप से करना। ● जल स्त्रोतों की साफ–सफाई कराना। ● नालों व नालियों के बहाव में हुए अवरोध को दूर करना।	● महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियांन चलाना ● प्रभावित वार्डों एवं मुहल्लों में रोस्टर निर्धारित कर कीटनाशकों व एन्टी लार्वा का छिड़काव करना। ● प्रभावित वार्डों का स्वास्थ्य विभाग के साथ सर्वेक्षण करना तथा संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु त्वरित कार्ययोजना बनाना। ● आसपास के समुदाय को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक व संवेदनशील बनाना। ● महामारी प्रबंधन हेतु किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा करना।	● संचारी रोगों के प्रभावों व रिस्पांस क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करना। ● जलजमाव के निदान हेतु नवीन योजना तथा जलनिकासी हेतु आवश्यक संख्या में नालों का प्रावधान करना।
जिला वेक्टर रोग जनित रोग नियंत्रण कार्यालय, गया गया		
● संचारी रोगों के रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाना। ● संक्रमण के प्रसार के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों में रोकथाम व प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष माइक्रोप्लान का निर्माण करना। ● महत्वपूर्ण हितभागियों हेतु क्षमतावर्द्धन व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। ● एन्टी लार्वा, कीटनाशकों, ब्लीचिंग पाउडर आदि का पर्याप्त स्टॉक रखना।	● विशेष अभियान चलाकर प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव करना। ● प्रभावित क्षेत्रों में बचाव तथा रोग के प्रसार को कम करने के बारे में लोगों को जागरूक करना। ● प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा किट के साथ चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ, एन0एन0एम0, छिड़काव कर्मियों आदि की प्रतिनियुक्ति करना।	● प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर माइक्रो प्लान में आवश्यक संशोधन करना। ● प्रभावित क्षेत्रों में यदि संचारी रोगों की पुनरावृत्ति अधिक है तो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञों का सहयोग लेना।

जिला स्वास्थ्य समिति, गया		
• संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु संबंधित हितभागियों को जागरूक व संवेदनशील बनाना। • महामारियों से प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु पर्याप्त संख्या में विशेष वार्ड एवं बेड की व्यवस्था करना। • आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं, आई0वी0 फ्लूइड, पी.पी.ई. सुरक्षा किट इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सभी अस्पतालों में करना। • एबुंलेस सेवा का 24x7 प्रभावी रूप से संचालन करना।	• संचारी रोगों से ग्रसित व्यक्तियों की जांच व उपचार की व्यवस्था करना। • आपातकालीन सेवा का प्रभावी संचालन करना। संचारी रोगों हेतु निर्धारित वार्डों में ही रोगियों को रखना। • वार्डों की साफ–सफाई व विसक्रमित करने की कार्रवाई नियमित कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय चिकित्सकों की क्यू0आर0टी0 इलाज, जांच व जागरूकता प्रसार हेतु भेजना।	• संचारी रोगों की रोकथाम हेतु संबंधित हितभागियों को प्रशिक्षित करना। • क्षति आकलन करना। • कार्ययोजना में आवश्यक संशोधन करना।
जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया		
• पशुपालकों को पशुओं को होने वाली संक्रामक बीमारियों के बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाना। • पशुओं के उपचार हेतु आवश्यक दवाओं व अन्य सामग्रियों की व्यवस्था रखना। • बर्ड फ्लू जैसी बीमारी के प्रसार होने पर आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना।	• पशुओं की चिकित्सा हेतु मोबाइल चिकित्सा टीम को प्रभावित क्षेत्रों में भेजना। • अन्य पशुओं में संक्रामक बीमारियों का प्रसार नहीं होने पाए, इस हेतु विशेष चिकित्सा सह शरण स्थल का संचालन करना। • मृत पशुओं का निपटारा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार करना।	• पशुपालकों को जागरूक व संवेदनशील बनाना। • पशुपालकों को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया		
• सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करना तथा सभी आपदा प्रबंधन योजनाओं में महामारी प्रबंधन एवं नियंत्रण को सम्मिलित करना। • महामारी रोकथाम के मद्देनजर जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन करना।	• संबंधित विभागों द्वारा महामारियों से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करना। समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी, गया की अध्यक्षता में करना।	• महामारी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाना तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करना। • मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य अनुग्रह अनुदान प्रभावितों को उपलब्ध कराना।

पार्थिव शवों के प्रबंधन हेतु गया में शवदाह गृह एवं कब्रिस्तान की सूची (तालिका–72)

क्र0 स0	स्थल का नाम	शवदाह गृह/कब्रिस्तान
1	विष्णुपद	शवदाह गृह
2	न्यू करीमगंज	कब्रिस्तान
3	ओल्ड करीमगंज	कब्रिस्तान
4	ए0पी0 कालोनी	कब्रिस्तान
5	मानपुर	कब्रिस्तान
6	पुलिस लाइन के पास क्रिश्चियन कब्रिस्तान	कब्रिस्तान

12.9 वज्रपात से बचाव

बिहार में गया जिला वज्रपात की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील जिला है। जिले में इसका प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों के खुले भाग, जलाशयों के निकट, ऊँचे पेड़ों के निकट, कृषि क्षेत्र, उद्यान, बाग, नदी के किनारे के भागों में अधिक होता है। गया जिले में प्रत्येक वर्ष 40–50 व्यक्ति वज्रपात की चपेट में आ जाते है तथा इससे व्यापक स्तर पर पशुधन की भी क्षति होती है। वज्रपात से भवन व विद्युत संरचनाओं की भी क्षति होती है। मोबाइल टावरों, बहु–मंजिला इमारतों, अस्पतालों, शांपिग मॉल, शापिंग काम्पलेक्स, सरकारी भवनों तथा अन्य प्रमुख संरचनाओं पर लगे लाइटनिंग अरेस्टर तथा लाइटनिंग कन्डकटर बड़ी संख्या में अधिष्ठापित होने के कारण नगर निगम, गया के क्षेत्र वज्रपात के प्रति कम संवेदनशील है। वज्रपात से बचाव हेतु सबसे महत्वपूर्ण है कि मौसम पूर्वानुमान तथा मानसून/चक्रवात के समय पूर्व चेतावनियों का प्रसार समुदाय तक प्रभावी रूप से किया जाए तथा वज्रपात से बचाव की विधियों के बारे में आमजन को जागरूक व संवेदनशील बनाया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) के सहयोग से विकसित ''इन्द्रवज्र एप'' के माध्यम से वज्रपात की पूर्व चेतावनी 30 मिनट पूर्व प्राप्त हो जाती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में विकसित ''दामिनी'' एप्प का भी उपयोग ससमय पूर्व चेतावनी हेतु किया जा सकता है। गया के शहरी क्षेत्र में विभाग वार वज्रपात से बचाव हेतु कार्ययोजना निम्नवत् है– **तालिका–73**

क्र0स0	विभाग का नाम	विभागों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया	• वज्रपात से बचाव हेतु जन–जागरूकता का प्रसार करना। • वज्रपात के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए वज्रपात के प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। • अति–संवदेनशील क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बहु–मंजिला इमारतों पर लाइटनिंग अरेस्टर/कन्डकटर लगाने की कार्रवाई करना। • संवेदनशील स्थलों पर पूर्व चेतावनी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु हूटर अधिष्ठापित करना। • समुदाय तक पूर्व चेतावनियों को प्रसारित करने हेतु सूचना तंत्र विकसित करना।

		• इन्द्रवज्र एप्प एवं दामिनी एप्प का प्रचार प्रसार करना। • प्रभावितों को त्वरित राहत पहुँचाने की कार्रवाई करना। • मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान सहायता उपलब्ध कराना।
2.	नगर निगम, गया	• नगर निगम, गया क्षेत्र में निर्मित बहु–मंजिला इमारतों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, शापिंग माल, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी भवनों में लाइटनिंग अरेस्टर तथा लाइटनिंग कन्डकटर अधिष्ठापित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। • वज्रपात से बचाव हेतु जागरूकता प्रसार करना। • पूर्व चेतावनी प्रणाली के माध्यम से आमजन तक वज्रपात संबंधी सूचनाओं, बचाव विधियों, पूर्व–चेतावनी आदि का प्रसार करना।
3.	जिला स्वास्थ्य समिति, गया	• प्रत्येक चिकित्सा केन्द्र में वज्रपात से प्रभावित व्यक्ति के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • अस्पतालों की आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को प्रभावी रूप से संचालित करना। • वज्रपात प्रभावित व्यक्ति को मनो चिकित्सा प्रदान करना। • अस्पतालों में जीवनरक्षक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर आवश्यक दस्तावेज आाश्रितों, संबंधित पदाधिकारी एवं विभाग को उपलब्ध कराना।
4.	मीडिया	• वज्रपात से बचाव की विधियों का प्रचार प्रसार कराना। • मानसून आगमन के मद्देनजर मौसम संबंधी सूचनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित करना।

अध्याय–13
जीवनप्रदायी संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण

जीवनप्रदायी संरचनाओं (Critical Infrastructure) का आपदाओं के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवनप्रदायी संरचनाएं, ऐसी सार्वजनिक एवं निजी संरचनाए होती हैं, जिनका आपदाओं के रिस्पांस, शरणस्थल प्रबंधन, आपदा राहत केन्द्र संचालन, चिकित्सा सुविधा, आपातकालीन प्रबंधन, आपातकालीन संचालन केन्द्र आदि के रूप में वैकल्पिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। जीवनप्रदायी संरचनाओं में ट्रामा सेन्टर, अस्पताल, विद्यालय, होटल, प्रेक्षागृह, सरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन, महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां जैसी संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। जीवनप्रदायी संरचनाओं को स्थानीय आपदाओं के प्रभावों व प्रकोपों के मद्देनजर सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आपदाओं के घटित होने के पश्चात इन संरचनओं में ही जीवनरक्षक सुविधाएं, मनोवैज्ञानिक सहयोग हेतु काउंसलिंग केन्द्र, सामुदायिक रसोई, चिकित्सा शिविर, पशु चिकित्सा शिविर आदि का संचालन किया जाता है। गया नगर में कई पुरातात्विक महत्व की भवन संरचनाएं अवस्थित हैं तथा इन स्थलों विशेषकर विष्णुपद मंदिर में श्रद्धालुओ की भारी भीड़ उमड़ती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से इसके आसपास पर्याप्त संख्या में जीवनप्रदायी संरचनाओं की उपलब्धता आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के साथ सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विभिन्न आपदाओं व दुर्घटनाओं में पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने तथा जीवन सुरक्षा में अस्पतालों व ट्रामा सेंटर की अहम भूमिका होती है। अस्पतालों का संचालन आपदाओं के पश्चात फैलने वाली महामारियों के रोकथाम एवं प्रबंधन में अति आवश्यक है। आपदाओं के दौरान लाइफ लाइन एवं महत्वपूर्ण मार्गों के अवरूद्ध होने की स्थिति में एम्बुलेंस का संचालन वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाना आवश्यक है। आपदाओं के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होने से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके निराकरण के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों जैसे जनरेटर, ईंधन (पेट्रोल/डीजल), सौर ऊर्जा आदि की व्यवस्था पूर्व से किया जाना चाहिए। आपदाओं एवं दुर्घटनाओं के कारण अस्पताल भवन पर भी क्षति पहुँच सकती है तथा अस्पताल में मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं बाधित हो सकती हैं, इससे अस्पताल में इलाजरत मरीजों के जीवन पर भी संकट पड़ सकता है। कई आपदाओं का परिवर्तन अन्य आपदाओं में हो जाता है, विशेषकर भूकम्प, विद्युत दुर्घटना तथा अगलगी जैसी स्थिति में अस्पताल परिसर को सुरक्षित रखना आवश्यक है। ऐसी अपरिहार्य स्थिति में संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर त्वरित मरम्मति व पुनर्स्थापन की कार्रवाई की जानी आवश्यक है। अस्पताल परिसर की विभिन्न संरचनाओं को आपदाओं के प्रभावों के मद्देनजर सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड तथा राज्य द्वारा लागू बिल्डिंग बायलॉज को अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

नगर निगम, गया में अस्पतालों की सूची

क्र0स0	अस्पताल का नाम	पता
1.	प्रभावती अस्पताल	सिविल लाइंस, गया
2.	जय प्रकाश नारायण अस्पताल	गोल पत्थर, गया
3.	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय	शेरघाटी रोड,गया

अस्पताल परिसर को सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया

(1) आपातकालीन प्रबंधन

अस्पताल परिसर को सुरक्षित बनाने के लिए अस्पतालों का आपातकालीन प्रबंधन किए जाने हेतु विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु अस्पताल परिसर में स्थानीय जोखिमों, खतरों, संवेदनशीलता व क्षमताओं का आकलन करते हुए अस्पताल प्रबंधन योजना तथा सुरक्षित निष्कासन योजना का निर्माण किया जा सकता है। आपातकालीन प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु अस्पताल परिसर में कार्यरत चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ व कर्मियों को चिन्हित करते हुए निम्न कार्यदल का गठन किया जा सकता है तथा समय–समय पर इनके क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण व मॉकड्रिल का आयोजन किया जा सकता है।

अ–खोज एवं बचाव कार्यदल
ब–सूचना प्रसार कार्यदल
स–सुरक्षित निष्कासन कार्यदल
द–प्राथमिक उपचार कार्यदल
प–स्वच्छता एवं शरणस्थल प्रबंधन कार्यदल

(2) अस्पताल भवन को स्थानीय आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में मानकों का अनुपालन करते हुए सुरक्षित बनाना।

अस्पताल भवन व परिसर का उपयोग दीर्घ अवधि के लिए किया जाता है तथा भवन में पूर्व से विभिन्न बीमारियों, दुर्घटनाओं व आपदाओं से ग्रसित व्यक्तियों का उपचार कर उनके जीवन की रक्षा करने की कार्रवाई की जाती है। अस्पताल परिसर में इलाजरत व्यक्ति वस्तुतः अत्यंत ही नाजुक वर्ग से संबंधित रखते हैं। अतः इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अस्पताल परिसर में बाह्य जोखिमों के अतिरिक्त आंतरिक जोखिमों का खतरा भी व्यापक रूप से व्याप्त रहता है। यदि इसका निराकरण त्वरित रूप से नहीं किया गया तो भविष्य में किसी बड़ी आपदा अथवा दुर्घटना के रूप में घटित हो सकती हैं। बाह्य एवं आंतरिक जोखिमों में कमी लाने में अस्पताल परिसर को एक रेजिलिएंट भवन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। अस्पताल परिसर को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में घटित होने वाली आपदाओं यथा भूकम्प, सड़क दुर्घटना, लू, शीतलहर, बाढ़, आंधी–तूफान, भगदड़ व वज्रपात के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

(3) आपदा प्रबंधन समिति का गठन

अस्पताल सुरक्षा योजना के निर्माण, कार्यान्वय तथा मूल्यांकन हेतु अस्पताल स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन करना अतिआवश्यक है, इसके गठन से अस्पताल परिसर को आपदाओं के प्रभावों से मुक्त बनाने, प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन, मॉकड्रिल का आयोजन, अन्य हितभागियों से योजना का संयोजन, स्थानीय प्रशासन व रिस्पांस एजंसियों के साथ बेहतर समन्वय जैसे कार्य किए जा सकते हैं। समिति में निम्न हितभागियों को सम्मिलित किया जा सकता है–

क्र0स0	हितभागी का विवरण	कार्य एवं दायित्व
1.	अस्पताल प्रबंधक	• सभी कार्यों का अनुश्रवण करना तथा बैठकों का संचालन करना। • अस्पताल सुरक्षा प्रावधानों को लागू करने के लिए वित्त का प्रबंधन करना।

		• आपात सेवाओं का संचालन सुनिश्चित करना।
2.	आर्किटेक्ट / सिविल इंजीनियर (कार्यदायी एजेंसी)	• राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2005 एवं बिहार बिल्डिंग बायॅलाज के अनुसार भवन निर्माण सुनिश्चित करना। • भवन को स्थानीय आपदाओं के मद्देनजर सुरक्षित बनाना। • अस्पताल भवन परिसर में अग्निसुरक्षा, वज्रपात सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर आवश्यक उपाय करना। • प्रमुख स्थलों पर सुरक्षित निष्कासन योजना के मानचित्र को अधिष्ठापित करना।
3.	प्रत्येक विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञ	• प्रत्येक स्तर पर सहयोग करना। • अपने विभाग के स्तर पर आपातकालीन तैयारी करना। • संबंधित कार्यदलों के द्वारा आयोजित मॉकड्रिल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना। • अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करना।
4.	पैरामेडिक स्टाफ–पैथालॉजी	• आपात स्थिति में पैथालॉजी सेवाओं का संचालन करने हेतु आवश्यक उपाय करना।
5.	पैरामेडिकल स्टाफ–एक्सरे	• आपात स्थिति में एक्स–रे का संचालन करने हेतु आवश्यक उपाय करना।
6.	ब्लड बैंक प्रभारी	• आपातकालीन परिस्थिति के मद्देनजर ब्लड की व्यवस्था करना। •
7.	नियंत्रण कक्ष प्रभारी	• महत्वपूर्ण सहाय्य विभागों के सम्पर्क विवरण का अपडेशन करना। • संचार व्यवस्था हेतु आवश्यक उपकरणों को कार्यशील रखना। • संचार तंत्र की प्रभावशीलता की जांच करने हेतु समय–समय पर मॉकड्रिल का आयोजन करना।
8.	टीम कमांडर, सुरक्षा टीम	• बाह्य व आन्तरिक खतरों से निपटने की कार्ययोजना बनाना तथा अभ्यास करना। • अस्पताल परिसर में भीड़ प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रबंध करना।
9.	स्टोर प्रभारी	• आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर दवाओं एवं चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करना।
10.	नर्सिंग दल के सदस्य	• निरन्तर अभ्यास करना।
11.	एंबुलेंस दल के सदस्य	• एंबुलेंस की मरम्मति कर उन्हे कार्यशील रखना। • एंबुलेंस में जीवनरक्षक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

		• एंबुलेंस में आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
12.	स्थानीय थाना प्रभारी अथवा फायर टीम के सदस्य	• स्थानीय सहयोग उपलब्ध कराना तथा मॉकड्रिल में सहयोग करना।
13.	स्थानीय गणमान्य व्यक्ति/एन0जी0ओ0	• समन्वय स्थापित करना।
14.	बैक सपोर्ट स्टाफ के प्रतिनिधि	• निरन्तर अभ्यास करना।
15.	वित्त प्रबंधक	• समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु वित्त की व्यवस्था रखना।

(4) आपात संचालन केन्द्र का गठन

अस्पताल परिसर में पब्लिक एड्रेस सिस्टम व संचार उपकरणों की व्यवस्था से सुसज्जित आपात संचालन केन्द्र का संचालन करना।

निम्नांकित तालिका विभिन्न प्रकार के आपदाओं से जुड़ी गतिविधियों से युक्त है।

(5) अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना एवं आपातकालिक तैयारियां –

(क) जनहताहत प्रबंधन (Mass Casualty Management):

क्र.सं.	उत्तरदायित्व	गतिविधियाँ	समय–सीमा (मिनट में)	जबाबदेही
1	**स्वास्थ्य प्रशासन और जिला स्तर पर व्यवस्था को उत्प्रेरित करना**	एम्बुलेंस को सक्रिय करना	0 – 30	सिविल सर्जन जिलाधिकारी से सम्पर्क में रहेंगे। जिला प्रोग्राम ऑफिसर) सहायक रहेगें।
		नजदीकी सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं को तैयार करना।	10 – 45	
		मानव संसाधन अन्य सरकारी व्यवस्था से हासिल करना।	10 – 50	
		आपातकालीन दवाईयां/ ड्रेसिंग, उपयोग की सामग्री एवं ईंधन सुरक्षित करना।	15 – 60	
		नजदीक के लेबोरेटरी तथा एक्सरे केन्द्रों को सचेत करना।	10 – 45	
		रेड क्रॉस तथा अस्पताल के ब्लड बैंक को तैयार रखना।	0 – 45	
2	**जिला अस्पताल की कमांड व्यवस्था को उत्प्रेरित करना**	सिविल सर्जन के साथ समन्वय तथा अद्यतन हालात की जानकारी रखना।	0 – 30	उपाधीक्षक (सिविल सर्जन तथा जिलाधिकारी से समन्वय बनाये रखेंगे) अस्पताल प्रबंधक सहायक रहेगे।
		आपरेशन थियेटर, लैब तथा ब्लड बैक को ब्लड के स्टाफ समेत तैयार रहने को कहना।	0 – 30	
		आपातकालीन सेवा के इंचार्ज को सचेत करना।	0 – 10	
		मेडिकल ऑफिसर एवं विशेषज्ञ को सचेत रखना।	0 – 15	
		स्वयंसेवी को सचेत करना	10 – 30	

		शवगृह को तैयार रखना, मृतकों के रिश्तेदारों को सूचित करना तथा सहायक कर्मी द्वारा अच्छा व्यवहार ।	15 मिनट – 2 घंटा	
		मीडिया को सूचना देने वाले व्यक्ति को चिह्नित कर सचेत करना।	10 – 45	
		भीड़ नियंत्रण एवं पुलिस सुरक्षा – आपात सेवा एवं शव गृह के स्थल पर।	0 – 2 घंटा	
3	**घायलों का वर्गीकरण एवं क्षमता**	घायलों की सहायता के लिए आवश्यकतानुसार वर्गीकरण करना।	0 – लगातार	एम॰ओ॰ इंचार्ज (प्रभारी) अपना प्रतिवेदन डी॰एस॰ और सी॰एस॰ को देगें।
		ब्लड बैंक को सूचित कर तैयार रखना।	0 – 10	
		अचानाक आयी भीड़ के लिए क्षमता वाले क्षेत्र को चिह्नित करना।	0 – 5 घंटा	
		ऑपरेशन थियेटर को सक्रिय रखना।	0 – 60	
		पारामेडिकल प्रभारी को सतर्क रखना।	0 – 15	
		चतुर्थ वर्ग के स्टाफ को वार्डों, बिस्तरों एवं आसपास की जगहों को साफ रखने का निर्देश देना।	0 – 10	
		अस्थायी वार्ड को सक्रिय करना (आँख, कान, नाक एवं गला, चर्म रोग इत्यादि)	0 – 15	
4	**जाँचशाला, फार्मेसी एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवा से संबंधित तैयारी**	जाँचशाला को सूचित करना	0 – 15	नर्स इंचार्ज (अपना प्रतिवेदन आपातकालीन सेवा प्रधान को देगी।)
		आवश्यक दवा की आवश्यकता हेतु फार्मेसी को सचेत करना।	0 – 15	
		पारामेडिकल स्टाफ को तर्क संगत तरीके से तैनात करना।	0 – 10	
		ऑक्सीजन समेत अन्य वस्तुओं हेतु स्टोर को खबर करना।	0 – 30	
		आहार एवं लाउंड्री सेवा को तैयार करना ।	15 – लगातार	
जिले के जिलाधिकारी 'घटना कमांडर' होंगे। परंतु विशेष आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस, प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, एस॰डी॰आर॰एफ॰/एन॰डी॰आर॰एफ॰ से सीधा संपर्क करेगें। सिविल सर्जन तथा जिला आपदा प्रबंधन केन्द्र समन्वयन हेतु कार्यरत होगें।				

(ख) जिलास्तरीय अस्पताल में आग (Fire at District Hospital Level)

क्र॰सं॰	**उत्तरदायित्व**	**गतिविधियाँ**	**समय–सीमा (मिनट में)**	**जबाबदेही**
1	**जिलास्तरीय स्वास्थ्य प्रशासन और प्रणाली की तीव्रता–तत्परता**	गतिशील एम्बुलेंस तैयार रहना।	0 – 30	सिविल सर्जन/ सिविल सर्जन जिलाधिकारी से समन्वय बनाये रखेगें।
		त्वरित तैयारी के लिए सरकारी और निजी सुविधाऐं।	10 – 45	
		अन्य आवश्यक सरकारी गतिविधि।	10 – 50	
		सावधान–आपातकालीन औषधि, ड्रेसिंग, उपयोगी और आपातकालीन सुरक्षित इंधन के साथ।	15 – 60	जिला कार्यक्रम प्रबंधक
		नजदीकी लैब और इमेंजिंग केन्द्र का तैयार रहना ।	10 – 45	

		समीप के अस्पताल और रेड क्रॉस का तैयार रहना।	0 – 45	
2	**जिला अस्पताल में आदेश प्रणाली की तीव्रता**	सिविल सर्जन से समन्वय एवं अद्यतन जानकारी के साथ सम्पर्क।	0 – 30	उपाधीक्षक तथा जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन से समन्वय बनाये रखेगें। अस्पताल प्रबंधक सहायक होंगे।
		ऑपरेशन थियेटर, लैब और ब्लड बैंक को तैयार रहना।	0 – 30	
		आपातकालीन सेवा प्रबंधक को तैयार रहना।	0 – 10	
		मेडिकल ऑफिसर्स एवं विशेषज्ञ को तैयार रहना।	0 – 15	
		कार्यकर्त्ता को तैयार रहना।	10 – 30	
		शवगृह को तैयार रखना, मृत के रिश्तेदारों को सूचित करना तथा सहायक कर्मी द्वारा अच्छा व्यवहार।	15 मिनट – 2घंटा	
		मीडिया को सूचना देने वाले व्यक्ति को चिह्नित कर सचेत करना।	10 – 45	
		भीड़ नियंत्रण एवं पुलिस सुरक्षा – आपात सेवा एवं शव गृह के स्थल पर।	0 – 2 घंटा	
3	**रोगियों की निकासी**	वार्ड में रोगी के पास स्टाफ की व्यवस्था।	0 – 5	उपाधीक्षक कल्पना कुमार (9798601396) अस्पताल प्रभारी सहायक होंगी।
		स्टाफ द्वारा रोगी को भावनात्मक सहायता।	0 – 10	
		स्टाफ रोगी को सुरक्षित जगह में जाने के लिए सहायता (ओ.पी.डी. ब्लॉक के सामने खुले क्षेत्र में)	0 – 15	
		स्टाफ और रोगी को पंक्ति से बाहर निकालना।	5 – 15	
		रॉल कॉल करना ताकि सुनिश्चित हो सके कि रोगी ने स्थान खाली कर दिया है।	10 – 30	
4	**अग्निशमन सुरक्षा**	आपातकालीन नम्बर से अग्निशमन दल को सूचित करना।	0 – 2	अस्पताल प्रबंधक
		सार्वजनिक घोषणाओं से सामान्य जन को सावधान करना एवं उन्हें उचित दिशानिर्देश देना ताकि वे भवन से सुरक्षित निकल सकें।	0 – 2	
		अग्नि निकासी और आपातकालीन निकासी की सहायता से समान्य जन को प्रभावित क्षेत्र से निकाल कर उन्हें सुरक्षित स्थान में इकट्ठा करना।	0 – 10	
		मकान की सभी विद्युत आपूर्ति बंद कर देना, आपातकालीन विद्युत सेवा और अग्निशमन पैनल को छोड़कर।	0 – 2	
		नजदीक के स्थान में अग्निशमन का प्रयोग करना अथवा जल की उपलब्धता के समीप आग के परिमाण की तुलना में होज रील का उपयोग करना।	0 – 10	
		दिव्यांग, शारीरिक रूप से आश्रित, महिलाओं को सर्वप्रथम खाली कराना।	0 –15	
		अग्निशमन दल के पहुँचने पर उस स्थान के बारे में उन्हें निर्देश देना चाहिए।	5 –20	

5	**तीव्रगति से आगे बढ़ने की क्षमता**	घायलों को उनकी गंभीरता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध करना।	0 – लगातार	एम.ओ.(प्रभारी) अपना प्रतिवेदन डी.एस.और सी.एस. को देंगे।
		अग्निशाखा को सावधान करना।	0 – 10	
		दुर्घटना स्थल को चिह्नित कर उसे क्रियाशील बनाना।	0 – 2 घंटा	
		पारामेडिक प्रधान को सावधान करना।	0 – 15	
6	**लैब, फार्मेसी एवं अन्य संबंधित आपूर्ति एवं सेवा संबंधी विभागों को तैयार करना**	लैब को हमेशा तत्पर रखना।	0 – 15	नर्स इंचार्ज अपना प्रतिवेदन आपात सेवा के प्रधान को देंगे।
		आपातकालीन औषधि के लिए फार्मेसी का हमेशा तत्पर रहना।	0 – 15	
		पारामेडिक स्टाफ को तुरंत नियुक्त करना।	0 –10	
		उपयोग में आने वाली वस्तुओं एवं गैस आपूर्ति की दूकान को तैयार रखना।	0 –30	
		कपड़े धोने तथा आहार सेवाओं के लिए मुस्तैद रहना।	15 – लगातार	
जिला पदाधिकारी ही दुर्घटना के इंसीडेंट कमांडर होगें। वे किसी भी आपात स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकेंगें और तत्पश्चात आई.सी.एस. व्यवस्था लागू करेगें। प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, प्रधान सचिव एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस बल, एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. की गतिशीलता के लिए जिलाधिकारी सम्पर्क करेगें। जिला का आपात सेवा केन्द्र और सिविल सर्जन अद्यतन जानकारी के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहेगें।				

(ग) जिलास्तरीय अस्पतालों में भूकंप (Earthquake at District Hospital Level)

क्र.सं	उत्तरदायित्व	गतिविधियाँ	समय–सीमा (मिनट में)	जबाबदेही
1	**जिलास्तरीय स्वास्थ्य प्रशासन और प्रणाली की तीव्रता–तत्परता**	गतिशील एम्बुलेंस तैयार रहना।	0 – 30	सिविल सर्जन जिलाधिकारी से समन्वय बनाये रखेंगे। जिला कार्यक्रम प्रबंधक इनको सहयोग करेंगे।
		सरकारी एवं निजी सुविधाओं की तैयारी एवं सावधानियाँ।	0 – 45	
		सरकारी स्तर से परे मानव संसाधन की गतिशीलता।	10 – 50	
		आपातकालीन औषधि, ड्रेसिंग, उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति के साथ–साथ सुरक्षित ईधन के साथ वैन्डर्स तैयार रहेगें।	15 – 60	
		लैब और एक्सरे केन्द्रों की त्वरित तैयारी।	10 –15	
		अस्पताल और रेड क्रॉस की त्वरित तैयारी।	0 – 45	
2	**जिला अस्पताल में आदेश प्रणाली की तीव्रता**	सिविल सर्जन से समन्वय एवं अद्यतन जानकारी।	0 – 30	उपाधीक्षक/जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन से समन्वय बनाये रखेंगे। अस्पताल प्रबंधक सहायक होंगे।
		ऑपरेशन थियेटर, लैब और ब्लड बैक को तैयार रहना।	0 – 30	
		आपातकालीन सेवा प्रबंधक को तैयार रहना।	0 – 10	
		मेडिकल ऑफिसर्स एवं विशेषज्ञ को तैयार रहना।	0 – 15	
		कार्यकर्त्ता को तैयार रहना।	10 – 30	

		शवगृह को तैयार रखना, मृतक के रिश्तेदारों को सूचित करना तथा कर्मी द्वारा अच्छा व्यवहार।	15 मिनट – 2घंटा	
		मीडिया को सूचना देने वाले व्यक्ति को चिह्नित कर सचेत करना।	10 – 45	
		भीड़ नियंत्रण एवं पुलिस सुरक्षा – आपात सेवा एवं शव गृह स्थल पर।	0 – 2 घंटा	
3	**रोगियों की निकासी**	वार्ड में रोगी के पास स्टाफ का पहुँचना।	0 – 5	उपाधीक्षक अस्पताल प्रभारी सहायक होंगी।
		रोगियों की निकासी के लिए स्टाफ की तैयारी।	0 – 10	
		स्टाफ रोगी को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने में सहयोग करेगें।	0 – 15	
		स्टाफ रोगी की कतार में निकासी करेगें।	5 – 15	
		यह सुनिश्चित करने के लिए की सभी रोगियों और अधिकृत व्यक्तियों ने स्थान खाली कर दिया है, रोल कॉल किया जायगा।	10 – 30	
4	**सुरक्षा**	आपातकालीन नम्बर से अग्निशमन दल को सूचित करना।	0 – 2	अस्पताल प्रबंधक
		सार्वजनिक घोषणाओं से सामान्य जन को सावधान करना एवं उन्हें उचित दिशानिर्देश देना ताकि वे भवन से सुरक्षित निकल सके।	0 – 2	
		अग्नि निकासी और आपातकालीन निकासी की सहायता से सामान्यजन को प्रभावित जगह से खाली करा देना और उन्हें सुरक्षित स्थान में इकट्ठा करना ।	0 – 10	
		मकान की विद्युत आपूर्ति बंद कर देना, आपातकालीन विद्युत सेवा और अग्निशमन पैनल को छोड़कर।	0 – 2	
		नजदीक के स्थान में अग्निशमन का प्रयोग करना अथवा जल की उपलब्धता के समीप आग के परिमाण की तुलना में होज रील का उपयोग करना ।	0 – 10	
		दिव्यांग, शारीरिक रूप से आश्रित, महिलाओं को सर्वप्रथम खाली कराना।	0 –15	
		अग्निशमन दल के पहुँचने पर उस स्थान के बारे में उन्हें निर्देश देना ।	5 –20	
5	**वर्गीकरण एवं तीव्रता की क्षमता**	दुर्घटनाग्रस्त्र व्यक्तियों का वर्गीकरण	0 – 5	एम.ओ.(प्रभारी) अपना प्रतिवेदन डी.एस.और सी.एस. को देंगे।
		अग्निशाखा को सावधान करना।	0 – 10	
		दुर्घटना स्थल को चिह्नित कर उसे क्रियाशील बनाना।	0 – 2 घंटा	
		पारामेडिकल प्रधान को सावधान करना।	0 – 15	
6		लैब को हमेशा तैयार रखना।	0 – 15	नर्स इंचार्ज

	लैब, फार्मेसी एवं अन्य सेवा से संबंधित आपूर्ति एवं सेवा संबंधी विभागों को तैयार करना	आपातकालीन औषधि के लिए फार्मेसी का हमेशा तैयार रहना।	0 – 15	अपना प्रतिवेदन आपात सेवा के प्रधान को देंगे।
		पारामेडिक स्टाफ की तुरंत नियुक्ति करना।	0 –10	
		उपयोग में आने वाली वस्तुएं एवं गैस आपूर्ति की दुकान को तैयार रखना।	0 –30	
		कपड़े धोने तथा आहार सेवाओं के लिए तैयार रहना।	15 – लगातार	
जिला पदाधिकारी दुर्घटना के इंसीडेंट कमांडर होगें। वे किसी भी आपात स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकेंगें और तत्पश्चात आई॰सी॰एस॰ व्यवस्था लागू करेगें। प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, प्रधान सचिव एवं आपदा प्रबंधन विभाग आदि पुलिस बल, एस॰डी॰आर॰एफ॰/एन॰डी॰आर॰एफ॰ की गतिशीलता के लिए जिलाधिकारी सम्पर्क करेगें। ऐसे हीं समय जिला का आपात सेवा केन्द्र और सिविल सर्जन अद्यतन जानकारी के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहेगें।				

नगर निगम, गया क्षेत्र के विद्यालय

विद्यालयों की आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिप्रेक्ष्य में महती भूमिका होती है। विद्यालयों के माध्यम से एक ओर जहां विद्यार्थियों को आपदाओं की रोकथाम के प्रति जागरूक कर समुदाय स्तर पर जागरूकता का प्रसार किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर आपदाओं की स्थिति में इनका उपयोग आपदा राहत संबंधी विभिन्न प्रयोजनों में किया जाता है। विद्यालयों में अस्थायी रूप से अस्थाई राहत शिविर का संचालन कर स्थानीय प्रभावित समुदाय को राहत पहुँचाई जाती है तथा इन स्थलों पर प्रभावितों को भोजन, पेयजल जैसी सुविधाओं के साथ–साथ शौचालय, चिकित्सा शिविर, अस्थायी आंगनबाड़ी केन्द्र, अस्थायी शिक्षा केन्द्र, कूड़ा–कचरा निपटान व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस दौरान भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी आवश्यक है।

स्कूल सुरक्षा : विभिन्न आपदा के समय बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। आपदा प्रबंधकों ने माना है कि चूँकि बच्चे भविष्य के मूल्यवान नागरिक हैं, अतः उन्हें बार–बार के अभ्यास से संभावित आपदाओं में, उससे लड़ने और बचने हेतु मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाय। ऐसा करने से बच्चे खुद और साथ ही उन परिवारों को भी आपदा से निपटने के गुणों से वाकिफ करा सकते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि कम उम्र के बच्चे होने की वजह से उनकी निर्भरता दूसरों पर बनी रहती है। विद्यालय भवन चूंकि सार्वजनिक होते हैं, अतः इनका निर्माण भूकंपरोधी तकनीक से युक्त होना चाहिए या जो विद्यालय भवन पहले से निर्मित हैं, उनमें भूकंपरोधी तकनीक के अधीन सुधार लाया जाना चाहिए। भारतीय संदर्भ में, विद्यालय सुरक्षा के क्षेत्र में दो घटनाएँ –तमिलनाडू के कुंभलकोलम के विद्यालय में लगी आग जिसमें 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई तथा गुजरात के भुज में आये भूकंप, जो झंडोत्तोलन के समय आया, में भी काफी बच्चे हताहत हुये थे, अति महत्वपूर्ण हैं।

> **विद्यालयों में घटित कुछ हादसे –**
> शिक्षा विभाग बिहार के अनुसार राज्य में लगभग 80000 सरकारी विद्यालय है। जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। वर्ष 2008 में कोसी नदी से आयी बाढ़ के दौरान सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिले के 7480 विद्यालय प्रभावित हुए। जिसमें क्रमशः 173 विद्यालय पूर्णतः तथा 481 विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इसी प्रकार वर्ष 2013 में सारण जिले के गंडामन प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याहन् भोजन खाने से 23 बच्चों की मृत्यु हो गई। वर्ष 2016 में गंगा में आयी बाढ़ के कारण 3 मध्य विद्यालय पानी के तेजधार में विलुप्त हो गये।
> **स्त्रोत–मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, कार्यक्रम क्रियान्वयन दस्तावेज, 2017**

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य एवं जिला आपदा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग तथा जिलाधिकारी स्तर से किये गये प्रयासों की वजह से सभी जिलों में स्कूलों के शिक्षक तथा छात्र–छात्राएँ, मॉकड्रिल के माध्यम से भूकम्प तथा आग से बचने के विभिन्न तरीकों से परिचित हो चुके है। अब आवश्यकता है कि इन प्रयासों की निरंतता बनाई रखी जाय ताकि वे भविष्य में स्वयं की सुरक्षा तो कर ही सके, साथ में समाज को भी लाभ मिल सके। आपदा में बच्चे सबसे

ज्यादा कष्ट झेलते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु स्कूल सुरक्षा को जिला आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य अंग बनाया गया है।

स्कूल हमारे समाज निर्माण का अभिन्न हिस्सा हैं। अतः शिक्षा विभाग को भी इन तैयारियों में जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्कूल सुरक्षा को हम निम्नलिखित छः चरणों में हासिल कर सकते हैं–

पूर्व तैयारी :

1. स्कूली स्तर के खतरे एवं संवेदनशीलता के संबंध में जागरूकता बढ़ाते हुए स्कूल से जुड़े शिक्षकों, छात्रों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच इसका रेखांकन करना।
2. खतरों और कमजोरियों, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक ढाँचे, अंदर की क्षमता और भूमिकाओं की पहचान, विभिन्न हितधारकों को सुचारू योजना बनाने में मददगार साबित होगी।
3. निकासी योजना, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण स्कूल आपदा प्रबंधन योजना की सफलता सुनिश्चित करेगी।
4. चेतावनी दल, जागरूकता कार्य दल, निकासी कार्य दल, खोज एवं बचाव कार्य दल, प्राथमिक चिकित्सा कार्य दल, अग्नि सुरक्षा कार्य दल, मनोवैज्ञानिक सहायता कार्य दल, साइट सुरक्षा टास्कफोर्स सहित विभिन्न कार्यदलों का गठन करना।
5. आपातकालीन प्रबंधन के लिए सभी संसाधन एजेंसियों से संपर्क एवं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
6. आपातकालीन निकास मार्ग, प्रदर्शन और निकासी, बचाव, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा छात्रों द्वारा प्राप्त कौशल का परीक्षण करने की कार्यकुशलता का मॉक ड्रिल का आयोजन कर छात्र/छात्राओं की समझ को बढ़ाना ।

जागरूकता : पूर्व में किये गये प्रयासों की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार कर, भूकंप एवं अग्नि के अतिरिक्त अन्य आपदाएं जैसे लू, शीतलहर, सड़क सुरक्षा आदि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस तरह के कार्यक्रम को चलाये जाने से निम्नलिखित सीख प्राप्त होगी।

1. बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित होना।
2. विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होना।
3. विद्यालय सुरक्षा विषय से संबंधित मास्टर प्रशिक्षक तैयार होना।
4. सूचना, शैक्षणिक एवं संचार (आई॰ई॰सी॰) सामग्रियों से बच्चों का जागरूक होना।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को जीवन में व्यापकता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य शोध शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् की सहायता से जिला स्तरीय एंव प्रखंड स्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय गतिविधियों एवं भूमिकाओं की रूप रेखा तैयार की जायें।

साप्ताहिक कार्यक्रम : आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु बिहार द्वारा पारित बहु–आपदा न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) में भी शिक्षा संबंधित विषय के अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस रोडमैप को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं जिला स्तर के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा संबंधी विभिन्न गतिविधियों को लागू करने हेतु प्रयत्न किये जायेंगे। इसे प्रत्येक सप्ताह शनिवार या सुविधानुसार किसी अन्य दिनों में भी आयोजित किया जा सकता है।

जिला विद्यालय सुरक्षा योजना –
शिक्षा विभाग, बिहार के अनुसार राज्य में लगभग 80000 सरकारी विद्यालय हैं। जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा योजना के अतंगर्त बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2015 से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी सहयोग लिया गया तथा इसका परिणाम सफल रहा है।

साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्देश्य :

- बच्चों को विभिन्न प्रकार के आपदा जोखिमों से परिचित कराना ।
- बच्चों को जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल करना।
- बच्चों को विभिन्न प्रकार की आपदा के कुप्रभाव से बचाना।
- बच्चों का आपदा प्रबंधन कौशल विकास करना।
- आपदा से होने वाली मौतों को कम करना।
- आपदा से होनेवाले नुकसान को पूर्व तैयारियों के माध्यम से कम करना।
- विद्यालयों को सुरक्षित बनाना।
- आपदा से बचाव के तरीकों को समाज तक फैलाना एवं आत्मनिर्भर करना।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्कूलों में 'सुरक्षित शनिवार' कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार निम्न विषयों में से किसी एक का चुनाव कर विवेचना करने का सुझाव दें सकती है–

1. मौसम आधारित आपदाएँ ।
2. सामान्य समय में होनेवाली आपदाएँ/घटनाएँ ।
3. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ।
4. पोषण संबंधी परेशानियाँ।
5. स्वच्छता संबंधी।
6. बाल सुरक्षा संबंधी।
7. जलवायु परिवर्तन एवं
8. बच्चों की खराब आदतों संबंधी।

जिन विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे उन सभी विद्यालय में छात्र–छात्राओं द्वारा सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन किया जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि इस बात को भी समझा जाये कि विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों के प्रकार, इन विद्यालयों में नामांकित बच्चों तथा इनमें कार्यरत शिक्षकों की दृष्टि से आपदाजनित खतरों के लिए यह कितना संवेदनशील हैं?

सहयोगी संस्था : सुरक्षित स्कूल कार्यक्रम के सफलता हेतु निम्नलिखित विभाग, संस्थानों एवं संभाग के सहयोग से सफलता हासिल करना होगा। वे है :–

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्।
- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- जिला शिक्षा परियोजना परिषद्।
- जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।
- स्कूल स्तरीय शिक्षा समिति।

स्कूल प्रत्युत्तर दल का गठन (क्षमतावर्धन) : जैसा कि विदित है, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अध्यापकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता को बढ़ाना, इसलिए सभी स्कूलों से यह अपेक्षा होगी कि वो स्कूल स्तर पर प्रत्युत्तर दल का गठन करेगें ताकि मॉक ड्रिल के माध्यम से उनका क्षमतावर्धन हो। दल निम्नवत होगा–

क्र०सं०	टीम	टीम की बनावट	मुख्य काम
1	इन्सीडेन्ट कमांडर	प्रधानाचार्य	1. आपदा के दौरान किये जाने वाले राहत व बचाव कार्य सुचारू रूप से कराना। 2. किसी आपदा के बाद यदि राहत व बचाव कार्य के लिए सरकारी या गैर–सरकारी एजेंसियां स्कूल परिसर में पहुँचती है तो उन्हें सभी आवश्यक सूचना प्रदान करना।

2	**स्कूल आपदा प्रबंधन समिति**	**प्रधानाचार्य/ उपप्रधानाचार्य, शिक्षक–2 (1पुरुष,1महिला) स्कूल स्टाफ–2**	1. 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' तैयार करना। 2. समयान्तराल पर 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' का मूल्यांकन करना तथा उसे अपडेट करना। 3. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों से मिलाप करना तथा स्कूल में आपदा प्रबंधन व जीवन बचाव संबंधित तकनिकी प्रशिक्षण का आयोजन करना। 4. समय–समय पर आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों के मदद से स्कूल परिसर में आपदा के विभिन्न पहलुओं पर मॉकड्रिल कराना। 5. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों का संपर्क नंबर रिकार्ड में रखना व समयान्तराल पर उसे अपडेट करना। 6. आपदा से संबंधित प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल में स्कूल के सभी अध्यापकों एवं छात्रों के भागीदारी को सुनिश्चित करना।
3	**जागरूकता अभियान दल**	**5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)**	1. आपदा के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। 2. स्कूल परिसर में आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने के लिए पोस्टर, पम्पलेट, आसान तरीका 'क्या करें–क्या न करें' प्रदर्शित करना। 3. स्कूल में आपदा प्रबंधन से संबंधित लेख/निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।
4	**आपातकालीन अलार्म दल**	**शिक्षक –2, स्कूल स्टॉफ–1**	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान विद्यालय परिसर में मौजूद छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को अलार्म के माध्यम से सावधान करना। 2. अलग–अलग घटनाओं के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के अलार्म का प्रावधान किया जा सकता है जिससे कि छात्रों व अध्यापकों को चेतावनी व सूचना प्राप्त हो सके।
5	**निकासी दल**	**5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)**	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान सभी छात्रों को शांतिपूर्वक ढंग से क्लास रूम से बाहर निकालना व एसेम्बली प्वाइंट पर इकट्ठा करना। 2. असेम्बली प्वाइंट में बच्चों की गिनती करना तथा इसकी सूचना 'स्कूल आपदा प्रबंधन समिति' व खोज एवं बचाव दल को देना।
6	**खोज व बचाव दल**	**5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर) इस दल में स्कूल के सीनियर छात्रों के सेक्शन को भी शामिल किया जाये।**	असेम्बली प्वाइंट में इकट्ठा होने के बाद यदि कोई छात्र गुम हो तो तुरंत खोज एवं बचाव के कार्य करना।

7	**प्राथमिक उपचार दल**	**स्कूल डॉक्टर/नर्स 3–4 शिक्षक स्कूल के सीनियर सेक्शन के छात्रों को भी शामिल किया जाये।**	1. घायल छात्रों, अध्यापकों या अन्य स्कूल स्टॉफ का प्राथमिक उपचार। 2. स्कूल परिसर में प्राथमिक उपचार किट तैयार रखना।
8	**फायर फाईटिंग दल**	**5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)**	1. स्कूल में उपलब्ध आग बुझाने के बारे में जानकारी रखना। 2. मुख्य बिजली आपूर्ति 'कट' के बारे में जानकारी होना ताकि शॉट सर्किट की स्थिति में मेन लाईन काटा जा सके। 3. आगजनी के हालात में आग पर काबू पाने का प्रयास करना।
9	**परिवहन प्रबंधन दल**	**स्कूल के वाहन समन्वयक शिक्षक–2, सीनियर सेक्शन के छात्र–2**	1. स्कूल में उपलब्ध सभी गाड़ियों, उनके रूट व आने जाने वाले छात्रों की सूची तैयार रखना। 2. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान स्कूल आपदा प्रबंधन समिति को सहयोग करना।
10	**मीडिया प्रबंधन दल**	**उप प्रधानाचार्य या अन्य वरिष्ठ स्कूल स्टॉफ**	1. पत्रकार सम्मेलन से पहले स्कूल आपदा प्रबंधन समिति से किसी भी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेना। 2. आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मीडिया के संपर्क में रहना।

पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा:

आपदा प्रबंधन के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान के जोखिम निराकरण अथवा शमनीकरण का प्रयास पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। खतरो की चपेट में आई आबादी का बचाव करने के उपरांत स्कूलों में स्थापित अस्थाई राहत शिविर में सुरक्षित स्थानान्तरण करना होता है। घायलों की चिकित्सा नजदीकी अस्पताल में की जाती है। औद्योगिक प्रतिष्ठान आपातकालीन संचालन केन्द्र के तौर पर उपयोग में लाये जा सकते है। ऐतिहासिक एंव पुरातात्विक महत्व के स्थल तथा उस स्थल पर निर्मित संरचना हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अन्यथा इनका पुनर्स्थान या पुनर्निर्माण पूर्व की स्थिति में नहीं किया जा सकता है। भविष्य की पीढ़ियो के लिए इसे संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

कुछ खतरों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान विशेष संवेदनशील होते हैं। इनके विध्वंस अथवा क्षतिग्रस्त होने पर नये खतरे की संभावना बन जाती है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु आवश्यक है कि राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, फैक्ट्री अधिनियम, अगलगी सुरक्षा तथा औद्योगिक सुरक्षा संबंधी किए गए प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा कर्मियों का क्षमतावर्द्धन दुर्घटनाओं के रोकथाम के मद्देनजर किया जाए। प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में सेफ्टी ऑफिसर का प्रावधान किया जाना महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठानों में अग्नि से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्रों को अधिष्ठापित किया जाना चाहिए।

अध्याय–14
संचार योजना

14.1 गया के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदाधिकारियों, अभियंताओं, कर्मियों का सम्पर्क विवरण

क्र०सं०	पदाधिकारी का पद नाम	दूरभाष संख्या
1	जिलाधिकारी, गया ।	9473191244
2	उप विकास आयुक्त गया।	9431818351
3	नगर आयुक्त नगर निगम गया।	9470488794 8544144311
4	वरीय पुलिस अधीक्षक, गया	9431822973
5	अपर समाहर्ता, गया।	9473191245
6	अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत, गया।	8544423635
7	सिविल सर्जन, गया।	9470003278
8	नगर पुलिस अधीक्षक, गया।	9473191722
9	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया।	8544472960
10	विशेष कार्य पदाधिकारी, समाहर्त्ता के गोपनीय शाखा, गया।	9771226543
11	जिला परिवहन पदाधिकारी, गया।	6202751055
12	सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व, गया।	9113700631
13	वरीय कोषागार पदाधिकारी, गया	9473191250
14	कोषागार पदाधिकारी, गया	9709216226
15	जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया	8544411293
16	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, गया।	7992253711
17	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, गया।	8544411294
18	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), गया।	9006277512
19	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०), गया।	9006277512
20	कार्यक्रम पदाधिकारी (ले० एवं यो०), गया।	9939383711
21	जिला प्रोग्राम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गया।	9473191876
22	अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।	9470003303
23	उपाधीक्षक, JPN, अस्पताल, गया।	9470003263
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया।	8210207754
25	जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, गया।	7739109858
26	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया।	7903586833
27	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (ICDS) गया।	9431005026
28	पुलिस उपाधीक्षक, गया (नगर)	9431800110
29	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया।	0631–2420302
30	जिला योजना पदाधिकारी, गया।	9905016225, 7979847894

31	जिला कल्याण पदाधिकारी, गया।	9472592499
32	जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया।	8210007605
33	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	9431818735
34	राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी, गया।	9430035294
35	जिला मत्स्य पदाधिकारी, गया।	9473191585
36	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया।	8544426114
37	जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद निगम, गया।	9431266170
38	जिला खेल पदाधिकारी, गया	9097012267
39	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गया।	9430871988
40	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, गया	9431025856
41	प्रधान डाटा एनालिस्ट, NIC, गया	9471002013
42	सहायक निदेशक, उद्यान, गया।	9431818962
43	सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, गया।	980847165
44	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया।	9431830208
45	परियोजना निदेशक, आत्मा, गया।	9430564013
46	सहायक आयुक्त उत्पाद, गया।	9473400379
47	अवर निबंधक, गया	9470445068
48	परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्प लाईन, गया	9771468011
49	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गया	9430245296
50	उप नगर आयुक्त, नगर निगम, गया	
51	उप निर्वाचन पदाधिकारी, गया।	855529893
52	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया।	9473191246
53	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर	8544412325
54	नगर प्रबंधक, नगर निगम, गया	9123280119
55	प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर	9431818068
56	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मानपुर	9431818066
57	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया	9431818483
58	अंचल अधिकारी, नगर	8544412528
59	अंचल अधिकारी, मानपुर	8544412527
60	अंचल अधिकारी, बोधगया	8544412523
61	कार्यपालक अभियंता, विद्युत शहरी प्रमंडल, गया	7763814315
62	जिला समादेष्टा गृ०र० वाहिनी, गया	9304222831, 9473191918

स्वास्थ्य विभाग, गया संबंधी महत्वपूर्ण सम्पर्क विवरण

क्र0स0	अस्पताल	मोबाइल
1	अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गया	9470003301 0631–2410339, 0631–4687645
2	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गया	9470003301
3	उपाधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गया	9470003300
4	प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गया	9470003290
5	स्वास्थ्य प्रबंधक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गया	8092756446
6	संक्रामक रोग अस्पताल, गया	9431838574
7	अधीक्षक, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया	9470003263
8	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया	9470003268
9	प्रभावती अस्पताल	0631.2228458
12	निदेशक, (मैत्रीय कुष्टरोग), गया	06312200841
13	जिला रेडक्रास, गया	06312220057
14	जिला मलेरिया पदाधिकारी, गया।	9470003268
15	जिला फलेरिया पदाधिकारी, गया।	9334230640
16	जिला कुष्ठरोग पदाधिकारी, गया।	8092112927
17	एच0आई0वी0/एड्स परामर्श केन्द्र	06312210305
18	विश्व स्वास्थ्य संगठन	9471002120
19	जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, गया	9470003291
20	स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति, गया	9473191876
21	स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति, गया	9334294461, 9304022887, 9852015641
22	संक्रामक रोग नियंत्रण केन्द्र एवं अस्पताल	9431838574
23	जिला परियोजना प्रबंधक, (स्वास्थ्य), गया।	943191876
24	श्रद्धालुओं हेतु हेल्पलाइन नम्बर	06312421780, 9470003263

नगर निगम, गया के अभियंताओं व कर्मियों का सम्पर्क विवरण

नगर निगम, गया के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अभियंता की सूची

क्र0 सं0	नाम	पद नाम	आवंटित कार्य	मोबाईल न0
1	श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा	प्रभारी सहायक अभियंता	विकास कार्य वार्ड सं0 14 से 26 एवं नक्शा नोडल पदाधिकारी सफाई व्यवस्था, जेम पोर्टल, अमष्त योजना, चार्ज अधीक्षक जनगणना शाखा	9471893041
2	श्री विनोद प्रसाद	प्रभारी सहायक अभियंता	विकास कार्य एवं नक्शा वार्ड सं0 1 से 13 एवं 27 से 40 तक, प्रकाश व्यवस्था, वरीय प्रभारी अभियंत्रण शाखा	9835264647
3	श्री मनोज कुमार	प्रभारी सहायक अभियंता	थ्वकास का कार्य एवं नक्शा वार्ड सं0 41 से 53 तक, वरीय प्रभारी मार्केट शाखा	7250045181

नगर निगम, गया के अन्तर्गत कार्यरत कनीय अभियंता की सूची

क्र0 सं0	नम	पद नाम	संबंधित वार्ड संख्या	मोबाईल न0
1	श्री सुबोध कुमार	कनिय अभियंता	विकास कार्य एवं नक्शा वार्ड 01 से 07 तक	6202667547
2	श्री देवनन्दन प्रसाद	कनिय अभियंता	विकास कार्य एवं नक्शा वार्ड 08 से 16 तक	9431419156
3	श्री फांसिस बारला	कनिय अभियंता	विकास कार्य एवं नक्शा वार्ड 17 से 19 तक	7739330262
4	श्री दिनकर प्रसाद	कनिय अभियंता	विकास कार्य एवं नक्शा वार्ड 20 से 30 तक एवं 40, 41	8002418877
5	श्री धर्मेंद्र कुमार	कनिय अभियंता	विकास कार्य एवं नक्शा वार्ड 31 से 39 तक	8757523506
6	श्री किशोर प्रसाद	कनिय अभियंता	विकास कार्य एवं नक्शा वार्ड 43 से 53 तक	9279005596

नगर निगम, गया मे कार्यरत कर्मियों की सूची

क्र0 सं0	नम	पद नाम	आवंटित कार्य	मोबाईल न0
1	श्री शम्भु शरण सिन्हा	कर संग्रह कर्ता	प्रतिनियुक्त अभिलेखपाल आगत–पत्र संधारण	9905037373
2	श्री सुनिल कुमार सिन्हा	सहायक	निर्गत पत्र संधारण एवं प्रभारी दाखिल खारीज वार्ड सं0 21 से 30 तक	9852016699
3	श्री जयप्रकाश पाण्डेय	सहायक	निर्गत पत्र सहायक	9798060135
4	श्री संजय कुमार	सहायक	आगत पत्र सहायक	8434268475
5	श्रीमती मंजु देवी	अनुसेवक	नगर आयुक्त कार्यालय कक्ष	7367978304
6	श्रीमती गीता देवी	अनुसेवक	सामन्य शाखा	7301716233
7	श्री नथुनी राम	अनुसेवक	महापौर कार्यालय कक्ष	7858009443
8	श्री किशोर सिंह	अनुसेवक	बाहरी डाक	7870605549
9	श्री लखन पासवान	अनुसेवक	कार्यालय डाक	8002665255
10	श्री कमलेश प्रसाद	अनुसेवक	बाहरी डाक	9308458958
स्थापना शाखा				

1	श्री इम्तियाज अली	प्रभारी स्थापना शाखा	प्रधान सहायक स्थापना का कार्य एवं प्रति0 राजस्व पदाकिारी का कार्य एवं जनगणना कार्य	9708195546
2	श्री लक्ष्मण सिंह	सहायक	सहायक स्थापना शाखा एवं प्रभारी विवादित दाखिल खारिज बी0एल0ओ0 का कार्य	9934086221
3	श्रीमती चिन्ता देवी	अनुसेविका	स्थापना शाखा	8002443293
4	श्रीमती चिन्ता देवी	अनुसेविका	स्थापना शाखा	7004665190
5	श्री रामप्रवेश कुमार दास	कार्यालय सफाई कर्मी	कार्यालय सफाई का कार्य	9162896225
6	श्रीमती अलकरीया देवी	कार्यालय सफाई सेवीका	कार्यालय सफाई का कार्य	7070110115
7	श्रीमती सविता देवी	कार्यालय सफाई सेविका	कार्यालय सफाई का कार्य	8968280741
लेखा शाखा				
1	श्री गौतम कुमार	लेखा पदाधिकारी	लेखा पदाधिकारी का कार्य	9507402042
2	दिलीप कुमार	सहायक	ग्रुप जीवन बीमा/लेखा शाखा का कार्य एवं बी0एल0ओ0 का कार्य	8651693947
3	श्री मनीष कुमार सिन्हा	सहायक	लेखा शाखा का कार्य वेतन विपत्र आदि	7282869134
4	श्री आकाश कुमार	सहायक	लेखा शाखा का आवंटित कार्य , सेवानिवष्त, भविष्य निधी एवं पेंशन विपत्र आदि	9199875276
5	श्री सुरेश कुमार	अनुसेवक	अनुसेवक लेखा शाखा	8102917384
6	श्री शंकर प्रसाद	अनुसेवक	लेखा शाखा का आवंटित कार्य सेवानिवष्त, भविष निधी एवं पेंषन विपत्र आदि	9199875276
राजस्व शाखा				
1	श्री इमतियाज अली	प्रभारी राजस्व पदाधिकारी	राजस्व पदाधिकारी से संबंधित कार्य सह–प्रधान सहायक स्थापना का कार्य	9708195546
2	श्री राकेश कुमार	सहायक	प्रभारी जन्म एवं मष्त्यु	9570723330
3	श्री पंकज कुमार	सहायक	कर–निर्धारण एवं कर विभाजन एवं राजस्व शाखा से संबंधित लोक शिकायत/लोक सूचना निवारण आदि	9430072589
4	श्री राजु कुमार सिंह	सहायक	राजस्व शाखा सहायक कार्य, अतिक्रमण सहायक, प्रभारी दा0खा0 वार्ड सं0 – 12 से 20 एवं लेखा शाखा सहायक का कार्य	9113751301
5	श्री सियाधर सिंह	कर संग्रहकर्ता	राजस्व शाखा एवं आवास योजना का कार्य	9852215707
6	श्री प्रमोद कुमार	कर संग्रहकर्ता	राजस्व शाखा एवं आवास योजना का कार्य	9631052449
7	श्री अनिल कुमार	कर संग्रहकर्ता	राजस्व शाखा एवं आवास योजना का कार्य	9934219638
8	श्री ईन्द्र देव प्रसाद	कर संग्रहकर्ता	राजस्व शाखा एवं आवास योजना का कार्य	9939257683

9	श्री उमेश कुमार	कर संग्रहकर्ता	राजस्व शाखा एवं आवास योजना का कार्य	9501099032
10	श्री सुरेन्द्र सिंह	कर संग्रहकर्ता	राजस्व शाखा एवं आवास योजना का कार्य	9472204963
11	श्री मनोज कुमार	कर संग्रहकर्ता	राजस्व शाखा एवं आवास योजना का कार्य	9661402979
12	श्री कुन्दन कुमार	कर संग्रहकर्ता	राजस्व शाखा एवं आवास योजना का कार्य	9097779236
13	श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह	कर संग्रहकर्ता	जन्म एवं मष्त्यु शाखा	9608395811
14	श्राी रामविनया शर्मा	प्रति0 कर संग्रहकर्ता	अतिक्रमण हटाव काय्र	.9771157224
15	श्री अरूण प्रसाद	प्रति0 कर संग्रहकर्ता	राजस्व शा,खा में	97871508613
16	श्री भरत प्रसाद	पति0 कर संग्रह कर्ता	जन्म एावं मष्त्यु शाखा	9430834550
17	श्री शिव प्रसाद	पति0 कर संग्रहकर्ता	अतिक्रमण हटाव कार्य	9931711359
18	श्री अजय कुमार	पति0 कर संग्रहकर्ता	मार्केट में अतिक्रमण वसुली का कार्य	9852215746
19	श्री विनोद कुमार	प्रति0 कर संग्रहकर्ता	अतिक्रमण हटाव कार्य	9199800412
20	श्री अवध किशोर शर्मा	प्रति0 कर संग्रहकर्ता	जन्म एवं मष्त्यु शाखा	99347752156
21	श्री विाय साव	प्रति0 कर संग्रहकर्ता	मार्केट शाखा में	96310584821
22	श्री तपेश्वर प्रसाद	प्रति0 कर संग्रहकर्ता	अतिक्रमण हटाव कार्य	99390212884
23	श्री उदय कुम3ार	प्रति0 कर संग्रहकर्ता	अतिक्रमण हटाव कार्य	96618736549
24	श्रीमती सावित्री देवी	अनुसेविका	अनुसेविका राजस्व शाखा	.
25	श्री युगल कुमार	अनुसेवक	राजस्व शाखा	–
कम्प्युटर शाखा				
1	श्री कोषलेन्द्र कुमार सिन्हा	सहायक	प्रभारी गोपनीय शाखा, प्रभारी कम्प्युटर शाखा, नगर आयुक्त के निजी सहायक एवं योजना कार्य वार्ड सं0 1 से 20 तक	9934238642
2	श्री सौरभ कुमार	सहायक	वार्ड 34 से 53 योजना सहायक का कार्य ट्रेड लाईसेंस, प्रकाश व्यवस्था एवं अनाधिकष्त निर्माण का कार्य	9835624469
3	श्री प्रेम कुमार	जनरेटर ऑपरेटर	जनरेटर ऑपरेटर	9801537696
स्वास्थ्य शाखा				
1	श्री महेन्द्र कुमार	सहायक	प्रभारी स्वास्थ्य शाखा, विधी शाखा, भ्ण्डार शाखा एवं ईधन आपूर्ति का कार्य	7481065094
2	श्री जय नारायण प्रसाद	प्रति0 कर सहायक	स्वास्थ्य शाखा सहायक, एवं दैनिक सफाई कर्मियों का विपत्र	7050589372
3	श्री पमति शाति कुमारी	प्रति0 सहायिका	स्वास्थ्य शाखा का सहायक कार्य एवं दैनिक सफाई कर्मियों का विपत्र	9304630711

भण्डार शाखा				
1	मो0 शमीम आलम	प्रति0 भण्डारपाल	भण्डार शाखा में सफाई गाड़ियों का रख–रखाव एवं वितरण कार्य	7004883192
विधि शाखा				
1	श्री पवन कुमार	प्रभारी विधि शाखा	–	9955467831
2	श्री जागेश्वर प्रसाद	कर संग्रहकर्ता	प्रतिनियुक्त सहायक विधि शाखा	9504342933
रोकड़ शाखा				
1	मो0 शमीम आलम	सहायक	प्रतिनियुक्त रोकड़पाल, रिक्शा प्रभारी, एवं मोबाईल टॉवर, कार्यालय वाहन प्रभारी का कार्य	7004883192
2	श्री संजीत कुमार	सहायक	रोकड़ शाखा का सहायक कार्य	9771321567
अभियंत्रण शाखा				
1	श्री नरेन्द्र कुमार	प्रभारी अभियंत्रण शाखा	प्रधान सहायक अभियंत्रण शाखा से संबंधित कार्य	9934686904
2	श्री राजीव नन्दन सिन्हा	सहायक	सहायक अभियंत्रण शाखा का कार्य एवं बी0एल0ओ0	9431530602
3	श्री पवन कुमार	सहायक	मुख्य मंत्री डैस बोर्ड, एवं योजना सहायक कार्य वार्ड 21 से 33	9955467831
4	श्री निशान्त कुमार	सहायक	प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभारी एवं जेम पोर्टल सहायक का कार्य	8809319453
5	श्री दिनेश्वर प्रसाद	सहायक	निर्वाचन शाखा प्रभारी एवं दाखिल–खारिज प्रभारी वार्ड सं0 01 से 11 तक	8409915082
6	श्री राजकिशोर मण्डल	सहायक	योजना कार्य	7870672024
7	श्रीमती किरण कुमारी – (II)	सहायक	योजना कार्य	8969202924
शिक्षक नियोजन स्थापना				
1	श्री सुरेन्द्र कुमार	सहायक प्रभारी (शिक्षक नियोजन स्थापना)	सहायक शिक्षक नियोजन, प्रभारी, दा0खा0 वार्ड सं0 – 47 से 53 तक	9934091261
2	राकेश कुमार	सहायक	शिक्षक नियोजन सहायक का काग्र एवं विवाह निबंधन कार्य एवं बी0एल0ओ0	9852198539
जल पार्षद शाखा				
1	श्री राकेश कुमार	कार्यालय अभियंता		94312078362
2	श्री राम कृष्ण मिन्टु	प्रतिनियुक्त प्र0 प्रधान सहायक		9934290359
3	श्री बिरेन्द्र कुमार	सहायक		99318798416
4	श्री धीरज कुमार	सहायक		8757043762
5	मो0 सरोज उद्यीन	प्रति0 सहायक		9852418147
6	श्री प्रशांत कुमार सिन्हा	प्रति0 सहायक		9973228051
7	श्रीमती मसो0 मीना देवी	पाइप लाईन खलासी		9709348311
8	श्रीमती मसो0 मिन्ता देवी	पाइप लाईन खलासी		9006248716

9	श्री जितेन्द्र मल्लाह	रात्री प्रहरी		6202789674

नगर निगम, गया के विभिन्न वार्डों में प्रतिनियुक्त सफाई पर्यवेक्षक का नाम एवं मोबाइल नम्बर

वार्ड संख्या	सफाई पर्यवेक्षक का नाम	मोबाइल नम्बर
1.	श्री कैलाश दास	7654584651
2.	श्री प्रदीप राम	9097195395
3.	श्री प्रकाश मांझी	7366840885
4.	श्री अर्जुन चौधरी	9472263921
5.	श्री महेन्द्र राम	7323955196
6.	श्री अनन्त कुमार मिश्रा	9304283754
7.	श्री उदय राम	9065261612
8.	श्री जितेन्द्र दास	9122401937
9.	श्री शंकर यादव	6202643062
10.	श्री कामेश्वर माँझी	9508712729
11.	श्री दुर्गा राम	8862802684
12.	श्री रामसेवक	6203822331
13.	श्री आकाश कुमार	7273023425
14.	श्री लक्ष्मन कुमार	9939718126
15.	श्री सुनिल सिंह	9262757851
16.	श्री सुनिल सिंह	9262757851
17.	श्री डब्लु कुमार	9608939494
18.	श्री जीवन राम	8294734334
19.	श्री विनोद कुमार	9708052067
20.	श्री रमेश कुमार	7070750468
21.	श्री मो0 सरफराज आलम	7321012693
22.	श्री उदय राम	9065261612
23.	श्री गुड्डु कुमार	7033797127
24.	श्री मो0 सरफराज आलम	7321012693
25.	श्री मो0 सरफराज आलम	7321012693
26.	श्री मो0 सरफराज आलम	7321012693
27.	श्री बाबूचन्द्र राम	9430022495
28.	श्री सुरेशराम	8084031125
29.	श्री दुर्गा राम	8797398467
30.	श्री मनोज राम	9006192946
31.	श्री अजय कुमार सिंह	7050774672
32.	श्री दीपक कुमार	9110970685
33.	श्री श्रवण कुमार	8757895626
34.	श्री श्रवण कुमार	8757895626
35.	श्री विजय कुमार सिंह	6201803617
36.	श्री अर्जुन प्रसाद	9955048378
37.	श्री प्रकाश कुमार	7050753978
38.	श्री अशोक कुमार	7004097005
39.	श्री अशोक कुमार	7004097005
40.	श्री रंजन कुमार	7903559841
41.	श्री चन्द्रशेखर राम	7366979319
42.	श्री संतोष मांझी	7654349727

43.	श्री गुलाबचंद राम	7542974662
44.	श्री गुलाबचंद राम	7542974662
45.	श्री संजय राम	7781074656
46.	श्री अजय कुमार	7870602411
47.	श्री मुकेश कुमार	8092786298
48.	श्री विदेशी प्रसाद	9155998510
49.	श्री विदेशी प्रसाद	9155998510
50.	श्री विनोद कुमार	9931722512
51.	श्री देवनन्दन प्रजापति	8544231628
52.	श्री राजकुमार रविदास	8083338751
53.	श्री देवनन्दन प्रजापति	

14.2 जनप्रतिनिधियों का सम्पर्क विवरण (गया)

वार्ड संख्या	चयनित सदस्यों के नाम	संपर्क नंबर
	श्री बिरेन्द्र कुमार (महापौर))	9934868381
	श्रीमती चिंता देवी (उप–महापौर)	9934358563, 8434753190
01	श्रीमती स्वर्णलता वर्मा	9431476575
02	श्रीमती जया देवी	
03	श्रीमती लाक्षो देवी	9431415954
04	श्रीमती अनुपमा कुमारी	
05	श्री जय प्रकाश सिंह	
06	श्री रफिया गजाला	
07	श्री चुन्नू खान	878612478
08	श्रीमती बबिता देवी	
09	श्रीमती सुचिता कुमारी	
10	श्री गोपाल कुमार	
11	श्री कुंदन कुमार	
12	श्री डिंपल कुमार	
13	श्री राहुल कुमार	9905099501
14	श्री पप्पू कुमार शर्मा	
16	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह	
17	श्रीमती सोनी देवी	9431255911,9852376420
18	श्री अशोक कुमार	9504970464
19	श्रीमती मुन्नी देवी	
20	श्री धर्मेन्द्र कुमार	9234773250
21	श्री नैयर अहमद	9708829111
22	श्रीमती चंचला देवी	
23	श्रीमती कहकशां महजबी	
24	मो.इस्लाम अहमद	
25	श्रीमती तब्बस्सुम परवीन	9006636500
26	श्री अबरार अहमद	9065560786
27	श्रीमती ममता किरण	
28	श्रीमती शीला देवी	

29	श्री रणधीर कुमार गौतम	
30	श्रीमती मीना देवी	
31	श्री राजेश कुमार यादव	9431614775,9852815399
32	श्री गजेन्द्र सिंह	9852139885
33	श्री ओमप्रकश सिंह	9431085372
34	श्रीमती शीला देवी	
35	श्रीमती इरम कहकशां	
36	श्रीमती बसंती देवी	6201914813
37	श्रीमती सारिका वर्मा	8292411481
38	मो. कलाम अंसारी	
39	श्री संजय कुमार सिन्हा	
40	श्रीमती चंदू देवी	9334975571
41	श्रीमती अंजना श्रीवास्तव	9431225777
42	श्री राजीव कुमार सिन्हा	
43	श्री विनोद कुमार यादव	9304067306
44	श्रीमती संगीता देवी	
45	श्रीमती शगुफ्ता देवी	
46	श्रीमती अमृता कुमारी	
47	श्रीमती सुशीला कुमारी	9199404981
48	श्रीमती रीता कुमारी	9204441841
49	श्रीमती नारायणी देवी	9801917200
50	श्रीमती नीलम कुमारी	9546377501
51	श्री मनोज कुमार	9934063565
52	श्रीमती अंजलि कुमारी	9931491915
53	मो. हसनैन अली	9931263191

14.3 महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बर

1	विद्युत सेवा	1912
2	पुलिस	100, 112
3	अग्निशमन	101, 112
4	एंबुलेंस सेवा	102, 108, 112
5	यातायात पुलिस	103
6	चाइल्ड लाइन	1098
7	रेलवे पुछताछ	139
8	रेल दुर्घटना	1072
9	सड़क दुर्घटना	1073
10	महिला हेल्पलाइन	1091, 181
11	भूकम्प	1092
12	चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
13	किसान कॉल सेन्टर	1551
14	नगर निगम, गया हेल्पलाइन	18003451614
15	कंट्रोल रूम, नगर निगम	9430641810 0631—2222302

16	जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, गया	0631–2222259
17	बिहटा नियंत्रण कक्ष।	06115–252028,252029
18	जिला नियंत्रण केन्द्र, गया	0631–2222253

14.4 गया के मीडिया प्रतिनिधियों (प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक) की सूची

क्र०	मिडिया कर्मी का नाम एवं मोबाईल नं०	पदनाम	एजेंसी का नाम
001	मनोरंजन कुमार मो० – 9334692792	प्रधान संवाददाता	हिन्दुस्तान
002	जितेन्द्र कुमार मो० – 7004348521	फोटोग्राफर	हिन्दुस्तान
003	श्रवण कुमार मो० – 9934920726	फोटोग्राफर	हिन्दुस्तान
004	श्री आलोक कुमार न० – 9431272014	जिला संवाददाता	द टाईम्स ऑफ इंडिया
005	मनीष भंडारी मो० – 9771508370	फोटोग्राफर	द टाईम्स ऑफ इंडिया
006	श्याम भंडारी मो० – 9431095268	फोटोग्राफर	दैनिक जागरण
007	नीरज कुमार मो० – 9931971124	वरीय संवाददाता	दैनिक जागरण
008	कंचन कुमार सिन्हा मो० – 9431416311	चीफ रिपोर्टर	प्रभात खबर
009	नीरज कुमार मो० – 9934638225	फोटो जर्नरिस्ट	प्रभात खबर
010	एलन लिलि मो० – 9709445550	वरीय संवाददाता	न्यूज़ 18 बिहार/झारखण्ड
011	संजीव कुमार सिन्हा मो० – 8863951658	संवाददाता	सहारा समय न्यूज
012	प्रदीप कुमार सिंह मो० – 9430840125	रिपोर्टर	कशिश न्यूज
013	सरताज अहमद मो० – 9709832989	ब्यूरो चीफ	इन्कलाब उर्दु
014	सूर्य प्रताप सिंह मो० – 9431264234	ब्यूरो चीफ	ए०एन०आई०, गया।
015	गोपाल प्रसाद सिन्हा मो० – 9934875288	ब्यूरो चीफ	राष्ट्रीय सहारा दैनिक
016	अक्षय कुमार सिंह मो० – 7631951537	ब्यूरो चीफ	आज दैनिक समाचार
017	जय प्रकाश कुमार मो० – 7488104706	संवाददाता	जी मीडिया
018	अजीत कुमार मो० – 9934290663	संवाददाता	इंडिया टी०वी०
019	सुभाष कुमार मो० – 9431084596	रिपोर्टर	MCN News (Local News Channel)
020	रंजन सिन्हा मो० – 9430057729	रिपोर्टर	दैनिक भास्कर
021	आकाश सिन्हा मो० – 8210729840	फोटो जर्नलिस्ट	दैनिक भास्कर

14.5 जिला गया के गोताखोरों/तैराकों की सूची

क्र0स0	गोताखोर/तैराक का नाम	मोबाइल नम्बर
1	संजीव कुमार गुप्ता	9939406935
2	पवन कुमार	9693392099
3	रंजित कुमार	7631815852
4	प्रदिप कुमार सेन	9430057616
5	दीपक कुमार	9122947253
6	प्रदीप कुमार राय	9122064324
6	राजु राय	8083436618
7	शशिरंजन पाण्डे	9973565616
8	धीरज कुमार गुप्ता	9939008912
9	छोटू कुमार गुप्ता	8434562974
10	सौरभ कुमार	8539833656
11	प्रमोद कुमार	8804673556
12	बन्टी रजक	8804682689
13	अश्वनी कुमार पाठक	9934069150
14	प्रभात सिंह	8294585807
15	रणवीर कुमार	9934208762
16	अरून कुमार	8969229115

परिशिष्ट–1

गया शहर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बाढ़ जोखिम मूल्यांकन

गया शहर की आपदा प्रबंधन योजना निर्माण हेतु गया शहर का मॉडल आधारित बाढ़ जोखिम मूल्यांकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए0आई0) के रूप में अध्ययन किया गया था। जो यह ए0आई0 मॉडल इस्तेमाल किया गया वह सनी लाइव्स था, जिसे SEEDS (सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी) द्वारा एक आपदा प्रभाव मॉडल के रूप में विकसित किया गया था, जो खतरे की चेतावनियों को प्रभाव के पैमाने में परिवर्तित करता है। मॉडल बिल्डिंग क्लस्टर स्तर पर हाइपर स्थानीय जोखिम मूल्यांकन प्रदान करने के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग करता है।

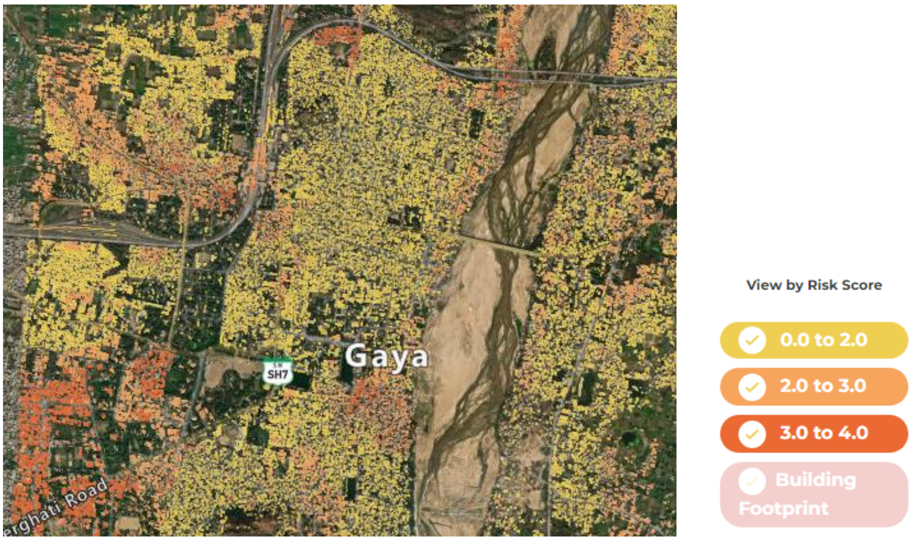

सनी लाइव्स द्वारा गया शहर के लिए बाढ़ जोखिम का आकलन

शहर में जलजमाव के उच्च जोखिम वाले स्थानों का आकलन करने के लिए गया शहर के लिए बाढ़ मॉडल का उपयोग किया गया था। उपरोक्त चित्र गया शहर का बाढ़ जोखिम मूल्यांकन के परिणाम प्रदर्शित करता है। भवनों की पहचान और उनका वर्गीकरण उनकी छत के प्रकार के अनुसार किया जाता है ताकि इमारत की भेद्यता का पता लगाया जा सके। जल निकायों से निकटता, कठोर से नरम सतह का अनुपात, उष्णकटिबंधीय गीलापन सूचकांक, एनडीवीआई, भूस्खलन जोखिम और ऊंचाई जैसे कारण भौगोलिक कारकों पर भी विचार किया जाता है। फिर प्रत्येक भवन को 0 – 5 की सीमा में एक जोखिम स्कोर का निर्माण जाता है। यह मॉडल शहर के विभिन्न हिस्सों में आपदा विशेषकर बाढ़ के प्रभाव का संकेत देता है।

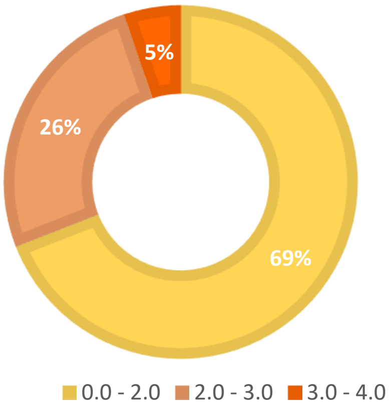

गया में परिवारों का जोखिम स्कोर वितरण

यह चित्र गया शहर में घरेलू स्तर पर जोखिम स्कोर के वितरण को दर्शाता है। शहर में 5 प्रतिशत परिवारों का जोखिम स्कोर अधिक है। 3.0–4.0 स्कोर वाले 26 प्रतिशत परिवारों का मध्यम जोखिम स्कोर है। 2.0 –3.0 स्कोर वाले 69 प्रतिशत परिवारों का जोखिम स्कोर कम है।